International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 5 June 2019

भारतेन्दु युगीन काव्य में राष्ट्रीय चेतना

पायल लिल्हारे
शोधार्थी (हिन्दी), रा.दु.वि.वि. जबलपुर

राष्ट्रीय चेतना की अवधारणा प्राचीन काल से चली आ रही है। मातृभूमि को माँ मानकर उसकी आराधना एवं उसकी अस्मिता की रक्षा के लिए सर्वस्व अर्पित करने की भावना एवं राष्ट्र के विकास हेतु प्रयत्न करना राष्ट्रीय चेतना कहलाता है। संपूर्ण भूमि, जन और मन की संस्कृति का आंकलन करने वाले देशानुराग को राष्ट्रीय चेतना माना गया है तथा राष्ट्रीय भावनाओं से अनुप्राणित होकर लिखा गया साहित्य राष्ट्रीय साहित्य कहलाता है। ऐसे साहित्य में अपने देश के प्रति रागात्मक भाव विशेष की अभिव्यक्ति होती है। जब किसी देश की जनता अपने राष्ट्रीय गौरव को भूलने लगती है या उसका सामाजिक, राजनीतिक पतन होने लगता है या राष्ट्र पर विदेशी आकमण की स्थिति निर्मित होती है। ऐसी स्थिति में साहित्यकार साहित्य सृजन के द्वारा लोगों को जाग्रत कर राष्ट्र के प्रति अनन्य प्रेम की भावना को प्रवाहित करता है। राष्ट्रीयता एक आध्यात्मिक भावना है जो एक राष्ट्र में बसने वाले लोगों में होती हैं। डॉ0 सुधीन्द्र के अनुसार – ''व्यक्ति के भाव, विचार और क्रिया–व्यापार द्वारा राष्ट्र के हित, कल्याण और मंगल की भावना और चेतना राष्ट्रवाद है।''[1]

राष्ट्रीय साहित्य के अंतर्गत राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित अनेक भावनाएँ आती है– देशगौरव एवं राष्ट्रभक्ति, स्वर्णिम अतीत का गौरव गान, राष्ट्रवंदना के स्वर एवं प्रशस्तिगान, राष्ट्र की दुरावस्था का क्षोभपूर्ण चित्रण, विदेशी शासन से जूझने की भावना, राष्ट्रीय जन–मन की सुरक्षा का भाव, प्रतिकूल शासन व्यवस्था के प्रति विद्रोह की भावना, नवजागरण की चेतना आदि।

उन्नीसवी सदी के प्रारंभ से राष्ट्रवाद का उदय माना जाता है। राष्ट्रवाद प्रारंभ में अंग्रेजी शासन के विरूद्ध भारतीय जनता के राष्ट्र के प्रति पूर्ण निष्ठा के रूप में दिखाई देती है।

1857 ई0 की कांति के फलस्वरूप राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार–प्रसार हुआ। समस्त भारत की जनता ने मिलकर अंग्रेजों के विरूद्ध विद्रोह की आग सुलगा दी। भारतेन्दु युगीन राष्ट्रीय चेतना का प्रथम रूप राजभक्ति के रूप में दिखाई देता है। भाारतेन्दु युग का प्रारंभिक समय संक्रातिकाल था, जिसमें रीतिकालीन सामंती आदर्श, विलासिता, रीति निरूपण की अति प्रवृत्ति का समापन एवं हिन्दी साहित्य के नवोत्थान एवं राष्ट्रीय–सांस्कृतिक गरिमा की जागृति का समय था।

भारतेन्दु युगीन कवियों में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, बदरीनारायण चौधरी, 'प्रेमधन', प्रतापनारायण मिश्र, अंबिकादत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, राधाकृष्ण दास आदि की कविताओं में राष्ट्रीय चेतना के दर्शन होते है।

भारतेन्दु हरिशचन्द्र ने भारत की दुर्दशा का चित्रण 'भारत दुर्दशा', 'अंधेर नगर' आदि नाटकों में किया है। 'भारत वीरत्व', 'विजय वल्लरी', विजयनी विजय वैजयन्ती', 'प्रबोधिनी', 'भारत भिक्षा' आदि भारतेन्दु जी की राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएँ है।

''रोवहु सब मिलि, आवहु भारत भाई।
हा!हा! भारत–दुर्दशा, न देखी जाई।''[2]

भारतेन्दु जी ने देश की दुर्दशा का चित्रण, राजभक्तिपरक रचनाएँ, राष्ट्रभाषा प्रेम, विदेशी बहिष्कार, अतीत का गौरव–गान आदि अपनी रचनाओं में किया है। मातृभाषा की उन्नति को वे सभी उन्नति का मूल स्वीकारते है–

''निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति कौ मूल।
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटै न हिय कौ सूल।''[3]

मातृभूमि के समान ही मातृभाषा या राष्ट्रभाषा प्रेम भी प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को तरंगित करता है। बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमधन' ने 'जीर्णजनपद', 'आर्यभिनंदन', 'हार्दिक हर्षादर्श' आदि रचनाएँ लिखकर जातीयता, समाज सुधार, देशप्रेम, राजभक्ति एवं देशोन्नति पर लेखनी चलाई।

''अचरज होत तुमहुँ सम गोरे बाजत कारे,
तासों कारे 'कारे' शब्दहु पर हैं वारे।''[4]

पार्लियामेंट सदस्य दादा भाई नौरोजी को विलायत में 'काला' कहे जाने पर क्षोभपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की। साहित्य के क्षेत्र में ये भारतेन्दु जी को अपना आदर्श मानते थे।

''देश की दुरावस्था के कारणों और देशोन्नति के उपायों का जितना वर्णन उन्होंने किया है, उतना भारतेन्दु की कविताओं में नहीं मिलता।''[5]

'प्रेमघन' ने महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर 'हार्दिक हर्षादर्श' रचना की तथा उसमें भी देश की दुर्दशा का चित्रण किया ''भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत।''[6]

'प्रेमघन' ने नागरी के कचहरी में प्रवेश पाने पर भी कविताएँ लिखी। वे देश की दुर्दशा के साथ–साथ समृद्धशाली देश का चित्रण करते हुए लिखते है–''धन्य भूमि भाारत सब रतननि की उपजावनि।''[7]

'प्रेमघन' जी विदेशी वेशभूषा व विदेशी सभ्यता को अपनाने वालों पर व्यंग्य करते है तथा भारत को रत्नों का भंडार कहकर मातृभूमि की वंदना करते है।

'हिन्दी–हिन्दू–हिन्दुस्तान' का नारा देने वाले प्रतापनारायण मिश्र ने देश की आर्थिक दुर्गति का कारण विदेशी वस्तुओं के प्रयोग को माना है। धार्मिक रूढियों, सामाजिक कुरीतियों, आपसी फूट, अंग्रेजों के शोषण आदि का विरोध एवं स्वाभिमान, एकता, परोपकार की आवश्यकता पर बल आदि उनकी कविताओं में मिलता है। उनमें स्वदेश प्रेम की भावना कूट–कूट कर भरी हुई थी, वे राष्ट्र गौरव को सर्वोपरि मानते थे। मिश्र जी जातिवाद, वर्णव्यवस्था तथा छुआछूत आदि दुर्गुणों के विरोधी थे, अत्याचारों व अंधविश्वासों की कटु आलोचना करते थे। प्रतापनारायण मिश्र राष्ट्रोन्नति के लिए सामाजिक परिवर्तन के भी पक्षधर थे। 'हिन्दी–हिन्दू–हिन्दुस्तान' का नारा देते हुए वे कहते है–

''चहहु जो साँचहु निज कल्यान! तो सब मिलि भारत सन्तान।
जपौ निरंतर एक जबान! 'हिन्दी–हिन्दू–हिन्दुस्तान'।।''[8]

मिश्र जी स्त्रियों की शिक्षा के पक्षपाती थे, बाल–विवाह के विरोधी व विधवाओं के दुःख से क्षुब्ध थे। वे देश की दुर्दशा पर गहरी चिंता व्यक्ति करते हुए कहते है–

''अभी देखिए क्या दशा देश की हो।
बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे।।''[9]

'मन की लहर', 'तृप्यन्ताम', 'कानपुर माहात्म्य', 'ब्रैंडला स्वागत' आदि रचनाएँ मिश्र जी ने लिखी।

अंबिकादत्त व्यास ने 'भारत धर्म', 'जटिल वणिक', 'सुकवि सतसई', 'पावस पचासा' आदि रचनाएँ लिखी।

''भारत ही में लियो जनम भारत ही रहिहैं।
भारत ही के धर्म–कर्म अरू विद्या गहिहैं।।''[10]

इन्होंने राजभक्ति परक रचनाएँ भी लिखी है। रानी विक्टोरिया की प्रशंसा के कारण ही इन्हें 'सुकवि' की उपाधि प्राप्त हुई थी।

''जयति धर्म सब देश जय भारत भूमि–नरेश।
जयति राज राजेश्वरी, जय जय जय परमेश।।''[11]

वृन्दावन से 'भारतेन्दु' पत्रिका निकालने वाले राधाचरण गोस्वामी भी राष्ट्रीयता से युक्त रचनाएँ लिखते थे। इन्होंने देश की उन्नति के लिए हिन्दी की उन्नति को अनिवार्य माना। देशभाषा की उन्नति के लिए भाषावर्धिनी सभा, अलीगढ़ को अपना सक्रिय योगदान दिया। इन्होंने भारत देश की भौगोलिक सुन्दरता का बड़ा ही रमणीय चित्रण किया है। भारत जिसके तीनों ओर सागर, ऊपर हिमालय, गंगा, यमुना नदी जहाँ प्रवाहित है ऐसे सुन्दर भारत के चित्रण में इनका मन रमा है। 'हमारो उत्तम भारत देश' में वे कहते है –

''हमारो उत्तम भारत देश,
जाके तीन ओर सागर है, उत हिमगिरि अतिवेष,
श्री गंगा, यमुनादि नदी है, विंध्यादि परिवेश।
'राधाचरण नित्य प्रति बाढ़ौ, जब लौं रवि राकेश।''[12]

राधाचरण गोस्वामी ने अपनी कविताओं में युगीन समस्याओं का चित्रण किया तथा उनके समाधान के लिए परंपरागत धर्मशास्त्रों को आधार बनाया है। 'यमलोक की यात्रा' निबंध एवं 'अमरसिंह राठौर' में भी राष्ट्रीय चेतना की झलक मिलती है। भारत की दुर्दशा का चित्रण करते हुए वे लिखते है–

''मैं हाय–हाय दै धाय पुकारौ रोई,
भारत की डूबी नाव उबारौ कोई।''[13]

डॉ0 रामविलास शर्मा ने राधाचरण गोस्वामी को भारतेन्दु युग का एकमात्र उग्र राष्ट्रीयता वाला कवि घोषित किया है।

राधाकृष्ण दास हिन्दी के अनन्य सेवक एवं भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के फुफेरे भाई थे। इनके दो

ऐतिहासिक नाटकों 'महारानी पद्मावती' और 'महाराणा प्रताप सिंह' में राष्ट्रीयता की भावना का प्राधान्य है। 'पृथ्वीराज प्रयाण' व 'प्रताप विसर्जन' में भारत के स्वर्णिम अतीत का गौरव–गान है। इन्होंने प्राचीन आर्य जाति, सभ्यता एवं संस्कृति की विश्वजनीन श्रेष्ठता का चित्रण किया है। 'पृथ्वीराज प्रयाण' पर टिप्पणी करते हुए डॉ0 देवेश ठाकुर ने लिखा है– 'अतीत गौरव की अभिव्यक्ति' राधाकृष्णदास के 'पृथ्वीराज प्रयाण' तथा 'प्रताप–विसर्जन' में भी बड़े संवेदनशील ढंग से हुई है। लेखक की इन दोनों रचनाओं में करूण रस का उत्कर्ष मिलता है। पृथ्वीराज गजनी जाते समय भारतमाता से विदा लेते हुए कहते है–

''जननी हमें सीख अब दीजै।
परम कुपूत, पूत तेरो यह, ताहि विदा अब कीजै।''[14]

'भारत बारहमासा' इनकी राष्ट्रीयता संबंधित प्रसिद्ध रचना है।

भारतेन्दु युगीन में बालमुकुन्द गुप्त भी प्रसिद्ध रहे है, इन्होंने देश की आर्थिक स्वतंत्रता के लिए स्वदेशी आन्दोलन का समर्थन किया है। विदेशी वस्तुओं के व्यवहार से हमारी गुलामी की जंजीरें दृढ़ होती है इसलिए वे आर्थिक स्वतंत्रता पर बल देते हुए 'स्वदेशी आन्दोलन' कविता में कहते है–

''आओं एक प्रतिज्ञा करें, एक साथ सब जीवें मरें।
अपनी चीजें आप बनाओ, उनसे अपना अंग सजाओ।''[15]

भारतेन्दु युगीन कवियों ने तत्कालीन जीवन में डूबकर उनका यथार्थ चित्रण किया है। स्वर्णिम अतीत का गौरव गान कर हताश व निराश देशवासियों के सामने एक आदर्श रखा है तथा राष्ट्र को उन्नति एवं समृद्धि हेतु प्रयास किया है।

समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने हेतु उन्होंने लेखनी चलाई है तथा जन्मभूमि के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए प्रयास किया है। देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करने की भावना भर कर जनमानस में राष्ट्र के प्रति प्रेम जगाने का कार्य भारतेन्दु युगीन कवियों ने किया है।

संदर्भ ग्रंथ :–

1. डॉ0 सुधीन्द्र, हिन्दी कविता में युगान्तर, पृ0 37
2. डॉ0 कान्तिकुमार शर्मा, हिन्दी साहित्य में राष्ट्रीय काव्य का विकास, नवयुग प्रकाशन, भोपाल, सं0 1970, पृ0 150
3. भारतेन्दु हरिशचन्द्र, भारतेन्दु ग्रंथावली, दूसरा खंड, पृ0 73
4. डॉ0 नगेन्द्र, डॉ0 हरदयाल, हिन्दी साहित्य का इतिहास, ज्ञान खंड–3, इंदिरापुरम्, 55 वाँ 56 वाँ स0 2017, पृ0 463
5. डॉ0 नगेन्द्र, डॉ0 हरदयाल, हिन्दी साहित्य का इतिहास, ज्ञान खंड–3, इंदिरापुरम्, 55 वाँ 56 वाँ स0 2017, पृ0 452
6. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, अनुपम प्रकाशन, पटना, सं0 2013, पृ0 405
7. डॉ0 नगेन्द्र, डॉ0 हरदयाल, हिन्दी साहित्य का इतिहास, ज्ञान खंड– 3, इंदिरापुरम, 55 वाँ 56 वाँ सं0 2017, पृ 440
8. प्रतापनारायण मिश्र, प्रतापनारायण मिश्र ग्रंथावली, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, प्रथम खंड, प्रथम सं0 पृ0 727
9. डॉ0 नगेन्द्र, डॉ0 हरदयाल, हिन्दी साहित्य का इतिहास, ज्ञान खंड– 3, इंदिरापुरम, 55 वाँ 56 वाँ सं0 2017, पृ 441
10. डॉ0 देवराज शर्मा 'पथिक', हिन्दी की राष्ट्रीय काव्यधाराः एक समग्र अनुशीलन, इन्द्रप्रस्थ प्रकाशन दिल्ली प्र0सं01979 पृ0 165
11. श्रीकृष्ण भावुक, पूर्व स्वतंत्रता कविता में राष्ट्रीय एकता, शारदा प्रकाशन, दरियागंज, नयी दिल्ली, प्रथम सं0 1995, पृ0 34
12. श्रीकृष्ण भावुक, पूर्व स्वतंत्रता कविता में राष्ट्रीय एकता, शारदा प्रकाशन, दरियागंज, नयी दिल्ली, प्रथम सं0 1995, पृ0 23
13. डॉ0 गणपति चन्द्र गुप्त, हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, द्वितीय खंड, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, चौदहवा सं0 2015, पृ0 33
14. डॉ0 देवेश ठाकुर, आधुनिक हिन्दी साहित्य की मानवतावादी भूमिकाएँ, पृ0 167
15. डॉ0 जयकिशन प्रसाद खण्डेलवाल, हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, श्री विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा–2, सोलहवा सं0 2013, पृ0 382

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 5 June 2019

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 देश के विकास के लिए पूर्ण अधिनियम

डॉ. द्रवेश भंडारी
प्राचार्य, एम.बी. खालसा लॉ कॉलेज, इन्दौर

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 का हमारे देश के संविधान द्वारा हमें छः अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 तक सम्मिलित किये गये हैं। इन मौलिक अधिकारों में अधिकार जो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 (क) में संविधान संशोधन 86 वां अधिनियम 2002 के तहत मूल अधिकार में जोड़ा गया। पूर्व में यह अधिकार संविधान के नाम 4 में अनुच्छेद 45 में नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित था।

अनुच्छेद 45 छः वर्षे से कम आयु के बालकों के लिए प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध करने का प्रयास किया गया था, जिसे राज्यों द्वारा लागू करना अनिवार्य नहीं था। परन्तु संविधान संशोधन 2002 में 86 वां संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 (क) में अनिवार्य रूप से लागू किया गया।

अनुच्छेद 21 (क) में शिक्षा के अधिकार के तहत छ' वर्ष से चौदह वर्ष तक आयु वाले सभी बालकों के लिए निः शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का प्रावधान किया गया।

संविधान के 86 के संशोधन अधिनियम 2002 के पालन में छः वर्ष से चौदह वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया हैं, जो अप्रैल 2010 से प्रभावशील किया गया है यह अधिनियम विशेषकर सुविधा रहित समूहों और कमजोर वर्गो के उन बच्चों के लिए जो किन्हीं कारणों से अपनी लाभप्रद होगा।

अनुच्छेद 21 (क) संशोधन के अनुसार एक बच्चा या बालक तब तक बच्चा या बालक अथवा बालिका कहलाता हैं जब तक उसकी आयु 18 वर्ष नहीं हुई हो। विद्यालयी शिक्षा पूर्ण रूप से प्राप्त कर वह 18 वर्ष की वयस्क की आयु प्राप्त करता है परन्तु अनुच्छेद 21 (क) में छः वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु के बालकों की शिक्षा के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का प्रावधान किया गया हैं।

अनुच्छेद 21 (क) निः शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अंतर्गत बालकों की आयु सीमा 14 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा संविधान में 86 वां संशोधन सन् 2002 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया तब बच्चों के शिक्षण के लिए आयु सीमा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक निर्धारित की गई जो कि विशेष कर सुविधा रहित बच्चों के लिए जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं उनके लिए प्रावधान किया गया। केन्द्र सरकार द्वारा आयु सीमा 6 वर्ष से चौदह वर्ष तक ही तय की गई। इस अनुच्छेद के तहत आयु सीमा में 14 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष तक क्यों नहीं की गई। क्या 14 वर्ष के आयु के बाद उन बच्चों को अपनी पढ़ाई पूर्ण करने का अधिकार नहीं है। 14 वर्ष की आयु में बच्चा मानसिक रूप से अपरिपक्व होता हैं जो कि अपने शिक्षण संबंधित सभी बातों को समझने के लिए परिपक्व नहीं होता हैं।

14 वर्ष की आयु में बालक शिक्षा के महत्व को जानने में असमर्थ होता अर्थात् शिक्षा के महत्व को समझ नहीं पाता है कि शिक्षा का उसके भविष्य में कितना महत्व हैं और शिक्षा प्राप्त करना उसके जीवन के लिए कितनी आवश्यक हैं।

प्राचीन समय में मनुष्य के जीवन के लिए तीन महत्वपूर्ण आवश्यकताऐं थी जो मुख्य रूप से भोजन, वस्त्र तथा आवास थी। परन्तु आज के इस वर्तमान युग में एक मनुष्य के लिए बदलती हुई परिस्थिति एवं बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के पांच मुख्य आवश्यकताएँ हैं जिसमें मनुष्य अपना जीवन सुचारू रूप से चला सकता है, वह पांच मुख्य आवश्यकताएँ हैं भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य।

वर्तमान में शिक्षा ने मनुष्य के जीवन में मुख्य मूल आवश्यकता का रूप ले लिया है ऐसी परिस्थिति में एक बालक को वयस्क होने तक 18 वर्ष तक की आयु

तक शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार हैं ऐसी परिस्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा यह अधिनियम जो संविधान के अनुच्छेद 21 (क) में संशोधन द्वारा जोड़कर बनाया गया हैं कि छः वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार पूर्ण न होते हुए एक अधुरा अधिनियम हैं।

चूंकि केन्द्र सरकार द्वारा पारित इस अधिनियम के माध्यम से किसी भी बालक को संपूर्ण रूप से वयस्क होने तक पूर्ण विद्यालयों शिक्षा प्राप्त नहीं होती है इसलिए एक आम नागरिक की दृष्टि से भी यह अधिनियम अपूर्ण अर्थात् अधूरा हैं।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार के तहत सभी सुविधारहित बच्चों के लिए छः वर्ष से चौदह वर्ष तथा कक्षा 8 वीं माध्यमिक कक्षा तक की शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान हैं।

यह अधिनियम विशेषकर सुविधा रहित बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करता है तो इस अधिनियम में बच्चों के पूर्ण विद्यालयी शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक कक्षा (10+2) तक की शिक्षा का प्रावधान नहीं करके कक्षा 8 वीं माध्यमिक कक्षा तक की शिक्षा देने का नियम बनाया गया हैं। ऐसी परिस्थिति में सुविधारहित होने के कारण वह बच्चा कक्षा 8 वीं तक की शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) प्राप्त करके विद्यालय छोड़ने को मजबूर हो जाता है और अपनी विद्यालयी शिक्षा उच्चतर माध्यमिक कक्षा 12 वीं तक की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है। चूंकि सुविधा रहित अर्थात आर्थिक रूप से असक्षम होने के कारण उस बच्चे के माता–पिता अपने बच्चे की शिक्षा को सतत् रूप से जारी नहीं रख पाते हैं और उस बच्चे की परिस्थिति ऐसी हो जाती हैं जिस प्रकार एक माझी अपनी नीव को नदी के बीच मझदार में छोड़ देता हैं ऐसी दशा में या तो नाव हवा के तेज बहाव में या तो डूब जाती हैं या फिर ऐसी अनजाने रास्ते ऐसे अनजाने किनारे पर पहुँच जाती हैं जहॉ से उस नाव को उचित मार्ग नहीं मिल पाता हैं।

कुछ ऐसी ही परिस्थिति उस बालक की भी हो जाती हैं जिसे अपूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त होती हैं। केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता उच्च माध्यमिक 10 वीं या उच्चतर माध्यमिक (10+2) 12 वीं तक क्यों रखी जाती हैं। वर्तमान में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी भी विभाग में किसी छोटे छोटे चपरासी जैसे पद भी न्यूनतम अर्हता अधिकांशतः उच्च माध्यमिक 10 या उच्चतर माध्यमिक 12 वीं होना अनिवार्य होता हैं, ऐसी परिस्थिति में वह बच्चा उसके आने वाले भविष्य में ऐसी किसी भी पद पर योग्य न होगा।

चूंकि यदि सरकार का यह मानना हैं कि, क्या बच्चों की पूरी पढ़ाई का पूर्ण शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की हैं ? क्या उनके माता–पिता की कोई जिम्मेदारी नहीं हैं ? ऐसी परिस्थिति में हम यह कह सकते हैं कि यदि उन बच्चों के माता पिता शिक्षा के महत्व को समझ पाते तो फिर इस अधिनियम को किसी भी प्रकार से लागू करने की आवश्यकता ही नहीं होती और वह अपने बच्चों को स्वयं ही शिक्षा दिलवाने पर पूर्ण रूप से कोशिश करते और यदि माता–पिता शिक्षा के महत्व को समझते भी हैं तो भी आर्थिक रूप से असक्षम होने के कारण वह अपने बच्चों को पूर्ण शिक्षा नहीं दिलवा पाते हैं। इस प्रकार माता–पिता के भी शिक्षा के विषय में असमर्थ होने के निम्न कारण हैं जैसे शिक्षित न होना, आर्थिक रूप से सक्षम न होना, रूढ़िवादिता का कारण जैसे कारणों की वजह से माता पिता अपने बच्चो की शिक्षा प्राप्त करने पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं और शिक्षा सतत रूप से जारी रखने पर भी जोर नहीं देते हैं।

इस अधिनियम के तहत संविधान के अनुच्छेद 21 (क) में संशोधन द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 में छः वर्ष से चौदह वर्ष तक कक्षा पहली से कक्षा आठवी तक की शिक्षा प्रदान करने प्रावधान किया गया हैं। यह अधिनिमय निम्न वर्ग के लोगों के लिए लागू किया गया हैं। 1. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के बच्चों के लिए 2. अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के विशेष वर्ग के बच्चों के लिए, इस प्रकार उपरोक्त आधारों पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। जिससे आर्थिक रूप से पिछड़े तथा जातिगत रूप से पिछड़े हुए लोगों को उनके बच्चों का शिक्षा के द्वारा विकास संभव हो सके।

इस अधिनियम के तहत प्रवेषार्थी बच्चों के उचित दस्तावेजों तथा प्रवेश की ऑनलाईन प्रक्रिया ने इस अधिनियम से शिक्षा प्राप्त करना कठिन बना दिया है, आवश्यक दस्तावेजों में से यदि एक भी दस्तावेज

पूर्ण नहीं होने पर बच्चें को प्रवेश नहीं प्राप्त होता हैं। शिक्षित न होने के कारण ऐसे बच्चों के माता–पिता कम्प्युटराईज्ड ऑनलाईन प्रक्रिया को समझ नही पाते हैं और ऑनलाईन प्रक्रिया का ज्ञान न होने पर प्रवेश लेने में डरते है। इस प्रकार प्रवेश प्रक्रिया में कठिनाई होने से कितने ही बच्चे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। इस प्रकार केन्द्र अथवा राज्य सरकार को नीचले स्तर पर भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं।

इस प्रकार केन्द्र अथवा राज्य सरकार को नीचले स्तर पर भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम पर जानकारी रखकर आने वाली कठिनाईयों को समाप्त करने का प्रयास किया जाने चाहिए। इस प्रकार प्रकार निष्कर्ष में हम यह कह सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 21 (क) के तहत निः शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 में आयु छः वर्ष से चौदह वर्ष के स्थान पर छः वर्ष से अठ्ठारह वर्ष वयस्क होने तक कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाये तो कक्षा पहली से आठवी तक हैं उसे कक्षा पहली से कक्षा 12 वीं तक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रावधान किया जावे जिससे हमारे देश को विकासशील से विकसित बनाया जा सके क्योंकि वर्तमान के बालक ही हमारे देश का आने वाला भविष्य हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. सूचना का अधिकार आर.टी.आई. एक्ट, प्रकाश कुमार, के.बी.राय, प्रभात पेपरबैक्स संस्करण 2015 पृ. 20–22
2. सूचना का अधिकार व्यावहारिक मार्गदर्शिका, विष्णु राजगढ़िया, अरविंद केजरीवाल संपादक हरिवंश, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली, पटना इलाहाबाद कोलकत्ता, पहला संस्करण 2007 पृ. 35–38
3. डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू. आर.टी.आई. वेबसाईट

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 5 June 2019

विद्यार्थियों की वैज्ञानिक प्रवृत्ति का उनके विश्लेषणात्मक क्षमता पर प्रभाव का अध्ययन

श्रीमती हीरा कुमारी
वरिष्ठ अध्यापक, शोध छात्रा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
डॉ. (श्रीमति) के.के. दुबे
सेवानिवृत प्राचार्य, शास. शिक्षा महाविद्यालय, जबलपुर

शोध सार :– विद्यार्थियों में वैज्ञानिक साक्षरता के साथ–साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास आवश्यक है। विज्ञान का ज्ञान एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण अंधविश्वासों को कम करेंगे। किसी भी विशिष्ट परिस्थिति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण व्यक्ति के चिंतन, क्रिया एवं व्यवहार की एक एकीकृत मनःस्थिति है। विज्ञान मे किसी समस्या का घटना की तार्किक विवेचना की जाती है, उसके बाद ही निष्कर्ष निकले जाते हैं। विश्लेषणात्मक क्षमता तार्किक चिंतन को प्रदर्शित करता है। अतः वैज्ञानिक प्रवृत्ति के विकास के लिए विश्लेषणात्मक क्षमता को समझने की आवश्यकता है। प्रस्तुत शोध पत्र में जबलपुर जिले के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के विद्यार्थियों की विज्ञान एवं गणित विषयों में छात्र एवं छात्राओं की वैज्ञानिक प्रवृत्ति का उनके विश्लेषणात्मक क्षमता पर प्रभाव का अध्ययन किया गया है। शोध अध्ययन में उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों का चयन यादृच्छिक न्यादर्श विधि द्वारा किया गया तथा 400–400 छात्र–छात्राओं का चयन किया गया है। शोध हेतु सर्वेक्षण अनुसंधान विधि का प्रयोग किया गया है। अध्ययन में पाया गया कि उच्च वै.प्र. वाले छात्र के छात्रा एवं विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक क्षमता निम्न समूहों की अपेक्षा अधिक है। निष्कर्ष स्वरूप विश्लेषणात्मक क्षमता पर छात्र, छात्रा एवं विद्यार्थियों की वैज्ञानिक प्रवृत्ति का सार्थक प्रभाव पड़ता है।

प्रस्तावना :– किसी राष्ट्र की महानता का पता इससे नहीं लगाया जा सकता है कि वहाँ कितने लोगों के अक्षर ज्ञान हैं बल्कि इसका अनुमान उस राष्ट्र के विज्ञान और विद्या की समृद्धि में योगदान से लगाया जा सकता है। विज्ञान में किसी समस्या या घटना की तार्किक विवेचना की जाती है, उसके बाद ही सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि विज्ञान के शिक्षण से निरीक्षण तथा तर्कशक्ति का विकास होता है।

अतः वैज्ञानिक साक्षरता के साथ–साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास आवश्यक है। विज्ञान का ज्ञान एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण अंधविश्वासों को कम करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विषयों एवं घटनाओं को देखने की मूल्य आधारित प्रविधि है। किसी भी विशिष्ट परिस्थिति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण व्यक्ति के चिंतन, क्रिया एवं व्यवहार की एक एकीकृत मनःस्थिति है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं चिंतन एक प्रविधि है, जिसमें व्यक्ति उपलब्ध प्रमाणों पर उस समय वस्तुगत दृष्टि से विवेकपूर्ण निर्णय करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्रियात्मक कार्यों के लिए एक मूल्य प्रारूप, विश्व के लिए एक दृष्टिकोण और कार्य एवं क्रिया के लिए एक प्रविधि है, अतः राष्ट्र के विकास के लिए विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना आवश्यक है।

विश्लेषणात्मक क्षमता वह क्षमता है, जिसके द्वारा व्यक्ति मन में स्पष्ट रूप से देखता है, कल्पना करता है, सम्बन्ध जोड़ता है और कोई भी निर्णय उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर करता है, यह क्षमता तार्किक चिंतन को प्रदर्शित करता है, जिसके द्वारा सूचनाओं को एकत्रित करने में, विश्लेषण करने में, समस्या समाधान करने में तथा योजना का प्रारूप बनाने में सहायता मिलती है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति व्यक्ति में विश्लेषणात्मक क्षमता पायी जाती है। शोधकर्ता के मन में विचार आया कि उच्च या निम्न वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शोधकर्ता के द्वारा यह समस्या का चयन किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य :–

1. उच्च/निम्न वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले छात्र/छात्राओं का उनके विश्लेषणात्मक क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन।
2. उच्च/निम्न वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले विद्यार्थियों का उनके विश्लेषणात्मक क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययनल।

परिकल्पना :–

1. उच्च/निम्न वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले छात्र/छात्राओं का उनके विश्लेषणात्मक क्षमता पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता।
2. उच्च/निम्न वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले विद्यार्थियों का उनके विश्लेषणात्मक क्षमता पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता।

शोध अध्ययन विधि :– प्रस्तुत शोध पत्र में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श :– शोध हेतु उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों का चयन यादृच्छिक न्यादर्श विधि द्वारा किया गया है तथा उच्च एवं निम्न वैज्ञानिक प्रवृत्ति के लिए 400–400 छात्र–छात्राओं का चयन किया गया है।

शोध उपकरण :– प्रस्तुत संकलन हेतु डा. (श्रीमती) के. के. दुबे की वैज्ञानिक प्रवृत्ति मापनी एवं स्वनिर्मित विश्लेषणात्मक क्षमता प्रश्नावली का उपयोग किया गया है।

उच्च/निम्न वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले छात्र/छात्राओं एवं विद्यार्थियों का उनके विश्लेषणात्मक क्षमता में सार्थक अन्तर संबंधी विवरण

समूह	वैज्ञानिक प्रवृत्ति	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात	'पी' मान
छात्र	उच्च	102	16.99	3.89	9.86	<0.01
	निम्न	123	11.59	4.33		
छात्रा	उच्च	108	16.19	5.01	7.25	<0.01
	निम्न	88	11.84	3.36		
छात्र+छात्रा	उच्च	210	16.58	4.51	11.84	<0.01
	निम्न	211	11.69	3.95		

स्वतंत्रता के अंश – 223, 193
0.05 स्तर का न्यूनतम मान – 1.97
0.01 स्तर का न्यूनतम मान – 2.60
स्वतंत्रता के अंश – 419
0.05 स्तर का न्यूनतम मान – 1.97
0.01 स्तर का न्यूनतम मान – 2.59

उपरोक्त सारणी में विश्लेषणात्मक क्षमता पर छात्र, छात्रा एवं विद्यार्थियों की वैज्ञानिक प्रवृत्ति के प्रभाव सम्बन्धी परिणाम प्रदर्शित किये गये है। तीनों समूहों के लिए प्राप्त क्रांतिक अनुपात का मान क्रमशः 9.86, 7.25 एवं 11.84 है। जो 0.01 स्तर के सारणी मान की अपेक्षा अधिक है। उच्च वैज्ञानिक प्रवृत्ति के समूहों के मध्यमान निम्न वैज्ञानिक के समूहों के मध्यमान निम्न वैज्ञानिक प्रवृत्ति समूहों के मध्यमानों की अपेक्षा अधिक है। जो उनकी अधिक विश्लेषणात्मक क्षमता को प्रदर्शित कर रहे हैं।

अतः उपरोक्त परिणामों के आधार पर निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि विश्लेषणात्मक क्षमता पर छात्र, छात्रा एवं विद्यार्थियों के वैज्ञानिक प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ता है। उच्च वैज्ञानिक प्रवृत्ति समूहों की विश्लेषणात्मक क्षमता निम्न वैज्ञानिक प्रवृत्ति समूहों की अपेक्षा अधिक है।

निष्कर्ष :–

1. उच्च वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले छात्रों की विश्लेषणात्मक क्षमता निम्न वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले छात्रों की अपेक्षा अधिक पायी गई।
2. उच्च वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले छात्राओं की विश्लेषणात्मक पर निम्न वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले छात्राओं की विश्लेषणात्मक क्षमता का सार्थक प्रभाव पड़ता है।
3. उच्च वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले विद्यार्थियों की विश्लेषण क्षमता निम्न वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक क्षमता से अधिक पाई गई।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :–

1. कपिल, एच. के. सांख्यिकीय के मूल तत्व, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, अष्टम संस्करण, 2008
2. शर्मा, आर. ए. (2007) शिक्षा अनुसंधान, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ, पृ.सं. 153
3. शर्मा, वीरेन्द्र प्रकाशन (2004), रिसर्च मेथलडॉलाजी, तृतीय संस्करण, पंचशील प्रकाशन, जबलपुर, पृ.सं. 199
4. Universal Journal of Education and General Studies (ISSN: 2227:0984) Vol. 2(10), P.P. 336-353, October, 2013
5. International Journal of Humanities and social science research vol.1, No.1, P.P. 83-89, March 2014

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 5 June 2019

महिला आरक्षण समस्या : पंचायत, नगर निकाय और सहकारी संस्थाएं – समाधानात्मक सुझाव

नीलमेघ चतुर्वेदी और सुप्रिया गुप्ते

सारांश :– देश में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा को सहकारिता, पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय स्व–शासन यानी नगर निकायों और कृषि उपज मंडी समितियों ने यथार्थ के धरातल पर उतारा है। संसद में 73वें और 74वें संविधान संशोधन विधेयक पारित होने, देश के आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं स्वीकृति और राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात पंचायत और नगर निकायों को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हो गया। 24 अप्रैल 1994 से देश में एकीकृत पंचायती राज व्यवस्था प्रभावशील हुई। राज्यों में भी इसका प्रभाव सामने आया। मप्र में नए पंचायती राज अधिनियम के तहत जून 1994 में पहली बार पंचायतों के चुनाव कराए गए। वर्ष 2009 में पंचायती राज और नगर निकाय अधिनियमों में संशोधन के बाद इन संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित कर दिए गए। ऐसी ही व्यवस्था की अपेक्षा सहकारी संस्थाओं विशेषकर कृषि सहकारी संस्थाओं और कृषि उपज मंडी समितियों के लिए भी है। किंतु इसमें तकनीकी बाधा है। संबंधित अधिनियमों में संशोधनों से बाधा हटाना संभव है। संयुक्त सदस्यता (पति–पत्नी) द्वारा सहकारिता और मंडी समितियों के निर्वाचक मंडल में महिलाओं की सदस्य संख्या बढ़ाई जा सकती है। तब कहीं जाकर दोनों संस्थाओं में पंचायतों और नगर निकायों की तरह 50–50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जा सकेंगे।

प्रस्तावना :– देश में धरातली स्तर की चार लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं। इनमें पंचायत राज, नगर निकाय, सहकारिता और कृषि उपज मंडी समितियां सम्मिलित हैं। पंचायत और सहकारी संस्थाओं की औपचारिक और गैर औपचारिक उपस्थिति के संदर्भ प्राचीन धर्मग्रंथों में भी मिलते हैं। श्री रामचरित मानस में ''जो पांचहूं मत लागै नीका, करहूँ हरषि हिंय रामहि टीका'' (राजा दशरथ का पंचों से संवाद) तत्कालीन अवध राज्य में पंचायत विचारधारा और प्रणाली की उपस्थिति दर्शाता है।

इसी प्रकार ब्रह्मानंद बल्ली रचित तैतरीय उपनिषदिक प्रार्थना '' ओम सहनोवतु सहनोभुवंतु सहवीर्यं करवा वहे, तेजस्वी नाम धीतमस्तू मां विद्वविषावहे'' में उपनिदषकालीन भारत में सहकारी संदर्भ के दर्शन होते हैं। इससे स्पष्ट है कि भले ही देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय असम में प्रारंभ हुआ हो, विश्व की पहली सफल सहकारी संस्था ब्रिटेन के मैनचेस्टर के पास स्थिति रोचडेल कस्बे में 21 दिसंबर 1844 को प्रारंभ हुई हो, किंतु सहकारी भावना भारतीय जनमानस में अर्वाचीन है। त्रेतायुगीन भारतीय लोकतंत्र की नींव काफी पुरानी और मजबूत है।

श्री रामचरित मानस में वर्णित पंचायत संदर्भ अर्वाचीन है। नगर निकाय इसके उन्नात स्वरूप है। प्राचीन काल में लोक सहभागिता से पंचायतें ही सुशासक इकाइयों के रूप में प्रतिष्ठित रही। मुंशी प्रेमचंद लिखित ''पंच परेमश्वर'' में वर्णित पात्र अलगू चौधरी और जुम्मन शेख पंचायती राज प्रणाली में प्रतिष्ठित और संदर्भित रहे हैं। अंगरेजी शासन प्रणाली में पंचायती राज को नष्ट कर दिया गया। स्वाधीन भारत में लोकतंत्र की आधारशिला पंचायती राज को लोक जीवन में पुनः प्रतिष्ठित करने के प्रयासों की शुरूआत हुई। कारण स्पष्ट था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण द्वारा लोक कल्याण लक्ष्यों की प्राप्ति। पंचायतों को अधिक सशक्त और स्थानीय शासन को अधिक विकेंद्रीकृत व अधिकार संपन्ना इकाइयो के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए बलवंतराय मेहता जैसी समितियों का गठन हुआ। इनकी अनुशसाओं के आधार पर राजस्थान के नागौर में स्वाधीन, सार्वभौम और संप्रभुता संपन्ना भारत की पंचायत राज प्रणाली का शुभारंभ तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसके बाद भी पंचायतें स्थानीय स्व शासन के क्षेत्र में वह स्थान प्राप्त नहीं कर पाईं जिसकी अपेक्षा रही थी। लंबे समय तक पंचायतों और उनके उन्नात स्वरूप नगर निकायों के निर्वाचन टालना, अधिकारों को बाधित करना, कार्यात्मक स्वतंत्रता नहीं देना, इनके कार्यक्षेत्र में विधायिका और संसद सदस्यों द्वारा अपनी राय थोप नर्माण और विकास कार्य निष्पादन जैसी समस्याएं सामने आती रही। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गाँधी के समक्ष भारतीय पंचायत राज प्रणाली और नगर निकायों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की रूपरेखा बनी। तब देश भर में पंचायतों पर बहस हुई, इन्हें अधिकार संपन्ना बनाने पर विमर्श हुआ। संसद के विचारार्थ

संविधान संशोधन और एकीकृत पंचायत राज विधेयक प्रारूप लाने के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता से कार्य शुरू हुआ। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का यह यज्ञ पूरा नहीं हो सका। बाद में यह बीजरूपी विचार महावृक्ष के रूप में विकसित हुआ। संसद ने एकीकृत पंचायती राज विधेयक पारित किया। देश भर के आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं ने भी इसे पारित कर नए पंचायती राज पर अपनी सहमति दी। फिर राष्ट्रपति डॉ शंकरदयाल शर्मा के अनुमोदन पश्चात 24 अप्रैल 1994 से देश में एकीकृत पंचायत राज प्रणाली अस्तित्व में आई। नए और कुछ लचीले कानून के तहत राज्यों को स्वायत्तता दी गई। उन्हें स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार पंचायत राज कानून प्रभावशील करने की स्वतंत्रता दी गई। मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बना जहां कांग्रेस शासनकाल में नए पंचायत राज अधिनियम के तहत जून 1994 में चुनाव कराए गए, वह भी गैर दलीय आधार पर। बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में किए गए पंचायती राज अधिनियम संशोधन द्वारा पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया। इसी प्रकार का संशोधन मप्र नगर निकाय अधिनियम में भी किया गया। यहां भी महिला आरक्षण का प्रतिशत 50 कर दिया गया। इस एतिहासिक संशोधन ने मध्यप्रदेश की धरातली संवैधानिक संस्थाओं जैसे पंचायत और नगर निकायों में महिलाओं की सहभागिता प्रतिशत उल्लेखनीय रूप से बढ़ा दी।

सहकारिता में क्यों नहीं ?

पंचायत और नगर निकायों में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया, किंतु मध्यप्रदेश की सहकारी संस्थाओं के लिए ऐसा नहीं किया गया। फलस्वरूप सहकारिता में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पंचायत और नगर निकायों की तुलना में कम है। सहकारिता में महिला आरक्षण अभी भी 33 प्रतिशत स्तर पर है। अनेक प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्थाओं के संचालक मंडल की बैठक में दो महिला संचालक एक कोने में घूंघट की ओट में विराजमान होती हैं। उनके विचार कभी–कभी नक्कारखाने में तूती के समान होते हैं। इधर पंचायतों और नगर निकायों में स्थिति इसके विपरीत! मातृशक्ति जोरदार तरीके से अपने प्रस्तावों को पारित करवाती हैं। इसका कारण भी स्पष्ट है। सहकारिता विशेषकर कृषि सहकारी साख संस्थाओं में निर्वाचक मंडल यानी सभासदों में ही महिलाओं की संख्या कम है। यही स्थिति कृषि उपज मंडी समितियों में भी है। कृषि सहकारी साख संस्थाओं में सदस्यता उसे ही मिलती है, जिनके नाम जमीन हो। जबकि पंचायत और नगर निकायों में केवल उस क्षेत्र का रहवासी होना जरूरी है, भले ही निर्वाचक मंडल सदस्य भूखंड/भूमिहीन हो किराए के मकान का निवासी/निवासिनी हो। चूंकि ग्रामीण इलाकों में अधिकांश कृषि जोतें (होल्डिंग्स) पुरूषों के नाम है, अतः महिलाओं की सदस्यता प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्थाओं में कम है। इसीलिए वे न तो निर्वाचक मंडल में और न ही पदों पर उस अनुपात में पदस्थ हैं, जिस अनुपात में पंचायती राज और नगर निकायों में महिलाएं पदस्थ हैं।

यही मौलिक कारण है, जिससे कृषि सहकारी साख संस्थाओं में महिला नेतृत्व नहीं उभर पाया है, जबकि खेत में कंधा से कंधा मिला महिलाएं कृषि कार्य करती हैं।

पद्धति :– कृषि सहकारी संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति और इसमें वृद्धि के लिए शोध किया गया। गवेषणात्मक (एक्सप्लोरेटरी) पद्धति प्रयोग की गई। साक्षात्कार अनुसूची और प्रश्नावलियों द्वारा अंशधारकों यानी पैक्स से जुड़ी महिला शक्ति और अकादमिक विशेषज्ञों की राय ली गई। इंदौर और उज्जैन संभाग के 100 उत्तरदाताओं की राय ली गई।

विमर्श :– पंचायत, नगर निकाय, सहकारिता और कृषि उपज मंडी समितियों जैसी धरातली संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व, संवैधानिक संस्थाओं (संसद और विधानसभा) में बहस का मुद्दा क्यों बना, इसका कारण भी रोचक है। महिलाएं संतति की प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में अधिक प्रतिष्ठित हैं। प्रसिद्ध रूसी लेखक मेक्सिम गोर्की की दशकों पूर्व लिखी पुस्तक ''मां'' और ''मेरे विश्वविद्यालय'' में भी मां को विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। परिवार में सहकारी भावना की जनक मां ही होती है। अनुज की मदद, देखभाल, विद्यालय छोड़ने जाना, लेने जाना, साथ–साथ नाश्ता और भोजन, मिल–बांट कर खाने की शिक्षा मां ही देती है। यही सहकारी भावना है। फिर संसाधनों के श्रेष्ठतम उपयोग की शिक्षिका मां ही ही है। बिस्तर की चादर अनुपयोगी होने पर खिड़की के पर्दे बनाना, पर्दे अनुपयोगी हो जाएं तो तकिए की खोल (पिलो कवर),

खोल अनुपयोगी हो तो सफाई व्यवस्था में उपयोग और यहां से निवृत्त होने पर गुदड़ी फिर गुदड़ी के बाद पुनर्चक्रण कर स्टील के बर्तन लेने की मास्टर ट्रेनर मां ही है। दाल में नमक अधिक होने पर बेसन के गोले डाल खाने योग्य बनाए रखना मां की ही शिक्षा है। रात की चपाती बचने पर सुबह स्वादिष्ट नमकीन कुसकुरा और मीठा चूरा बना खाना और खिलाने की शिक्षा मां ही देती है। कपड़े धोने के बाद बचे पानी को कहां उपयोग किया जा सकता है, इसकी शिक्षक मातृ शक्ति है। इन उदाहरणों का उद्देश्य संसाधनों का अधिकतम उपयोग है। सभी धरातली संस्थाएं संसाधनगत अभाव का सामना कर रही है। ऐसे में महिला सहभागिता द्वारा संसाधनों का अधिकतम उपयोग बहस का मुद्दा बना। यूं भी जनसंख्या मान से 50 प्रतिशत सहभागिता महिलाओं का नैसर्गिक अधिकार है। पंचायत राज और नगर निकायों में तो जनसंख्या के मान से महिला प्रतिनिधित्व की संवैधानिक व्यवस्था कर दी गई, किंतु सहकारी क्षेत्र विशेषकर कृषि सहकारी संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान तकनीकी संशोधन की अपेक्षा रखता है। प्रश्नावली और अनुसूचियों से भी यही निचोड़ निकलता है।

निष्कर्ष :– कृषि सहकारी साख संस्थाओं में महिला आरक्षण अनुपात में बढ़ोतरी जैसी समस्या का समाधान संभव है। प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्थाओं के निर्वाचक मंडल में महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके लिए संयुक्त सदस्यता की व्यवस्था का प्रावधान किया जा सकता है। सप्तपदी और विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र इसके आधार हो सकते हैं। संयुक्त सदस्यता से ''पैक्स'' में महिलाओं की संख्या लगभग 50 प्रतिशत हो जाएगी। इससे पंचायत और नगर निकायों की तरह महिलाओं के लिए भी 50 प्रतिशत पद आरक्षण संभव हो सकेगा। व्यवस्था प्रभावशील करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार को प्रतिबद्धता दर्शाना होगी।

संदर्भ :–

1. मध्यप्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1960 संशोधित
2. पंचायत राज पर गठित बलवंतराय मेहता समिति प्रतिवेदन 1957
3. एकीकृत पंचायत राज अधिनियम 1994
4. मप्र पंचायत राज अधिनियम संशोधित 2009
5. मप्र सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 संशोधित
6. मप्र नगर निकाय अधिनियम 1960 संशोधित

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 5 June 2019

भूमण्डलीकरण एवं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अवधारणा

Mrs. Kiran Sachdeva
Barkatullah University, Bhopal

भूमण्डलीकरण शब्द अत्यन्त व्यापक है, तथापि प्रस्तुत संदर्भ में उसका अर्थ सीमित होकर उद्योग व्यापार के परिचायक बनकर रह गया है। अत्यधिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से संसार के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र को अपने व्यापार के लिए बाजार उपलब्ध कराना आवश्यक जान पड़ा। अतः भूमण्डलीकरण के आकर्षण आवरण में क्रमशः नए आर्थिक उपनिवेशवाद की स्थापना का प्रारूप तैयार किया जाने लगा। भूमण्डलीकरण मुख्यतः उद्योग व्यापार से संबद्ध है, इसलिए वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था पर गंभीरतापूर्वक विचार करना आवश्यक है। साथ ही अन्य व्यापार की भांति ही भूमण्डलीकरण के संदर्भ में भाषा–विवेचन, विशेषकर हिन्दी भाषा की वर्तमान स्थिति तथा उपादेयता पर प्रकाश डालना आवश्यक हो गया है। यदि अतीत पर विचार करें, तो विश्वग्राम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, जो अत्यन्त सार्थक है–सर्वथा विश्वकल्याण की भावना से अनुप्राणित हार्दिकता, निश्छलता, संवेदनशीलता, परोपकारिता, सेवाभाव से युक्त अतिशय उदार दृष्टिकोण का निष्कलुष दृष्टांत–

''इमा रूद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतीः।
यथा शमसद् द्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्राम अस्मिन्ननातुरम्।।''[1]

विश्व ग्राम से तात्पर्य था–संवार के समस्त प्राणियों का परस्पर सौहार्दपूर्ण उन्नत तथाविकसित जीवन व्यतीत करना। उसमें न तो शोषण अथवा प्रवचना की समस्या थी और न ही भेदभाव बरने की आशंका। उस भव्य विश्वग्राम में सब के सब एक–दूसरे के परम हितैषी थे। वे सभी दृष्टियों से सुरक्षित, राग–द्वेष से पूर्णतया मुक्त, अत्यंत प्रसन्न और प्रफुल्ल रहने वाली अभेद प्रतीत अन्यतम् परिचायक थे। आज के वर्ल्ड विलेज की नकली अवधारणा से उसका अन्तर अतर्निहित वैशिष्टय र्स्वत्र स्पष्ट है। सच तो यह है कि आर्थिक जगत् में विकास की देन जितनी ही तीव्र होती है, परस्पर सहयोग की भावना एवं आवश्यकता भी उतनी ही तीव्र होती है। अर्थशास्त्र में उत्पादन तथा विवरण की विशिष्टता श्रम विभाजन, निर्भरता, प्रतियोगिता जैसी प्रवृत्तियों को प्रश्रय देती है। इन्हीं प्रवृत्तियों ने आज अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय परिधि की सीमाओं से मुक्त करने को बाध्य कर दिया है। राजनीतिक संस्कृतियों आदि समस्त विभिन्नताओं के बावजूद आर्थिक सहयोग की प्रवृत्तियां संसार के सभी देशों में सामान्य दिखती हैं। इसलिए राजनीतिक–सांस्कृतिक एकीकरण से अधिक विश्व का आर्थिक एकीकरण समय की मांग हो गया है। भूमण्डलीकरण इसी मांग का प्रतिफल है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है और इसके सदस्य देशों की संख्या लगभग 125 है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। उल्लेख्य है कि 'गैट' अथवा व्यापार एवं तटकर सम्बन्धी आम समझौता' मूलतः द्विपक्षीय व्यापार समझौतों का समन्वित रूप था, जिसने एक संगठन का रूप ले लिया। 1995 ई0 से यह **'विश्व व्यापार संगठन'** के नाम से जाना जाने लगा।

भूमण्डलीकरण धीरे–धीरे विकसित देशों का सभ्य आर्थिक षडयन्त्र बनता जा रहा है। वैसे आरम्भ से ही उसकी नीति शोषण की रही है। औद्योगिक क्रांति में तीव्रता आ जाने से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण व्यापक स्तर पर हो रहा है। उन वस्तुओं की बिक्री से अधिकाधिक लाभ उठाना विकसित देशों विशेषकर अमेरिका, इंग्लैण्ड, चीन, जापान, जर्मनी और रूस का प्रमुख उद्देश्य है। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका की साम्राज्यवादी नीति कुछ अधिक ही उफान की ओर है। इसका खतरा न केवल अविकसित देशों को है, अपितु विकसित देश भी इसकी चपेट में जाते हैं। यही कारण है कि विश्व व्यापार संगठन के प्रति सभी की आशंका आरंभ से ही बनी हुई है।

द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रारूप पर चर्चा 1946ई0 में ही इंग्लैण्ड में शुरू हो गई थी। 1947ई0 में हवाना में इसका पहला दौर शुरू हुआ, जिसमें 23 देशों ने भाग लिया। ये देश गैट के संस्थापक सदस्य हैं। 1965ई0 में यह सिद्धान्त स्वीकार किया गया कि समान शर्तो पर विकसित देश विकसित देशों से बातचीत करने को बाध्य होंगे। ज्ञातव्य है कि विकासशील देश

विकसित देशों की भांति पेशकश करने में असमर्थ थे। अभिप्राय यह है कि शोषण की दुर्गंध आरंभ से ही फैलने लगी थी। अतएव आरंभिक वार्ताओं का कोई सकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था। इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति जेनेवा के छठे दार में हुई जिसे कैनेडी दौर भी कहा जाता है। इस चरण में ही अमेरिका ने अपना परंपरागत संरक्षणवादी रवैया छोड़कर अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की। इसी चरण में गैट वार्ताओं में पहली बार कृषि एवं औद्योगिक उत्पादों को सम्मिलित किया गया।

1973 ई0 में '**टोक्यो दौर**' शुरू हुआ जिसमें 'गैट' को लोकप्रियता मिली। इस दौर में 'गैट' के सदस्य के देशों की संख्या दुगुनी हो गई। कारण यह इसमें अल्पविकसित देशों की स्थिति सुधारने से सम्बंधित मुद्दे अधिक थे। संसार में अविकसित, अल्पविकसित तथा विकासशील देश ही अधिक हैं, जिनके विकास मार्गो को जब–तब अवरूद्ध करने के प्रयास किये जाते रहते हैं। इसी से भूण्डलीकरण और विश्व कल्याण में यह सम्बन्ध का लक्षण नहीं दिखाई देता। 'सब्सिडी' सहित अन्य शुल्कों पर बनी संहिता से सबका सहमत होना और अनेक देशों का हस्ताक्षर करने से इनकार करना सबसे बड़ा प्रमाण रहा। सितम्बर 1986 ई0 में उरुग्वे में गैट वार्ताओं का जो आठवां दौर शुरू हुआ था, वह 15 दिसम्बर 1993 को पूरा हो गया। उल्लेखनीय है कि ''आरंभ में कप्युनिष्ट देशों के नेतृत्व में विकासशील देशों द्वारा इसका व्यापक विरोध होने की संभावना थी। परंतु, सोवियत संघ के विघटन से विश्व व्यापार का परिदृश्य ही बदला गया। साम्यवादी नेतृत्व अब अपने व्यापार–भागीदारों को वैकल्पिक बाजार उपलब्ध कराने में असमर्थ हो गया था। ऐसे में विकासशील देशों के समक्ष प्रतियोगिता बाजार में प्रवेश करने के अतिरिक्त और कई विकल्प नही रह गया। संरक्षणवादी रवैये की असफलता सिद्ध हो गई थी।

अब आम समझौते की दिशा में एक मात्र प्रमुख बाधा यूरोपीय समुदाय एवं अमेरिका के बीच की असहमति थी, जो कुछ मुद्दो पर एकमत नहीं हो पा रहे थे। परन्तु कुछ आपसी समझौतों और विकसित देशों के ग्रुप–7 के टोक्यों–शिखर सम्मलेन के संकल्प आदि सकारात्मक प्रयासों के कारण वार्ता का जो आठवां चरण 1986 में शुरू हुआ था, वह प्रगति की ओर बढ़ा।''[3]ध्यान देने योग्य है कि 'गैट' के आठवे उरुग्वे–दौर की समाप्ति की सीमा 1990 ही थी। परन्तु जब समझौते के आसार नहीं दिखे, तब सदस्य देशों में 'गैट' के तत्कालीन महानिदेशक आर्थर डंकल को अधिकृत किया कि वे समझौते का प्रारूप तैयार करें। डंकल ने जो प्रारूप दिसम्बर 1991 में प्रस्तुत किया उसे ही 'डंकल–प्रस्ताव' कहा गया, जिसके आधार पर उरूग्वे–दौर की वार्ता पूरी हुई, आम समझौते हो पाए। डंकल प्रस्ताव की मुख्य सिफारिशें थी– कृषि, निर्मित सामग्री एवं सेवाओं के क्षेत्र में विश्व–बाजार को विशेषतः विकासशील देश के बाजारों को खुला एवं उदार बनाना। तटकर की वर्तमान दरों में कम से कम एक तिहाई तक कटौती करना एक अन्य प्रमुख सिफारिश थी।–कृषि, निर्मित सामग्री एवं सेवाओं के क्षेत्र में विश्व बाजार को विशेषतः विकासशील देश के बाजारों को खुला एवं उदार बनाना। तटकर की वर्तमान दरों में कम से कम एक तिहाई तक कटौती करना एक अन्य प्रमुख सिफारिश थी। इसमें प्रौद्योगिकी एवं बीजों के क्षेत्र में की जा रही तरक्की का सार्वजनिक उपयोग करते हुए उद्योग एवं कृषि–क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ावा देने पर भी बल दिया गया था। विश्व को इस बात पर विशेष रूप से विचार करना चाहिए कि डंकल–प्रस्ताव पर विकसित देशों के बीच स्वार्थो की टकराहट के कारण विवाद छिड़ गया था, न कि अविकसित स्वार्थो का वह महाजाल है, जो विकसित देशों द्वारा सम्पूर्ण विश्व में फैलाया जा रहा है। इसका दुष्परिणाम अभी से स्पष्टतः दिखाई पड़ने लगा है कि उपभोक्ता सतही प्रवृत्तियों में लक्षण अविकसित तथा विकासशील देशों के लोग अपनी पहचान ही खोते जा रहे हैं। अपनी मूल्य संस्कृति से अलग होकर वे न केवल दिन–प्रतिदिन और गरीब होते जाएंगे। ज्ञातव्य है कि अमेरिका सदा अपने को लाभ की स्थिति में रखता है। हवाई जहाज बनाने वाले एअरबल–उद्योग को सरकारी सहायता दिये जाने में यूरोपीय समुदाय के साथ चल रहे विवाद में भी यही हुआ। हां, हालीवुड के साथ व्यापार से संबंध फ्रांस की मांग के सामने अमेरिका को अवश्य झुकना पड़ा, जब दृश्य–श्रव्य क्षेत्र को गैट–समझौते की परिधि से बाहर रखा गया। वस्त्र उद्योग क्षेत्र में रियायत देने की पुर्तगाल की मांग की भी एक सीमा तक समाधान कर दिया गया। परन्तु जापान तथा कोरिया अपने चावल बाजार को आयात के लिए खोलना संकट का दृश्य उपस्थिति करने वाला था। फिर भी 15 दिसम्बर 1993 को बहुपक्षीय व्यापार समझौते के 500 पृष्ठों का प्रारूप सभी सदस्य देशों द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। 15 अप्रैल, 1994 को मोरक्को की राजधानी मराकश में

लगभग 125 देशों ने 22 हजार पृष्ठों के इस समझौते पर हस्ताक्षर कर अनुमोदन कर दिया। मार्च 1995 में बीसवी शताब्दी का यह सबसे महत्वपूर्ण समझौता प्रभाव में आया और भूमण्डलीकरण का पथ प्रशस्त हो गया। भूमण्डलीकरण पूंजीवाद का पक्षधर है। व्यापक प्रचार–प्रसार की ओट में शोषण करना ही उसका मुख्य उद्देश्य है। गैट समझौते के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रावधान द्वारा शोषण मार्गो को पहले ही सुरक्षित कर लिया गया था। उल्लेखनीय है कि प्रौद्योगिकी, मशीनरी, रसायन बीज आदि के क्षेत्र में नए अविष्कारों पर 20 वर्षो का पेटेंट अधिकार होगा और यह पेटेंट अधिकार प्रणाली पर ही नही उत्पाद पर भी होगा। कहना न होगा कि पेटेंट संबंधी भुगतान के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि हो रही है और इसका सबसे अधिक प्रभाव विकासशील देशों पर पड़ेगा। विशेषकर कृषि–क्षेत्र मे दी जाने वाली सरकार सब्सिडी में पर्याप्त कमी की गई। वस्त्र परिधान पर आयात–कोटे को समाप्त करने से विकासशील देशों को हानि हुई है। अमेरिका तथा कुछ अन्य पश्चिमी देश व्यापार के साथ पर्यावरण को जोड़कर जहां अपने संरक्षणवादी हित बनाए रखना चाहते है, वहीं मानाधिकार, बाल–श्रम आदि से संबंध सामाजिक नियम एवं धाराएं व्यापार से जोड़कर विकासशील देशों को समझौते से मिलने वाले लाभ को कम सेकम कर देनाचाहते हैं। वस्तुतः अमेरिका जैसे देश भूमण्डलीकरण अथवा अन्य विश्व मंचों के जरिए मात्र अपना हितसाधन करना चाहते हैं। भारत सहित अन्य विकासशील देशों ने सामाजिक दायित्व सम्बन्धी धारा को किसी भी रूप में समझौते में शामिल करने का जोरदार विरोध किया इंग्लैण्ड, कनाडा, हांगकांग आदि देशों ने भी विकासशील देशों की भावना का समर्थन किया था।

''भूमण्डलीकरण साम्राज्यवाद का नव प्रकटीकरण है अथवा समस्त पृथ्वीवासियों के उन्नयन का निष्कलुष साधन? निश्चय ही यह अति व्यापक स्तर पर विपणन का अभूतपूर्व नियोजन है, जिसमें माननीय संवेदना की अपेक्षा भौतिक पदार्थ का मूल्य अधिक आंका जाता है। इसके मुख्य संचालक का उद्देश्य उपभोक्तावादी प्रवृत्ति को प्रश्रय देना है, जिसका सांस्कृतिक चेतना से दूर–दूर का भी कोई सम्बन्ध नहीं दिखाई पड़ता।''[4] परिणामस्वरूप विश्व बाजार में भौतिक वस्तु महंगी होती जाएगी और मनुष्य सस्ता हो जाएगा। व्यक्ति वस्तु का अधिपति न रहकर उसका दास बन जाएगा। मनुष्य जब आत्मचेतना के प्रकाश में जीवन–पथ की ओर अग्रसर न होकर भौतिक वस्तुओं के संग्रह को ही अपना–चरम लक्ष्य लेगा, जब वह भव्य न रहकर भ्रष्ट कहलाएगा। ''सूचना प्रौद्योगिकी ने भूमण्डलीकरण को नया विस्तार प्रदान किया है। इससे केवल वस्तुओं के उत्पादन वितरण–विपणन का आयाम विस्तृत हुआ है, अपितु भाषा–प्रयोग में भी विविधता के दर्शन हो रहे हैं प्रभावी राष्ट्र अपनी वस्तुओं के साथ–साथ अपनी भाषा का भी अधिकाधिक प्रचार–प्रसार करने लगे हैं। अमेरिकन अंग्रेजी बोलने प्रचलन बढ़ा है, ज्ञान गौण और बाजार प्रमुख हो गया है। रटे–रटाये अंग्रेजी वाक्यों में वस्तुओं की बिक्री खूब हो रही है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने टेली–मार्केटिंग में अंग्रेजी भाषा की शुद्धता पर ध्यान देकर बोलने वालियों के मधुर कंठो एवं भंगिमाओं के प्रदर्शनों को प्राथमिकता देकर विज्ञापन आरंभ कर दिया है। विश्व–समाज में फैलने वाला यह नया प्रदूषण है, जिसका निदान आसान नहीं रह जाएगा।''[5]

भूमण्डलीकरण के इस नाटकीय दौर में जहां तक हिन्दी भाषा के प्रयोग का प्रश्न है, यदि हिन्दी सॉफ्टवेयर व्यवहृत, विकसित हुआ तो निस्संदेह हिन्दी संसार की सबसे लोकप्रिय प्रचलित भाषा बन जाएगी। ज्ञातव्य है कि भारत सहित कुछ अन्य देशों को मिलाकर सबसे विस्तृत क्षेत्र उसी का है। हिन्दी सॉफ्वेयर के आ जाने से संसार के सभी लोगों को स्वतः यह अनुभूत हो जाएगा कि हिन्दी सचमुच संसार की पहली सबसे बड़ी भाषा है। सरलता तथा देवनगर, लिपि की वैज्ञानिकता के लिए तो उसकी प्रसिद्धि विश्व भर में है। भारत में अंग्रेजी जानने वाले डेढ़ प्रतिशत हैं। इसलिए, अंग्रेजी को माध्यम भाषा बनाकर रखने से वस्तुओं का प्रचार व्यापक स्तर पर नहीं हो सकता। वैसे अमेरिका ने आरम्भ में भाषा के केन्द्रीकरण का प्रयास किया था। सभी लोग कामचलाऊ अंग्रेजी सीखने को बाध्य हो जाएं, इसी से सारे कूंजीपटल अंग्रेजी में ही तैयार किए गए। अब भारत में भी हिन्दी कुंजीपटल तैयार हुआ है। अन्य यांत्रिक साधन भी सुलभ कराए गए हैं। फैक्स, ई–मेल भी हिन्दी में हो रहा है। अनुवाद भी अंग्रेजी से हिन्दी में अपने आप होते जा रहे हैं। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा बाजार भारत है। अमेरिका में सिर्फ सौंदर्य उद्योग के अपने कारोबार में प्रतिवर्ष पचास अरब डालर की वृद्धि हो रही है। इसका आधिकारिक श्रेय भारत और हिन्दी भाषा को है। ज्ञातव्य है कि अमेरिका, इंग्लैण्ड, कनाडा, अफ्रीका आदि देशों में भी भारती और हिन्दी बोलने समझने वाले लोग काफी संख्या में हैं।

भूमण्डलीकरण के दौर में उदारीकरण, उद्योग सौन्दर्य–व्यापार और हिन्दी प्रयोग से होने वाले लाभ की चर्चा अनेक संदर्भो में की जा सकती है। जैसे हेंकेल स्पीक इंडिया 1999 में जहां 290 करोड़ रूपये का व्यापार करता था, वह अब 10000 करोड़ रुपयों का व्यापार करने जा रहा है। जिस लिपिस्टिक उद्योग में पचास लाख महिलाएं सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, उसे अरबों में लाभ हो रहा है और प्रतिवर्ष उसमें 21 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। यहां व्यापारिक आंकड़ा प्रस्तुत करना उद्देश्य नहीं है, भूमण्डलीकरण के पीछे चल रहे षडयंत्रों का पर्दाफाश करना है, क्योंकि इससे मानवीय संस्कृति प्रभावित होती है। उपभोक्तावाद मानवता का नहीं, दानवता का लक्षण है। फिर भाषा–प्रदूषण से मानवीय चेतना धूमिल होती है। इससे विकास सही दिशा में नहीं हो पाता है। भाषा शिष्ट सामाजिक व्यवहार है। उच्छृंखलता अथवा नग्नता के प्रदर्शन से उसका सम्बन्ध जोड़ना अनर्गल अथवा अमान्य है। भाषा भद्रता सिखलाकर मानवता को विकसित करने के लिए है, उच्छृंखलता के प्रदर्शन में सहयोग देकर दानवता की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए नहीं। भूमण्डलीकरण का कुप्रभाव सभी क्षेत्रों में दिखाई पड़ रहा है। उससे शिष्टता–मर्यादा ही समाप्त होने जा रही है। इसमें सुंदरता का व्यापार दूर संचार के दुरुपयोग से भी चलाया जा रहा है। टेली–मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए सुंदर एवं कलकंठी लड़कियों को प्रतिनियुक्त करने की योजना बनाई गई है। समय दूर नही है, जब पशुता का साम्राज्य संपूर्ण विश्व में छा जाने वाला है। नग्नता की प्रतिस्पर्धा को अमेरिका सर्वाधिक प्रोत्साहन दे रहा है। परन्तु हिन्दी भाषा का यह वैशिष्ट है कि उसने विश्व नग्नता को शालीनता का आवरण प्रदान किया। छायावाद युग के कवि जयशंकर प्रसाद ने 'कामायनी' महाकाव्य में मानवीय संस्कृति को जंगली सभ्यता से दूर रखने का परामर्श दिया है–

''वासना भरी उन आंखो पर, आवरण डाल दे क्रांतिमान।
जिसमें सौदर्य निखर आवे, लतिका में फुल्ल कुसुम समान।।''[6]

भूमण्डलीकरण मनुष्य को व्यापार का उपकरण न बनकर मानवता की प्रतिष्ठिापन की दिशा में अग्रसर हो, हिन्दी का उसके लिए यही शाश्वत संदेश है। हिन्दी चरित्र–निर्माण की भाषा है। वह मानवीय संस्कृति की अन्यतम पहचान है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में मेक इन इंडिया की अवधारणा :– स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन आया हैं। अर्थव्यवस्था का स्वरूप अल्प विकसित न होकर विकासशील हो गया हैं। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्वि हुई हैं। अर्थव्यवस्था के विकास के साथ–साथ राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 1950–1951 में लगभग 50 प्रतिशत था जो कि घटकर वर्तमान में लगभग 17 प्रतिशत रह गया हैं, जबकि कृषि में आज भी 60 प्रतिशत जनसंख्या नियोजित हैं। सेवा क्षेत्र का तीव्र गति से विकास हुआ हैं, तथा विनिर्माण क्षेत्र की गति एवं तीव्रता मंद हैं, इसके परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था असंतुलित हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता हैं इसका द्वैध स्वरूप (Dual Economy) हैं अर्थव्यवस्था में एक ग्रामीण क्षेत्र (Rural Sector) तथा दूसरा शहरी क्षेत्र (Urban Sector) हैं, वर्तमान में भी ग्रामीण क्षेत्र सुविधाओं से वंचित हैं, जबकि शहरी क्षेत्र सुविधा सम्पन्न है। ग्रामीण क्षेत्र में मूलभूत सुविधाये भी उपलब्ध नहीं हैं, सार्वजनिक व्यय का ज्यादा भाग शहरी क्षेत्र में व्यय किया जाता हैं, तथा बहुत ही कम भाग ग्रामीण क्षेत्र में व्यय किया जा रहा हैं। शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के अंतराल को पाटने की आवश्यकता हैं।

जनसंख्या में तीव्र वृद्वि होने के कारण गरीबी एवं बेरोजगारी में वृद्वि हो रही हैं, तथा अन्य आर्थिक एवं सामाजिक समास्याओ का जन्म हुआ हैं। आर्थिक एवं सामाजिक असामानता की खाई में वृद्वि हुई हैं।

आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिये नीतिगत निर्णय अवश्य हैं जिसमें कि भारतीय अर्थव्यवस्था का तीव्रगति से विकास हो।

नीतिगत निर्णय लेकर भारत सरकार ने वर्ष 2014 में मेक इन इंडिया जैसी पहल की है। इस पहल के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास करना हैं, क्योंकि हमारे विकास की गति मंद हो रही थी।

मेक इन इंडिया का उद्देश्य एक ओर विदेशी कंपनीयों को भारत में अपने आर्थिक गतिविधियों, कारोबार, व्यापार को शुरू करने के लिये प्रोत्साहित करना था। इसके साथ ही साथ देश की घरेलू कंपनियों

एवं फर्मो को उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन एवं सहयोग भी देना था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का मुख्य बिन्दु उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करना एवं पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करना था जिससे सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) और कर राजस्व को बढ़ाया जा सकें। मेक इन इंडिया कार्यक्रम अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र को विकसित करने के लिये अपनाया गया है। इसके अंतर्गत देश में आटोमोबाईल ,सुरक्षा विमानन, रसायन, दवाईयां, निर्माण, .विनिर्माण विधुत मशीनरी, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा और परिधान, बंदरगाह, चमड़ा, मीडिया एवं मनोरंजन, पर्यटन एवं आतिथ्य, रेल्वे, अक्षय उर्जा, खनन, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, थर्मलपॉवर, सड़क, और राज्य मार्ग, तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना एवं कार्यकुशलता को बढ़ाना हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था में पूँजी की कमी हैं। पूँजी की कमी होने के कारण अर्थव्यवस्था में निवेश पर विनियोग पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता हैं। यद्यपि पिछले वर्षो की तुलना में बचत की दर में वृद्वि हुई हैं, तथा विनियोग की दर में वृद्वि हुई हैं लेकिन यह पर्याप्त नही हैं। अतः विनियोग की दर में वृद्वि के लिये प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग (Direct Foreign Investment) आवश्यक हैं।

प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग को बढाने के लिये शासन ने कदम उठाये हैं, लेकिन कुछ जटिल नियमों के कारण वृद्वि की दर कम रही हैं। जटिलताओं एवं नियमों को सरलीकृत किया जा रहा हैं, जिसमें की प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग में रूकावट न हो। प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग में वृद्वि होने पर तथा उत्पादन क्रियाओं में वृद्वि होने पर लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, नागरिकों की आय में वृद्वि होगी, तथा मांग में वृद्वि होगी। उपभोग के स्तर में वृद्वि होने से लोगों के कल्याण में वृद्वि होगी। तथा गरीबी कम होगी। उत्पादन में वृद्वि होने से आयत में कमी होगी तथा निर्यात में वृद्वि होगी। देश का भुगतान संतुलन हमारे पक्ष में होगा तथा रूपया की मजबूती बढ़ेगी।

वर्ष 2014 में विश्व बैंक की व्यवसाय की सुगमता की रैंकिंग में भारत का स्थान 134 था। इसका अर्थ यह हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश के लिये जटिल नियम हैं। निश्चित रूप से यदि नियमों की जटिलता होगी तो विदेशी पूँजी विनियोगकर्ता निवेश के लिये आगे नही आयेगें तथा पूँजी का प्रवाह रूक जायेगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी इस तथ्य से परिचित हैं तथा उन्होने स्वीकार भी किया हैं कि कारोबारी सुगमता होनी चाहिये। उन्होने इस संबंध में सरकारी अधिकारियों को जागरूक करना प्रारंभ कर दिया हैं। उनका यह भी कथन हैं कि यदि हम रैंकिंग का स्थान को 135 के स्थान पर यदि 50वें स्थान पर ले आये तो हमारे देश में विदेशी पूंजी की सुलभता होगी तथा हम तीव्र गति से विकास कर सकते हैं। भारत में पूंजीगत उद्योगों के लिये पूँजी आवश्यक हैं।

कार्यक्रम के चार प्रमुख क्षेत्र :– मेक इन इंडिया कार्यक्रम चार प्रमुख क्षेत्रों पर बल देता हैं।

1. गति एंव पारदर्शिता के माध्यम से व्यापारिक गतिविधियों में वृद्वि करना एवं सुविधायें प्रदान करना।
2. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Direct Foreign Investment) को आकर्षित करने के लिये जटिलताओं एवं नियमों को सरल करना।
3. बौद्विक सम्पदा अधिकारों (आई.पी.आर.) का संरक्षण।
4. घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन एवं उनका संवर्धन करना।

देश में विनिर्माण इकाईयों को स्थपित करने के लिये औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के माध्यम से प्रक्रियाओं को सरल किया गया हैं। औद्योगिक विभाग ने ईकाईयों को स्थपित करने के लिये पर्यावरण मंजूरी तथा आयकर वेतन रिटर्न को जमा करने के लिये ऑनलाईन प्रावधान किये है।

औद्योगिक लायसेंस की वैधता को तीन वर्ष कर दिया गया हैं। इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्ररों को प्रारंभ किया गया हैं तथा निरीक्षण की प्रणाली में सुधार लाया गया हैं।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिये कुछ क्षेत्रों को छोडकर 100 प्रतिशत अनुमति प्रदान की गई हैं। रक्षा क्षेत्र में भी सीमा को 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दिया हैं।

बौद्विक संपदा अधिकारों का संरक्षण करने के लिये विशेष कदम उठाये गये हैं। अन्य शब्दों में मेक इन इंडिया में विनिर्माण के साथ डिजाईन और बौद्विक संपदा अधिकार (आईपीआर) को शामिल करना महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान समय में डिजाइन एवं बौद्विक संपदा अधिकार (आईपीआर) का हिस्सा उत्पाद की कुल लागत में सबसे अधिक होता है। यदि इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाता हैं तो भारत में उपभोग की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य संवर्धन हो सकता है। तथा आयातों पर व्यय कम हो सकता है।

औद्योगिक एवं संवर्धन विभाग ने नवीन आविष्कारको एवं रचनाकारों को बौद्विक संपदा अधिकारों (आईपीआर) का संरक्षण करने एंव सुधार करने का निर्णय लिया हैं। अब बौद्विक सम्पदा अधिकार में पेटेन्ट डिजाइन, ट्रेडमार्क, भोगोलिक संकेत, कॉपीराईट, सम्पन्न विविधता आदि मुद्दे को शामिल किया है।

चूंकि डिजाईन एवं बौद्विक संपदा अधिकार (आईपीआर) ही लागत का लगभग 50 प्रतिशत होता हैं,। अतः इस पर गौर करना एवं इसे महत्व देना महत्वपूर्ण हैं। भारत ने डिजाईन के क्षेत्र में पिछले कई वर्षो से पहल की है। विश्व में डिजाईन का काम भारत में होता हैं लेकिन यह कार्य हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिये किया जाता था। भारत में डिजाइनिंग का बड़ा कार्य होने के बावजूद भी भारत के स्वामित्व वाले बौद्विक स्वामित्व अधिकार (आईपीआर) और भारतीय उत्पादों को लाभ प्राप्त नहीं होता हैं। उत्पादों को बनाने एवं उनके वाणिज्यीकरण में भारत की क्षमता का उपयोग नही हो पाता हैं। हमारे ज्ञान का लाभ विश्व के अन्य देश उठा रहे हैं। अमेरिका की 'नासा' प्रयोगशाला में लगभग 50 प्रतिशत भारतीय कार्यरत हैं, एवं ज्ञानदान दे रहे हैं।

एजेन्सी के रूप में : भारत में क्षमता होने के बाद भी दुर्भाग्य से भारत अब भी उत्पादों का स्वामी नही बना हैं। डिजाईन का कार्य अब भी सेवा के रूप में किया जा रहा है। देश में उत्पाद बनाये जाते हैं लेकिन इन पर किसी का ध्यान नहीं जाता हैं। देश में तथा विश्व के अन्य देशों में इन्हें उल्लेखनीय बाजार नहीं मिलता हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास होने के कारण घरेलू क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादों की मांग में तीव्र वृद्वि हुई एवं परिणाम स्वरूप आयातों में तीव्र वृद्वि हुई। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के इस कार्य को प्रमुखता दी गई हैं हम स्वयं ज्ञान का प्रयोग करें। मेक इन इंडिया एक एजेन्सी हैं।

घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित के लिये कार्यक्रम में कुछ लाभ निर्धारित किये गये हैं, जिनमें विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर को माध्यम अवधि में प्रति वर्ष 12 से 14 प्रतिशत बढ़ाना एवं वर्ष 2022 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 16 से 25 प्रतिशत तक बढ़ाना एवं विनिर्माण क्षेत्र में वर्ष 2022 तक 10 करोड़ अतिरिक्त नौकरियों का सृजन करना है।

समावेशी विकास : भारतीय अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास की अवधारणा के अंतर्गत शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में समानता लाने का भी संकल्प लिया गया हैं इसके लिये उचित कौशल के सृजन को प्रोत्साहित किया गया हैं। घरेलू मूल्य संवर्धन, तकनीकी गहनता के द्वारा भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक एवं पर्यावरण की दृष्टि में दृष्टि से टिकाऊ आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है।

भारत में कार्यक्रम प्रगति : भारत में कार्यक्रम की शुरूआत हो चुकी हैं । देश में विश्वव्यापी कंपनियों तथा घरेलू कम्पनियों ने इसका स्वागत किया हैं एवं विनिर्माण ईकाईयों स्थापित करने की घोषणा की है। आटोमोबाईल के क्षेत्र में नामी गिरामी कंपनियों ने, हवाई जहाज के क्षेत्र में, जापान, जर्मनी, फ्रांस, रूस, आदि देशो ने रक्षा क्षेत्र में उपकरणों के निर्माण में रूचि प्रदर्शित की हैं। घरेलू क्षेत्र में टाटा, बिरला, रिलायंस , महेन्द्रा, आदि उद्योगपतियों ने तथा सार्वजनिक क्षेत्र की एन.एम.डी.सी. ने भी कार्यक्रम नये निवेश करने की घोषणा की हैं।

वर्तमान स्थिति में : आर्थिक राजधानी मुम्बई में आयोजित मेक इन इंडिया सप्ताह दौरान देश में 15 से 20 लाख करोड़ रू. के निवेश का वादा किया गया और इस दौरान कारोबार संबंधी 1.05 लाख पूछताछ की गई। इस आयोजन में 102 से अधिक देशों ने और 17 राज्यों ने भाग लिया। 8 लाख लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज की।

मेक इन इंडिया सप्ताह के मेजबान राज्य महाराष्ट्र को इस दौरान 7.94 लाख करोड़ रूपयें के निवेश प्रस्ताव मिले। इस प्रस्तावित निवेश से 30 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगें।

औद्योगिक निवेश एवं संवर्धन विभाग (DIPP) के सचिव अमिताभ कांत का मत हैं विनिर्माण क्षेत्र को पटल पर लाने में केन्द्र एवं राज्य सफल रहे हैं। भारत में निवेश का माहौल बनाने, डिजाईन, नवप्रवर्तन, युवा एवं स्र्टाटअप को प्रोत्साहित करने के लिये मंच उपलब्ध हुआ हैं, मुंबई में पूरे एक सप्ताह 8200 कारोबारी बनाम करोबारी, करोबारी बनाम सरकार और सरकार बनाम सरकार बैठकें हुई। इस दौरान अहम सौदो में स्टारलाईट समूह की कंपनी ट्रिवन स्टार डिस्पले टेक्नोलाजिकल एन्ड एम.आई.डी.सी. विनिर्माण इकाई के लिये ताईवान की ओट्रॉन के साथ तकनीकी साझेदारी के लिये करार, देश में 9 इनवेन्यूवेशन सेन्टर। स्थापित करने के लिये 40 करोड़ डॉलर, का वादा शामिल हैं।

सचिव ने बताया हैं कि केन्द्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में नवप्रवर्तन विकास एवं अनुसंधान के लिये 2200 करोड़ रू. जारी किये है।

मेक इन इंडिया कार्यक्रम एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम लेकिन यह कार्यक्रम अल्पकालीन नहीं हैं, बल्कि दीर्घकालीन कार्यक्रम हैं। इस कार्यक्रम के परिणाम हमें दीर्घकाल में प्राप्त होगें तथा कार्यक्रम बहुत ही सीमा तक शासकीय कर्मचारियों की ईमानदारी, राष्ट्र प्रेम तथा जिम्मेदारी पर निर्भर करती हैं, लालफीता शाही को कम करने की आवश्यकता हैं। राजनैतिक दलों को अपने दलों से उपर उठाने की आवश्यकता हैं।

वैश्वीकरण (Globalization): भारत विश्व व्यापार संगठन संगठन (W.T.O.) का सदस्य हैं अतः आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है।

भारत को विश्व को सबसे अच्छे एवं सबसे सस्ते उत्पादों के लिये प्रतिस्पर्धा करनी होगी। नवीनता एवं नवाचार के द्वारा, शोध के द्वारा पेटेन्ट के द्वारा बौद्विक सम्पदा अधिकार के द्वारा उत्पाद का विकास करना होगा। मेक इन इंडिया को मेक इन चायना के साथ प्रतिस्पर्धा करना होगा।

जनसंख्या लाभांश (Demographic Dividend) : भारत युवाओं का देश हैं, यहां युवाओं की संख्या बहुत अधिक हैं। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का सबसे युवा देश हैं। इसकी 64 प्रतिशत जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग में आती हैं, यह कार्यक्रम युवाओं को आकर्षित करेगी। तथा अपने कौशल विकास के द्वारा उत्पादों को प्रतिस्पर्धा बनाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। एवं देश में गरीबी एवं बेरोजगारी को समाप्त करने की पहल करेगी। योजना की सफलता पर विकास दर निर्भर है।

निष्कर्ष : हमारे पास ''मेक इन इंडिया'' से जुड़े अनेक विकल्प हैं। इसकी सफलता के लिये प्रयास करने के साथ –साथ हमें अपनी मानसिकता भी बदलने की आवश्यकता है। हम बिना दूरगामी विचार किये विदेशों खासकर चीन में बने सामानों का उपयोग करते हैं। वर्तमान में स्थिति ये हैं कि आज देश के गली–मोहल्लों में चादर, देवी–देवता, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान , खाद्य सामग्री की जो चीन में बने होते हैं, का उपयोग हमारे द्वारा किया जा रहा हैं बिना बिल के इन सामानों को खरीदने में कभी भी हमें अपने कर्तव्यों का एहसास नहीं होता है। इसलिये जरूरत हमें मानसिकता को भी बदलने की है। ''मेक इन इंडिया'' से जुड़ी समस्याओं के निदान के लिये सरकार को एक निश्चित रूप रेखा बनाने की जरूरत हैं, इस दिशा में सरकार को योजनाबद्व एवं समयबद्व तरीके से काम करना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेन्द्र मोदी जी का दर्शन 'मिनीमस गवर्नमेन्ट, मैक्सिमम गवर्नेंस का हैं, जिसका अर्थ है देश में सुशासन कायम किया जाये और लालफीताशाही को खत्म करके डिलीवरी प्रणाली को मजबूत किया जाये। अगर ऐसा होता है तो देश के दूरदराज के इलाकों में भी ''मेक इन इंडिया'' की संकल्पना को सफल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। भूमण्डलीकरण अपने वर्तमान रूप में संसार से गरीबी उन्मूलन का साधन नहीं, स्वार्थ–प्रेरित आर्थिक शोषण, सामाजिक उत्पीड़न और सांस्कृतिक प्रपीड़न का विश्वव्यापी विकृत नियोजन है। इस प्रकार भूख, गरीबी और विषमता को बढ़ाने वाले भूमण्डलीकरण को मानवता का पोषक नहीं माना जा सकता। उपभोक्तावादी प्रवृत्ति और बाजारवाद की रूग्ण मानसिकता मानवीय संस्कृति के विकास में व्यवधान उपस्थिति करती है। सरल पद्धति से विषमता में समता लाकर ही भूमण्डलीकरण अपनी सार्थकता सिद्ध कर सकता है। भाषा केवल समान बेचने का माध्यम नहीं होती। वह तो भाषा को सतही उपयोग है। भाषा–व्यापार–वृद्धि में सहयोग के साथ–साथ आत्मिक विकास तथा आध्यत्मिक चिंतन का मार्ग प्रशस्त करती है, जो मानव जीवन की सच्ची सफलता का सही निदर्शन है।

संदर्भ सूची :–

- भूण्डलीकरण की चुनौतियाँ–सच्चिदानन्द सिन्हा, पृ072
- भारत का भूण्डलीकरण–अभय कुमार दुबे (संपा.) पृ0202
- कामायनी (ईर्ष्या) जयशंकर प्रसाद, पृष्ठ 46.
- Indian Economy – T.Choudhary
- भारतीय अर्थव्यवस्था – ए.एन.अग्रवाल।
- भारतीय अर्थव्यवस्था – रूपदत्त एवं सुन्दरम्।
- बिजनेस स्टेंडर्ड– जनवरी 2015
- टाइम्स ऑफ इंडिया – दिसम्बर 2015
- योजना –दिसम्बर 2015
- गूगल –मेक इन इंडिया
- भूण्डलीकरण के दौर में रामशरण जोशी (संपा.), पृ054
- भूण्डलीकरण, संस्कृति और साम्प्रदायिकता–के0एन0 पणिक्कर, पृ022.
- भूण्डलीकरण, निजीकरण व हिन्दी–डॉ0 माणिक मृगेश पृ067

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 5 June 2019

भारत में धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आन्दोलन

प्रियंका तिवारी
शोध छात्रा, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आन्दोलन :– विश्व के अनेक देशों में धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आन्दोलनों को देखा गया है। यूरोप में मध्ययुग में समाज पर अन्धविश्वास ओर रूढ़ियों का प्रकोप हो गया था, आर्थिक, सामाजिक ओर राजनीतिक व्यवस्था विश्रृंखल हो गयी थी तथा चर्च में भ्रष्टाचारिता ओर अनैतिकता घुस आई थी। इसके प्रतिक्रियास्वरूप सुधार–आन्दोलन हुए जिसे धर्म–सुधार या रिफार्मेशन के नाम से पुकारा जाता है। इसी भाँति भारत में भी छठी शताब्दी में धर्म और समाज सुधार की लहर दौड़ पड़ी थी। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसाफिकल सोसायटी, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज आदि अनेक धर्म–सुधार आन्दोलनों ने भारतीय संस्कृति और सभ्याता का रूप बदल दिया तथा अनेक धार्मिक और सामाजिक कुप्रथाओं के विरूद्ध जेहाद बोला।

इस सुधार आन्दोलन की एक सबसे बड़ी विशेषता देखी गयी है कि इसका रूप धार्मिक और सामाजिक दोनों होता है। यूरोप में सुधार आन्दोलन की उत्पत्ति चर्च के विरूद्ध प्रतिक्रियास्वरूप हुई। भारत में भी धार्मिक और सामाजिक सुधार आन्दोलन का स्वरूप एक ही रहा है। इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकत है। इसका कारण यह है कि धर्म ओर समाज का सदा से अटूट सम्बन्ध रहा है। हमारे जीवन का कोई ऐसा भाग नहीं जो धर्म से अछूता है। खासकर भारत में सामाजिक जीवन में धर्म का सर्वोपरि स्थान है। भारतीयों के जीवन से धर्म को अलग नहीं किया जा सकता है। हमारे रीति–रिवाज, सामाजिक सम्बन्ध, पर्व–त्यौहार आदि धार्मिक भावना पर ही आधारित हैं। अतः जो भी सुधार के प्रयत्न किये गये है, वे एक साथ धार्मिक तथा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के प्रयत्न हैं। फलस्वरूप बड़े–बड़े धार्मिक संत तथा व्यक्ति समाज–सुधारक के रूप में सामने आते है।

सुधार आन्दोलनों के कारण :– भारत में सुधारवादी आन्दोलन चौदहवीं शताब्दी में प्रारम्भ हो चुका था। लेकिन यह असफल रहा। देश की सामाजिक ओर धार्मिक स्थिति दिन–प्रतिदिन बिगड़ती गयी। धर्म के नाम पर समाज में अनेक रूढ़ियाँ तथा अन्धविश्वास घुस आये, अनेक कुप्रथाओं और बुराइयों का प्रचलन हो गया। सती–प्रथा, बाल–हत्या, बाल–विवाह, बहु–विवाह, पर्दा–प्रथा आदि अनेक कुप्रथाएं प्रचलित हो गयी। धर्म के ठेकेदार इन बुराइयों को प्रोत्साहन देते थे। मर्ति–पूजा तथा बाह्य आडम्बरों पर अधिक बल दिया जाने लगा। धर्म में ज्ञान का स्थान नही के बराबर रह गया। ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म की चक्की में हिन्दू धर्म पिसने लगा और उसका ह्रास अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। 18वीं सदी तक ह्रास इस सीमा पर पहुंच गया कि भारत के इतिहास में इसे अन्धकार युग कहा जा सकता है।

अन्धकार के विरूद्ध पुनर्जागरण का युग प्रारम्भ हुआ। भारत में नई चेतना और जागरण की लहर दौड़ गयी। ''विवके और ज्ञान ने विश्वास का स्थान ले लिया, अन्धविश्वास ने विज्ञान के सम्मुख घुटने टेक दिये, रूढ़िवाद की श्रृंखलाएँ एक–एक कर टूटने लगीं और पुरानी विचारधाराओं की आलोचनाएँ प्रारम्भ हुई''। राजा राम मोहन राय, केशवचन्द्र सेन, महादेव गोविन्द रानाडे, स्वामी दयानन्द सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द आदि सुधारकों ने हिन्दू धर्म, समाज तथा संस्कृति में सुधार लाने का सराहनीय प्रयत्न किया।

छठी शताब्दी के समाज तथा धर्म सुधार आन्दोलन के अनेक कारण थे जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं –

(i) पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार के कारण भारतीयों ने पाश्चात्य साहित्य, दर्शन एवं इतिहास का अध्ययन किया। इस अध्ययन ने उनके मस्तिष्क की संकीर्णता एवं संकुचितता का अन्त कर उनके दृष्टिकोण को विशाल एवं व्यापक बनाया। उनका मानसिक क्षितिज बहुत विस्तृत हो गया।

(ii) भारतीय संस्कृति क पाश्चात्य संस्कृति से सम्पर्क हुआ तथा विचारों का आदान–प्रदान हुआ। फलतः

भारतीयों पर यूरोपीय नवजागरण तथा धर्म–सुधार का प्रभाव पड़ा ओर उनमें एक नवीन दृष्टिकोण पैदा हुआ जिसमें अन्धविश्वास का स्थान चिन्तन–प्रणाली ने लिया।

(iii) ईसाई मिशनरियों ने सोते हु हिन्दुओं को जगाया। उन्होंने काफी तेजी से हिन्दुओं का धर्म–परिवर्तन आरम्भ कर दिया। हिन्दुओं का सजग होना तथा अपनी खोई प्रतिष्ठा को वापस लाने का प्रयत्न करना स्वाभाविक ही था।

(iv) भारतीयों को अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की महानता तथा वैभव का ज्ञान हुआ। सर विलियम जोन्स, मेक्समूलर, मोनियर विलियम्स, विल्सन आदि यूरोपीय विद्वानों ने प्राचीन भारतीय संस्कृति, साहित्य और कला का उद्घाटन कर विश्व के समक्ष भारत की प्राचीन महत्ता को उपस्थित कियां इसने सोये हुए भारतीयों को जगा दिया।

(v) बाहरी शक्तियों के प्रभाव तथा आध्यात्मिक परम्परा से प्रभावित होकर अनेक सुधारकों, सन्तों तथा विद्वानों ने हिन्दू धर्म के विशुद्ध रूप का विवेचन किया तथा उसके बाह्य आडम्बर की भर्त्सना की। उन्होंने धार्मिक तथा सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध नारा दिया। राजा राममोहन राय, केशवचन्द्र सेन, स्वामी दयानन्द सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानन्द के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

राजा राममोहन राय और ब्रह्म समाज

राजा राममोहन राय को पुनर्जागरण का ''सुबह का तारा'' कहा जाता है। जकारिया की राय में इन्हें सुधारकों का ''आध्यात्मिक पिता'' कहा जा सकता है। बहुत–से विद्वानों ने तो उन्हें ''आधुनिक भारत के पिता'' तथा ''नये युग का अग्रदूत'' कहा है। एम.सी. सरकार तथा के.के. दत्त के शब्दों में

''आधुनिक भारतवर्ष में राजनीतिक जागृति ओर धर्म–सुधार का आध्यात्मिक आरम्भ राजा राममोहन राय के जन्म से होता है। वे एक युग के प्रवर्त्तक के रूप में आये।''

राजा राममोहन राय का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में सन् 1774 में हुआ। उन्हें अरबी, फारसी, लैटिन और ग्रीक जैसी भाषाओं का पर्याप्त ज्ञान था। उन्होंने वेद, उपनिषद् आदि का गहरा अध्ययन किया। उन्होंने बौद्ध, जैन तथा अन्य धर्मो का गहरा अध्ययन किया। मोनियर विलियम्स के शब्दों में ''वे तुलनात्मक धर्म विज्ञान के संसार में कदाचित प्रथम जिज्ञासु थे।'' उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति का अध्ययन किया तथा उसके गुणों का समावेश हिन्दू धर्म में करना चाहा। वे अंग्रेजी शिक्षा के कट्टर समर्थक थे। उनका विश्वास था कि पाश्चात्य साहित्य, विज्ञान एवं दर्शन द्वारा भारतीयों का नैतिक सुधार हो सकता है। उन्होंने भारतीय संस्कृति के आधार पर एक विश्व–धर्म की स्थापना करना अपना लक्ष्य बनाया। वे हिन्दू धर्म में फैली कुप्रथाओं के कट्टर विरोधी थे। सती–प्रथा तथा बाल–विवाह का उन्होंने विरोध किया तथा विधवा–विवाह और स्त्री–शिक्षा का समर्थन किया। इसके लिए उन्होंने समस्त देश का भ्रमण किया। वे मूर्ति–पूजा के विरोधी थे। उन्होंने सभी धर्मो को मूलतः एक ही बतलाया। श्री ब्रजेन्द्र शील के शब्दों में, ''वे व्यापक मानवता के जनक थे।''

सन् 1828 में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इस समाज का उद्देश्य भारतीय संस्कृति और हिन्दू–धर्म में सुधार लाकर उसके खोये हुए गौरव को पुनः वापस लाना था। ब्रह्म समाज में निम्नलिखित धार्मिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया –

(1) ईश्वर एक है। उसी की पूजा होनी चाहिए।

(2) ईश्वर निराकार है। वह शाश्वत, अदृश्य तथा सत्य हे।

(3) ईश्वर की पूजा सबके लिए है। उसमें वर्ण अथवा जाति सम्बन्ध का विभेद नहीं है। ईश्वर पूजा, सन्यास, मूर्ति–पूजा और कर्मकाण्ड के द्वारा नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से की जानी चाहिए। धर्म का कोई बाह्य आडम्बर नहीं।

(4) प्रार्थना की जानी चाहिए लेकिन मूर्ति पूजा नहीं।

ब्रह्म समाज ने समाज में निम्नलिखित सुधारों को लाना चाहा –

(1) समाज में प्रचलित जाति भेद–भाव की समाप्ति।

(2) छुआछुत की समाप्ति।

(3) बाल–विवाह, बहु–विवाह तथा बाल–हत्या का अन्त।

(4) विधवा–विवाह का प्रचलन।

(5) अन्धविश्वास तथा रूढ़िवादिता की समाप्ति।

इस प्रकार ब्रह्म समाज एक धार्मिक आन्दोलन नहीं बल्कि एक सामाजिक आन्दोलन था। यह आन्दोलन काफी व्यवहारिक तथा उपयोगी सिद्ध हुआ। इसके प्रयत्नों के फलस्वरूप अनेक समाजिक कुरीतियों से हिन्दू समाज का छुटकारा मिला। राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद महर्षि देवेन्द्र नाथ ठाकुर ने इसकी बागडोर सम्भाली। महर्षि ठाकुर के बाद केशव चन्द्र सेन का इस आन्दोलन में पदार्पण हुआ।

श्री केशव चन्द्र सेन :– श्री केशव चन्द्र सेन ब्रह्म समाज के एक प्रमुख नेता हुए। वे विश्वव्यापी धर्म के पक्के समर्थक थे। उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप शुरू में ब्रह्म समाज काफी पनपा उन्होंने ब्रह्म विद्यालय तथा संगीत सभा की स्थापना की तथा ''इण्डियन मिरर'' नामक पत्रिका का सम्पादन किया। ब्रह्म समाज में पारस्परिक फूट के कारण उन्होंने नवीन ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने विधवा–विवाह और अन्तर्जातीय विवाह का समर्थन किया। वे सभी धर्मो का मूल एक मानते थे। अतः उन्होंने धर्मो के पारस्परिक मतभेद तथा वैमनस्यता का विरोध किया। उनके नेतृत्व में ब्रह्म समाज को काफी प्रगति हुई। उकनी मृत्यु 1884 में हुई।

प्रार्थना सभा :– ब्रह्म माज के अतिरिक्त देश में अन्य धर्म–सुधारक संगठन भी कायम हुए। महाराष्ट्र में 1849 में परमहंस नामक एक आस्तिक समाज कायम हुआ लेकिन वह शीघ्र ही समाप्त हो गया। 1867 में डॉ. आत्माराम पाण्डुरंग ने संगठन की स्थापना की जिसे प्रार्थना समाज कहते है। इसके प्रमुख नेता पाण्डुरंग, गोपाल भण्डारकर तथा गोविन्द रानाडे हुए। यह संगठन ब्रह्म समाज का ही एक रूप था। यह संगठन एक आस्तिकवादी समाज की स्थापना करना चाहता था। उसने विवेकपूर्ण पूजा और समाज–सुधार पर जोर दिया। इसने जाति प्रथा का अन्त, विधवा–विवाह के प्रचलन, बाल–विवाह के निषेध तथा स्त्री शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया। अछूतों के उद्धार के लिए भी उसने कई स्थानों पर अनाथालय, विधवा आश्रम तथा रात्रि–पाठशाला की स्थापना की। गोविन्द रानाडे के प्रयत्नों के फलस्वरूप विधवा–विवाह संघ तथा डेकन एडुकेशन सोसायटी की नींव पड़ी। उन्होंने समाज सुधार के अलावा राष्ट्रीय आन्दोलन में भी भाग लिया। गोखले, तिलक, गणेश आगरकर जैसे प्रार्थना–समाज के सदस्य इन्हीं के शिष्य थे।

स्वामी दयानन्द सरस्वती और आर्य समाज :– सुधार आन्दोलन में सबसे अधिक प्रभावशाली आन्दोलन आर्य–समाज का हुआ। आज भी यह संगठन सर्वाधिक लोकप्रिय है। इस संगठन के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती थे। उनका जन्म काठियावाड़ में 1824 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने संस्कृत, व्याकरण और वेदों में विद्वत्ता प्राप्त की। 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर त्याग कर सन्यास ले लिया। वे घम–घूम कर वैदिक धर्म और संस्कृति का प्रचार करते रहे। उन्होंने –सत्यार्थ प्रकाश'' में अपने विचारों की व्याख्या की। उन्होंने ''वेदों की ओर लौटने'' का नारा दिया। उन्हें पुराणों की धार्मिक व्यवस्था में विश्वास नहीं था। वे मर्तिपूजा, जांत–पात की प्रथ, यज्ञों, बाल–विवाह आदि प्रथाओं के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने वर्णाव्यवस्था का खण्डन किया तथा ब्राम्हणों के एकाधिकार का विरोध किया। उन्होंने विधवा–विवाह के प्रचलन तथा नारी–शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया। उन्होंने 'स्वराज्य' क नारा दिया। वे राष्ट्रीय एकता में विश्वास रखते थे। उन्होंने एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति का प्रचार किया। कर्नल ओलकोट ने लिखा है कि, ''दयानन्द ने अपने अनुयायिों पर अति गम्भीर प्रभाव डाला।'' ऐनी बेसेन्ट के शब्दों में, ''दयानन्द पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतीयों के लिए हैं।'' 1883 में स्वामी जी की मृत्यु हो गयी।

स्वामी दयानन्द ने आर्य समाज की स्थापना की। यह संगठन निम्नलिखित सिद्धान्तों पर आधारित था –

(1) ईश्वर एक है। वह सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, अनन्त, निर्विकार, वाधार, सर्वव्यापक, अमर, सर्वेश्वर, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता हैं।

(2) वेद सत्य विधाओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना और सुनना–सुनाना सब आर्यो का परमधर्म है।

(3) सत्य को ग्रहण करने और असत्य का त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।

(4) समस्त कार्यो को धर्म के अनुसार करना चाहिए।

(5) सबसे प्रीतिपूर्वक और धर्मानुसार तथा योग्य बर्ताव करना चाहिए।

(6) सबकी शारीरिक, आत्मिक तथा सामाजिक उन्नति होनी चाहिए।

(7) अज्ञान का नाश तथा ज्ञान का प्रचार होना चाहिए।

(8) प्रत्येक मनुष्य को केवल अपनी उन्नति से ही संतुष्ट नहीं रहना चाहिए बल्कि सबकी उन्नति में उसे अपनी उन्नति समझनी चाहिए।

(9) हितकारी नियम के पालन में प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र है। लेकिन सामाजिक सर्वहितकारी नियम के पालन में वह परतन्त्र है।

आर्य समाज ने धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्र में काफी सुधार किया। उसने ब्राह्मणों के एकाधिकार का विरोध किया और 'शुद्धि आन्दोलन'' चलाकर अन्य धर्मावलम्बियों के लिए हिन्दू धर्म का द्वार खोल दिया। इसने सामाजिक क्षेत्र में मूर्तिपूजा, छुआछूत, जाति–पाति, बाल–विवाह, अन्तर्जातीय–विवाह आदि कुरीतियों का घोर विरोध किया। साथ ही, इसने विधवा–विवाह, अन्तर्जातीय–विवाह तथा स्त्री–शिक्षा का पूर्ण समर्थन किया। अछूतों के उद्धार की दिश में भी इसने सराहनीय कार्य किया। शिक्षा के क्षेत्र में भी आर्य समाज का कार्य सराहनीय रहा है। हरिद्वार में गुरूकुल कांगड़ी की स्थापना की गयी है। आज सारे उत्तर तथा पश्चिम भारत में दयानन्द ऐंगलो–वेदिक स्कूल तथा कॉलेज स्थापित किये गये है। स्त्री–शिक्षा के लिए आर्य समाज के अधीन कई कन्या पाठशालाएँ स्थापित की गयी हैं। यह जनता में आत्मसम्मान, एकता और मातृभूमि के इज्जत और भक्ति की भावना भरने की दिशा में काफी सफल रहा है। स्वतन्त्रता–प्रेम तथा विदेशियों के विरोध की नीति को अपनाकर इसने राष्ट्रीय संस्था का रूप ले लिया। स्वामी दयानन्द सरस्वती के बाद लाला लाजपत राय तथा स्वामी श्रद्धानन्द जैसे महान् नेताओं ने आर्य समाज की बागडोर सम्भाली। आज भी यह संगठन एक महत्वपूर्ण धर्म–सुधारक संस्था का काम कर रहा है।

थियोसोफिकल सोसायटी :– भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आन्दोलन में थियोसोफिकल सोसायटी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसकी स्थापना सन् 1857 में न्यूयार्क में हुई थी। इसके संस्थापक एक रूसी महिला ब्लैवटस्की तथा अमेरिकन सेना अधिकारी कर्नल हेनरी बालकाट थे। सोसायटी का प्रारम्भिक उद्देश्य सृष्टि, मनुष्य की प्रकृति आदि का पता लगाना तथा उसके अनुसार जीवन प्रणाली का प्रचार करना था। इसका सम्बन्ध हिन्दू धर्म से नहीं था बल्कि यह एक विश्व–धर्म था जिसका आदर्श विश्व–बन्धुत्व था। यह संस्था सभी धर्मो का मूल–स्रोत एक ही मानती थी। इसने वर्ण, जाति, नस्ल, रंग, राष्ट्रीयता आदि विभेदों का विरोध कियां इसका मूल लक्ष्य प्रकृति के गूढ़ तत्वों की खोज करना था। विचारों की विशालता तथा उदारता के कारण यह संस्था भारत में काफी लोकप्रिय हुई। इससे ईसाई धर्म के प्रचारकों को गहरा धक्का लगा।

रामकृष्ण परमहंस और राकृष्ण मिशन :– रामकृष्ण परमहंस का जन्म 1834 ई. में हुगली के गरीब ब्राम्हण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनका धर्म–ज्ञान अनुपम था और उनकी प्रवृत्ति धार्मिक। उन्होंने अनेक धर्मो का अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सभी धर्म समाजन हैं, सबका ध्येय एक है और उस ध्येय तक पहुँचने के रास्ते अलग–अलग हैं। वे बहुत बड़े धर्मात्मा, संत तथा साधक थे। वे दक्षिणेश्वर काली मन्दिर के पुजारी भी थे।

रामकृष्ण परमहंस के पूर्ववर्त्ती धर्म सुधारकों ने केवल हिन्दू–धर्म की कुप्रथाओं को दूर कर उसे ईसाई धर्म और पाश्चात्य विचारों से बचाने का प्रयास किया था। उन्होंने भक्ति और श्रद्धा को कोई महत्व नहीं दिया जबकि हिन्दू धर्म में इनका बहुत स्थान है। इसका परिणाम यह हुआ कि ''वे न हिन्दू महर्षियों द्वारा सैकड़ों सदियों में विकसित किये धार्मिक विचारों और आदर्शो की विशाल और शानदान परम्परा की महत्ता का अन्दाज लगा सके और न उसे विस्तार से देख ही सके।'' श्री रामकृष्ण परमहंस ने इस कमी को दूर किया। उन्होंने हिन्दू समाज को एक गहरी आध्यात्मिकता से परिपूर्ण आदर्श जीवन तथा उदार एवं समन्वित दृष्टिकोण दिया। उन्होंने हिन्दू धर्म को पूर्ण और श्रेष्ठ घोषित तथा इसकी परम्पराओं में आस्था व्यक्त कर इसे पुनर्जागृत किया। वे

एक महान् मानवतावादी भी थे। उन्होंने दरिद्रों और अपाहिजों की सेवा में अपना सरा जीवन बिताया। उनके शिष्यों ने राम कृष्ण मिशन की स्थापना कर उनके संदेश का प्रचार तथा मानवता की सेवा की। आज भी यह मिशन आध्यात्मिक चिंतन तथा गरीबों की सेवा में लगा हुआ है।

स्वामी विवेकानन्द :– स्वामी विवेकानन्द रामकृष्ण परमहंस के महान् शिष्य थे। उनका जन्म 1863 में हुआ था। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातक थे। वे अत्यन्त तेजस्वी व्यक्ति थे तथा भारत की प्राचीन संस्कृति के प्रति उनकी प्रगाढ़ भक्ति थी। उनपर रामकृष्ण परमहंस का काफी प्रभाव पड़ा। उन्होंने गूढ़ रहस्यों का चिंतन किया। उन्होंने 1893 में शिकागो के धर्म–सम्मेलन में सक्रिया भाग लिया और अपने पांडित्य का परिचय दिया। उन्होंने सम्मेलन में घोषणा की कि ''वेदान्त संसार का भव्य, व्यापक तथा सर्वश्रेष्ठ धर्म है।'' अमेरिका में उन्होंने अनेक शिष्य बनाये। वे पेरिस में धर्म–सम्मेलन की दूसरी कांग्रेस में भी सम्मिलित हुए। इन सम्मेलनों में उनका बहुत प्रभाव पड़ा। सिस्टर निवेदिता का उनके भाषण के सम्बन्ध में कहना है कि वहाँ स्वामी जी ने जब बोलना शुरू किया तब वे हिन्दू धर्म के विचारों के विषय में बोले। लेकिन जब भाषण समाप्त हुआ तो ऐसा लगा कि उन्होंने हिन्दू धर्म की सृष्टि कर दी है। इस प्रकार उन्होंने अमेरिका तथा यूरोप में हिन्दू धर्म एवं दर्शन के सिद्धान्तों का प्रचार किया। उन्होंने वैंगलूर में रामकृष्णमठ की स्थापना की जो आज भी रामकृष्ण मिशन का प्रधान केन्द्र माना जाता है। उन्होंने समाज सेवा के भी कार्यो में भाग लिया। 1902 में उनका देहावसान हो गया।

स्वामी विवेकानन्द ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस संस्था का प्रधान उद्देश्य रामकृष्ण परमहंस के सिद्धांतों को चारों और फैलाना है। इसकी शाखाएँ भारत में जाल–सी बिछी हुई है। विदेश में भी इसकी शाखाएँ खुली हुई है। यह संस्था सेवा तथा परोपकार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। देश के विभिन्न भागों में इसने पाठशालाएँ, अस्पताल तथा अन्य प्रकार के परोपकारी संस्थाएँ स्थापित की है। संकटकालीन परिस्थितियों में, जैसे – बाढ़, भूकम्प इत्यादि में यह संस्था जनता की अपूर्व सेवा करती है।

रामकृष्ण मिशन का आधार परमहंस के विद्धान्त हैं जिन्हें स्वामी विवेकानन्द ने विकसित किया। इसके सिद्धान्त हे, सब धर्म सच्चे और अच्छे हैं। ईश्वर निर्गुण, अज्ञेय तथा नैतिकता से परे है, मूर्ति पूजा आध्यात्मिक पूजा का रूप है, भारत आध्यात्मिक क्षेत्र में विश्व का गुरू है। हिन्दू संस्कृति को पाश्चात्य भौतिकवादी संस्कृति से बचना चाहिए।

स्वामी विवेकानन्द ने रामकृष्ण परमहंस का अपने को अनन्य शिष्य सिद्ध किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति को गौरवपूर्ण स्थान प्रदान किया। उन्होंने देश–भक्ति का भी महान परिचय दिया। मानवता की सेवा के क्षेत्र में उनके सराहनीय कार्य हैं।

अन्य सम्प्रदायों में सुधार आन्दोलन

मुसलमानों में सुधार आन्दोलन :– हिन्दू धर्म की भाँति मुस्लिम धर्म का भी 19वीं शताब्दी में ह्रास हो चुका था। उनके समाज में भी अंधविश्वास तथा पाखण्ड का बोलबाला हो गया था। अतः मुस्लिम समाज धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से कई आन्दोलन शुरू हुए। इन आन्दोलनों में बहाबी तथा अहमदी आन्दोलन महत्वपूर्ण है। सैयद अहमद और इस्माइल हाजी, मौलवी मुहम्मद भारतीय बहावी आन्दोलन के प्रमुख नेता थे। इस आन्दोलन में इसलाम की परित्रता तथा इस्लाम की एकता पर जोर दिया गया। इसने मुस्लिम समाज की कुरतियों को दूर करने की चेष्टा की। रूढ़िवादी होने होने के कारण यह आन्दोलन सफल न हो सका। सर सैयद अहमद खाँ मुस्लिम समाज के महान् सुधारक समझे जाते हैं। वे अंग्रेजी शिक्षा, स्त्री तथा विदेश भ्रमण के बड़े समर्थक थे। इन्होंने पर्दा–प्रथा, बहु–विवाह तथा दास–प्रथा का कड़ा विरोध किया। उन्होंने अलीगढ़ में एक कॉलेज की स्थापना कर मुस्लिम विश्वविद्यालयों की नींव डाली। भाषा और साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया।

अहमदिया आन्दोलन मिर्जा गुलाम अहमद कादिमी के नेतृत्व में शुरू हुआ। उन्होंने कादियानी सम्प्रदाय की नींव डाली तथा सभी धर्मो में सुधार का अपना लक्ष्य बनाया। इस आन्दोलन का प्रभाव पंजाब में अधिक पड़ा। सन् 1885 में अंजुमन–ए–हिमयत–इस्लाम की स्थापना हुई जिसका उद्देश्य मुसलमानों की सामाजिक, नैतिक तथा बौद्धिक तरक्की करनी थी। सन् 1894 में इसी प्रकार की एक अन्य संस्था की स्थापना हुई जिसका नाम नदवाद–उल–उलेमा कहा जाता था। इन सुधार आन्दोलनों का प्रभाव बीसवीं सदी की

राजनीति पर पड़ा। खाँ अब्दुल गफ्फार खाँ के नेतृत्व में खिदमदगार आन्दोलन चलाया गया। मुस्लिम लींग ने मुसलमानों में एकता, जागृति ओर सुधार लाने का सबसे अधिक प्रचार किया। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। इसने मुसलमानों को लग राष्ट्र की मांग के लिए प्रोत्साहित किया। इसके नेतृत्व में मुसलमानों में धार्मिक और राजनीतिक जागृति आयी जिसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान की स्थापना हुई।

सिख धर्म में सुधार आन्दोलन :– हिन्दू तथा मुस्लिम धर्म की भाँति सिख धर्म में भी बुराइयाँ घुस आयी थीं। गुरूद्वारों में भ्रष्टाचार घुस आया था। इसे दूर करने के लिए शिरोमणी गुरूद्वारा प्रबन्धक समिति की स्थापना की गयी। सिखों में शिक्षा के प्रचार के लिए देश भर में स्कूल तथा कॉलेज खोले गये। अमृतसर का खालसा कॉलेज विख्यात है।

पारसी धर्म–सुधार आन्दोलन :– पारसी धर्म भी सुधारवादी आन्दोलनों से अछूता न रहा। इसके धर्म–सुधारकों में दादा भाई नौरोजी, जे.बी. बाचा, एच. जी. बंगाली तथा करशेद जी रूस्तम के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। सन् 1851 में पारसियों की रहनुमाई में मजदयसीनन सभा नामक संगठन की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य पारसी धर्म को पुनर्जीवित तथा उनके समाज में सुधार लाना था। सन् 1900 में धर्म–सुधार के उद्देश्य से पारसियों का एक सम्मेलन हुआ। पारसी सुधारकों ने जरथुष्ट धर्म को पुनर्जागृत किया तथा इसमें अनेक सुधार लाये।

ईसाई धर्म का प्रचार :– अन्य धर्मो की भाँति ईसाई धर्म में सुधार आन्दोलन नही चलाया गया। कारण यह है कि भारत में ईसाई पादरियों का ध्यान धर्म के प्रचार की ओर था। यूरोपीय देशों से बहुत–से धर्म–प्रचारक भारत आये तथा व्यापार के साथ–साथ उन्होंने धर्म का प्रचार भी किया। पिछड़ी जातियों तथा आदिवासियों में उन्होंने अपना कार्य–क्षेत्र विशेष रूप से फैलाया धर्म–प्रचार के साथ उन्होंने अनेक सामाजिक सुधार भी किए। शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्य विशेष उल्लखनीय हैं। अनेक स्कूलों, कॉलेजों की स्थापना की गयी। पादरियों ने जगह–जगह पर अस्पताल और शिक्षालय भी खोले। आज भी मिशनरी धर्म–प्रचार तथा समाज–सुधार के कार्य में संलग्न है। कुछ लोग उनके कार्यो को शंका की दृष्टि से देखते हैं तथा राष्ट्र–विरोधी समझते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. एन.एन. वोहरा, सब्यसाचि भट्टाचार्य, – अनुवाद राघवचेतन राय, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत, नई दिल्ली, पहला संस्करण 2009।
2. विपिन चन्द्र – आधुनिक भारत का इतिहास, ओरियंट ब्लैकस्वॉन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 2009।
3. डॉ. भरत शुक्ल, डॉ. त्रिभुवन मोहन शुक्ल – प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, 2010
4. आर. उन. हार्डग्रेन – इण्डिया–गवर्नमेंट एण्ड पालिटिक्स इन ए डेवल–पिंग नेशन, हारकोर्ट ब्रेस एण्ड बर्ल्ड न्यूयार्क, 1970।
5. के.पी.सिंह – भारतीय सरकार और राजनीति, खण्ड 2 पुष्प– राज प्रकाशन, रीवा इलाहाबाद, 1979।
6. मिश्र डी.पी., ''मध्य प्रांत में स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास'', संस्कृति विभाग, भोपाल, पृष्ठ–422
7. एम.एल.धवन – भारत का राष्ट्रीय आंदोनल एवं स्वतंत्रता संघर्ष, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2008।
8. रश्मि पाठक – भारत में अंग्रेजी राज, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2009।
9. प्रवीण के. चौधरी – अग्रेरियन अनरेस्ट इन बिहार, ए केस स्टडी ऑफ पटना डिस्ट्रिक्ड 1960–84 जनवरी 2/9/1988।
10. कान्सफटिट्यूशन ऑफ – दि इण्डियन नैशनल कांग्रेस, ए. आई. सी., नई दिल्ली, 1983।
11. विपिन चन्द्र – आधुनिक भारत का इतिहास, ओरियंट ब्लैकस्वॉन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 2009।
12. वी.एन. सिंह, जनमेजय सिंह – भारत में सामाजिक आंदोलन, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2013।
13. एम.एस.ए.राव – भारत में सामाजिक आंदोलन, पृष्ठ 1।
14. ए.आर.देसाई – भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, पृष्ठ 150।

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 5 June 2019

योग के द्वारा स्त्रियों में ल्यूकोरिया (श्वेत प्रदर) तथा योनि संक्रमण रोग का प्रबंधन

डॉ. लालजीत पचौरी
पी.एच.डी. योग, सहा. प्राध्यापक, रविन्द्रनाथ टैगौर वि.वि., जिला–रायसेन (म.प्र.)

ल्यूकोरिया अथवा श्वेत प्रदर स्त्रियों की एक बहुत आम समस्या है। अक्सर लम्बे समय तक इस समस्या को महिलाएँ जानकारी के अभव में या शर्म के कारण छिपाती है, अथवा इस पर ध्यान नहीं देती। इस सरलता से ठीक हो जाने वाले रोग से डरने या चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही बात सरलता से उपचारित हो जाने वाले अन्य योनि संक्रमणों पर भी लागू होती है। ये सभी रोग निम्न श्रेणी प्रदेश में जीवनी शक्ति के क्रमशः गिरते स्तर तथा बढ़ते हुए असंतुलन के कारण उत्पन्न होते हैं। जिसके फलस्वरूप रासायनिक असंतुलन होते है तथा संक्रामक रोग उत्पन्न होने लगते है।

सामान्य योनि स्राव :– अनेक स्त्रियॉं यह भ्रान्ति पाल लेती है कि उन्हें ल्यूकोरिया हुआ है, जबकि वास्तव में ऐसी कोई स्थिति नहीं होती। यह अवश्य जान लेना चाहिए कि थोड़ा–बहुत योनि स्राव सामान्य या स्वस्थ अवस्था का द्योतक है। योनि की भीतरी त्वचा में छोटी–छोटी ग्रंथियॉं होती हैं, जिनका कार्य लगातार एक नमी को बनाए रखना होता है ताकि चिकनापन रहे तथा सफाई होती रहे। यह स्राव योनि के भीतर की नाजुक त्वचा की रक्षा का कार्य करता है ताकि वह सूखे नहीं तथा अवांछित सूक्ष्म कीटाणु नष्ट होते रहें। ऑंखों की तरह योनि भी सफाई के मामले में स्वावलम्बी है। जिस प्रकार ऑंखें अश्रुग्रंथियों द्वारा स्रावित नमी से धुलती रहती है, उसी प्रकार योनि भी आंतरिक स्रावों के सतत् प्रवाह के कारण सफाई बनाए रखती है।

सामान्य योनि स्राव रंग विहीन या हल्की सफेदी लिए तथ थोड़ी चिकनाई लिए होता है। मासिक चक्र के अलग–अलग कालों में इसके गुण बदलते रहते हैं, कभी–कभी यह एकदम पानी की तरह पतला हो जाता है और कभी–कभी बहुत सफेद, गाढ़ा एंव चिपचिपा। स्राव की मात्रा भी समय–समय पर बदलती रहती है। एक स्त्री से दूसरी स्त्री में स्राव के गुण और मात्रा भिन्न हो सकते हैं तथा एक ही स्त्री में उम्र के साथ–साथ बदलते भी रहते है। कभी–कभी छोटी उम्र में ही, मासिक धर्म शुरू होने के कई साल पहले से यह स्राव शुरू हो जाता है। यदि योनि स्वस्थ है तो इस स्राव में कोई दुर्गंध नहीं होगी, न ही योनि के भीतर अथवा बाहर कोई लाली, या सूजन होगी। यदि ये लक्षण दृष्टिगोचर हों तो रूग्णता का उचित इलाज आवश्यक है।

ल्यूकोरिया (श्वेल प्रदर) :– सामान्य स्राव जो रक्षा करते है, और योनि संक्रमण जो ऋग्णता के द्योतक हैं, इन दोनों ध्रुवों के बीच एक अन्य अवस्था पायी जाती है, जिसमें न तो कोई सूजन न ही कोई जलन या पीड़ा होती है, परन्तु स्राव अत्यधिक मात्रा में होना शुरू हो जाते हैं। इसे ही ल्यूकोरिया अथवा श्वेत प्रदर कहते हैं। सामान्य स्राव का अत्यधिक मात्रा मे होना ही श्वेत प्रदर कहलाता है, जिसकी मात्रा अलग अलग स्त्रियों में भिन्न हो सकी है। जो मात्रा एक स्त्री के लिए सामान्य है वही दूसरी के लिए अत्यधिक मान ली जाती है।

सामान्य स्वस्थ अवस्था में स्राव अन्दर पहने जाने वाले वस्त्रों पर सफेद या पीलापन लिए हुए धब्बे छोड़ सकते हैं। सामान्यतः वे जल्दी ही सूख जाते हैं तथा कष्टहीन होते हैं, परन्तु यदि वस्त्रों पर अधिक धब्बे हो या लगातार गीलेपन का अनुभव बना रहे अथवा आपको दिन में कई बार वस्त्र बदलने पड़े तो अवश्य ही स्राव अत्यधिक हैं कई महिलाओं को लगातार सेनिटरी नैपकिन पहने रहना पड़ता है।

साथ में अन्य लक्षण, जैसे कि कमर दर्द, जॉंघों में कड़ापन, खिंचाव या पेट में भारीपन इत्यादि भी प्रकट हो सकते हैं, परन्तु इनकी तीव्रता कम होती है। संक्रमण यदि हो तो अक्सर बार–बार पेशाब लगती है, परन्तु ल्यूकोरिया में पेशाब लगनी कम हो जाती है। ल्यूकोरिया का स्राव गंधहीन एवं साफ होता है, परन्तु संक्रमण में तीव्र दुर्गंधयुक्त, गाढ़ा स्राव होता है जिसके साथ पीड़ा, जलन, खुजली, बुखार तथा योनि के आसपास लाली और सूजन दिखाई पड़ती हैं। परन्तु ये सभी लक्षण ल्यूकोरिया में नहीं होते।

अवक्षेपक कारण :– श्वेत प्रदर, गर्भाशय मुख पर होने वाले छाले का प्राथमिक लक्षण हो सकता है। यह अक्सर प्रौढ़ महिलाओं में पाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि 15 से 40 वर्ष की लगभग 95 प्रतिशत महिलाओं में कभी न कभी ये छाले होते ही हैं। अतः हर श्वेत प्रदार के रोगी को चिकित्सक द्वारा जॉच करवाना आवश्यक हो जाता है। आम तौर पर विशेषज्ञ पूरे श्रोणि प्रदेश की जॉच करते हैं तथा द्रव की भी जॉच–पड़ताल करते हैं। द्रव की सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जॉच करना इसीलिए आवश्यक है कि कभी–कभार कैंसर की शुरूआत भी इसी छाले से हो सकती है।

परन्तु अधिकतर महिलाओं में श्वेत प्रदर इस बात की सूचना है कि हमारा शरीर निम्न ऊर्जा स्तर से गुजर रह है, तथा नींद की कमी, गड़बड़ भोजन, एवं स्नायविक तनावों के कारण क्षमता का ह्रास हो रहा है। जिन स्त्रियों को मधुमेह अथवा क्षय रोग हो वे इस समस्या से अधिक परेशान रहती है। अत्यधिक स्राव का अन्य प्रमुख कारण अन्तः स्रावी असंतुलन है। जो स्त्रियॉ गर्भ निरोधक गोलियों का या गर्भाशय में लूप इत्यादि का प्रयोग कर रही हैं उनमें रोग की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। मासिक धर्म के ठीक पहले या बाद में, गर्भावस्था के दौरान, अथवा रजोनिवृति के समय भी यह समस्या परेशान कर सकती है, क्योंकि इन अवस्थाओं में हारमोन्स का परिवर्तन प्राकृतिक रूप से होता ही है।

भोजन, श्वेत प्रदर के प्रमुख कारणों में से है। अधिक मात्रा में लिए गये दूध, मैदा तथा पॉलिश किया हुआ चावल जैसे पदार्थ अत्यधिक म्यूकस बनाते है, जिनको शरीर स्रावों के माध्यम से बाहर फेंकता है। मिर्च–मसालेदार भोजन, शक्कर तथा मिठाइयॉ अधिक मात्रा में लिए जाने पर इस समस्या में योगदान देते हैं। जो भोजन परिष्कृत शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, डिब्बा बन्द भोजन और अप्राकृतिक पदार्थ से युक्त हैं, वे योनि में संक्रमण की आदर्श अवस्थाएँ प्रस्तुत कर देते हैं, क्योंकि इनके सेवन से अम्लीयता बढ़ती है, और योनि के भीतर अम्लीयता बढ़ने पर कीटाणुओं की संख्या में गुणात्मक वृद्धि होना शुरू हो जाती है। अनेक स्त्रियों में यह पाया है कि मात्र भोजन को संतुलित और संयत कर लेने से योनि स्राव में आश्चर्यजनक कमी आ जाती है।

ल्यूकोरिया की शिकायत अक्सर कब्जियत के साथ जुड़ी रहती है, जिसका सीधा सम्बन्ध असन्तुलित भोजन, तनाव और परेशानी के साथ होना सर्वविदित है।

भावनात्मक कारण अकस्र अचेतन के भीतर दबे हुए रहते हैं तथा अधिकतर महिलाएँ खुले मन से यह स्वीकार नहीं कर पातीं कि कहीं न कहीं वे अपनी भावनाओं को दमित कर रही है, तथा अपने भौतिक स्वरूप के प्रति नकारात्मक विचार पाले हुए हैं। विशेषतः जब यौनांगो की बात आती है तो सामाजिक मान्यताओं के कारण इन विचारों को स्वीकारना और भी कठिन हो जाता है। अवचेतन में छिपे इस प्रकार के द्वंद्व, अपराध–बोध या संदेह शारीरिक रूप से ल्यूकोरिया के रूप में प्रकट होते हैं, जो प्रतीकात्मक रूप से आत्म शुद्धि का या प्रक्षालन का प्रयास है।

संक्रामक रोग :– अधिक मात्रा में होने वाले योनि स्राव के कारण उस स्थान में लगातार नमी बनी रहती है, जिसमें कीटाणुओं की वृद्धि बहुत आसानी से हो सकती है। सामान्य रूप से योनि के भीतर जो कीटाणु रहते है, वे मित्रवत् कार्य करते हैं तथा हानिकारक कीटाणुओं को पनपने नहीं देते। परन्तु जब यह सामान्य संतुलन बिगड़ जाता है तो हानिकारक कीटाणु पनपने लगते है। साथ ही स्त्री–अंगों की बनावट ही कुछ ऐसी होती है कि बाहर के किटाणु सरलता से भीतर चढ़ जा सकते है और नाना किस्म के रोग उत्पन्न कर सकते हैं। संक्रमण कई बार दीर्घकाल तक हल्के–हल्के सुलगते रहते है तथा अन्ततः बांझपन का कारण साबित होते हैं।

संक्रमण होने पर अधिक स्राव के साथ–साथ खुजली, जलन, योनि के चारों ओर सूजन, लाली तथा बार–बार पेशाब लगना जैसे लक्षण भी प्रकट हो जाते हैं। संक्रमण का पहला लक्षण कमर दर्द, जांघों की मांसपेशियों का खिंचाव, ग्रंथि मे सूजन तथा पेट के निचले हिस्से में दर्द इत्यादि का होना है।

संक्रमण की प्रमुख पहचान स्राव का गुण है। इसका रंग सफेद, पीला या खून की बूँदे लिए हुए गुलाबी या पीब के सदृश भी हो सकात है। कभी–कभी योनि की भीतरी त्वचा सूज कर लाल पड़ जाती है तथा पीब की गाढ़ी तह जमा हो जाती है। किसी–किसी स्त्री में स्राव सूखा भी रह सकता है।

एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये संक्रमण, चाहे मूत्रमार्ग के हों या योनि के, अक्सर संभोग के माध्यम से फैलते हैं। अधिक बार या असंपूर्ण संभोग से प्रायः मानसिक एवं भावनात्मक तनाव, ऊब अथवा वितृष्णा उत्पन्न होती है। यदि पुरूष अपने साथी की इच्छाओं और भावनाओं का ख्याल किये बिना एक

स्वार्थपूर्ण रवैये को अपनाकर सिर्फ आत्मतुष्टि करे तो स्त्री पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ही। इससे निम्न प्रदेशों से ऊर्जा की मात्रा घटना शुरू हो जाती है जिससे सम्बन्धित अंग (योनि व मूत्र मार्ग) संक्रमण के प्रति अपनी रोगनिरोधक क्षमता खो देते हैं। ''गोनोरिया'' तथा ''सिफलिस'' जैसे खतरनाक यौन रोग भी इस प्रकार से फैलते हैं। इन रोगों की अपनी एक विशिष्टता है। इनका उपचार सामान्य रूप से वर्णित रोगों से भिन्न है। अतः इनका विभेद करना आवश्यक है। ये बहुत संक्रामक रोग हैं, जिनका यौगिक चिकित्सा से पूर्व प्राकृतिक औषधीय चिकित्सा आवश्यक है।

संक्रमण के सबसे प्रमुख कारण है– दो प्रकार के कीटाणु, जिन्हें ''मोनीलिया'' तथा ''ट्रायकोमोनास'' कहते हैं। दोनों ही स्वस्थ शरीर में सामान्य रूप से बिना रोग उत्पन्न किये मौजूद रहते हैं, परन्तु किसी कारणवश जब इनकी संख्या असामान्य रूप से बढ़ने लगती है तो रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ''मोनीलिया'' एक किस्म का फफूंद होता है जिसके संक्रमण से दही के समान गाढ़ा एवं सफेद स्राव होता है। इसकी गंध सड़ी हुई ब्रेड के समान होती है और इसी के कारण स्त्री को खाने की गंध से ही मितली होने लगती है। इस संक्रमण से पूरे योनि प्रदेश में बहुत जलन एवं खुजली के लक्षण अनुभव होते हैं। ''ट्राइकोमोनास'' नामक कीटाणु स्त्री और पुरूष दोनों के ही शरीर में रह सकता है। इसके संक्रमण से गाढ़ा, फेनदार, हरा पीला या भूरा स्राव बनता है जिसकी दुर्गंध बहुत तीव्र होती है। घर्षण के कारण, संभोग के उपरान्त इसके लक्षण बढ़ जाते हैं। यह संक्रमण एक से दूसरे व्यक्ति तक गीले तौलिये के माध्यम से या एक–दूसरे के गंदे वस्त्रों के पहनने से भी फैल सकता है। यदि पत्नी को यह रोग है तो पति को भी यह संक्रमण अवश्य होगा, लक्षण चाहे भले ही दिखलाई न दें, और दोनों का इलाज एक साथ करना अति आवश्यक है।

ये दोनों संक्रमण बहुत आम हैं। ऐसी शायद ही कोई स्त्री को जिसने अपने जीवन में कभी–न–कभी इस समस्या का अनुभव नहीं किया हों। अतः इन संक्रमणों को खतरनाक यौन रोगों की श्रेणी में रखना सर्वथा अनुचित होगा तथा इनके साथ वैसी शर्म या ग्लानि जैसी कोई भावना भी नहीं लानी चाहिए। स्त्री की यौन समस्याओं पर जो गुप्तता तथा अंधविश्वास का पर्दा पड़ा है, उसके कारण वे चिकित्सकीय सहायता लेने में भी हिचकिचाती हैं, जिसके बड़े दुष्परिणाम हो सकते हैं। समय पर चिकित्सा हो जाने पर बात यूँ ही टल जाती है, परन्तु लापरवाही से जटिलताएँ बढ़ती हैं तथा अन्ततः अंग नष्ट होकर बांझपन की अवस्था तक पहुँच जाते हैं। यदि गर्भावस्था में इन संक्रमणों के प्रति लापरवाही बरती गई तो शिशु पर भी प्रभाव पड़ सकता है। सक्षम प्राकृतिक चिकित्सकीय सहायता तथाा स्वास्थ्य वर्द्धक योगाभ्यास के उचित प्रयोग से तुरंत लाभ होगा व हम दीर्घकाल तक निरोग बने रह सकेंगे।

किसी भी रोगग्रस्त अंग के स्वास्थ्य लाभ एवं पुनरूज्जीवन हेतु उस अंग को उचित विश्राम मिलना चिकित्सा का मूलभूत सिद्धांत है। अतः यौनांगों से सम्बन्धित सभी रोगों की योग–चिकित्सा का पहला महत्वपूर्ण कारक विश्राम है। कुछ समय तक संभोग से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे लगातार उत्तेजना व घर्षण दूर हो जाता है यह अंगो को विश्राम तो देता ही है, साथ–ही–साथ संक्रमण को फैलने से भी रोकता है। शारीरिक विश्राम के साथ नियमित योगाभ्यास से मन और व्यक्तित्व भी शान्त एवं संतुलित हो जात है तथा जैसे ही स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया शुरू होती है, पीड़ा, जलन इत्यादि लक्षण धीरे–धीरे दूर हो जाते हैं। जब एक बार लक्षण दूर हो जाते है व सामान्य स्वास्थ्य की पुनः प्राप्ति हो जाती है तब यौन सम्बन्ध पुनः प्रारंभ किये जा सकते है जो अब अधिक स्वास्थ्यपूर्ण व संतोषजनक होंगे।

सन्तुलन की पुनर्प्राप्ति :– ल्यूकोरिया तथा यौन संक्रमणों का सबसे प्रमुख कारण है हॉर्मोन्स का असंतुलन एवं निम्नांगों में जीवनी शक्ति का ह्रास। स्त्रियों मे ये दोनों कारक इतनी निकट का सम्बन्ध रखते हैं कि दोनों को अलअ–अलग कहने का अर्थ एक बात को ही दो तरीकों से कहना है। जब यह कथन सत्य है तो योगाभ्यास द्वारा अत्यधिक योनि स्राव की समस्या का स्थाई उपचार अवश्यभावी है। संक्रमण की अवस्था में निम्नलिखित योगाभ्यास क्रम को औषधियों के साथ अपनाना चाहिए ताकि औषधियॉ स्वतः ही संक्रमण की रोकथाम कर सकें तथा योगाभ्यास रोग की जड़ में छिपे मूल असन्तुंलनों को दूर कर सकें। जब लक्षण बहुत तीव्र अथवा पीड़ादायी हो तो शारीरिक गतिविधियॉ तथा आसनों का अभ्यास बन्द कर दें। अतिपाती अवस्था में कठिन या गतिशील आसन संक्रमण को फैला सकते है।

यम – हृदय में भावना स्थापित करना अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की।

नियम – शौच, तन व मन की, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणीधान।

आसन – सूर्य नमस्कार, वज्रासन, शशांकासन, मार्जारी आसन, उष्ट्रासन, शक्ति बंध समूह, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, विपरीतकरिणी मुद्रा, गोमुखासन, अश्वासन।

प्राणायाम – नाड़ी शोधन, भस्त्रिका तथा उज्जायी प्राणायाम प्राण शक्ति को बढ़ाते है तथा मन और भावनाओं को सन्तुलित करते है।

मुद्रा व बंध – मूलबंध एवं उड्डियान बंध, अश्वनी मुद्रा, ल्यूकोरिया के लिए विशेष सहायक है।

ध्यान/शिथिलीकरण – योग निद्रा और अन्तर्मौन के अभ्यास तनाव के चक्रव्यूह को तोड़ देते हैं जो अन्तःस्रावी ग्रंथियों को असंतुलित करते हैं तथा प्राण शक्ति को ह्रास करते है।

योग क्रियायें – धोति क्रिया, वस्तीकर्म, नवली क्रिया, कपालभांति का नियमित अभ्यास करना।

अन्य सुझाव :–

1. ल्यूकोरिया के सफल इजाल हेतु व्यक्तिगत साफ–सफाई का कठोरता से पालन आवश्यक है। इससे न केवल संक्रमण की रोकथाम होती है, वरन् मन को भी अच्छा लगता है। गुदाद्वार एवं योनि के प्रवेश को नियमित धोकर पोछ लें और सुखा रखें। अधिकांश योनि संक्रमण गुदा द्वार से मल के साथ निकलने वाले कीटाणुओं के फैलने से होते हैं। अतः गुदाद्वार की सफाई हमेशा सामने से पीछे की ओर करनी चाहिए। मलत्याग के लिए बैठते समय पारंपरिक उकडूं अवस्था न केवल आरामदायक है, वरन् स्वास्थ्यप्रद भी है, क्योकि इसमें साफ–सफाई बेहतर तरीके से रखी जा सकती है।
2. नायलोन के जांघिया या चुस्त अधोवस्त्र नहीं पहनने चाहिए। नायलोन गर्मी और नमी को रोक कर रकता है जिससे खतरनाक कीटाणुओं की वृद्धि होने लगती है। हमेशा ढीले हवादार सूती कपड़े भीतर से पहनने चाहिए और यदि स्राव अधिक न हो तो इन्हें न ही पहने तो बेहतर है। अधिकांश नुकसानदायक कीटाणु मात्र हवा के संपर्क में आने और नमी के अभाव में खुद–ब–खुद नष्ट हो जाते हैं।
3. योनि के भीतरी भाग की धुलाई, जिसे ''डूशिंग'' कहते है, यह भी संक्रमण की रोकथाम में सहायक होती है। एक स्वस्थ योनि की रासायनिक अवस्था कुछ अम्लीय होती है। यह अम्लीयता कीटाणुओं को बढ़ने नहीं देती। मासिक धर्म के समय यह अम्लीयता घट जाती है तथा स्त्रियॉं संक्रमण के प्रति प्रवण हो जाती है। इस समय में हल्के अम्लीय द्रव से योनि की धुलाई पुनः सामान्य अवस्था ला देगी। उबाल कर ठण्डा किये हुए साफ, आधा लीटर गुनगुने पानी मे एक चम्मच खाने का सोडा डालकर तैयार किया हुआ पानी इस कार्य के लिए उपयुक्त होता है। अथवा एक लीटर पीन में एक चम्मच सिरका डालकर भी धोल बनाया जा सकता है। कई महिलाओं द्वारा पूरे क्षेत्र में दही लगाकर सफाई करने से भी लाभ होता देखा गया है। यह प्रक्रिया सबसे प्रभावशाली होती है जब संक्रमण की शुरूआत होते ही इसका प्रयोग कर लिया जाए, जब लक्षण बिल्कुल प्रारंभिक हों।
4. अपने शरीर के बारे में सही जानकारी तथा उसकी क्रियाओं के प्रति संवेदनशील जागरूकता अनावश्क भय तथा ग्लानि का विपरीत अस्त्र है, तथा प्रत्येक महिला के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सहायक भी। प्राकृतिक क्रमों तथा परिवर्तनों की सही जानकारी किसी भी शारीरिक एवं मानसिक समस्या के प्रारंभिक पहचान का आधार है। नियमित आत्मनिरीक्षण और योगाभ्यास इसी समझ को बढ़ाता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. रोग और योग–स्वामी सत्यानन्द सरस्वती– योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट मुंगेर बिहार भारत 1998.
2. दमा मधुमेह और योग– स्वामी सत्यानन्द सरस्वती– योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट मुंगेर बिहार भारत 1980.
3. Yogic Management of common diseases- Dr. Swami Karmananda- स्वामी सत्यानन्द सरस्वती– योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट मुंगेर बिहार भारत 1983

4. Yogic Management- Dr. Sujit chandratreya 1997
5. Asan Meditation the text book of yoga sivananda meditation 2001. Anandmur TI gurumm.
6. सत्यपाल– वैज्ञानिक योगासन और स्वास्थ्य किताब घर दिल्ली 1994
7. NAV YOGNI TANTRA योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट मुंगेर बिहार भारत 2003
8. स्वामी सत्यानंद सरस्वती योग निद्रा बिहार स्कूल आफ योगा 1971
9. नन्दलाल दशोंर ध्यान योग चिकित्सा रणधीर प्रकाशन हरिद्वार संस्करण 2001
10. प्राणायाम स्वामी कुवल्यनंद प्रकाशन केवल धाम पूणे
11. आसन स्वामी कुवल्यानंद केवल्यधाम पूणे
12. प्राणायाम मुद्रा बंध स्वामी सत्यानंद सरस्वती योग पब्लिकेशन ट्रस्ट मुगेल बिहार
13. Kumar K. 2004yoga Mudrabd uts impact on student yoga minansa, kaiaval Yadham Lanavola vol. 36

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 5 June 2019

भक्ति ज्ञान का अन्योन्यसम्बन्ध

श्री अवधेश कुमार द्विवेदी
शोध छात्र, बरकत्तुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल
प्रो. के.बी. पण्डा
शोध निर्देशक, बरकत्तुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल

भारत ज्ञान के क्षेत्र में सदैव अग्रणी रहा है, अध्यात्म जगत में तो सनातनकाल से ही भारतवर्ष व् विश्वगुरु का दर्जा प्राप्त रहा हैं। ज्ञान का तात्त्विक अनुभव उद्गार एवं अनुसन्धान मानवमात्र ही कर सकता है। ज्ञान के बिना कार्यो सन्दर्भों में कुशल हो पाना सम्भव नहीं है। दार्शनिक एवं अध्यात्मिक ग्रन्थ श्रीमद्भागवतद्गीता में ज्ञान से बड़ा मित्र व ज्ञान के बिना मुक्त हो पाना अध्यात्मिक एवं लौकिक मानव के लिए सम्भव नहीं हैं।

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रामिह विद्यते।
तत्स्वयं योगसँसि(कालेनात्मनि विन्दति।
(श्रीमद्भागवत **4/38**)

ज्ञान की उत्तरोत्तर वृत्ति में जिस तत्व की उपादेयता नबधिक है वे हैं भक्ति अर्थात अभ्यास भक्ति और ज्ञान का चिन्तन अनेक शास्त्रों में समीचीन रूप से सन्निहित हैं।

इन दोनों पक्षों पर चिन्तन करने में पहले यह समझ लेना चाहिए कि भक्ति पद का प्रयोग नहीं होता है! वैदिकों के दृष्ट में कर्म, उपासना और ज्ञान। ये तीन साधन प्राणियों के कल्याणके मूल हैं, कर्म से मल से निवृत्ति उपासना से विछेप की निवृत्ति और ज्ञान से आवरण की निवृत्ति होती है। वस्तुतः स्व–से–सर्व गन्तव्य तक पहुंचने की यात्रा के मार्ग में भक्ति और ज्ञान रथ के दो चक्र है। एक चक्र से रथ नहीं चलता भक्ति या केवल ज्ञान से परम पुरूषार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती।

'यज्ज्ञानान्मतो भवति' (नारद भक्ति सूत्र – ६) भक्ति करके नही भक्ति का ज्ञान होने से भक्ति को ठीक–ठीक समझ जाने से ही परब्रह्य तक की यात्रा पूर्ण होती हैं। भक्ति मनुष्य के हृदय में स्वभाविक रूप से है उसे ही से लाना नहीं है। प्रेम करना तो प्रणी मात्र या स्वाभाव हैं। कोई जाति भक्त, कोई देर भक्त, कोई धन मक्त, कोई पत्नी या पुत्र भक्त, कोई देश भक्त, कोई पद–प्रतिष्ठा अथवा किसी बाद विशेष के भी भक्त लोग हैं। भक्ति के बिना कोई हृदय नही है, किन्तु मनुष्य अपने हृदय की भक्ति कही न कही जोड़ देता है। यह ज्ञान ठीक–ठीक हो जाये की हृदय की भक्ति संसार में कहीं जोडने की नही हैं। वह तो परब्रम्ह परमत्मा से है। पद्मपुराण के अन्तर्गत श्रीमदभागवत् महात्म में यह चक्र ज्ञान भक्ति प्रसूत है। इसको भूलना नही चहिए।

अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयोमती।
ज्ञान वैराग्यनामानौ कालयोगेन जर्जरौ।।
(श्रीमद्भागवत माहात्म **1/45**)

इन दोनो को इस प्रकार समझना चाहिए जैसे एक पथिक जो आगे बढ़ता है, तो आंख उसे आगे का मार्ग प्रकाशित करता है, देखता–चलता है आगे बढ़ना भक्ति है और मार्ग दिखाना ज्ञान है। जैसे–जैसे आगे बढ़ता है वैसे–वैसे आगे का मार्ग दिखाई पड़ता जाता है। यादि आगे न बढ़े, भक्ति न करे तो आगे का मार्ग न दिखाई पड़ेगा।

यथा यथाऽऽत्मा परिमृज्यतेऽसौ
मत्पुण्य गाथाश्रवणाभिधानैः।
तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं
चक्षुर्यथैवाञजाजनसम्प्रयुक्तम्।।
(श्रीमद्भागवत **11/14/26**)

उसी ज्ञान से परमात्मा तत्त्व भक्ति का बोध होता है तो प्रभु आपसे विलग नहीं वह आपके हृदय में ही है। उसे आपको ढूढने नहीं जाना वह आपको दूढते आयेगा। जैसे रामचरितमानस में सुतीळछण के पास भगवान् मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम आश्रम में आकर सुतीळछण जी को हिलाया जल छिड़का उनके ऊपर इत्यादि प्रयास किये।

मुनो अगस्त कर सिष्य सुजाना। नाम सुतीछन रति भगवाना।।
दिसि अरू विदिसि पंथ नहीं सूझा। को मैं चलेउ कहां नहीं बूझा।।
कबहुंक फिर पीछे पुनि जाई।
मुनिहिं राम वहु भांति जगावा। जाग न ध्यानजनित सुखपावा।

(रामचरितमानस अरण्यकाण्ड दोहा 9 के आगे)

यही स्थिति श्रीमद्भागवत जी में प्रहलाद जी की हुई उन्हें ऐसा ज्ञान पड़ता कि भगवान् मुझे अपनी गोद में लेकर अलिंगन कर रहे हैं, कभी–कभी भगवान मुझे छोड़कर चले गये, इस भावना में उनका हृदय इतना डूब ज्ञाता कि वे जोर–जोर से रोने लगते। कभी मन–ही–मन उन्हें अपने सामने पाकर आनन्दोद्रेकसे ठहाके मारकर हंसने लगते कभी उनके ध्यान के मधुर आनन्द का अनुभव करके जोर से गाने लगते।

न्यस्तक्रीडनको बालो जडवतन्मनस्तया ।।
कृष्णग्रहगृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम् ।।
आसीनः पर्यटन्नश्नन् श्यानः प्रपिबन् ब्रुवन्।
नानुसन्धत्त एतानि गोविन्दपरिरम्भितः ।।
क्वचि(ति वैकुर्न्ठाचिन्ताकक्तचेतनः।
क्वाचिद्वसति तच्चिन्ताल्हाव उद्गायति क्वचित् ॥

(श्रीमद्भागवत 7/4/37–39)

वस्तुतः ज्ञानमार्गी को आवश्यक कतै नही कि वह अभक्त हो, या भक्ति मार्गी को अज्ञानी होना। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग पुरूष में ज्ञान–अज्ञान का कतै भेद नहीं है। भक्ति का सीधा अर्थ है कि अन्नयता, निष्ठा, तन्मुखता और भगवान में अद्वितीय प्रेम अहेतुक मनोनगती और ज्ञान का सीधा सा अर्थ है। जिससे प्रेम किया जाय उसका संगत समीचीन परिचय उसका ज्ञान।

तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं
चक्षुर्यथैवाञ्जनसम्प्रयुक्तम्।।

(श्रीमद्भागवत 11/14/26)

आपका भगवत चर्चा में जितना अधिक मन लागेगा उतना–उतना बोध होता जायेगा और विषयों से विरति होती जायेगी आपका ज्ञान बढ़ता जायेगा आत्मोन्मुखता बढ़ती जायेगी, भक्ति के बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान विन भक्ति नहीं। रामचरित मानस में गोस्वामी जी कहते है। यह ज्ञान व भक्ति एक दूसरे के पूरक है या दोनों में समता है।

जानें विनु न होई परतीती। विनु परतीत होई नहींप्रीती।।
प्रीति विना भगति दिढाई। जिमि खगपति जल के चिकनाई।।

(रामचरितमानस)

यद्यपि शास्त्रों में भक्ति और ज्ञान के स्वरूप का अलग–अलग रूपों में बताया गया है। किन्तु तात्विकरूप से सभी का मत एक है निष्कर्ष पहुँचता है। कि साधक भक्ति की जितनी श्रेष्ठता को प्राप्त करता जाएगा। उसका मस्तिष्क उतना ही उज्जवल होता जायेगा। अर्थात उसका ज्ञान भी बढ़ता जाएगा। ज्ञान की पराकाष्ठा की अवस्था से साधक को अनेक राहस्यों को सम्यक बोध होता जाता है। यही उक्त दोनो का अबबोध रस है। वस्तुतः लौकिक पथ के आपेक्ष पथिक जैसे–जैसे आगे बढ़ते है वैसे–वैसे दोनो निकट आजाते है। ठीक इसी प्रकार भक्ति और ज्ञानरूपी चिन्तन के लोकिक सापेक्ष पथिक की भांति ज्ञान के के पथ पर जैसे–जैसे आगे बढ़ते जाते है। वैसे–वैसे वह उक्त दोनों तत्वों के सूक्ष्म स्वरूप के समीप आ जाते है और वह मुक्त आनन्ददि अवस्थाओं को प्राप्त कर लेते है। वस्तुतः भक्ति और ज्ञान का स्वरूप जो शास्त्रों मे बाताया गया है। वह लौकिक दृष्टि में भले ही पूरक प्रतीत नही होता हो परन्तु अध्यात्मिक अथवा सूक्ष्म दृष्टि से उक्त तत्वों का स्वरूप सम्बंध एक दूसरे के पूरक सत्य प्रतीत होता है।

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 5 June 2019

अनुसूचित जनजातियों के सांस्कृतिक आर्थिक विकास का भौगोलिक अध्ययन (डिण्डौरी जिले के संदर्भ में)

शिवेन्द्र कुमार धुर्वे
शोधार्थी, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
डॉ. शिव कुमार दुबे
प्राध्यापक, पं. शम्भूनाथ शुक्ल शास. स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय, शहडोल (म.प्र.)

शोध सारांश :– किसी विषय के अध्ययन एवं शोध कार्य में प्रयुक्त विभिन्न विधियॉ उनके विषय वस्तु को सुनिश्चित कर वैज्ञानिक विश्लेषण में सहायता करती है। जिससे उसकी स्पष्टता, प्रभावकता एवं सेचंकता में वृद्धि होती है, साथ ही इन विधियों के प्रयोग से शोध कर्त्ताओं, नियोजकों एवं अध्येताओं के कार्य सुगम होते हैं। अतः मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजातियों के सास्कृतिक विकास पर आदिवासी विकास कार्यक्रमों के प्रभाव का विश्लेषण के सन्दर्भ में अध्ययन की सरलता एवं वैज्ञानिक विश्लेषण में विभिन्न सांख्यकीय विधियों एवं अनुसंधान पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। अनुसूचित जनजतियों का सामाजिक स्तर, रहन सहन, खान पान, रीति–रिवाज, धार्मिक मान्यताऐं तथा आर्थिक स्तर के अंतर्गत, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं अन्य आर्थिक क्रियाऐं, जनजातीय पर्यावरण अवस्थित शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाऐं, सरकार की विभिन्न आदिवासी विकास से सम्बन्धित कार्यक्रम एवं योजनाए सें, योजनओं के क्रियान्वयन की स्थिति तथा विकास कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन एवं विश्लेषण करने हेतु क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि से प्राप्त प्राथमिक आंकड़ों का संकलन एवं सृजन कर सांख्यिकीय विधियों के प्रयोग के साथ क्षेत्रीय विश्लेषण किया गया है।

प्रस्तावना :– भारत एक विशाल देश है, जो अपनी भौगोलिक विविधिता एवं क्षेत्रफल के कारण संपूर्ण विश्व में सॉतवा स्थान रखता है, जहॉ विभिन्न धर्म, सम्प्रदाय एवं प्रजाति के लोग निवास करते हैं। भारत को धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रजातीय एवं जातिगत विविधिता के कारण विभिन्न प्रजातियों का अजायब घर कहा गया है। भारत के मध्य भाग में स्थित मध्यप्रदेश देश का एक महत्वपूर्ण प्रदेश है, जहॉ संपूर्ण भारत की कुल जनजातीय जनसंख्या का 22.06 प्रतिशत जनजाति मध्यप्रदेश में निवास करती है। प्रदेश की कुल जनसंख्या में 20.27 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजातियों की पायी जाती है। भारत में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग दस करोड़ अनुसूचित जनजाति की आबादी अकेले मध्यप्रदेश में है। इस प्रकार प्रदेश में सर्वाधिक प्रकार की अनुसूचित जनजातियों की संख्या है, यहॉ कुल 47 प्रकार की अनुसूचित जनजाति वैधानिक रूप से वर्तमान में सूचीबद्ध है।

मध्यप्रदेश के विभिन्न पठारों में अनेक प्रकार की अनुसूचित जनजातियों का संकेन्द्रण है, उन्हीं में से अध्ययन का क्षेत्र डिण्डौरी अपनी जातिगत जनसंख्या एवं जनांकिकीय विशेषताओं के सम्बंध में विविधिता लिए हुए है। मण्डला – डिण्डौरी पठार में अनुसूचित जनजाति की दृष्टिकोण से यहॉ बैगा, गोड़, अगरिया, पनिका, खैरवार, भारिया, कोल आदि प्रमुखता से निवास करती है। इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख एवं बड़ी जनजाति बैगा,गोड़ जनजाति है।

मध्यप्रदेश के डिण्डौरी जिले में आने वाले सभी 9 विकासखण्डों में सभी प्रकार की अनुसूचित जनजातियों का संकेन्द्रण पाया जाता है। यहॉ कुल जनसंख्या का 50.18 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है। यहॉ की जनजातियॉ राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यंत पिछड़ी हुई है, इनके समग्र विकास के लिए सभी शासकीय प्रयास एवं आदिवासी विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बाद भी स्थिति में अपेक्षाकृत बदलाव नहीं आया।

डिण्डौरी की अनुसूचित जनजातियों में निरक्षरता, अशिक्षा, कुपोषण जनित बीमारियॉ, निर्धनता, भुखमरी, खाद्य उपलब्धता की समस्या, जनाधिक्य की समस्या, आवास समस्या, अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियॉ, धार्मिक मान्यताऐं, परम्परागत रीतिरिवाज, जल संसाधन की अनुपलब्धता तकनीकी एवं राजनैतिक समस्या को शोध के माध्यम से प्रकाश में लाने का एक प्रयास है।

शोध प्रविधि

अध्यन का उद्देश्य :– प्रस्तुत शोध कार्य अथवा अध्ययन को पूर्ण करने के लिए निम्न उद्देश्यों को विशेषतौर पर ध्यान में रखा गया है–

अनुसूचित जनजाति की पारम्परिक समाज–राजनैतिक संरचना के तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में निम्नांकित उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है–

1. डिण्डौरी जिले के अनुसूचित जनजाति की पारम्परिक सांस्कृतिक और आर्थिक संरचना का अध्ययन करना।
2. मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजातियों की संस्कृतिक विकास का अध्ययन करना एवं इनकी सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक प्रणाली का देश के दूसरे समुदायों पर प्रभाव का अध्ययन करना।
3. जनजातियों विशेषकर अनुसूचित जनजाति की संस्कृतिक तथा सामाजिक संरचना पर बाह्य समाज के विविध हलचलों के प्रभाव का अध्ययन।
4. संस्कृतिक विकास जनांकिकीय के रहस्यों तथा उसके विविध सोपानों का अध्ययन करना।
5. अध्ययन क्षेत्र के अनुसूचित जातियाँ अपने को वंश से संबन्धित होने का दावा करती है, उनके दावे की प्राथमिकता की जाँच करना।
6. अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक सामाजिक व्यवस्था में अर्न्तनिहित मूल्यों का अध्ययन करना तथा उनकी वर्तमान समय में उपयोगिता तथा उपादेयता का अध्ययन करना।

वैज्ञानिक प्रविधि :– वैज्ञानिक प्रविधि में द्वितीयक एवं प्राथमिक दोनों ही आंकड़ों का संकलन किया गया है। द्वितीयक आंकड़ों में जिला सांख्यिकीय पुस्तिका, कृषि विभाग प्रतिवेदन, शोध साहित्य एवं शोध प्रपत्र आदि प्रतिवेदन के माध्यम से प्राप्त किया गया है। प्राथमिक आंकड़ों में अवलोकन तथा साक्षात्कार का माध्यम रखा गया है।

उपकल्पना :– शोध प्रपत्र हेतु जिला डिण्डौरी के संदर्भ में भूमि उपयोग एवं कृषि परिवर्तन के संबंध में उपकल्पनाओं के रूप में निम्न बिन्दु स्पष्ट है–

1. अध्ययन क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों का जनांकिकीय परिवर्तन हो रहा है।
2. अध्ययन क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है।
3. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबन्धित प्रभावी योजनाओं का निर्माण हा रहा है।

स्थिति एवं विस्तार :– डिण्डौरी जिले की भौगोलिक स्थिति $22^0 17'$ से $23^0 17'$ उत्तरी अक्षांश एवं $80^0 41'$ से $81^0 41'$ पूर्वी देशान्तरों के मध्य निहित है। समुद्र सतह से इसकी ऊँचाई अधिकतम 1100 मीटर एवं न्यूनतम ऊँचाई 885 मीटर है। डिण्डौरी जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 6128 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है।

भौतिक उच्चावच स्वरूप :– इस क्षेत्र के भौतिक स्वरूप में सतपुड़ा श्रेणी भौतिक प्रदेश के पूर्वी और उत्तर दक्षिणी भाग में फैली मैकाल श्रेणी आते हैं। डिण्डौरी जिले में ऊँची–नीची पहाड़ियों के समूह और मैकाल श्रेणी की उपश्रृँखलाएँ फैली हुई हैं। इन पहाड़ियों और उपश्रृँखलाओं की ऊँचाई पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती जाती हैं। इस जिले का अधिकतम ऊँचा भू–भाग चाऊरादादर पठारी क्षेत्र है, जो डिण्डौरी जिले के पूर्व में स्थित है। चाऊरादादर पठारी भाग डिण्डौरी जिले को छत्तीसगढ़ राज्य के बड़े निम्न भू–भागों से अलग करता है। जिले के पूर्वी भाग में पहाड़ों और खडे ढाल वाले भाग अधिक हैं। ये क्षेत्र नर्मदा नदी बेसिन के सहारे–सहारे फैले हुए हैं। डिण्डौरी जिले के इन्हीं क्षेत्रों में उत्पन्न हुये, छोटी–छोटी नदियों के उपजाऊ भू–भाग हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण नदी बेसिन हैं। मछार, चकरार, खेरमेर, सिवनी और तार नदी बेसिन। मैकाल की मुख्य श्रृँखला नर्मदा नदी के उद्भव से शुरू होकर बाद में उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं। ये श्रृँखला व पहाड़ियों समूह जिले के शहपुरा विकास खण्ड क्षेत्र में चौड़ी होकर ऊबड़–खाबड़ और पहाड़ीयुक्त धरातल बनाती है। मैकाल श्रेणी श्रृँखलाओं के अन्तर्गत डिण्डौरी जिले में विभिन्न स्थानों पर ऊँचाईयों में विभिन्नताएँ मिलती हैं। ये ऊचाईयाँ 1345 फीट से 3454 फीट के बीच है। नर्मदा नदी की ऊपरी घाटी में औसत ऊँचाई 2550 फीट है। इस श्रेणी के अन्तर्गत मंडला से लगे हुए जिले में किटेशियस युग की चट्टानें मिलती हैं।

अपवाह तंत्र :– नर्मदा नदी डिण्डौरी जिले की प्रमुख नदी है जो भारतीय प्रायद्वीप के मध्य भाग में अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। नर्मदा नदी अमरकंटक की सूरम्य पहाड़ियों से निकलकर डिण्डौरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, खण्डवा, खरगोन आदि जिलों में प्रवाहित होती हुई भरूच के निकट खम्भात की खाड़ी में गिरती है। मध्यप्रदेश में

इसका कुल अपवाह क्षेत्र 86,000 किलोमीटर है। नर्मदा नदी के अलावा अन्य छोटी–छोटी नदियाँ भी डिण्डौरी जिले के अपवाह तंत्र का निर्माण करती है।

जलवायु :– डिण्डौरी जिले के तीस वर्षो के आँकड़ों के अनुसार, औसत न्यूनतम व अधिकतम तापमान शीत ऋतु में नवम्बर से मार्च के माह में 3.2^0 से. से 15.2^0 से. तथा 27.8^0 से. से 36.6^0 से. के बीच सामान्यतः रहता है। ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम गर्म माह मई का होता है। इस माह में अधिकतम तापमान 42^0 से. के आस–पास रिकॉर्ड किया गया है। वर्षा ऋतु के महीनों में अधिकतम तापमान 37^0 से. के ऊपर रहता है। साधारणतः ग्रीष्म ऋतु मृदुल होती है लेकिन शीत ऋतु थोड़ी अधिक ठंडी होती है। शीत ऋतु में कभी–कभी कुहरे और ओलावृष्टि जैसी मौसमी दशाओं के कारण रबी की फसलों को हानि पहुँचती है।

सारणी क्र. 1

तापमान का वार्षिक औसत (सें.ग्रे. में)

वर्ष	माह का अधिकतम	माह का न्यूनतम
1999	44.6	4.7
2000	44.3	4.6
2001	43.0	2.5
2002	43.8	3.1
2003	45.0	3.4

आरेख क्र.1

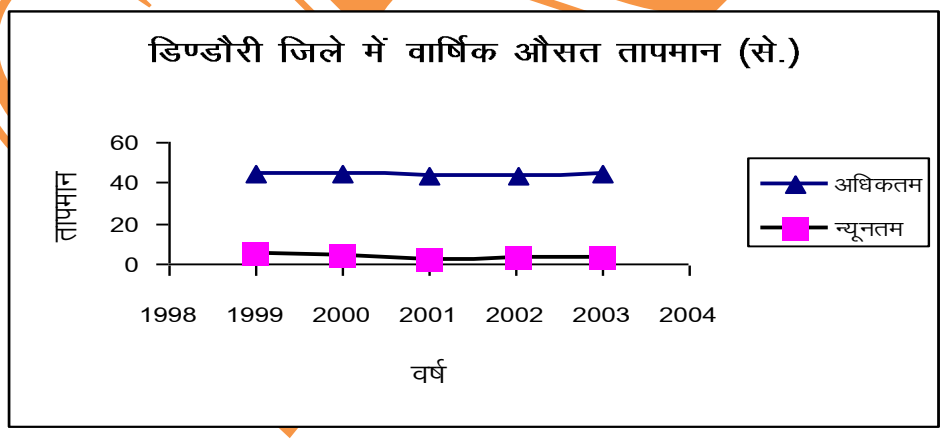

वर्षा :– अधिकांश वर्षा डिण्डौरी जिले में मानसून के माह में जून और मई के मध्य होती है। औसतन वार्षिक वर्षा में कभी–कभी कमी या वृद्धि देखी गई है। आँकड़ों के अनुसार 1999–2000 में औसत वार्षिक वर्षा जून और मई माह में 888.2 मि.मी. रिकॉर्ड की गई है जो 2002–2001 में बढ़कर 1163.6 मि.मी. हो गई। पिछले वर्ष की तुलना में 2000–2001 में वार्षिक वर्षा में 275.4 मि.मी. वृद्धि हुई है। वर्ष 2001–2002 में वार्षिक वर्षा में फिर कमी आई, पिछले वर्ष की तुलना में 174.1 मि.मी. वर्षा कम हुई थी। वर्ष 2002–2003 में वार्षिक वर्षा 1534.1 मि.मी. तथा 2003 से 2004 में वार्षिक वर्षा 1531.9 मी.मी. हुई है जिसमें तुलना करने पर बहुत कम अन्तर पाया गया है। डिण्डौरी जिले में वर्ष 2003–2004 में सर्वाधिक वर्षा शहपुरा विकासखण्ड में रिकॉर्ड की गई है, लगभग 1681.6 मी.मी.। सबसे कम वर्षा बजाग विकासखण्ड में 1293.0 मी.मी. रिकॉर्ड हुई है।

सारणी क. 2

डिण्डौरी जिले में औसत वार्षिक वर्षा (जून से मई मिलीमीटर में)

वर्ष	औसत वर्षा
1999–2000	888.2
2000–2001	1163.6
2001–2002	989.5
2002–2003	1534.1
2003–2004	1531.99

स्त्रोत : भू अभिलेख विभाग

पवनें :– जून से लेकर नवम्बर के माह के मध्य डिण्डौरी जिले में वायु की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है तथा कुछ क्षेत्रों में इन माह में पवनों की दिशा पूर्व से उत्तर पश्चिम भी होती है। दिसम्बर से मई के माह के मध्य वायु के चलने की दिशा पश्चिम से पूर्व और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। सामान्यतः वर्ष पर्यन्त वायु सामान्य गति से प्रवाहित होती है, पर कुछ वायु विक्षोभ मानसून और ग्रीष्म ऋतु के माहों में आते हैं। गर्म वायु केवल अप्रैल के मध्य से जून के पहले सप्ताह तक ही प्रवाहित होती है।

आर्द्रता :– डिण्डौरी जिले में उपलब्ध रिकॉर्डों के आधार पर सापेक्षिक आर्द्रता का अनुमान लगाया जा सकता है कि वर्ष के मार्च, अप्रैल और मई के महीने को छोड़ कर शेष महीनों में सापेक्षिक आर्द्रता अधिक रहती है।

मृदा :– मृदा डिण्डौरी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की पायी जाती है। इसमें कंकरीली से बजरीयुक्त मृदा, घटिया विन्यास वाली मृदा, लाल मृदा, मिश्रित और काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, छिछली काली मृदा और मध्यम काली मृदा से गहरी काली मृदा विभिन्न क्षेत्रों (भागों) में पाई जाती हैं। नदियों के किनारे और पहाड़ियों के निचले क्षेत्रों में पीली–लाल और पीली–काली रेतीली उपजाऊ और चिकनी उपजाऊ मृदा मिलती है।

जनसंख्या :–

सारणी क. 3

जनसंख्या (1901 से 2011 तक)

जनगणना वर्श	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी	जनसंख्या
1901	13260.8	318381
1911	13260.8	405234
1921	13260.8	386446
1931	13260.8	445766
1941	13260.8	504580
1951	13260.8	547620
1961	13260.8	684530
1971	13260.8	873577
1981	13260.8	1037394
1991	6128	511849
2001	6128	580730
2011	6128	704218

स्त्रोंत – जिला सांख्यकीय विभाग डिण्डौरी (म.प्र.) एवं जिला निर्वाचन कार्यालय

आरेख क्र.2
जनसंख्या (1901 से 2011 तक)

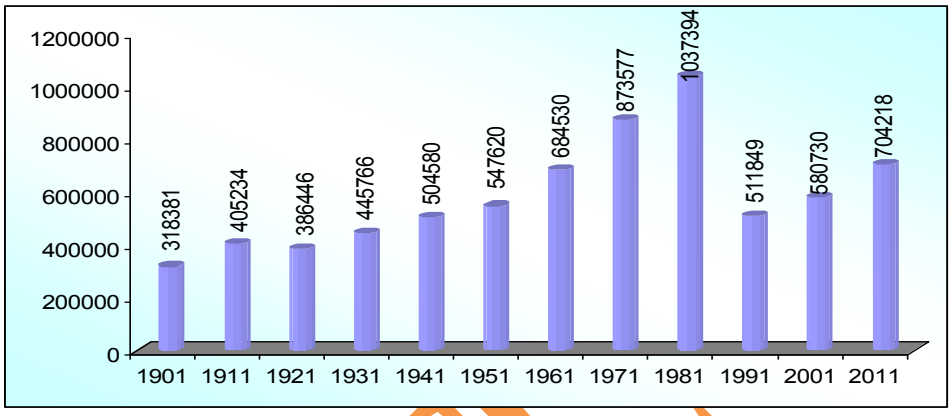

उपरोक्त सारणी के आधार पर डिण्डौरी जिला की जनसंख्या प्रत्येक दशक में बहुतायत से बढ़ रही हैं जिससे कि भूभागों की कमी के कारण वनों के क्षेत्र पर प्रभाव देखने को मिलता हैं

किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या वितरण प्राकृतिक, सामाजिक, जनांकिकीय, आर्थिक, राजनीतिक, तथा ऐतिहासिक कारकों द्वारा जनसंख्या के प्रमुख कारक होते हैं। ये कारक ऐसे स्थान पर अधिक उपयोगी होते हैं। जहां जनसंख्या का बसाव होता हैं। जहाँ उपयुक्त सुविधाओं से दूर स्थानों पर जनसंख्या का बसाव कम होता है इस प्रकार जनसंख्या को सांस्कृतिक, आर्थिक व्यवस्था, तकनीकी विकास, आदि प्रमुख रूप से भूमिका निभाते है। डिण्डौरी जिला का कुल क्षेत्रफल 6319 वर्ग कि.मी. है तथा इसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 704218 हैं। एवं 2011के अनुसार जनसंख्या का घनत्व 94 हैं तथा जनगणना के अनुसार डिण्डौरी जिला का प्रति हजार पुरूषों पर महिलओं की जनसंख्या डिण्डौरी – 2001– 912, 2011–924, तथा शहपुरा तहशील में 1991– 939, 2001–952 रही। 2001 के अन्तिम आँकडो के अनुसार डिण्डौरी जिला में साक्षरता का प्रतिशत 54. 2% जिसमे पुरूषों की साक्षरता दर 70.01% हैं एवं महिलाओं की साक्षरता दर 68.05% हैं। 2001–2011 के अन्तिम आँकड़ो के अनुसार डिण्डौरी जिला में साक्षरता का प्रतिशत 65.5% जिसमे पुरूषों की साक्षरता दर 77.7% हैं एवं महिलाओं की साक्षरता दर 67.06% हैं। की जनगणना के अनुसार डिण्डौरी जिला की जनसंख्या की 16.5% नगरीय अधिवास और 83. 5% भाग ग्रामीण अधिवास में निवास करता हैं।

जनसख्या का घनत्व

सारणी क्र. 4
जनसख्या का घनत्व (1901 से 2011 तक)

जनगणना वर्ष	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.	जनसंख्या घनत्व/वर्ग कि.मी.
1901	13260.8	24
1911	13260.8	31
1921	13260.8	29
1931	13260.8	34
1941	13260.8	38
1951	13260.8	41
1961	13260.8	52
1971	13260.8	66
1981	13260.8	78
1991	6128	84

2001	6128	94
2011	6128	95

स्त्रोंत – जिला सांख्यकीय विभाग डिण्डौरी (म.प्र.) एवं जिला निर्वाचन कार्यालय

आरेख क्र. 3
जनसख्या का घनत्व

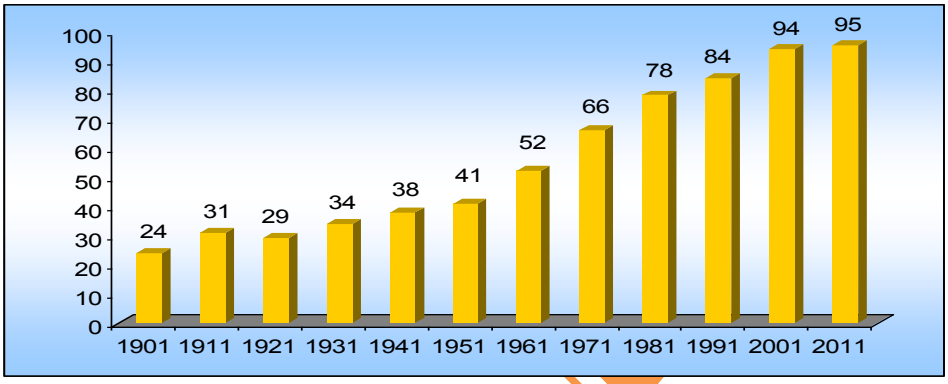

उपरोक्त सारणी में यह दर्शाया गया है कि डिण्डौरी जिला में लगातार जनसंख्या का घनत्व बढता जा रहा हैं। किसी भी क्षेत्र और जनसंख्या के अर्न्तसम्बंध की मात्रात्मक अभिव्यक्ति विभिन्न प्रकार के घनत्वों के क्षेत्रीय वितरण से सम्बंधित होता हैं। एवं यही मापक वास्तविक रूप में धरातल पर जनसंख्या के भार को स्पश्ट करने के लिए सक्षम होता हैं सामान्यता कुल क्षेत्र और कुल जनसंख्या के अनुपात को हम सामान्य घनत्व कहाँ जाता हैं इससें क्षेत्रीय इकाई के सन्दर्भ के कुल जनसंख्या के औसत का बांध होता हैं इसलिए सम्पूर्ण क्षेत्रफल के लिए जनसंख्या का वितरण की तुलना आसान हो जाती हैं।

डिण्डौरी जिला की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 704218 थी। स्न 1998 में डिण्डौरी मंडला जिला सें अलग होने के कारण क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में परिर्वतन हो गया है डिण्डौरी जिला जनसंख्या 2011के आंकडे के अनुसार जिला का घनत्व 94 प्रतिवर्ग किलोमीटर हो गई हैं। जिसमे पुरूषों जनसंख्या 351344 तथा महिलाओं की संख्या 352874 हैं। वर्ष 1998 में डिण्डौरी जिला मण्डला जिला सें अलग होने के कारण क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में परिर्वतन हुआ हैं।

जनसंख्या लिंगानुसार (2001–2011) :– भारत में लिंगानुपात 1000 पुरूषो मे महिलाओं की कितनी संख्या हैं उस संख्या को लिंगानुपात कहते हैं मध्यप्रदेश में 1000 पुरूशो में महिलाएं 919 है जबकि जिला में 1991 के अनुसार 1000 पुरूषों 895 तथा शहपुरा में 939 एवं 2001 में जिला का लिगानुपात 941 तथा शहपुरा का 952 हैं। 2001 में 912 वही 2011 में 924 लिगांनुपात हो गया हैं।

सारणो क्र.5
लिंगानुसार जनसंख्या

नगर का नाम	जनसंख्या					
	पुरूश		स्त्री		1991–2001 के दशक में जनसंख्या के प्रतिशत में अन्तर	प्रति हजारों पुरूषों पर स्त्रियों संख्या
	2001	2011	2001	2011	2001	2011
डिण्डौरी	291716	351344	289014	352874	912	924

स्त्रोत – जिला सांख्यकीय विभाग डिण्डौरी (म.प्र.)

उपरोक्त सारणी के अनुसार डिण्डौरी जिला में 2001 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या 291716 एवं 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या 351344 पुरूषों की संख्या पाई जाती है। एवं महिलाओं की संख्या 2001 में 289014 एवं 2011 में 352874 है। एवं लिगांनुसार 2001 में 912 एवं 2011 में 924 हैं।

सारणी क्र.6
ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या

जि/तह./विखंड़	ग्रामीण			शहरी/नगरीय			कुल जनसंख्या सें ग्रामीण का प्रतिशत		
	पुरूष	स्त्री	योग	पुरूष	स्त्री	योग	पुरूष	स्त्री	योग
जि.डिण्डौरी	277902	275958	553860	13814	13056	26870	47.85	47.52	95.37
डिण्डौरी	53583	53425	107008	8974	8448	17422	43.06	42.96	86.00
अमरपुर	30308	30396	60704	—	—	—	49.93	50.07	100
समनापुर	35221	34670	69891	—	—	—	50.39	49.61	100
बजाग	37224	35387	71611	—	—	—	50.58	49.41	100
करंजिया	37676	37325	75001	—	—	—	50.23	49.77	100
योग	**193012**	**191203**	**384215**	**8974**	**8448**	**17422**	**48.06**	**42.61**	**95.66**
शहपुरा	51491	51358	102849	4840	4608	9448	45.85	45.73	91.59
मेंहदवानी	33399	33397	66796	—	—	—	50.00	50.00	100
योग	**84890**	**84755**	**169645**	**4840**	**4608**	**9448**	**47.93**	**47.87**	**95.80**

स्त्रोत – जिला सांख्यकीय विभाग निर्वाचन कार्यालय डिण्डौरी, जिला

डिण्डौरी जिला की जनसंख्या लिंगानुपात में ज्यादा अन्तर पायी गयी हैं। इसके अर्न्तगत ग्रामीण जनसंख्या के लिंगानुपात में पुरूष 277902 स्त्री 275958 जनसंख्या हैं। डिण्डौरी जिला के कुल जनसंख्या सें ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत यह हैं कि पुरूषों की संख्या 47.85 स्त्री 47.52 पायी गई हैं। जिसका कुल योग 95.37 हैं।

जनगणना के अनुसार साक्षरता की दर (विकासखण्ड) :– 2001 की अंतिम जनगणना के आकडों के अनुसार जिलें में साक्षरता दर 54.10 % थी जिसमें पुरूषों की साक्षरता का दर 70.41% तथा महिलाओं की साक्षरता का दर 30.40% थी साक्षरता जनसंख्या का एक संसाधन के रूप में मापक हैं। जिसके द्वारा भौगोलिक दृष्टि सें यह सामाजिक रूप में आर्थिक रूप में विकास का एक बहुआयामी सूचना के रूप में जनसंख्या का साक्षरता होती हैं। इसलिए किसी भी जिला या क्षेत्र के लिये साक्षरता का स्तर सामाजिक विकास, आर्थिक विकास का रूपान्तरण का एक कारक बनता हैं।

सारणी क्र. 7
जनगणना के अनुसार साक्षरता की दर (विकासखण्ड)

क्रमांक	जिला/तह./वि.ख.	स्त्री	पुरूष	योग
1	जिला डिण्डौरी	77.6	67.6	65.5
2	वि.ख. अमरपुर	26.35	58.08	48.18
3	समनापुर	24.31	56.77	47.84
4	बजाग	28.07	48.98	45.18
5	करंजिया	29.80	60.44	50.02
1	तह. शहपुरा	30.46	65.02	52.18
2	वि.ख. मेंहदवानी	22.11	53.50	49.50

आरेख क्र.4
जनगणना के अनुसार साक्षरता की दर (विकासखण्ड)

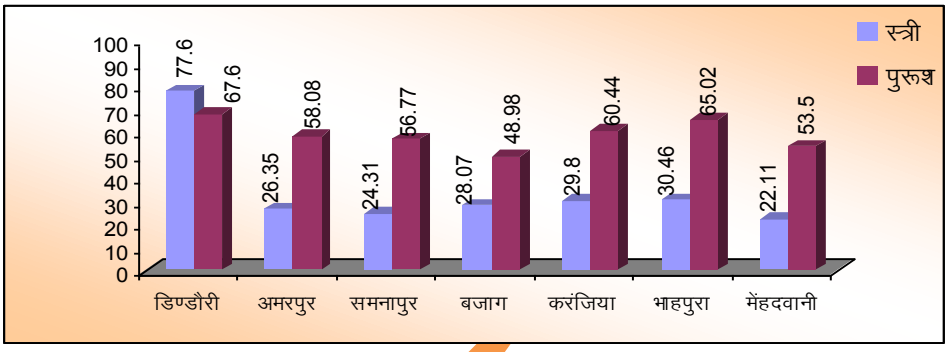

उपरोक्त सारणी के अनुसार 2001 की जनगणना के अनुसार सात वर्श या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति जो किसी भी अपनी क्षेत्रीय भाषा में लिख एवं पढ़ सकता हैं। उसें साक्षर माना जाता हैं। परन्तु जो पढ ही सकता हैं परन्तु लिख नही सकता वह साक्षर के श्रेणी में नही आता। इससे पहले की जनसंख्या में साक्षर की उम्र की सीमा 5 वर्ष थी। साक्षरता का दर अधिक तीव्र गति से डिण्डौरी जिला में भी बढ़ रहा हैं इसका मुख्य कारण यह है कि विभिन्न क्षेत्रों में विद्यालयो का विकास, साक्षरता के प्रति सरकार की विभिन्न नीतिया, सामान्य जनसंख्या में जनजागरूकता का विकास आदि कारणों से ही साक्षरता के दर में वृद्धि हो रही हैं।

शिक्षा :– डिण्डौरी जिला में वर्तमतान समय में शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता है। जिससे कि लोगों को इसका महत्व के बारे में बताया जाता है। जिससे कि शिक्षा के लिए जागरूक किया जा रहा है। जिससे कि उन्हें आगे लाने के लिए प्रत्येक ग्रामों में विद्यालय खोलें गये है। जिससे कि वे प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सके।

सारणी क्र. 8
ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय की स्थिति

प्रवृत्ति	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
अच्छी	40	80
खराब	5	10
पता नहीं	3	6
निरूत्तर	2	4
योग	50	100

आरेख क्र. 5
ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय की स्थिति

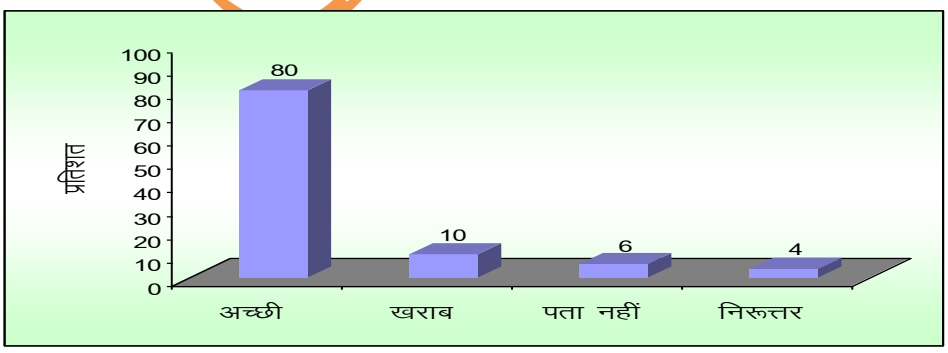

डिण्डौरी जिला के ग्रामों में प्राथमिक शाला सभी ग्रामों पाई गई हैं परन्तु माध्यमिक विद्यालय 5 से 10 कि.मी के अन्तराल में विद्यालय स्थापित है। जिसमें कई ग्रामों के बच्चें बहुत परिशान होते हैं। जों कि डिण्डौरी जिला में वास्तविक रूप में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों की स्थिति वर्तमान समय में सुधरती जा रही जिससे कि अब लोगों के द्वारा अपनें अपनें बच्चों को स्कूल जानें के लिए प्रेरित किया जाता हैं।

ग्रामीण लोगो की शिक्षा एवं महिलाओं की शिक्षा पर बल :– डिण्डौरी जिला में बैगा चक गाँव एवं विभिन्न वन ग्रामों में शिक्षा के स्तर कों बढानें के लिए विभिन्न गाँवों में विद्यालयों की स्थापना की गई हैं जिससे कि लोग पढ सके तथा उनका विकास हो सके इस कारण गाँव के लोगों महिलाओं को पढानें के लिए बाहर नही भेजा जाता है। जिससे कि वे आगे बढ नही सकते है। और उनका विकास नही हो पाता है। जिसके कारण महिलाओं की साक्षरता की दर कम है।

सारणी क्र.9

ग्रामीण परिवार में साक्षरता की स्थिति

प्रवृत्ति	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
हाँ	35	70
नहीं	5	10
कम मात्रा	10	20
निरूत्तर	0	0
योग	50	100

आरेख क्र. 6

ग्रामीण परिवार में साक्षरता की स्थिति

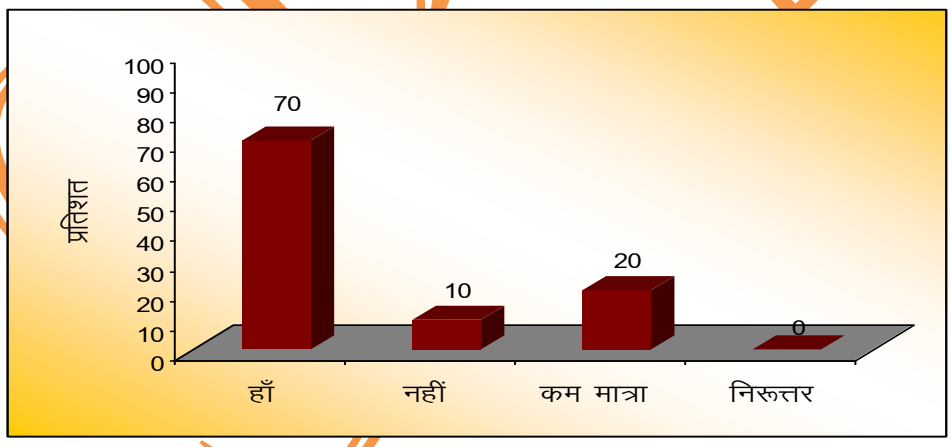

उपरोक्त सारणी के माध्यम से ग्रामीण परिवार में साक्षरता के लिए लोगों के द्वारा बच्चों कों प्रेरित किया जाता हैं जिससे बच्चे पढ़ लिख कर वास्तविकता को समझ सके एवं शिक्षा को अधिक महत्व दे सके।

अधिवास :– सांस्कृतिक भूदृश्य में अधिवास एक महत्वपूर्ण तत्व हैं। मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में घर या आवास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता हैं अधिवास, बस्ति मकान या घरों का झुण्ड हैं। जिसकी प्रारम्भिक प्रारूप यह हैं। जो घास, फुस की झोपडी या आधुनिक रूप से बनी इमारते अधिवास का स्वारूप कहलाती है। अर्थात मानव के निवास के लिए किसी भी प्रकार का अधिवास यहाँ तक की एक मकान, ग्रह भी अधिवास कहलाता हैं। निवासों के समूह के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द अधिवास कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकतें हैं कि धरातल का वह भाग जिसमें मानव अपने रहवास के लिए झोपडी, घर, मकान या इमारतों का प्रयोग करते हैं। जिसें हम अधिवास कहतें हैं।

सारणी क्र.10
ग्रामीण क्षेत्र में अधिवास का स्वरूप

प्रवृत्ति	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
सघन	10	20
विरल	25	50
बिखरा हुआ	12	24
अन्य	3	6
योग	50	100

आरेख क्र.7
ग्रामीण क्षेत्र में अधिवास का स्वरूप

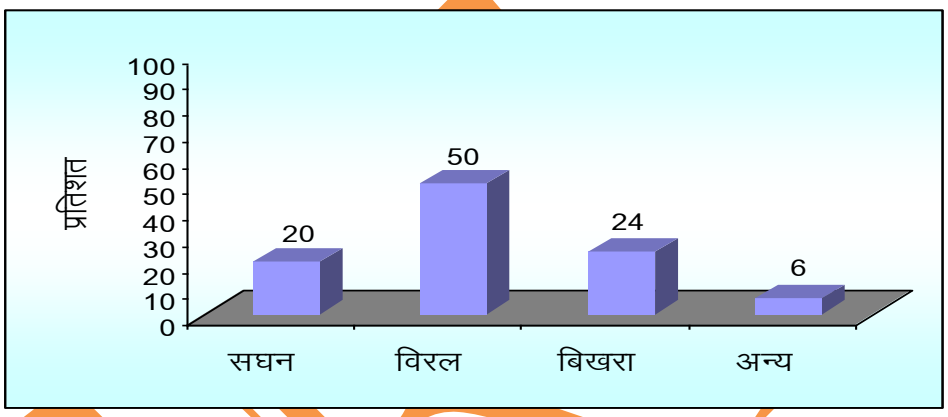

उपरोक्त सारणी के आधार पर डिण्डौरी जिला का अधिवास अधिक विरल एवं बिखरा हुआ मिलता हैं। डिण्डौरी जिला में 902 गाँव आतें हैं जो कि इनमें विरलें हैं। अधिकांशः मकान कच्चे एवं खप्पर वाले है जो कि 78% कच्चे मकान, पक्का मकान 13% घास पुस का मकान 9% डिण्डौरी जिला में अधिक गाँव हैं एवं यहां पर जीविकापार्जन के लिये कृशि कार्य एवं पशुपालन से करते है। गाँव में रहने वाले ग्रामीणों की अधिवास अधिंकाश कच्चा मकान हैं एवं कृषि कार्य करतें है। वनों में रहनें वाले जनजातियों के अधिवास घास पूस एवं कच्चे मकान हैं।

कृषि पर आधारित बस्ति :– क्षेत्र कुछ ऐसी भी बस्तियां पाई जाती हैं जो कि पूर्णता कृषि पर आधारित होती हैं जिनका मुख्य कार्य कृषि होती है। जिस पर मानव अपना जीवन यापन करते है। जिसे हम कृषि पर आधारि बस्ति कहतें है।

पुरवा या नगला (टोला) अधिवास :– डिण्डौरी जिला में कुछ ऐसे भी अधिवास हैं जो छोटे छोटे समूह के लोग एक ही सवर्ग के लोग निवास करतें हैं जिसें हम टोला कहते हैं।

गाँव :– प्रमुख रूप से गाँव मे कृषक निवास करते हैं कृषि कार्य में लुहार बढई, तथा किसान रहते हैं एवं किसानों के ऊपर निर्भर होने वालें नाई, धोबी, अउदि लोग गांव में निवास करते हैं। और ये गांव एक दूसरे गांव से जुडे होते हैं।

बजारी गाँव :– जिस गांव में बजार लगती है एवं उसकी कुछ अलग विशेषताएं जैसें विद्यालय, पोस्ट ऑफिस विभिन्न प्रकार की दुकान, होने कारण वहां बजार लगती हैं जिससें बहुत सी आवश्यकता की वस्तुएं सरलता सें उपलब्ध हो सके। आसपास के गांव के लोग उपजो का क्रय विक्रय हो सके जिसे हम बजारी गांव कहते हैं।

डिण्डौरी जिला में बाजार की सुविधा उन स्थान में की जाती है। जहाँ परिवहन जनसंख्या एवं आवागमन के साधन वाला स्थान की स्थिति को देखकर बनाया जाता हैं। जिसके आधार पर बाजार लगती है।

परिवहन :–

सारणी क्र.11

जिला डिण्डौरी की कच्ची एवं पक्की सड़क (कि.मी में)

जि0 / तह0 / वि0ख0	पक्की सड़क (कि.मी.में)			कच्ची सड़क वर्ग (कि.मी.में)			
	लोक निमार्ण विभाग	स्थानिय निकाय	योग विभाग	लोक निमार्ण विभाग	स्थानिय निकाय	वन विभाग	योग विभाग
2005–06	1268.3	00	1268.3	254.80	00	–	254.80
2006–07	1268.3	10.28	1287.5	254.80	9.00	–	263.80
2007–08	1268.3	12.5	1280.8	259.80	9.30	–	269.1
2008–09	1395.73	27.5	1423.23	781.07	12.4	6404	1433.87
1 डिण्डौरी	271.37	21.2	292.57	159.92	3.5	101	264.42
2 अमरपुर	183.5	–	187.5	65.25	–	97	162.25
3 समनापुर	102.5	–	102.5	145.55	–	173	318.55
4 बजाग	179.4	–	197.4	104.6	–	38	142.6
5 करंजिया	155.72	–	155.72	137.78	–	133	270.78
योग	**892.49**	**21.2**	**913.69**	**613.1**	**3.5**	**542**	**1158.6**
1 शहपुरा	292.74	6.30	299.04	36.47	8.9	54	99.37
2 मेहदवानी	210.5	–	210.5	131.5	–	4440	175.9
योग	**503.24**	**6.30**	**509.54**	**167.97**	**8.9**	**98.40**	**275.27**

स्त्रोत– जिला सांख्यकीय विभाग डिण्डौरी (म.प्र.) जिला परिवहन विभाग

परिवहन किसी भी क्षेत्र का विकसित होने का प्रमाण करता हैं क्योकि जिस क्षेत्र में आने जानें के लिये परिवहन का साधन होता है वहाँ पर लोगों को बहुत सी सुविधाएं परिवहन के माध्यम से होता हैं। डिण्डौरी जिला मे परिवहन के लिये केवल सडकों का प्रयोग होता है डिण्डौरी जिला में रेल मार्ग का काई साधन नही हैं यहां पर सड़को का प्रयोग किया जाता हैं। जो कि लगभग पक्की सड़क 1423.23 कि.मी. पर है तथा कच्ची सड़क 1433.87 कि.मी. है।

सारणी क्र. 12

जिला में यातायात के साधन की स्थिति

प्रवृत्ति	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
हाँ	35	70
नहीं	10	20
थोड़ी मात्रा	5	10
निरूत्तर	0	0
योग	50	100

आरेख क्र.8

जिला में यातायात के साधन की स्थिति

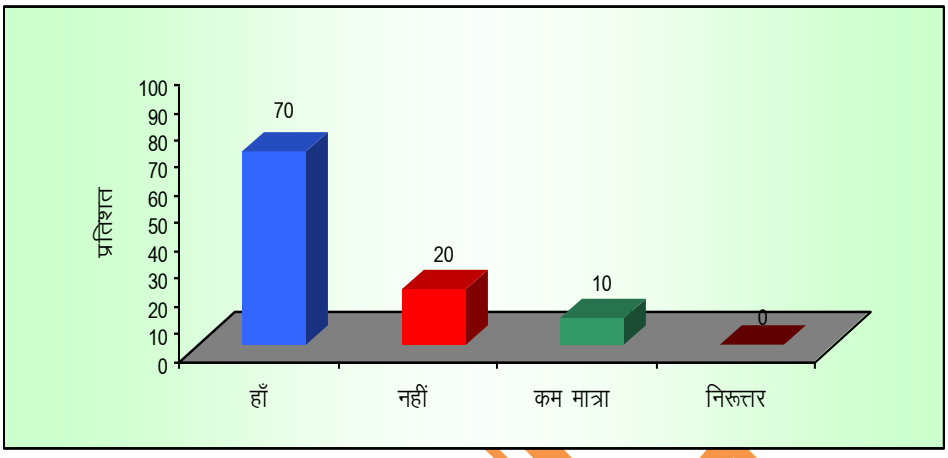

उपरोक्त सारणी के द्वारा यह दर्शाया गया हैं कि डिण्डौरी जिला के कुछ ग्रामों में परिवहन के साधन जिनका प्रतिशत उपरोक्त में ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया हैं। परन्तु कुछ ऐसे भी ग्राम जहाँ पर आज भी परिवहन के साधन की उपलब्धता नही हो पायी हैं जिसके कारण कई किलों मीटर लोगो को पैदल ही चलकर आकर परिवहन के साधनों के लाभ प्राप्त कर पातें हैं। लोक निमार्ण विभाग डिण्डौरी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी डिण्डौरी/शहपुरा वन मण्डल अधिकारी सामान्य डिण्डौरी

दूर–संचार :– सामाजिक एवं आर्थिक विकास में क्रांति लाने हेतु दूर–संचार के साधन का अतिमहत्वपूर्ण भूमिका का निवार्ह कर रहा हैं। एवं दूर–संचार के अविष्कार ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया हैं डिण्डौरी जिला ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर लोगो का आर्थिक क्षेत्र सीमित एवं बहुत हद तक कृषक अपने निवास स्थान से खेत तक या स्थानीय रूप सें बाजार तक अपना पूरा जीवन व्यतीत करते थें। परन्तु आज के समय में प्रत्येक गांव में टेलीफोन बूथ एवं अधिकांशतया लोगों के पास अब मुबाइल फोन का उपयोग करने लगे हैं जिसके कारण अब दूर संचार का प्रयोग किया जानें लगा हैं। टेलीफोन डायरेक्ट्री की जानकारी नीचे सारणी में विस्तृत रूप में दिया गया हैं

अर्थ व्यवस्था :– अर्थ व्यवस्था के विकास जिसमें संसाधनों के अधिक होनें पर ही उसकी अर्थव्यवस्था निर्भर होंती हैं और उसें उस राज्य का आधार माना जाता हैं। प्राथमिक अर्थ व्यवस्था में खनिज, शक्ति संसाधन आर्थिक विकास का स्वरूप होता हैं तथा द्वितियक अर्थ व्यवस्था में औद्योगीकरण होता है जिसमें औद्योगिक केन्द्रो का विकास संसाधन सें परिपूर्ण क्षेत्रों के लिए किया गया हैं। और औपनिवेशक उद्वेश्यों को ध्यान में रखकर किया गया हैं। अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि पर ही आधारित हैं। और आर्थिक विकास में क्षेत्रीय और वर्गीय असमनता को अधिक बढावा दिया जाता हैं भौगोलिक दृष्टि से जहाँ पर संसाधनों की अधिकता होंती हैं। वहाँ अर्थ व्यवस्था सुदृढ़ होती हैं। और उन्ही स्थानों का अधिक विकास होता हैं।

सारणी क्र.13

डिण्डौरी जिला में प्रमुख फसलों का उत्पादन (अनाज हजार मी. टन मे)

वर्ष	गेहू	धान	ज्वार	मक्का	अन्य अनाज	योग अनाज
2005–06	3058	10581	0	924	155037	159600
2006–07	34473	78637	77	18297	44277	175785
2007–08	29692	79050	17	18072	41403	168285
2008–09	18985	80890	53	20870	18	120816

जिला सांख्यकीय विभाग 2009–10

आरेख क्र.9

डिण्डौरी जिला में प्रमुख फसलों का उत्पादन (अनाज हजार मी. टन मे)

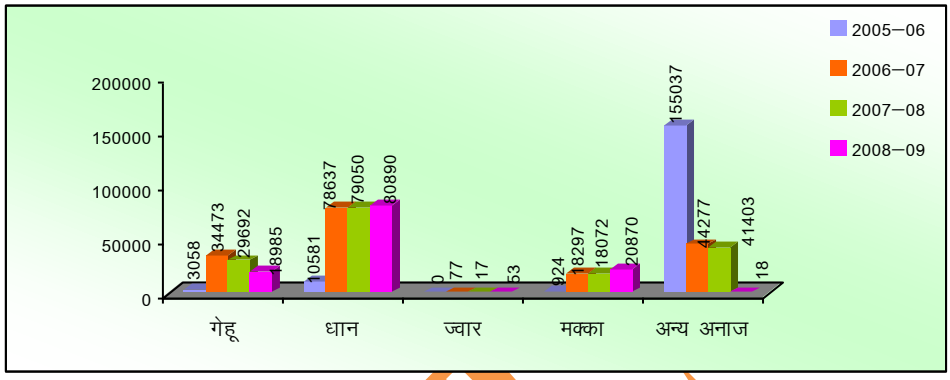

उपरोक्त सारणी के आधार डिण्डौरी जिला में गेहूँ सर्वाधिक उत्पादन होने वाली फसल साथ ही धान की फसलों का पैदावार भी अधिक पाया जाता है। जों कि सारणी में दर्शाया गया जिसस कि सिद्ध होता हैं कि ज्वार मक्का एवं अन्य अनाज की पैदा वार भी डिण्डौरी जिला में अधिक पाया जाता हैं।

सारणी क्र. 14

कृषि एवं फसलों का उत्पादन

प्रवृत्ति	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
धान	21	42
गेहूँ	10	30
दलहन	15	30
मक्का, ज्वार	2	4
योग	50	100

आरेख क्र.10

कृषि एवं फसलों का उत्पादन

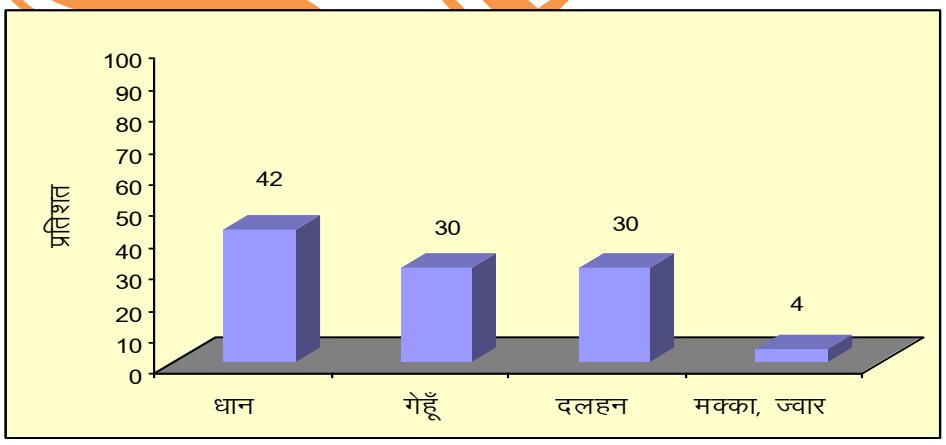

उपरोक्त सारणी के आधार पर डिण्डौरी जिला में प्रमुख फसल चावल का उत्पादन अधिक किया जाता है साथ गेहूँ के उत्पादन को भी अधिक महत्व दिया जा रहा हैं क्योंकि खरीब फसलो के साथ साथ रबी की खेती की जा रही जिससे किसानो को अधिक आय प्राप्त होती है।

सारणी क्र. 15

रबी की फसलों का उत्पादन (हजार मी. टन मे)

वर्ष	चना	तुअर	उड़द	अन्य दालें	योंग दालें
2005–06	559	489	93	7459	8600
2006–07	6587	3117	2761	13162	25627
2007–08	523	4457	3270	42327	45527
2008–09	4363	3849	1176	14285	23673

स्त्रोतः– जिला सांख्यकीय विभाग 2009–10

आरेख क्र.11

रबी की फसलों का उत्पादन (हजार मी. टन मे)

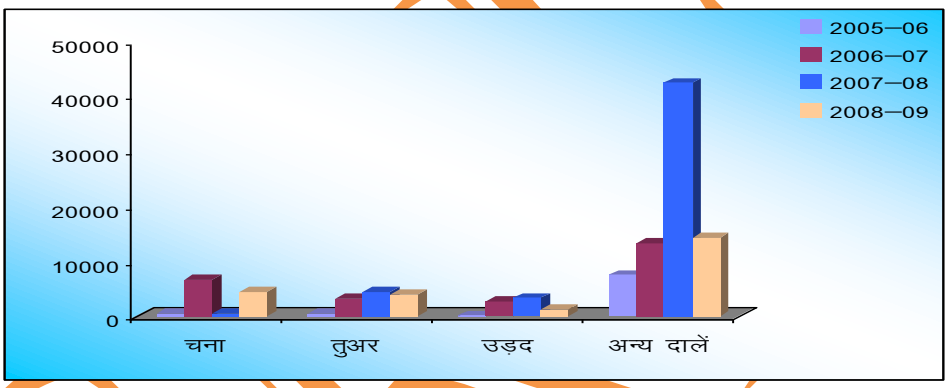

उपरोक्त सारणी के आधार पर डिण्डौरी जिला कर अर्थ व्यवस्था क्षेत्रीय आव यकता की पूर्ति हेतु विकसित किया गया हैं। जैसे विभिन्न स्थानों में हैण्डमूल व्यवसाय में बुनकरों को विशेषीकरण प्राप्त हो गया और क्षेंत्रीय रूप में महार समाज के लिये खादी ग्रामोद्योंग बोर्ड के माध्यम से स्थापित लघु व कुटिर उद्योग 2008–2009 में लगभग 2339 कुल स्थापित उद्योगों की संख्या है। तथा नियोजन हेतु 7486 है।

व्यापार एवं व्यवसाय एवं लोगों की वास्तविक दशा :– डिण्डौरी जिला में व्यापार एवं व्यवसाय पर अधिक ध्यान नही दिया जाता है। यहाँ के लोग केवल कृषि एवं वनोपज पर ही जयादा ध्यान दिया जाता है। जिसके कारण ही डिण्डौरी जिला अधिक पिछड़ा हुआ है। परन्तु अब जिला का विकास होता जा रहा है जिससे उनके सर्वागीण विकास के प्रति सरकार भी चेतना कर रही हैं।

सारणी क्र. 16

ग्रामीण परिवार एवं मुख्य व्यवसाय

प्रवृत्ति	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
कृषि	30	60
मजदूरी	8	16
व्यापार	9	18
अन्य	1	2
योग	50	100

आरेख क्र.12
ग्रामीण परिवार एवं मुख्य व्यवसाय

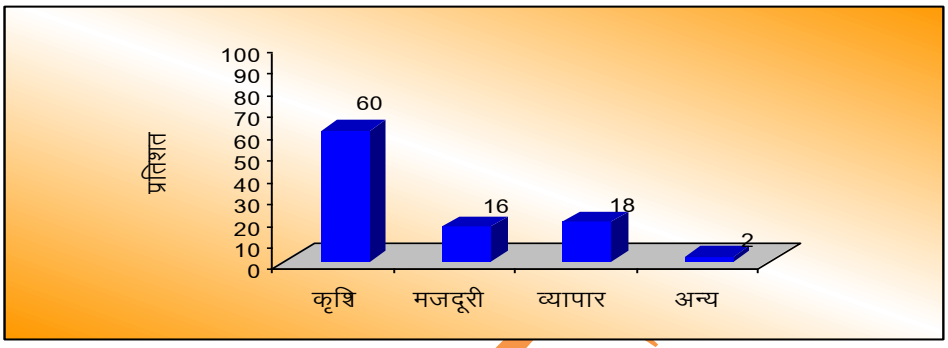

डिण्डौरी जिला में कुल कृषकों की संख्या 322341 है जिसमे महिलाओं की संख्या 157238, पुरूषों की संख्या 165103 हैं। खेतीहर मजदूरों की संख्या 51964 जिसमे पुरूषों की संख्या 25532 स्त्री की संख्या 26432 हैं। परिवारिक उद्योंग की संख्या 4720 जिसमें कार्यरत पुरूषों की संख्या 2941 तथा स्त्रियों की संख्या 1779 अन्य कार्यशील कार्यो में पुरूषों की संख्या 140845 एवं स्त्री 112529 है। डिण्डौरी जिला के ग्रामीण क्षेत्रफल 341179 हेक्टयर में बसा हैं तथा वन का क्षेत्रफल 17757 हेक्टयर भूमि हैं, कृषि कार्य के लिये जो अनुपयोगी भूमि का क्षेत्रफल 19228 हेक्टयर हैं, अन्य रूप सें अकृश्य भूमि जिसमें पडती शामिल नही हैं का क्षेत्रफल 12778 एवं कृषि का हेतु कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल 11365 हेक्टयर भूमि पडती हेतु भूमि का क्षेत्रफल 64277 कृषि कार्य के लिये एक फसलीय क्षेत्रफल 204281 हेक्टयर हैं। तथा द्विफसलीय क्षेत्रफल 74916 हैं। जिसमें कुल कृषि कार्य के लिये भूमि का क्षेत्रफल 279197 हैं।

सारणी क्र.17
कृषि का कार्य हेतु भूमि

प्रवृत्ति	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
हाँ	32	64
नहीं	8	16
थोड़ी मात्रा	8	16
निरूत्तर	2	4
योग	50	100

आरेख क्र.13
कृषि का कार्य हेतु भूमि

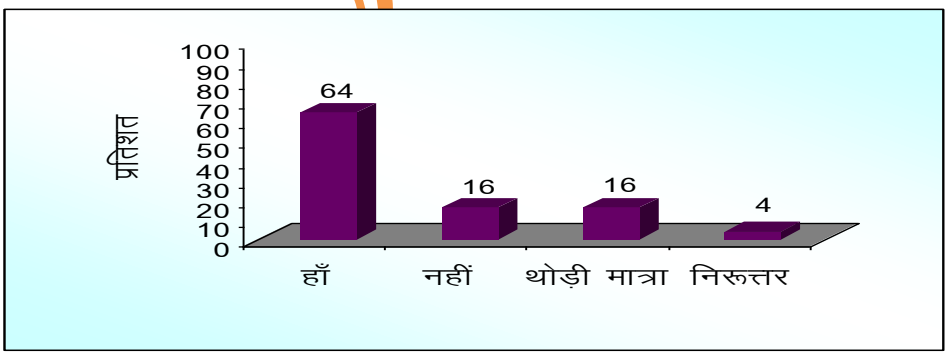

डिण्डौरी जिला में कुछ लोगों के पास कृषि कार्य तो करतें है परन्तु उनके पास भूमि नही वें केवल दूसरों के खेतों मजदूरों के मे या फसल के उत्पादन का आधा हिस्सा वाला खेती करतें जिसे स्थानीय भाषा में अधिया कहतें हैं।

सारणी क्र. 18
कृषि कार्य हेतु भूमि का प्रकार

प्रवृत्ति	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
उपजाऊ भूमि	12	24
अनपजाऊ भूमि	30	60
पथरीली भूमि	6	12
कृशि योग्य नहीं	2	4
योग	50	100

आरेख क्र.14
कृषि कार्य हेतु भूमि का प्रकार

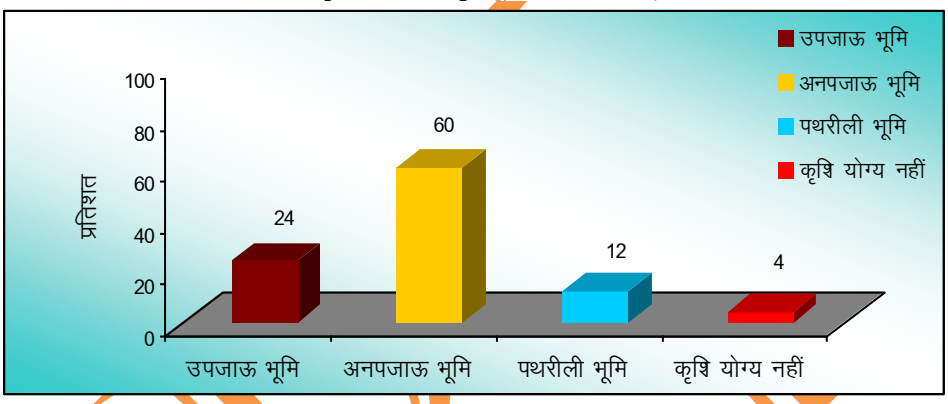

डिण्डौरी जिला के अन्तर्गत कृषक कृषि कार्य के साथ साथ मजदूरी भी करते हैं क्योंकि कृषि से उन्हें अधिक आय प्राप्त नही हो पाती हैं जिससे कारण उन्हें मजदूरी करनी पडती हैं या बाहर भाहर की ओर पलायन करना पड जाता हैं।

निष्कर्ष :– अध्ययन क्षेत्र में जनजातीय जनसंख्या का वितरण घनतव में क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है। क्षेत्रीय विविधता के लिए भौतिक एवं सांस्कृतिक कारक उत्तरदायी है। साथ ही क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक विकास पर आदिवासी विकास कार्यक्रम का न्यूनतम प्रभाव परिलक्षित हो सकता है।

इस प्रकार डिण्डौरी क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की संरचना वितरण, घनत्व स्थानीय प्रतिरूप में विभिन्नता के विश्लेषणोपरानत पाया गया कि जनजातियों में जनसंख्या नियंत्रण संबंधी योजनाओं, आदिवासी विकास कार्यक्रमों का प्रभाव नगण्य दृष्टिगोचर हुआ हैं इनमें बढ़ती जनसंया की उच्च दर, उच्च घनत्व तथा क्षेत्रीय विविधता के लिए समाजिक संरचना, आर्थिक एवं भौतिक दशाऐं आदि प्रमुख रूप से उत्तरदायी पाई गई है। क्षेत्र में जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि, उच्च घनत्व के लिए अशिक्षा, अज्ञानता, सामाजिक कुरीतियों धार्मिक मान्यताऐं, निर्धनता, खाद्य समस्या, कुपोषण जनसंचार की कमी आदि कारकों का प्रतिकूप प्रभाव पाया गया है।

संदर्भ ग्रन्थ :–

- मजुमदार, डी. एन. (1950), "द मैट्रिक्स ऑफ इंडियन कल्चर", यूनिवर्सल प्रिंटिंग प्रेस, लखनऊ।
- श्रीवास्तव, डॉ. लोकेश (2005), "ट्राइब्स ऑफ नर्मदा वैली", श्री पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
- श्रीवास्तव, डॉ. लोकेश (2007), "ट्राइबल सिनॉरियो", यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
- श्रीवास्तव, डॉ. लोकेश (2010), ''मध्यप्रदेश का भूगोल'' शारदा पुस्तक सदन, इलाहाबाद।
- श्रीवास्तव, ए. आर. एन. (2000), ज्ञानदीप प्रकाशन, इलाहाबाद।
- उप्रेती, हरिश्चन्द्र (2000) ''भारतीय जनजातियां, संरचना एवं विकास'' राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 5 June 2019

मस्तिष्क रचना व मानसिक रोगों का योगिक उपचार

डॉ. मनोज कुमार शर्मा
मधुमेह रोग विशेषज्ञ, पी.एच.डी. योग सहा. प्राध्यापक रविन्द्रनाथ टैगौर वि.वि.जिला– रायसेन (म.प्र.)

मानव मस्तिष्क एक महत्वपूर्ण अंग है। यह शरीर का केन्द्रीय संस्थान है। इसके द्वारा ही ऐच्छिक व अनेच्छिक क्रियायें सम्पन्न होती है। इसीलिये प्रकृति ने सिर को कठोरआवरण के अन्दर सुरक्षित स्थापित किया है। इसके अन्दर विशिष्ट भाग है जो विशिष्ठ क्रियाओं पर नियंत्रण रखकर उनका संचालन करता है । किसी भी जीव की क्रियाशीलता उसकेमस्तिष्क के संचालन पर ही निर्भर करती है। मस्तिष्क विहिन जीव नहीं रह सकता तथा इसके विशिष्ट भाग को अतिक्रिया शीलता के कारण कुत्तों में ध्राणशक्ति सर्वाधिक होती है। इसी तरह चिड़ियों में उड़ने की शक्ति होती है मस्तिष्क के कारण ही मानव देवकृत्य व राक्षसों सा व्यवहार करता है। मस्तिष्क को अनावयक रूप से उत्तेजिक व शिथिल न होने दिया जाये तो व्यक्ति निरोग व दीर्घायु होता है जन्म के समय मानव मस्तिष्क का औसत वनज 12 औंस होता है। वयस्क होने पर वह 3 पौंड हो जाता है मस्तिष्क का आकार बड़ा होने से व्यक्ति बुद्धिमान तथा छोटे होने से मूर्ख नहीं होता है बल्कि इसकी क्रियाशीलता के कारण विकास व अक्रियाशीलता से मंद बुद्धि हो जाता है मस्तिष्क का उपभोग न करने से वह निश्चित रूप से निष्क्रिय होता है और उपयोग करने पर उसमें प्रखरता आती है तथा चिन्तनशीलता, बुद्धिमान आदि का प्रादुर्भाव होता है। मस्तिष्क परिष्कृत हो तो वर्तमान के साथ ही भविष्य के बारे में भी जाना जा सकता है। मस्तिष्क से अल्फा किरणें निकलती है जो दूसरों को प्रभावित करती है। यह उन व्यक्ति के मस्तिष्क के परिष्कृत होने पर निर्भर करता है। सम्पूर्ण तंत्र का तंत्र पर इस मस्तिष्क का ही अधिकार होता है। कैरोडेट तथा वर्टिओं, बेसिलर, आर्टरी सिस्टम के द्वारा मस्तिष्क हो सर्वाधिक रक्त संचार होता है। जो रक्त संचार के माध्यम से पहुँचायी जाती है। यह पुष्ट झिल्लियों से ढका रहता है। तथा मेरू दण्ड के द्वारा सहायताप्राप्त करता है केन्द्रीय तंत्र का अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क क्रेनियम के अन्दर रहता है। जिसमें सम्मुख मस्तिष्कांश, मध्य मस्तिष्क तथा पश्चात मस्तिष्क सम्मिलित होते हैं। कोरपस केलोसम (महासंयोजक) एक उजला पदार्थ, सेरेबेलम (लघु मस्तिष्क) मेंदुआ अविलैग्गेटा (मध्य मस्तिष्क) पोंज मध्य मस्तिष्क (मेडुला आवलैगेटा तथा मिड ब्रेन) के बीच संबंध स्थापित करने वाला स्लेष्मा स्त्रावी ग्रंथि (पियूष ग्रंथि) लघु मस्तिष्क के सामने की विशेष ग्रंथी सहस्त्रार (पिनियल ग्रंथी) मध्य मस्तिष्क, मस्तिष्क का अर्ध गोलार्द्ध मस्तिष्क के महत्वपूर्ण भाग है। चोट लगने आक्रमण होने नये उभार या अर्वुद्ध होने रक्त वह नाडिमण्डल में क्षरण (बैस्कुलर डिजेनेरेशन) होने, चया पयची क्रिया असामान्य होने आहार संबंधी अपूर्णता या हीनता होने तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम या नष्ट होने के कारण मस्तिष्क रोग होते हैं स्वस्थय एवं स्वच्छ वातावरण। पीने के जल, संतुलित आहार आदि के द्वारा मस्तिष्क के संक्रमण शील रोगों जैसे – वायोजेनिक मेनिंजायटिस, टुवरकुलर, मेनिजायटिस, इन्सफालाइन्टिस, सिष्ट सायकोशिस और लेप्रोमेटस न्यूरोपेर्थ आदि से लोगों को बचाया जा सकता है। इसमें योगिक क्रियाएं प्राणायम, आसन, मुद्रा व बन्द के द्वारा इन रोगों से बचाव किया जा सकता है।

यहां आहार बिहार में असंयम न बरता जाये और दुश्चिंता से बचा जासके वो मस्तिष्क की सहायक प्रणालिया स्वस्थ्य बनी रहेगी ''जैव रसायन शास्त्रीयों का मतह ै कि ढलती उम्र में आक्सीजन की खपत कम होती है जिसका कारण पीयूष ग्रंथी द्वारा श्रविक एक प्रकार का रसायन माना जाता है। एलन गोल्ड स्टील के मतानुसार :– यदि मस्तिष्क की अन्त श्रावी प्रणाली पर नियंत्रण किया जा सके तो न केवल इण्ड्रोकायनल ग्लेण्डस सक्रिय बनी रहेगी साथ ही इम्यून सिस्टम भी अक्षुण्य बना रहता है। जीवनी शक्ति की सशक्तता बनी रहने पर बुढ़ापे में भी व्यक्ति स्वस्थ्य रहता है इनके मतानुसार उम्र बढने के साथ–साथ थालमस ग्रंथी छोटी होती है। बढापे में इसका आकार सुकुडकर 1/10 वां भाग तक रह सकता है। फलतः इसकी क्रियाशीलता घटती जाती है। बुद्धि का संबंध कार्टिक्स में फैली हुई तंत्रक कोशिकाओं से होता है जहां बुद्धीमान प्राणी नहीं रहते हैं वहां निस्तब्धता और नीरसता का ही वातावरण होता है साथ में श्मशान सी शन्ति होती है मानसिकता क्षमता को परिष्कृत करने के लिये ऐसे आहार कासेवन करना होता है जो सात्विक हो तथा ऐसी सूक्ष्म शक्ति

से भी परिपूर्ण हो जो बुद्धिचेतना में उपयोगी प्रखरता उत्पन्न कर सकने की शक्ति सामर्थ रखता हो आहार विहार प्राणायाम योग अभ्यास जब, तप, व्रत, सैयम, उपासना, प्रार्थना आदि से मानसिक शक्ति बढ़ती है इन्हें अपनाकर ही मस्तिष्क सहित अन्त श्रावी प्रणाली नियंत्रण किया जा सकता है तथा इसमें एकाग्रता सधती है असंयम व अनाचरण के कारण ही विभ्रम, र्स्मण शक्ति हीनता एकाग्रचितता की कमी आदि मनोविकासर उत्पन्न हो जाते है सुख, दुःख, दर्द आदि अनुभूतियां मस्तिष्क के कारण ही होती है मस्तिष्क शक्ति के सहारे मानव उन्नति के चरण शिखर पर पहुॅच सकता है इसकी क्रियाकलाप लगभग 10 अरब ज्ञात तंतुओं (नर्व सेल्स) से मिलकर संचालित होती है काम न मिलने या न करने पर वह भाग निरर्थक हो जाता है इसी तरह मस्तिष्क का उपयोग नियमित रूप से न किया जाये तो उसकी दक्षता समाप्त हो जाती है जबकि निरन्तर अभ्यास किया जाये तो दक्षता में और प्रगाड़ता आती है जैसे कि किसी टाइपिस्ट को कुछ समय टाईप न करने को दिया जाये तो उसकी रफ्तार में निश्चित ही कमी आयेगी या न की जाये तो रफ्तार खत्म भी हो सकती है। जबकि नियमित अभ्यास करने पर रफ्तार अधिक ही बढ़ती जाती है। उसके ज्ञान की परिधि अधिक बढ़ी होती है। भुलकक्ड लोग महत्वपूर्ण ज्ञान संचय से वंचित रहते हैं साथ ही समय पर रहते हुये किसी बात को भूलकर घाटा एवं हानि का सामना करते हैं। स्मरण शक्ति मानव मस्तिष्क की बहुत बडी विशेषता है मानव मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है मस्तिष्क की बांये भाग की कोशिकांए क्षतिग्रसित होने के कारण व्यक्ति की वाणी प्रभावहीन हो जाती है और स्मरण शक्ति का ह्रास हो जाता है मस्तिष्क के बांये भाग कार्टिक्स के अन्तर्गत वाणी के तीन केन्द्र हैं जिन्हें बाल्यावस्था में बदलना संभव है। कनाडा के डॉ. बिल्टर पेन फील्ड ने पता लगाया गया है मस्तिष्क के भीतर एक ऐसी पट्टी होती हो जो स्मरण शक्ति का मूल आधार है। स्मरण प्रक्रिया संभालने वाली ये दो काले रंग की पट्टियां है जो क्षेत्रफल में 25 वर्ग इंच और मोटाई 1/10 इंच के बराबर है यह मस्तिष्क के चारों और लिपटी रहती है हम जो भे देखते, सुनते, सोचते हैं कि विचार भी मस्तिष्क के आते हैं उन्हें इन्हीं पहियों से गुजरना पड़ता है एक न्यूट्रान की परिधि एक वर्ग सेन्टी मीटर या दश करोडवा भाग सुनिश्चित है। जिनका मनुष्य की स्मरण शक्तिसे सीधा संबंध ह ैजनधारणा की प्रक्रिया भी मस्तिष्क की विभिन्न शक्तियों को जाग्रत करने में सहायक होती है। इन्हें अपनाकर व्यक्ति कुसाग्रबुद्धि बन सकता है। एक कमजोर विद्यार्थी नियमित पढाई करे जिससे लगातार दिमागी दबाव एवं क्रियाशीलता के कारण उनकी मस्तिष्की संरचना में परिवर्तन होना प्रारम्भ हो जायेगा और बुद्धिवाले हिस्से कार्टेक्स में न्यूट्रान सेल्पी का आकार सामान्य मस्तिष्क की तुलना में अधिक बड़ा हो जायेगा। यह कार्य अभ्यास की निरन्तरता से ही संभव होता है। मस्तिष्क के साथ जुडे हुये तंत्र तंत्रकायें शरीर में फैली होती है मानसिक कष्ट होने से सारा शरीर शिथिल होने लगता है क्रिया शक्ति में स्पष्टतः अस्त व्यवस्तता दिखने लगती है डर, भय, सोक, निराशा, चिन्ता आदि के समय व्यक्ति का चेहरा उदास हो जाता है जबकि क्रोध, अपमान, द्वेष प्रतिशोध, उन्माद के समय रोगी के अंग प्रत्यांगों में उत्तेजना आ जाती है। शरीर पर आहार विहार तथा जलवायु वातावरण का जितना प्रभाव पड़ता है। उससे अधिक हृदय में उत्पन्न भावों से शरीर पर प्रभाव पढ़ता है इसलिये प्रसन्न और निश्चित रहने वाले व्यक्ति सुखी स्वस्थ्य व दीर्घ जीवी होते हैं। जबकि क्षुब्ध रहने वाले घुटन महसूसकरने वाले अकारण दुर्वल और अकाल मृत्यु के असमय शिकार हो जाते हैं। अनैच्छिक स्नाद्यु मंण्डल का केन्द्र मस्तिष्क का एक लघु अंश (भाग) हाथ पी थेलेमस होता है। वह भाग ही स्त्री–पुरूष की ग्रंथियों को नियंत्रण करता है। इसके द्वारा ही पीयुष ग्रंथि (पीटयूटरी लेण्डरस) भी उत्तेजित होती है। जिनसे विशेष हरमोन्स श्रीवत होते रहते हैं। जो सदभावनाओं और दुर्भावनाओं के कारण भी होते हैं सम्पूर्ण सूक्ष्म शरीर को स्वस्थ व प्रशन्न व प्रगतिशील उल्लेखित बनाये रखने के लिये मस्तिष्क की स्थिति भी बेचरी ही होनी चाहिये। वैसे मानसिक धरातल ही शारीरिक स्वास्थ्य का आधार है जिस व्यक्ति को अपने जीवन और कार्य की सार्थकता का बोध नहीं हो तो वह व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता मनुष्य जीवन के लक्ष्य और उनकी सिद्धी प्राप्ति ही आनंद का आधार हो वैसे मानसिक क्षोभ ही शारीरिक रोगों का जन्मदाता है मानव मस्तिष्क का एक बड़ा गुण समायोजन है इस मस्तिष्क के कारण ही एक मानव अपने आपको किसी भी परिस्थिति में समायोजित करता है व वातारण को अनुरूप बनाता है नियमित मानसिक श्रम दिमाग को वृद्धावस्था में ही चिर योवन जैसी स्थिति में बनाये रखता है उस की क्षमता निरन्तर निखरती रहती है मस्तिष्क के कारण ही मानव खूंखार जानवरों को अपने वस में कर लेता है तथा इसी के कारण पक्षी की तरह अकाश में वायुयान में बैठकर उडता है तथा अन्तरिक्ष में स्टेशन बना रखा है ग्रहों पर मान व पहुॅच चुका है मस्तिष्क की जॉच के लिये इलेक्ट्रो इन्स्फेलो ग्राम पूर्व

में एक महत्वपूर्ण जांच थी। आजकल इलेक्ट्री मायो न्यूरोग्राफी का स्नायु क्रिया विज्ञान की जानकारीयां प्राप्त करने में महत्वपूर्ण स्थान है का प्रयोग मिर्गी व्याधि की जानकारी के लिये ही किया जाता है (कम्युटेरायज टोमोग्राफी) मेग्नेटिक रिजोमेन्स इमेजिंग मस्तिष्क जांचों में महत्वपूर्ण है पूर्व में मस्तिष्क व्याधियों की कल्पना ही हो पाती थी। लेकिन वर्तमान में सभी चिकित्सा पद्धतियों की नयी–नयी खोजों से और स्पष्टता सामने आ रही है आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां फिर भी मस्तिष्क व्याधियों के निवारण में असफल हो रही है। योग चिकित्सा में लक्षणों के अनुसार व्याधि का निवारण सफलता पूर्वक किया जा रहा है इसको जनज न तक पहुंचाने की आवश्यकता है क्योंकि योग या योगी शब्द से परिवार में रह रहा हर अशिक्षित व्यक्ति घबराता है कि योगी या योग से बचो या इसको जानने वाला परिवार व समाज को छोडकर मोह माया रहित होकर अन्यत्र चला जायेगा। यही गलत भ्रांति है इस भ्रांति को मिटाना होगा। मानसिक व्याधियों में सुख व दुख भी व्याधि है मस्तिष्क व्याधि है लालच व घृणा भी व्याधि है मस्तिष्क व्याधि मं मिर्गी व्याधि ज्यादा देखने को मिलती है यह व्याधि पुरूष व महिलाओं में 20 वर्ष की उम्र में ही पर्दापण करती है जिसमें चेतना लोप/आक्षेप/जीभ करना/सासावरोद/शारीरिक चोट आदि हो सकते हैं हिस्टीरिया रोग केवल महिलाओं को 18 वर्ष केसमीप होता है इसका वेग एकान्त में आता है पागलपन अनेतिक व असमाजिक कृत्य इस श्रेणी में आते हैं डर तथा वहम भी मानसिक व्याधि है दुख तनाव निराशा भी मानसिक व्याधि है सुस्ती व डिप्रेसन भी मानसिक व्याधि है।

स्वप्न भी मानसिक रोग है मनुष्य में नास्तिका सबसे बडा रोग है असत्य भी व्याधि है क्रोध, विषय वायना, मानसिक अस्थिरता मानसिक निर्वलता वर्तमान समय में मनुष्य अधिक तनावग्रस्त एवं विषादपूर्ण जीवन यापन कर रहा है आज मनोव्यस्थता के रोगियों कीसंख्या बढ रही है इन सभी का निदान योगशास्त्र में है। शरीर में उर्जा नियंत्रण का कार्य मन करता है शरीर में जितनी शक्ति बनती है उनका नियंत्रण मन करता है। मनोवृत्तियों के आधार पर ही उर्जा के प्रकार को दिशा मिलती है मन में विचारों के प्रवाह के साथ ही उर्जा का प्रवाह चलता है मन में वृत्तियों से रूकावट आती है तब मस्तिष्क का कार्य असंतुलित होने लगता है तथा सिर में भारीपन व तनाव आ जाता है स्थूल शरीर जड़ है मन सूक्ष्म शरीर का नायक है। मन से ही चित वृत्तियों का संबंध है मस्तिष्क की असामान्य क्रिया को विक्षिप्तता कहते है। शरीर में पाचन प्रणाली को मुख्य माना जाता है। पाचन प्रणाली का मन से गहरा संबंध है।

रोगों की उत्पत्ति का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	रोग	मानसिक कारण
1	वात व्याधि	चिन्ता क्रोध
2	वात प्रमेह	शोकोद्वग
3	वात ज्वर	–
4	वातज ह्रदि	शाक, भय
5	वातज हृदय सूल	चिन्ता, भय अवरूद
6	पिन्तातिसार	क्रोध, भय, भ्रम
7	पित ज्वर	क्रोधद्वेग
8	पित प्रेमह	कामोद्वेश
9	पित गुल्म	क्रोध, कुण्ठा, द्वंद
10	पित्त पाण्डु	काम, चिन्ता, भय, विसाद
11	कफ ज्वर	हर्षाधिक, उत्साह
12	कुण्ट	साध्यभंग, स्नायु दुर्बलता, मानसिक ग्लान
13	राज्य क्षमा	शोक, एवं चिन्ता, उद्देग
14	कफातिसार	क्रोध, शोक, लोभ, भय, उत्साह
15	लकवा	शोक, क्रोध, भय, लोभ, स्नायु दुर्बलता

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 5 June 2019

बालाघाट जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं एवं बैगा जनजाति के उत्थान के लिए चलाई जा रही शासकीय योजनाओं का भौगोलिक विश्लेषण

मीनाक्षी मेरावी
(शोधार्थी), रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
डॉ. सुमनलता पुरोहित
प्राध्यापक (भूगोल विभाग), शासकीय महाकोशल कला एवं वाणिज्य स्वशासी महाविद्यालय, जबलपुर

मध्यप्रदेश : ग्रामीण स्वास्थ्य संरचना :– मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुरूप सभी के लिए स्वास्थ्य के राष्ट्रीय उद्देश्य को स्वीकार कर इसकी पुष्टि हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक त्रिस्तरीय स्वास्थ्य सेवा संरचना विकसित की गई है। जिसके अनुसार प्रति 5 हजार आबादी सामान्य क्षेत्र के लिए तथा प्रति 3 हजार आबादी आदिवासी क्षेत्र के लिए एक उपस्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का मापदण्ड है। इसी प्रकार प्रति 30 हजार आबादी सामान्य क्षेत्र के लिए तथा 20 हजार आबादी आदिवासी क्षेत्र के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का मापदण्ड है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रदेश सरकार स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना के विकास हेतु कार्य कर रही है। आज वर्तमान में प्रदेश में 50 जिला अस्पताल, 333 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 1156 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 96 शहरी सिविल अस्पताल, 96 सिविल औषधालय, 313 ग्रामीण एवं 96 शहरी पारिवारिक कल्याण केन्द्र, 7 टी.बी. अस्पताल एवं 8860 स्वास्थ्य उपकेन्द्र है। राज्य में सभी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सरकार ने अपने विजन दस्तावेज 2018 में निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं –

1. प्रदेश के लोगों के लिए निवारक/उपचारात्मक सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ–साथ चयनित स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी प्रदान करना।
2. आईएमआर, एमएमआर और टीएफआर में कमी लाकर इन्हें राष्ट्रीय स्तर के स्वीकार्य लेवल तक लाना।
3. इस सेक्टर के लिए बेहतर मानव संसाधन उपलब्ध कराना।
4. विशेष प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर और तकनीक को मानक बनाना।
5. स्वास्थ्य सेवाओं आदि पर न्यूनतम पारिवारिक व्यय।

राज्य में आरआईडीएफ के अंतर्गत 456 स्वास्थ्य केन्द्र मंजूर किए गए है। इनके लिए 23299 लाख रूपए की राशि मंजूर हुई है। वर्तमान में स्वास्थ्य क्षेत्र में लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सुधार की काफी गुंजाईश है। मध्यप्रदेश में 1 लाख की जनसंख्या पर औसतन 37 लोगों को अस्पताल के बिस्तर उपलब्ध है, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह 87 है। राज्य के 8 जिलों में 216 स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जा रही है।

आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण समन्वियत शिशु विकास सेवाओं (आईसीडीएस) का एक महत्वपूर्ण भाग है। राज्य में आईसीडीएस की 453 परियोजनाएं, 80160 आंगनबाड़ी केन्द्र और 12070 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र कार्यरत है। कुपोषण अत्यंत चिंता का विषय है। आरआईडीएफ के अंतर्गत 675 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए राज्य सरकार को 8492 करोड़ की राशि मंजूरी की गई है।

यह सर्वज्ञात है कि देश व समाज के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय विकास के लिए स्वास्थ्य का अच्छा होना एक उत्तम माध्यम माना जाता है। केन्द्रीय काउंसिल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने केन्द्रीय व राज्य सरकार के लिए स्वास्थ्य के विभिन्न उद्देश्य एवं नीतियों का निर्धारण किया है। उत्तम रीति से जीवन व्यतीत करने के लिए स्वस्थ रहना आवश्यक है। जब तक कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होता वह अपने जीवन का संपूर्ण उपयोग नहीं कर सकता। स्वस्थ एवं पोषित रहने के लिए जो चीजें आवश्यक है उनमें सबसे प्रमुख

भोजन ही है। व्यक्ति का पोषण स्तर भोज्य पदार्थों की उपलब्धता, खान–पान की आदतों के द्वारा प्रभावित होता है। केन्द्रीय सरकार की "Ministry of Health and Family Welfare" संस्था प्रशानिक एवं तकनीकी सेवाओं और स्वास्थ शिक्षा का प्रबंध करती है।

मध्यप्रदेश में बैगा जनजाति क्षेत्र

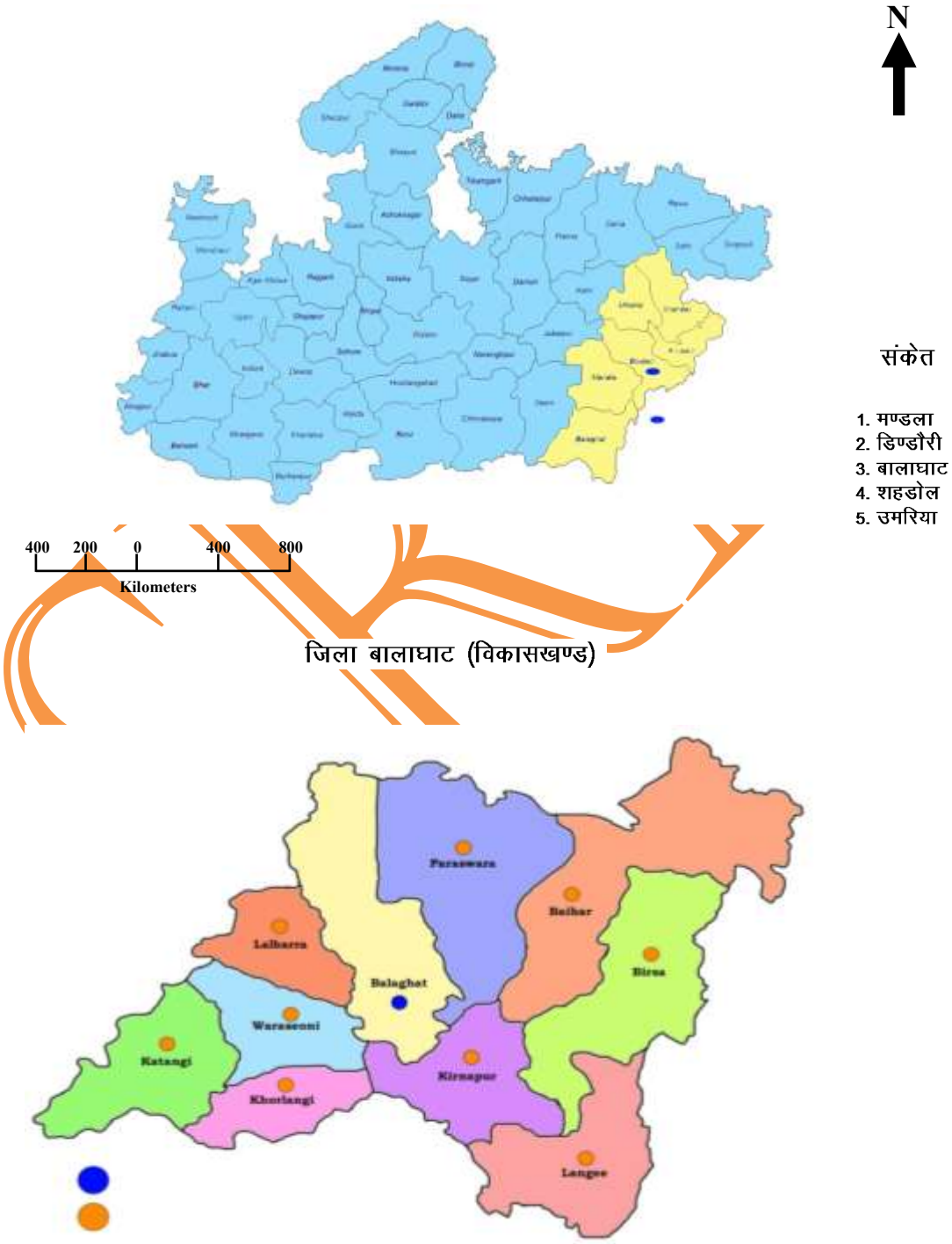

बालाघाट जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं :– मनुष्य की सबसे बहुमूल्य निधि उसका स्वास्थ्य है क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है एवं स्वस्थ शरीर ही उसे उन्नती की ओर ले जाने का उत्तम माध्यम है। इसी पर मनुष्य का मानसिक विकास निर्भर करता है। संविधान के अनुसार राज्य सरकारों का दायित्व है कि यह अपने प्रदेश के सभी नागरिकों को उत्तम स्वास्थ्य की व्यवस्था बिना किसी जाति, धर्म भेदभाव के नगरों, गांवों और आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराए। सामान्यतया ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता कम है। शासन की तरफ से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उपस्वास्थ्य केन्द्र स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की सबसे निचली कड़ी हैं । इन्हीं के माध्यम से जनसाधारण को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।

स्वास्थ्य देखरेख एक बड़ा परिवेश है इसके अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं आती है जैसे स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, रोगों की रोकथाम की जानकारी, रोगों का उपचार, रोगी की सेवा करना आदि। स्वास्थ्य देखरेख व्यवस्था के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं की संरचना, स्वास्थ्य सेवाओं को उपभोक्ता तक पहुंचाना, स्वास्थ्य कर्मचारी, उनका संगठन और स्वास्थय सेवाओं की गुणवत्ता आदि को समाहित किया जाता है।

बालाघाट जिले में स्वास्थ्य सुविधाएँ

स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं का स्तर :– स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं का स्तर अलग–अलग होता है क्योंकि सभी स्तरों पर समान सुविधाएं उपलब्ध कराना संभव नहीं है। चिकित्सा महाविद्यालय, जिला अस्पताल व अन्य बड़े स्वास्थ्य केन्द्रों पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती है और यह सभी सुविधाएं बड़े शहरों और जिला अस्पतालों में होती है इसके बाद तहसील, विकासखण्ड और ग्राम। स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता विभिन्न भागों में समान न होकर अलग–अलग होता है। यह उस स्थान विशेष के विकास और सरकार के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। सामान्य रूप से डॉक्टर अपनी प्रेक्टिस बड़े शहरों में करना चाहते हैं, इस कारण आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र, चिकित्सा एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जाते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को तीन स्तरों में विभाजित किया गया है।

1. **प्राथमिक स्तर** :– स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने का प्रथम साधन सामान्यतया प्राथमिक स्तर ही होता है। भारत देश में इन केन्द्रों का जाल बिछा हुआ है परन्तु स्वास्थ्य सुविधाओं की न्यून उपलब्धता के कारण, ग्रामीणों को इन केन्द्रों का लाभ नहीं मिल पा रहा है इस कारण वर्ष 1977 में सरकार में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम स्वास्थ्य रक्षक(हेल्थ गाईड) नाम से नई योजना प्रारंभ की है। प्रत्येक ग्राम में 1000 जनसंख्या पर एक ग्राम स्वास्थ्य रक्षक रखा गया है।
2. **मध्य स्तर** :– जिला चिकित्सालय/ स्वास्थ्य केन्द्र/उपसंभागीय केन्द्र इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इन केन्द्रों पर सामान्य रोगों के साथ–साथ कुछ गंभीर किस्म के रोग और स्वास्थ्य समस्याएं एवं प्राथमिक स्तर से भेजे गए रोगियों की उच्च स्तर की चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है।

3. उच्च स्तरीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं :– उच्च स्तरीय चिकित्सा केन्द्रों में अति आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रहती है। इसके अंतर्गत मुख्यतया चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल और अन्य उच्च स्तरीय चिकित्सा केन्द्र आते हैं जहां पर विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ रोगियों को आधुनिक तरीकों से ईलाज उपलब्ध कराते हैं।

ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में सरकारी डॉक्टरों के अतिरिक्त निजी स्तर पर आयुर्वेदिक पद्धति से पंजीकृत व अपंजीकृत लोग ईलाज करते हैं जो कि स्थानीय भाषा में वैद्य कहलाते हैं, ग्रामीण अंचल के लोग इन्हीं पर निर्भर होते हैं।

ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं :– ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा नाम से सरकार ने यह योजना प्रारंभ की है। ग्राम स्तर – गांव में दो स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं जिनमें मुख्य है –

1. स्वास्थ्य मार्गदर्शक :– बालाघाट जिला जनजातीय बाहुल्य जिला है यहां अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है जहां स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव रहता है। इन क्षेत्रों में बहुत से रोगों की रोकथाम साधारण रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा की जाती है जिन्हें ग्रामीण स्वास्थ्य मार्गदर्शक कहा जाता है। ये लोग टीका लगाने, सरल स्वास्थ्य शिक्षा उपायों की जानकारी आदि जलपूर्ति निसंक्रमण संबंधी उपाय बतलाते हैं।

2. प्रशिक्षित दाईयां :– ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसूति सेवा उपलब्ध कराने में दाईयों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रशिक्षण दिया जाता है किंतु सर्वेक्षित आदिवासी क्षेत्रों पर कुछ स्थानों पर आज भी प्रसूति का कार्य अपने परम्परागत तरीकों के द्वारा ही किया जाता है।

3. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता :– एकीकृत बाल विकास सेवा (Integrated Child Development Services) योजना के अंतर्गत 1000 जनसंख्या के लिए एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। इनके प्रमुख कार्य स्वास्थ्य परीक्षण, प्रतिरक्षक, पूरक आहार, स्वास्थ्य शिक्षा, विशेषज्ञों के पहुंचाने की सेवाएं आदि उपलब्ध कराना है। सर्वेक्षित सभी आदिवासी ग्रामों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है।

बालाघाट जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के मुख्य केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। यहां सभी प्रकार की सामान्य चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होती है जिनके मुख्य कार्य निम्न प्रकार है –

1. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा
2. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन
3. पर्यावरण स्वच्छता
4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कियान्वयन
5. स्वास्थ्य शिक्षा
6. सहायक कर्मचारियों का प्रशिक्षण
7. संक्रामक रोगों पर नियंत्रण एवं निगरानी
8. स्कूली स्वास्थ्य शिक्षा

सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक कस्बे में एक ग्रामीण स्वास्थ्य पथ–प्रदर्शक पुरूष तथा ग्रामीण स्वास्थ्य पथ–प्रदर्शक महिला उपलब्ध कराए गए हैं जो प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करते हैं। ये अपने क्षेत्र के लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जाने की सलाह देते हैं।

सारणी क्रमांक

बालाघाट जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं

क्र.	तहसील का नाम	एलोपैथिक चिकित्सालय औषधालय	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	उपस्वास्थ्य केन्द्र	एलोपैथिक चिकित्सालय औषधालय (उपलब्ध शैयाएं)
1	बालाघाट	1	–	4	27	318
2	किरनापुर	–	1	12	27	32
3	वारासिवनी	1	1	3	25	86
4	लालबर्रा	–	1	3	25	32
5	खैरलांजी	–	1	3	28	36
6	कटंगी	–	1	6	34	56

7	लांजी	–	–	4	29	44
8	परसवाड़ा	–	1	3	27	40
9	बैहर	–	1	2	94	40
10	बिरसा	–	1	6	39	52

स्त्रोत – जिला सांख्यिकीय पुस्तिका बालाघाट 2011

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि बालाघाट जिले में तहसील अनुसार स्वास्थ्य सुविधाओं को दर्शाया गया है जिसमें ऐलोपैथिक चिकित्सालय औषधालय बालाघाट और वारासिवनी तहसील में स्थित है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सर्वाधिक संख्या कटंगी व बिरसा तहसील में संचालित है। उपस्वास्थ्य केन्द्र के अंतर्गत सबसे अधिक बैहर तहसील में 94 तथा बिरसा तहसील में उपस्वास्थ्य केन्द्र की संख्या 39 है। इसी प्रकार ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के अनुसार उपलब्ध शैयाओं के अंतर्गत बालाघाट तहसील में सबसे अधिक 318 शैयाएं संचालित है एवं वारासिवनी में 86 शैयाएं उपलब्ध है। किरनापुर तहसील में ऐलोपैथिक चिकित्सालय शैयाओं की संख्या 32 है। अतः स्पष्ट है कि जिले के प्रत्येक तहसील में स्वास्थ्य की आधुनिक चिकित्सकीय पद्धतियां संचालित की जा रही है।

सारणी क्र.

बालाघाट जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कर्मचारी संख्या का विश्लेषण

क्र.	विकासखण्ड	चिकित्सा अधिकारी		संक्रामक रोग निवारण	नर्स स्टाफ	कम्पाउंडर	अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी	योग
		एलोपैथिक	अन्य पद्धति					
1	बालाघाट	26	5	27	65	1	25	149
2	किरनापुर	4	4	23	35	0	22	88
3	वारासिवनी	12	2	22	38	1	28	103
4	लालबर्रा	4	4	25	37	1	28	99
5	खैरलांजी	1	1	12	38	1	22	75
6	कटंगी	5	5	22	54	3	42	131
7	लांजी	7	7	17	45	0	26	102
8	परसवाड़ा	2	2	14	33	1	22	74
9	बैहर	3	3	18	36	1	28	89
10	बिरसा	2	2	20	24	1	72	121

स्त्रोत – जिला सांख्यिकीय पुस्तिका बालाघाट 2011

उपरोक्त सारणी में बालाघाट जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं कर्मचारी(समस्त पद्धति) के अंतर्गत विविध विकासखण्डवार कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या को प्रदर्शित किया गया है। ऐलोपैथिक चिकित्सा अधिकारी के अंतर्गत बालाघाट में 26 तथा अन्य पद्धति में 5 अधिकारी कार्यरत है। वारासिवनी तहसील में 12 चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध है। संक्रामक रोग निवारण के अंतर्गत सर्वाधिक बालाघाट में 27 व लालबर्रा में 25 चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हैं वहीं बिरसा, बैहर व परसवाड़ा में क्रमशः 20, 18 व 14 चिकित्सा अधिकारी कार्यरत है। अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी के अंतर्गत बिरसा में सबसे अधिक 72 अन्य कर्मचारी सेवारत हैं। इस प्रकार समस्त जिले में विविध तहसीलों में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक बालाघाट में 149 है तथा कटंगी, बिरसा, वारासिवनी और लांजी में क्रमशः कुल 131, 121, 103 व 102 कर्मचारी सेवारत हैं।

बालाघाट जिले मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय स्वास्थ्य विभाग एवं योजनाएं :– राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की जनता के सर्वांगीण विकास के लिए कुछ ऐसे कार्यक्रमों का शुभारंभ किया है जिनके कियान्वयन से राज्य की जनता के जीवन स्तर में सुधार के साथ–साथ प्रदेश की प्रगति को भी गति मिली है। राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले विभिन्न योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है –

महिला एवं बाल विकास :– महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन वर्ष 1986 में किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को समुचित शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास तथा स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार के साथ–साथ महिलाओ की सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना और उन्हें अपने हितों के प्रति जागरूक करना है। महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम की स्थापना वर्ष 1988 में महिला आर्थिक विकास निगम के नाम से की गई थी। विभाग द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए निम्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है जिनमें – ग्राम्या योजना, स्वसहायता समूह, फोटोकापियर योजना, समर्थ योजना, टंकड योजना, ममत्व मेला, कौशल उन्नयन, उद्यमिता जागरूकता, नोराड योजना, स्वशक्ति परियोजना इत्यादि है।

आंगनबाड़ी केन्द्र :–

सारणी क्र.
मध्यप्रदेश में एकीकृत बाल विकास परियोजनाएं

क	विवरण	आंकड़े
1	ग्रामीण परियोजनाएं	278
2	आदिवासी परियोजनाएं	102
3	शहरी गंदी बस्तियों में परियोजनाएं	73
	योग	453

सारणी क्र.
आंगनबाड़ी केन्द्र

क	विवरण	आंकड़े
1	ग्रामीण आंगनबाड़ी केन्द्र	48762
2	आदिवासी आंगनबाड़ी केन्द	22292
3	शहरी गंदी बस्तियों में आंगनबाड़ी केन्द	7875
	योग	78929

मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र :–

सारणी क्र.
मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र

क	विवरण	आंकड़े
1	ग्रामीण मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र	7962
2	आदिवासी मिनी आंगनबाड़ी केन्द	3962
3	शहरी गंदी बस्तियों में मिनी	182
	आंगनबाड़ी केन्द	
	योग : कुल मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र	12070

स्त्रोत – प्रशासकीय प्रतिवेदन मध्यप्रदेश वर्ष 2011–12

उपरोक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रदेश के सभी 313 विकासखण्ड में 281 ग्रामीण, 99 आदिवासी एवं 73 शहरी बाल परियोजनाओं सहित कुल 453 समेकित बाल विकास परियोजनाएं संचालित है। इन 453 बाल विकास परियोजनाओं में कुल 78929 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 12070 उप आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत है। इन आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से लगभग 87 लाख हितग्राहियों को आई.सी.डी.एस. की सेवाओं से लाभान्वित किया जा रहा है।

पूरक पोषण आहार :– वर्तमान में 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों को 4.00 रूपए प्रति बच्चा प्रतिदिन के मान से 12–15 ग्राम प्रोटीन एवं 500 कैलोरी युक्त पोषण आहार दिया जाता है। गंभीर कुपोषित बच्चों को 6.00 रूपए प्रति बच्चा प्रतिदिन के मान से 20–25 ग्राम प्रोटीन एवं 800 कैलोरी युक्त पोषण आहार तथा गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को 5.00 रूपए प्रति हितग्राही प्रतिदिन के मान से 18–20 ग्राम प्रोटीन एवं 600 कैलोरी युक्त पोषण आहार दिया जाता है। इसके अंतर्गत निम्न सेवाएं है –

– स्वास्थ्य जांच
– संदर्भ सेवाएं
– टीकाकरण
– पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा
– स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना(आइ.जी.एम.एस.वाई.) :– मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 24 सितम्बर 2011 को योजना क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई। समेकित बाल विकास सेवा योजना की संरचना के माध्यम से गांव में आंगनबाड़ी केन्द्र द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती और धात्री महिलाओं को उनके बच्चों के जन्म के पूर्व एवं पश्चात मजदूरी में होने वाली हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति एवं गर्भवती और धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना है।

अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन योजना :– राज्य से कुपोषण समाप्त करने

हेतु दिनांक 4 मई 2010 को राज्य विधानसभा द्वारा अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन की स्थापना की गई। जिसे महिला एवं बाल विकास विभाग के रूप में नोडल विभाग घोषित किया गया। अनुसूचित जनजातीय एवं कुपोषण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों के लिए वर्ष 2014–15 में विशेष पैकेज–अनुसूचित जनजातीय बाहुल्य एवं कुपोषण से ग्रसित क्षेत्रों हेतु उत्कृष्ट आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की व्यवस्था की गई। ऐसे आदिवासी बाहुल्य ग्राम जहां अधिकांश माताएं मजदूरी के लिए जाती हो, में झूलाधर या अतिरिक्त कार्यकर्ता की व्यवस्था की गई है। उपरोक्त हेतु वित्त पोषण आदिवासी विकास विभाग की योजना अथवा अटल बाल मिशन के अंतर्गत कार्ययोजना संपादित की गई है।

प्रचार–प्रसार गतिविधियां :– प्रचार–प्रसार गतिविधियों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य जन जागरूकता लाना, कार्यक्रमों की छवि बेहतर करना, सेवाओं की मांग बढ़ाना, बच्चों की देखभाल, पोषण एवं स्वास्थ्य व्यवहारों में प्रभावी एवं स्थाई परिवर्तन लाना व सामुदायिक सहभागिता बढ़ाना है।

जननी सुरक्षा योजना :– इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराकर मातृ मृत्युदर एवं शिशु मृत्युदर में कमी लाना है। मान्यता प्राप्त निजी संस्था में प्रसव कराने वाली गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों तथा अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं को भी इसका लाभ प्राप्त होता है। अभी तक इस योजना से 42 लाख महिलाएं लाभान्वित हो चुकी है। योजना के क्रियान्वयन के उपरांत मध्यप्रदेश में संस्थागत प्रसवों की संख्या 27 प्रतिशत से बढ़कर 81 प्रतिशत हो गई है।

राष्ट्रीय किशोरी शक्ति योजना :– 11 वर्ष से 18 वर्ष की किशोरी को इस वर्ग में रखा जाता है। किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा एवं सामाजिक स्तर को बढ़ाने के लिए गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली किशोरियों का चयन कर उनमें संतुलित आहार, स्वास्थ्य देखभाल, आर्थिक स्वावलंबन हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। उनके स्वास्थ्य का परीक्षण करके उन्हें आयरन, फोलिक एसिड तथा आवश्यकता पड़ने पर डिवार्मिंग की गोलियां उपलब्ध कराई जाती है। आंगनबाड़ी द्वारा उन्हें व्यक्तिगत स्वास्थ्य, सफाई तथा पर्यावरण जागरूकता, संतुलित आहार आदि की जानकारी दी जाती हैं।

सारणी क्र.

बालाघाट जिले में विकासखण्डवार बच्चों में पोषण स्तर

क्र.	विकासखण्ड	पोषणस्तर
1	बालाघाट	0.0000
2	लालबर्रा	0.0556
3	वारासिवनी	0.111
4	कटंगी	0.3889
5	खैरलांजी	0.4444
6	किरनापुर	0.5000
7	लांजी	0.6111
8	बिरसा	0.7778
9	परसवाड़ा	0.8333
10	बैहर	1.0000

स्त्रोत – बैकवर्ड रीजन ग्रांड फंड(2007–08 से 2011–12)

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि बालाघाट जिले में प्रत्येक विकासखण्डवार बच्चों में पोषण स्तर क्रमानुसार है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों का पोषण स्तर सबसे निम्न बैहर तहसील में है। बालाघाट, लालबर्रा एवं वारासिवनी तहसील में बच्चों का पोषण स्तर उच्च है जबकि अन्य आदिवासी पिछड़े तहसीलों जिनमें बैहर, बिरसा एवं परसवाड़ा में पोषक तत्वों की कम उपलब्धता प्राप्त हो रही है। इस प्रकार इन तीनों विकासखण्डों में क्रमशः बच्चों का पोषण स्तर निम्न है।

सारणी क्र.

बालाघाट जिले में कुल कार्यशील महिलाओं का पोषण स्तर

क्र.	विकासखण्ड	पोषणस्तर
1	लालबर्रा	0.000
2	वारासिवनी	0.013
3	खैरलांजी	0.052
4	किरनापुर	0.082
5	बालाघाट	0.086
6	लांजी	0.106
7	कटंगी	0.210
8	परसवाड़ा	0.473
9	बैहर	0.906
10	बिरसा	1.000

स्त्रोत – बैकवर्ड रीजन ग्रांड फंड(2007–08 से 2011–12)

उपरोक्त सारणी में जिले में कार्यशील महिलाओं का पोषण स्तर को उनके शिक्षा से

तुलनात्मक रूप में मापा गया है। कार्यशील महिलाओं का निम्न पोषण स्तर उनके कम शिक्षित होने का प्रमाण है। पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में बिरसा विकासखण्ड में सबसे निम्न पोषण स्तर पाया गया है। महिला बाल विकास योजना द्वारा जिले के पिछड़े क्षेत्रों में विविध स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए कार्य संचालित किए गए है।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित स्वास्थ्य योजनाएं

दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना :– दीनदयाल अंन्त्योदय उपचार योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के सभी वर्गों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। प्रत्येक पात्र परिवार को एक स्वास्थ्य कार्ड दिया जाता है जिसमें परिवार का विवरण दर्ज होता है। इस योजना से अब तक 25 लाख 97 हजार 200 हितग्राहियों को 164 करोड़ 40 लाख रूपए का उपचार उपलब्ध कराया गया है।

परिवार कल्याण केन्द :– परिवार कल्याण केन्द्रों के अंतर्गत गर्भनिरोधक स्थाई व अस्थाई साधनों द्वारा जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जा रहा है। मातृ एवं शिशु कल्याण स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी विविध जांच करवाई जाती है तथा प्रसव के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती है।

1. **वंदे मातरम् योजना** :– इस योजना का प्रारंभ प्रदेश में 9 फरवरी 2004 में गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए चलाई गई थी। प्रदेश में 844 वंदे मातरम् केन्द्र निहित है। वर्ष 2005 में 36 हजार गर्भवती महिलाओं को उनका स्वास्थ्य, टिटनेस के टीके तथा आयरन की टेबलेट प्रदाय किए गए।
2. **टीकाकरण** :– इसके माध्यम से समय–समय पर पोलियो टीकाकरण अभियान चलाये जा रहे हैं। विविध जानलेवा बीमारियों व गर्भवती महिलाओं को टिटनेस के टीके लगाए जाते हैं। वर्ष 2004–05 में डी.पी.टी., पोलियो, बी.सी.जी, मिजल्स का टीकाकरण मध्यप्रदेश में कराया गया।

सारणी क्र.
बालाघाट जिले में परिवार कल्याण कार्यक्रम का विवरण

क्र.	तहसील	परिवार कल्याण केन्द्र	प्रति केन्द्र द्वारा सेवित जनसंख्या(हजार में)	परिवार नियोजन के स्थाइ साधन			
				पुरूष नसबंदी	महिला नसबंदी	योग	लूप निवेशन
1	बालाघाट	2	1575	522	2435	2957	280
2	किरनापुर	1	1210	339	1313	1652	149
3	वारासिवनी	2	1240	174	1227	1701	269
4	लालबर्रा	1	1345	372	1230	1602	206
5	खैरलांजी	1	1415	151	1331	1482	190
6	कटंगी	1	1215	140	1461	1601	125
7	लांजी	1	1319	315	1585	1900	195
8	परसवाड़ा	1	1312	213	937	1150	98
9	बैहर	1	1375	140	1223	1363	165
10	बिरसा	1	1425	99	1526	1625	118

स्त्रोत : जिला सांख्यिकीय पुस्तिका 2011

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि जिले में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत परिवार कल्याण केन्द्र बालाघाट व वारासिवनी विकासखण्ड में दो–दो परिवार कल्याण केन्द्र है। परिवार नियोजन के स्थाई साधन के अंतर्गत पुरूष नसबंदी सर्वाधिक 474 वारासिवनी तहसील में तथा महिला नसबंदी सर्वाधिक 2435 बालाघाट तहसील में प्रयोग किए गये। इस प्रकार कुल प्रयोग किए गए स्थाई साधनों में बालाघाट तहसील तथा न्यूनतम परसवाड़ा विकासखण्ड में प्रयोग किए गये।

मातृत्व व शिशु स्वास्थ्य परीक्षण :– जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत बाल स्वास्थ्य संबंधी कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनमें आईवाईसीई, आईएमएनसीआई एवं विटामिन 'ए', आयरन, जिंक आदि

से संबंधित कार्यक्रम प्रमुख है। इसके अंतर्गत नवजात शिशु एवं बाल स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल हेतु मातृ स्वास्थ्य एवं पोषण हेतु अतिरिक्त गतिविधियां जैसे – बाल्यकाल में एनीमिया नियंत्रण, बच्चों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की प्रदायगी, बच्चों की टीबी जांच, आयोडीन युक्त नमक का सेवन आदि सम्मिलत है। वर्ष 2014–15 में स्वास्थ्य सेवाओं की कार्ययोजना में शिशु, गर्भवती महिला स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया।

बालाघाट जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग एवं प्रभाव

सारणी क्र.

पूरक पोषण आहार का विवरण

श्रेणी	6–35 माह		36–71 माह		कुल बच्चे (6–71 माह)		गर्भवती माताएं	धात्री माताएं	किशोरी बालिकाएं / कार्यकर्ता / सहायिका
	बलिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक			
अनुसूचित जनजाति	1766	1718	2041	1988	3807	3706	671	799	2522
अनुसूचित जाति	47	45	64	55	111	100	20	20	114
पिछड़ा वर्ग	669	700	896	874	1565	1574	256	322	1065
अन्य	18	13	37	37	55	50	8	9	31
सभी श्रेणियां (कुल)	2500	2476	3038	2954	5538	5430	955	1150	3732
विशेष आवश्यकता वाले बच्चे	1	2	7	6	8	8	0	0	2
अल्पसंख्यक	17	16	72	64	89	80	13	5	49
फीडिंग डेस में कुल व्यक्तियों की संख्या(टीपीएफडी)	48166	46658	63324	60693	111490	107351	18246	21915	35570

स्त्रोत : www.mpwchmis.gov.in

अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन :– अनुसूचित जनतातीय एवं कुपोषण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों के लिए वर्ष 2014–15 में विशेष पैकेज– अनुसूचित जनजाति बाहुल्य एवं कुपोषण से ग्रसित क्षेत्रों हेतु उत्कृष्ट आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की व्यवस्था की गई। ऐसे आदिवासी बाहुल्य ग्राम जहां अधिकांश माताएं मजदूरी के लिए जाती हो, में झूलाधर या अतिरिक्त कार्यकर्ता की व्यवस्था की गई। उपरोक्त हेतु वित्त पोषण आदिवासी विकास विभाग की योजना अथवा अटल बाल मिशन के अंतर्गत कार्ययोजना संपादित की गई।

रोगी कल्याण समिति :– इसका गठन वर्ष 1996–97 में किया गया है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले को सस्ते दरों पर दवाओं का वितरण किया जाता है। इस समिति के माध्यम से जिला के सभी चिकित्सालयों में एक्सरे मशीन, माईक्रोस्कोप, ई.सी.जी. मशीन, अल्ट्रासोनोग्राफी आदि मशीन प्रदाय किये जाते हैं।

उपरोक्त सारणी में तथ्यों से स्पष्ट है कि पूरक पोषण आहार में 6–35 माह में अनुसूचित जनजाति के बालिकाओं की संख्या 1766 और बालकों की संख्या 1718 है। कुल बच्चे (6–71 माह) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के बालिकाओं की संख्या 3807 व बालकों की संख्या 3706 है तथा धात्री माताओं की संख्या 799 है। अनुसूचित जाति वर्ग के अंतर्गत 36–71 माह के बालिकाओं की संख्या 896 व बालकों की संख्या 874 है। जिनमें कुल बच्चे (6–71 माह), 1565 बालिकाएं तथा 1574 बालक है। धात्री माताओं में 322 और किशोरी बालिकाओं की संख्या 1065 है। सभी श्रेणियों में कुल बच्चों में बालिकाओं के अंतर्गत 5538 और बालकों में 5430 संख्याएं है। जिन्हें पूरक पोषण आहार प्रदाय किया गया। गर्भवती माताएं व धात्री माताओं में क्रमशः 955 व 1150 है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अंतर्गत सर्वाधिक 6–71 माह के बच्चों में बालिकाओं व बालकों की संख्या 8–8 है। 36–71 माह के बालिकाएं व बालकों की संख्या 72 व 64 है। किशोरी बालिकाओं की संख्या 49 पाई गई जिनमें पूरक पोषक आहार की मात्रा प्रदाय की जा रही है।

सारणी क्र.

बालाघाट जिले में बच्चों की पोषण स्थिति

श्रेणी	0–1 वर्ष		1–3 वर्ष		3–5 वर्ष		कुल	
	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक
वजन लिए गए बच्चों की कुल संख्या	1237	1224	2352	2306	2408	2386	5997	5916
कुल बच्चों की संख्या	1326	1302	2266	2258	2281	2235	5873	5795
वजन करने की क्षमता(प्रतिशत में)	93	94	104	102	106	107	102	102
सामान्य(हरे रंग के बच्चे)	संख्या 1028	1033	1795	1826	1855	1919	4678	4778
	(%) 83	84	76	79	77	80	78	81
कम वजन(पीले रंग के बच्चे)	संख्या 196	178	497	435	505	443	1198	1056
	(%) 16	15	21	19	21	19	20	18
अधिक कम वजन(नारंगी रंग के बच्चे)	संख्या 13	13	60	45	48	24	121	82
	(%) 1	1	3	2	2	1	2	1
MUAC टेप के अनुसार 11.5 सेमी. से कम माप वाले बच्चों की संख्या	संख्या 2	2	1	8	1	3	4	13
	(%) 0	0	0	0	0	0	0	0

स्त्रोत : **www.mpwchmis.gov.in**

उपरोक्त सारणी से यह कहा जा सकता है कि बालाघाट जिले में बच्चों में पोषण की स्थिति एवं विकास के आधार पर कुल बच्चों की संख्याओं में 0–1 माह तक के बालिकाओं की संख्या 1326 व बालकों की संख्या 1302 है। वहीं 1–3 वर्ष के बालिकाओं में 2266 व बालकों में 2258 इसी प्रकार 3–5 वर्ष के बालिकाओं में 2281 व बालकों की संख्या 2235 है। इस प्रकार कुल बालिकाओं की संख्या 5873 एवं बालकों की कुल संख्या 5795 है। सामान्य(हरे रंग के बच्चे) की संख्या में 0 माह से 1 वर्ष तक कुल 1028 बालिकाएं तथा 1033 बालक पाए गए जिनका प्रतिशत क्रमशः 83 व 84 है। इसी प्रकार 1–3 वर्ष तक के बच्चों में 1795 बालिकाएं व 1826 बालक जिनकी प्रतिशतता क्रमशः 76 व 79 है। कम वजन(पीले रंग के बच्चे) की संख्या 1–3 वर्ष की उम्र के बालिकाओं का प्रतिशत 21 व बालकों का प्रतिशत 19 है। इस प्रकार कुल बालिकाओं का प्रतिशत 20 बालकों में 18 पाया गया। अति कम वजन(नारंगी रंग के बच्चे) की संख्या में 1–3 वर्ष की उम्र के बालिकाओं का प्रतिशत 3 व बालकों का 2 है। अतः स्पष्ट है कि जिले में सामान्य बच्चों में अधिकतम 81 प्रतिशत पाया जा रहा है।

बैगा जनजाति विकास में शासकीय योजनाओं की भूमिका :– भारत का जनजातीय समुदाय 20वीं सदी के अंत तक प्रायः बाह्य शक्तियों तथा शहरीकरण, औद्योगीकरण, व्यापारीकरण, औपचारिक संस्थाओं, राष्ट्रीय विकास कायक्रमों से प्रभावित हुआ है। जिसमें शिक्षा, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य एवं राजनीतिक सहभागिता ने जनजाति के स्थिर समुदाय को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है। इसके परिणाम स्वरूप लक्षण परिलक्षित होने लगे हैं।

विकास कार्यक्रमों के प्रभाव स्वरूप जनजातीय समुदाय में निर्देशित विकास होने की आशा की गई है परन्तु इस निर्देशित विकास के साथ–साथ उसके फलस्वरूप परम्परागत जनजातीय समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन में कुल अनिर्देशित स्वयं विकास भी दृष्टिगोचर होने लगता है। सामाजिक, सांस्कृतिक विकास थोड़ा बहुत एक सीमा तक निर्देशित विकास से भी प्रभावित होता है।

बैगा जनजाति के संबंध में उपलब्ध साहित्य के पुनरावलोकन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि उनके आचार–विचार, रहन–सहन, सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति, रीति–रिवाज आदि में जो परिवर्तन आए हैं उनमें बहुत धीमी गति से उनका विकास हुआ है। छटवीं योजना काल में विशेष पिछड़ी आदिम जनजाति समूहों की अलग से पहचान कर उनके लिए विकास की विशिष्ट योजनाएं निर्मित की गई थी। मध्यप्रदेश के नर्मदा घाटी के क्षेत्र में मण्डला जिले में बैगाचक नाम से ज्ञात क्षेत्र में विशेष रूप से बैगा (पिछड़ी आदिम जनजाति), निवास करती है। बेरियर एल्विन ने आज से 50 वर्ष पूर्व इस पर विशेष रूप से अध्ययन किया था।

भारत सरकार आदिवासियों एवं पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु अनेक कार्यक्रम संचालित कर रही है। मध्यप्रदेश में आदिवासी जनसंख्या के बाहुल्य को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश सरकार इस दिशा में विशेष प्रयास कर रही है। इसके लिए प्रथक मंत्रालय एवं आदिवासी विकास अभिकरण तथा विशिष्ट पिछड़े समुदाय के उन्नयन हेतु विशिष्ट अभिकरण स्थापित किए गए है। वर्तमान समय में जबलपुर संभाग में 6 जिलों में आदिवासी विकास अभिकरण संचालित किया गया है जिनमें –

1.वृहत परियोजना मण्डल, 2. निवास, 3. डिण्डोरी, 4. तामिया, 5. लखनादौन एवं बैहर परियोजनाएं मुख्य है। इस संभाग में दो विशिष्ट जनजातियों हेतु विशिष्ट अभिकरण स्थापित किए गए है। मण्डला जिले में बैगा जनजाति के लिए वर्ष 1978 में विशेष आदिवासी विकास अभिकरण की स्थापना की गई थी।

इन विशेष अभिकरणों के अंतर्गत आने वाले जनजाति समूहों तथा अन्य आदिवासियों को मिलने वाली समस्त सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य लाभ भी प्रदान किए जाते हैं। इन जनजातियों के पिछड़ेपन को देखते हुए इनके लिए शासन द्वारा शिक्षा, आर्थिक उत्थान, स्वास्थ्य एवं पेयजल आदि की आवश्यकता के अनुसार कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

बैगा विकास अभिकरण बैहर द्वारा वित्तीय सहायता एवं उपलब्धियां :– बैगा जनजाति के सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक स्तर को सामान्य तथा सभ्य समाज की जीवनधारा से जोड़ने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन द्वारा बैगा विकास अभिकरण की स्थापना की गई तथा बैगा आदिवासी की संस्कृति की रक्षा के कार्यक्रम को एक बड़ी चुनौती के रूप में स्वीकार कर अन्य विभागों द्वारा बैगाचक में की जाने वाली योजनाएं एवं वित्तीय सहायता को संचालित किया है।

शिक्षा :– बैगा जनजाति के छात्र–छात्राओं के शालाओं में नियमित अध्ययनरत होने, छात्रावास/आश्रमों, शिक्षकों

की व्यवस्था, नर्सरी शिक्षिका/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की व्यवस्था हेतु कुल स्वीकृत राशि 42.20 लाख रूपए स्वीकृत की गई जिसमें लक्ष्य 1058 लाख रखा गया। जिसके अंतर्गत 837 लाख रूपए की उपलब्धि प्राप्त हुई।

पेयजल :– विकासखण्ड बिरसा के ग्राम घुम्मुर एवं कान्हाटोला में ट्यूबवेल सह हैंडपंप हेतु अभिकरण निधि से 4.00 लाख रूपए राशि व्यय की गई जिससे 1.00 लाख रूपए की उपलब्धि प्राप्त की गई।

कृषि एवं सिंचाई :– उन्नत कृषि एवं जैविक कृषि के प्रोत्साहन हेतु कृषि एवं सिंचाई विभाग द्वारा 2.85 लाख रूपए राशि व्यय की गई जिससे 120 बैगा हितग्राहियों को लाभ प्राप्त हुआ।

आवास :– संरक्षण सह विकास योजना अंतर्गत आवास निर्माण प्रति ईकाई लागत राशि रूपए 48000 लाख के मान से विकासखण्ड बैहर के 62 आवास, बिरसा से 67 आवास एवं परसवाड़ा विकासखण्ड से 29 आवास निर्माण किया गया।

बैगा विकास अभिकरण निधि के अंतर्गत विभिन्न वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियां भी प्राप्त की गई है। विशेष केन्द्रीय सहायता की ओर से विकासखण्ड बैहर व बिरसा के बीपीएल बैगा कृषकों को भूमि का संवर्धन, वर्मी कंपोस्ट बीज, खाद, बैलगाड़ी, उडावनी पंखा, उद्यानिकी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत फल/पौधरोपण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु 7.65 लाख रूपए का व्यय किया गया एवं 33 लाख रूपए की उपलब्धि हुई। इसी प्रकार विकासखण्ड परसवाड़ा के अंतर्गत बीपीएल बैगा (कृषकों) हितग्राहियों के लिए 3.38 लाख रूपए राशि व्यय की गई जिससे 17 लाख रूपए की उपलब्धि प्राप्त हुई इस प्रकार बैगा हितग्राहियों को विशेष केन्द्रीय सहायता मदान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्राप्त आबंटन से स्वीकृत कार्य/योजनाओं के लिए राशि व्यय की गई जिससे बैगा परिवारों को विविध सुविधाएं प्राप्त होगी।

स्त्रोत : एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना बैहर (2013–14) एक रिपोर्ट, बालाघाट मध्यप्रदेश

बैगा विकास अभिकरण बैहर निधि के द्वार बैगाओं के विकास हेतु अन्य योजनाएं

बैगा ओलंपिक :– बालाघाट जिले में निवास करने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा की संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन व बैगा जनजाति के लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बैहर तहसील में बैगा ओलंपिक का आयोजन किया गया। जिले में टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल एवं आदिवासी विकास विभाग द्वारा अप्रैल को बैहर तहसील में बैगा ओलंपिक का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बैगाओं के पारंपिक खेल – टिल्ली, गोबरंडा, शिकारी खेल, धनुशबाण, रस्सा–कसी, मटका दौड़, बोरा दौड़, बाधा दौड़, त्रिटंगी दौड़, बजनी खेल (कुश्ती), लीपा–पोती, कबड्डी, खो–खो जैसे खेलों की प्रतियोगिताएं सम्मिलित किए गए। इनके अतिरिक्त बैगा नृत्य एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन अभिकरण द्वारा किया जाता है।

बैगाओं के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जिले के बैहर तहसील में बैगा ओलंपिक कार्यक्रम के अंतर्गत मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया व कृषि गौरीशंकर बिसेन द्वारा बैगा जनजाति के युवक–युवतियों को पढ़ने एवं आगे बढ़ने की अपील की। बैगा जनजाति के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने और बांस, शिल्प के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इस उद्देश्य से स्वरोजगार मूलक शिक्षा के लिए कौशल उन्नयन केन्द्रों में बांस शिल्प को प्रोत्साहन देने और ट्रेड बढ़ाने पर काम किया जा रहा है।

बैगा ओलंपिक शिविर में बैगाओं को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु बैहर में आयोजित बैगा ओलंपिक के दौरान विशाल मेडिकल कैंप भी लगाया गया जिसमें लगभग 1000 लोगों को दवा व परामर्श दिया गया। इस मेडिकल कैंप में मेडिकल कॉलेज नागपुर व जबलपुर के 40 से 50 सभी रोगों के डॉक्टर मरीजों की निःशुल्क जांच व ईलाज किए। बालाघाट जिले में बैगा जनताति के युवक–युवतियों को शिक्षित होने व आगे बढ़ने तथा अन्य समाज के साथ विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनके शिक्षा स्वास्थ्य और राजेगार की जरूरतों की ओर ध्यान दिए जाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. राय, जे.के. एवं आर. के. राव (1957), ''वाइरल कैपेसिटी ऑफ बैगाज एण्ड गोंड्ज ऑफ मण्डला डिस्ट्रिक्ट'', बुलेटिन ऑफ दि डिपार्टमेन्ट ऑफ एन्थ्रोपॉलॉजी, अंक–6 (1), पृष्ठ क्रं. 47–51।

2. सिंह, अनिल कुमार (1992), ''ग्रामीण समुदाय में सामाजिक परिवर्तन'', क्लासिकल पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली, पृष्ठ क्रं. 18–40।
3. श्रीवास्तव, ए.आर.एन. (2004), ''जनजातीय भारत'', हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
4. श्रीवास्तव, डॉ. लोकेश (2010), ''जनजातीय परिदृश्य'', यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
5. शर्मा, डॉ. ब्रम्हदेव (1980), ''आदिवासी विकास एण्ड सैद्धांतिक विवेचना'', मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
6. शर्मा, डॉ. रंजना (2011), ''ग्रामीण जनसंख्या का पोषण स्तर'', (दुर्ग जिले के संदर्भ में), दि काउन्सिल फॉर पेस डेवलपमेंट एण्ड कल्चर यूनिट, मुरैना, भारत, वाल्युम–XI, P.No. 03।
7. सिंह, श्रीमती वन्दना (1999), ''बैतूल जिले में जनजातीय स्वास्थ्य'', आदिवासी स्वास्थ्य पत्रिका, आर.एम.आर.सी., जबलपुर।
8. सक्सेना, एन.एम. (1987), ''मध्य प्रदेश के आदिवासियों में प्रचलित मादक वस्तुएँ'', सामाजिक आयोग, नेशनल क्वालिटी रिसर्च जनरल, उज्जैन (मध्य प्रदेश)।
9. श्रीवास्तव, डॉ. लोकेश एवं ऋतु रानी (2004), ''बैगा जनजाति के सामाजिक परिवेश का एक अध्ययन डिण्डौरी जिला मध्य प्रदेश के संदर्भ में'', मासिक पत्रिका, वन बंधु, जनजाति विषय पर राष्ट्रीय पत्रिका, दिल्ली।
10. श्रीवास्तव, डॉ. लोकेश, डॉ. ऋतु रानी (2010), ''जनजातीय स्वास्थ्य'', यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
11. श्रीवास्तव, डॉ. लोकेश (2010), ''मध्य प्रदेश का भूगोल'', शारदा, पुस्तक सदन, इलाहाबाद।
12. मेहता, बी.एच. (1984), ''गोंड्स ऑफ द सेंट्रल इंडियन हाट्रलैण्ड्स'', कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग, को.एन. दिल्ली।
13. मिनोचा, ए. (1980), ''इण्डियन फ्लुरलिजन एण्ड हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया'', सोशल साइंस एवं मेडिकल।
14. मिश्र, उमाशंकर, प्रभात कुमार तिवारी (1975), ''भारतीय आदिवासी'', उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, लखनऊ।

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 5 June 2019

वर्तमान में हिन्दी भाषा की प्रासंगिकता

डॉ. संगीता त्यागी
दिल्ली विश्वविद्यालय, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीश

''हिन्दी है मेरे देश की शान,
हिन्दी ही मेरी पहचान
हिन्दी देश के बासी हैं हम सब
हिन्द पर ही हो जाएँ कुर्बान''

हिन्दी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा परम्परा की आधुनिक कड़ी है। भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को अपनाया जाना सर्वथा उचित है, क्योंकि राष्ट्र भाषा के स्थान की यही अधिकारिणी है, इसी में वह ताकत है जो किसी भी राष्ट्रभाषा की परम्परा में स्वीकार्य है।

इसमें अमरतत्व विद्यमान है, जो पूरी दुनियाँ को प्रभावित कर सकता है। हिन्दी विश्व में चीनी भाषा के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत और विदेशों में कबीर 50 करोड़ लोग हिन्दी बोलते व 90 करोड़ लोग हिन्दी समझते हैं। हिन्दी हमारे सामाजिक सांस्कृतिक, धर्मिक आन्दोलनों की ही नहीं अपितु राष्ट्रीय चेतना एवं स्वतन्त्राता के लिए किए गए संघर्षों की अभिव्यक्ति की भाषा भी रही है। उस समय भारत का जन–जन इसका प्रयोग करने में आत्मगौरव व आत्मसम्मान की अनुभूति करता था। सच्ची एवं शुद्ध भारतीयता की यह परख समझी जाती थी, इसलिए महात्मा गांधी ने इसे राष्ट्र भाषा के नाम से विभूषित किया। परन्तु पराधीनता की बेड़िया ध्वस्त होते ही, भारतीय तनधारी, अंग्रेजियत मनधारी, पाश्चात्य संस्कृति के उपासकों ने प्रचछन्न रूप से हिन्दी के विरोध में एक सशक्त ध्वनितरंग छोड़ दी। परिणाम स्वरूप संविधान में हिन्दी को राजभाषा घोषित तो किया गया, परन्तु काफी गरमागरमी के बाद, अनेक प्रतिबन्धों के साथ। अतः हिन्दी कोश की कमी को दूर करने के बहाने स्वतन्त्रता संग्राम की स्वरवाहिनी को पन्द्रह साल के लिए राजकार्य से निष्कासित किया गया। भाषा के आधार पर प्रान्तों के पुनर्गठन से हिन्दी की स्थिति को भारी आघात पहुँचा, इसे स्वार्थी तथ्यों ने ज्यादा हवा दी जिससे भाषायी दृष्टि से प्रादेशिक भावना और राष्ट्रीय भावना के बीच टकराव की स्थिति उभरने लगी। हिन्दी के विकास पथ पर रोड़ा अटकाने वाले आज भी अंग्रेजी का समर्थन और हिन्दी का विरोध कर रहे हैं।

हिन्दी का सम्बन्ध संस्कृति और संस्कारों से है। राष्ट्रभाषा हिन्दी भारतीयता का प्रतीक है। हिन्दी राष्ट्र की वाणी को मुखरित करने वाली, मानवीय मूल्यों की रक्षा करने के लिए संघर्ष करने वाली और जन–जन की अभिव्यक्ति की भाषा है। हिन्दी प्रेम के कारण ही अहिन्दी प्रदेश से सम्बन्ध रखने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी जन जन के प्रिय और ख्याति प्राप्त किए हुए हैं। और विदेशों में भी भारत का परचम लहरारहे हैं।

''जब तक हिंदी और नागरी दोनों का सम्मान है,
जब तक संसार में यह जीवित हिन्दुस्तान है।''

सम्पन्न व्यक्तित्व के विकास के आधार भूत सिद्धान्तों के आधार पर प्राथमिक शिक्षा का माध्यम लोक भाषा है। बाद में आवश्यकतानुसार विदेशी भाषाओं का अध्ययन किया जा सकता है, साहित्य और संस्कृति का विषय सभी शिक्षण पद्धतियों में अनिवार्य हो।

मीडिया, ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी में हिन्दी का व्यवहार हो क्योंकि इससे लोगों की भागीदारी, उद्यमिता और आर्थिक प्रगति ज्यादा होगी। सभी भारतीय भाषा समीतियों और भाषा संस्थानों का संघ सिफारिशों को भारत और राज्य सरकारों के योजनाकारों को भेजें। हिन्दी के प्रचार के द्वारा हमें जनता को जागृत करना है प्रदेश के नेताओं में हिन्दी की उपेक्षा दूर करनी है। अंग्रेजी न जानने वाले की अपेक्षा अंग्रेजी जानने वाले को सभ्य, श्रेष्ठ और सुसंस्कृत समझा जाता है।

हालाँकि हिन्दी–भाषी जनता की शक्ति अपार है, किन्तु वह असंगठित और बिखरी हुई है। समूचे राष्ट्र को एकता बद्ध और दृढ़ करने के लिए हिन्दी भाषी जाति की एकता आवश्यक है। यदि समस्त हिन्दी भाषी प्रदेश में शिक्षा–संस्थाओं, न्यायालयों, राजकीय कार्यों में हर स्तर पर हिन्दी का व्यवहार होने लगे, यदि विधान परिषदों में सदस्य प्रतिज्ञा करें कि वे अपना सार्वजनिक कार्य हिन्दी में ही करेंगे, यदि लोकसभा के सदस्य तय कर लें कि वे राजभाषा के रूप में हिन्दी का ही व्यवहार करेंगे तो समूचे राष्ट्र का वातावरण बदल जाएगा।

आज संघर्षरत हिन्दी राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, जनभाषा के सोपानों को पार करती हुई विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कारण आज हिन्दी भाषा के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की बढ़ोत्तरी हुई है। कुछ देशों द्वारा हिन्दी को व्यापार की भाषा स्वीकार करने से विदेशी विश्वविद्यालयों में, हिन्दी भाषा और भाषा विज्ञान के शिक्षण की भारी माँग है। आज यह जरूरी भी है कि–

''हिन्दी पाए प्रतिष्ठा और बढ़े देश का मान
वरना थोथे शब्द हैं मेरा देश महान''

आज भाषा, व्याकरण, साहित्य, कला, संगीत के साथ–साथ अभिव्यक्ति के सभी माध्यमों में हिन्दी ने अपनी उपयोगिता, प्रासंगिकता एवं वर्चस्व कायम किया है, लेकिन आज भाषा के साथ दोयम दर्जे के व्यवहार के कारण हिन्दी वर्तमान में फिसलती जा रही है, क्योंकि इसका गुणवत्ता सूचकांक गिरता जा रहा है, लोगों की भागीदारी कम हो रही है। शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है। साहित्य और संस्कृति की जननी हिन्दी भाषा, जो समाज को सभ्य और नैतिकता का पाठ पढ़ाती है उस हिन्दी भाषा को वर्तमान शिक्षा प्रणाली C.B.C.S में ऐच्छिक भाषा में चुनने के लिए अंग्रेजी भाषा के विकल्प में डाल दिया गया है– इससे ज्यादा राष्ट्रभाषा का अनादर और क्या होगा, उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम सम्बन्धी निर्णय उन व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं, जिनको दूर–दूर तक उच्च शिक्षा से लेना–देना नहीं। साथियों! सच कड़वा होता है पर जब मेरी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा हिन्दी राष्ट्रीय स्वर वाहिनी का अपमान होता है तो बहुत टीस होती है।

ज्येष्ठा हिन्दी वंचिता, देती है धिक्कार
आजादी के बाद भी मिला नहीं अधिकार
हिन्दी की ज्योति अपने आप जलेगी,
अगर! रूख हवाओं के पफेरने का जज्बा हर
हिन्दुस्तानी में हो
कोई तूफान भी न रोक पाएगा
अगर आपके हौंसलों में उड़ान हो
पर उन्हीं के बीच तालमेल का अभाव है।

सही अर्थों में प्रजातंत्र की सार्थकता तभी सिद्ध हो पायेगी जब जनता अपनी भाषा में बाधा को दूर कर, प्रशासन तथा आर्थिक व्यवहार क्षेत्रों में सहयोग देने की स्थिति में आ जाए और यह कार्य तभी सफल होगा, जब राज्यों में प्रादेशिक भाषा का व्यवहार सर्वत्र हो और सारे भारतवर्ष में विभिन्न भाषी लोगों को जोड़ने वाली, प्रशासन, आर्थिक व्यवहार और सांस्कृतिक सम्बन्धों को मजबूत करने वाली एक भाषा हो और वह हिन्दी हो। यदि सही अर्थों में हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाना है तो हर एक भाषा को अपनी विशेषता प्रदान करने की स्वतन्त्रता देनी चाहिए, तभी हिन्दी की कल्पनातीत वृद्धि होगी, और अंगाली अपनी समृद्धि, राजस्थानी अपने लोक साहित्य के तत्व गुजराती व मराठी अपनी भाव प्रदर्शन की शक्ति और द्रविड़ भाषाएँ सम्भवतः अपना सौंदर्य उसे प्रदान करेंगी और सबकी जननी संस्कृत भाषा इन विभिन्न तत्वों को एकता के सूत्र में बाँधेगी। क्योंकि राष्ट्रभाषा राष्ट्र की आत्मा होती है जिसमें पूरा देश संवाद करता है, जिससे देश की पहचान होती है। जब हम दोहरी मानसिकता को त्यागेंगे तभी हिन्दी का राष्ट्रीय स्वरूप उजागर होगा, इस स्वरूप की आज अलग पहचान हो, यह समय की माँग है, क्योंकि इसी में देश की एकता, अस्मिता समाहित है। तभी भारत विश्व के सम्मुख अपनी आत्मा को उपस्थित करेगा और अपना नाम विश्व पटल पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करने में सफल होगा।

राष्ट्र भाषा हिन्दी की बढ़ती लोकप्रियता से उन लोगों के पैर जमीन से उखड़ते नजर आ रहे हैं जो अब तक आम जनता पर अंग्रेजी की धौंस जमाया करते थे। जन–तंत्र में जरूरी है कि जनता की भाषा का महत्व बढ़े, जनता का महत्व बढ़े भाषा हमारी अनुभूतियों को व्यक्त करने का माध्यम भर नहीं है, यह हमारी सभ्यता तथा वाणी बनकर संस्कृति को शब्द प्रदान करती है। आज हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी की स्थिति दयनीय है, फिर भी यह भाषा संघर्ष करती हुई आगे बढ़ रही है। हिंदी सम्पूर्ण राष्ट्र की भाषा है, आजादी की भाषा है। आज समय की मांग है कि राष्ट्र भाषा के उत्थान के लिए, उसके बढ़ते हुए वर्चस्व को कायम करने के लिए भारतीय एकजुट हो क्योंकि हिंदी भारत की आत्मा है, वह देश की रक्तवाहिनियों में बहने वाला जोश है, और देश को एकता के सूत्र में बांधने वाला अटूट धागा है। आज हमें राष्ट्र रूपी गंगा को विदेशी भाषा के अतिक्रमण से मुक्त कराना है। हम हिंदी भाषी कृत संकल्पित हों, व्यवहारिकता के आधर पर राष्ट्रभाषा को बनाने में भावनात्मक एकता बनायें–

हिंदी हिंद राष्ट्र की भाषा,
कोटि–कोटि मानव की आशा,
जगे देश के भाग री,
जय हिंदी जय नागरी।'

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 5 June 2019

सीहोर में महाकुमार का राज्य

ज्ञानप्रकाश सिंह यादव
शोध छात्र, इतिहास विभाग, शास. हमीदिया महाविद्यालय, भोपाल

बारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में परमार वंश दो भागों में बंट गया प्रथम मूल रूप में परमार ही बने रहे। दूसरी शाखा महाकुमारों के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुए।

महाकुमारों की शाखा सीहोर, विदिशा, होशंगाबाद, निमाड़ खानदेश में शासन कर रही थी। मालवा में विद्रोह हो गया जिसमें कुमारपाल के साथ जयवर्मन मारा गया। जयवर्मन् की मृत्यु 1143 ई. में। हुई तब उसका छोटा भाई लक्ष्मीवर्मन भोपाल और सीहोर का शासक बना।

लेखक को एक ताम्र पत्र प्राप्त हुआ है। यह ताम्र पत्र सीहोर के ग्राम उलझावन के एक किसान के खेत से प्राप्त हुआ। यह ताम्र पत्र सन् 1199 अर्थात् विक्रमी संवत् 1256 का है। यह ताम्रपत्र महाकुमार उदयवर्मन का है जो 1199 ई. में सीहोर में शासन कर रहा था। ताम्र पत्र संस्कृत भाषा में है और उसमें लिखा है कि महाकुमार लक्ष्मीवर्मन् ने अपना राज्य अपनी तलवार से प्राप्त किया है और महाकान्तार क्षेत्र (सीहोर, भोपाल) में स्वतन्त्र शासन किया। महाकुमार लक्ष्मीवर्मनदेव यशोवर्मनदेव का पुत्र और नरवर्मन् का पौत्र था। इस बात की सत्यता का पता उज्जैन के अभिलेख से (उज्जैन दानपत्र) ज्ञात होता है कि लक्ष्मीवर्मन् देव यशोवर्मदेव (1200 ई.) का पुत्र था। उज्जैन दानपत्र से ज्ञात होता है कि इस वंश का संस्थापक अजयपालदेव था।

लेखक को अपने भोपाल के सर्वेक्षण में एक स्तम्भ अभिलेख 1980 में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया और कलेक्टर कार्यालय भोपाल के मध्य राज्य सर्तकता आयोग के कार्यालय के प्रांगण से प्राप्त हुआ है। यह स्तम्भ अभिलेख महाकुमार लक्ष्मीदेववर्मन का है जिसमें महाकुमारों की उस वंशावली का वर्णन है जो विदिशा भोपाल, सीहोर होशंगाबाद, निमाड़ और खानदेश में शासन कर रहे थे। इस स्तम्भ लेख के अनुसार महाकुमार लक्ष्मीदेव वर्मन् के पश्चात् उसका पुत्र हरिश्चन्द्र गद्दी पर बैठा, उसका भी एक ताम्रपत्र विक्रम संवत् 1214 अर्थात् 1157 ई. का भोपाल से प्राप्त हुआ है। उसमें वर्णन है कि उसने विदिशा के पास एक ग्राम भिल्लस्वामिन के पास दान में दिया है।

1157 मे चालुक्यों ने पुनः भोपाल क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया उस समय भोपाल क्षेत्र में महाकुमार हरिश्चन्द्र का राज्य था। हरिश्चन्द्र के दो पुत्र थे उदयवर्मन और देवपाल था। भोपाल से लेखक को दो और ताम्रपत्र देखने को मिले। एक ताम्रपत्र जो सम्वत् 1241 अर्थात् सन् 1184 का है उसमें एक राजा का नाम उदयादित्य लिखा है। सम्भवतः यह उदयादित्य उदयवर्मन् ही हो अथवा उदयवर्मन ने ही दो दान पत्र जारी किए हो।

दूसरा महात्वपूर्ण ताम्रपत्र परमार नरेश देवपाल का था, जिसका साम्राज्य बम्बई से विदिशा तक था। अतः रायसेन, सीहोर, भोपाल होशंगाबाद का क्षेत्र देवपाल के अधीन था। मालवा पर सुल्तान इल्तुतमिश ने 1234 में अक्रमण कर दिया और भोपाल सीहोर, विदिशा, रायसेन देवपाल से छिन गया।

1305 ई. में जब तक अलाउद्दीन खिलजी ने माण्डू पर आक्रमण नही कर दिया तब तक मालवा गुलाम वंश के सुल्तानों के आधीन रहा। परंतु यह सत्य है कि 1305 में अलाउद्दीन ने माण्डू विजय नही किया। भोपाल क्षेत्र में मुसलमानों का साम्राज्य स्थापित नही हुआ था। उसी समय 1250 ई. में बलवन ने देवपाल के पुत्र जयतुर्गा पर अधिकार करके यादवों और बघेलों पर आक्रमण कर दिया तो मालवा का साम्राज्य छिन्न–भिन्न हो गया। उधर अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को कुचलने के लिए परमार वंश के अंतिम शासक मंडलक देव का दमन आवश्यक समझ सुल्तान के गवर्नर को दस हजार सैनिकों को टुकड़ी के साथ भेजा और मालवा की सेनाओं को (जिनका नेतृत्व "राजमहलकदेव" और कोका प्रधान कर रहे थे। कुचल डाला। तत्पश्चात् मुल्क को मालवा का गर्वनर बनाया और प्रदेश का नाम धार तथा उज्जैन रखा। जिसने भोपाल क्षेत्र को भी रायसेन में मिलाकर रायसेन को जिला बनाया।

1320 ई. तक मालवा खिलजी वंश के अधीन रहा, जब तक कि माल तुगलकों के अधीन नहीं आ गया। मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य में मालवा उसके 23 प्रान्तों में से एक था और अजीज हिमार मालवा का गवर्नर था।

1401 ई. तक मालवा प्रान्त तुगलक वंश के अधीन रहा उसे ही शासक घोषित कर दिया और धार को उसने अपनी राजधानी बनाया।

सन्दर्भ सूची :–

1. दि एज आफ एम्पीरियल यूनिटी, पृ. 12–94
2. आर.एस. त्रिपाठी, हिस्ट्री आफ एंशिष्ट इंडिया, पृ. 180
3. इम्पीरियल गजेटियर आफ इंडिया, 1908, पृ. 268
4. रायसेन गजेटियर, प्रथम संस्करण, 1976, पृ. 342
5. गजेटियर आफ इंडिया भोपाल एवं सीहोर, पृ. 36

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 5 June 2019

ग्रामीण एवं नगरीय स्नातक महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का अध्ययन

डॉ. सुभाष कुमार सोनी
अतिथि संकाय, शासकीय महाविद्यालय, हर्रई छिंदवाड़ा

भारत में महिला को शक्ति स्वरूपा माना गया है। भारत की सांस्कृतिक परम्पराओं ने महिला को सम्मानजनक स्थान प्रदान किया है। महिलाओं की विश्व आर्थिक रूपरेखा के अनुसार महिला जनसंख्या के 50 प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं एवं 30 प्रतिशत श्रम शक्ति के रूप में कार्य करती है। सच यह है कि शिक्षा मनुष्य को केवल समर्थ ही नहीं बनाती वरन् उसका सर्वांगीण विकास भी करती है, शिक्षा एक कुशल गृहणी और माता के रूप में अपना रंग दिखा सकती हैं आज यह कहा जा सकता है कि महिलाएं बौद्धिक श्रेय में बिल्कुल भी पीछे नहीं हैं, अवसर मिलने पर वह काफी आगे निकल सकती है।

महिलाओं के व्यक्तित्व बाह्य और आंतरिक विकास किसी भी समाज की प्रगति के निर्धारण का महत्वपूर्ण मापदण्ड है। महिलाओं के विकास और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में 18 दिसम्बर 1979 को महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने के बारे में प्रस्ताव पारित किया गया, जो 3 सितम्बर 1981 से प्रभावी हुआ। महिलाओं की अधिकारिता एवं सशक्तिकरण की सार्थकता उनके जीवन के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास पर ही निर्भर करती है, सर्वांगीण व्यक्तित्व निर्माण का सशक्त माध्यम है, मूल्योंन्मुख शिक्षा/महिला सशक्तिकरण से अभिप्राय नारी के जीवन की उपलब्धियों से ही नहीं बल्कि उनमें निहित अंर्तनिहित शक्तियों के परिष्कार और उनके संवर्धन सभी हैं, जो उनके आत्मिक विकास का माध्यम बनती है। महिलाओं के जब सशक्त होने की बात की जाती हैं तो उस समय यह प्रश्न हमारे समक्ष उत्पन्न होता है कि आखिर एक सशक्त महिला की संकल्पना क्या है, आज आवश्यकता है महिलाओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपना रचनात्मक योगदान प्रदान करना है। उच्च शिक्षा संस्थानों को भी इस दिशा में पहल करनी होगी।

मध्यप्रदेश शासन ने पिछले वर्षों में सभी विभागों से संबंधित कुछ कारगर नीतिगत निर्णय लेते हुए विभिन्न क्रियाकलापों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, इस संबंध में जहां एक तरह औद्योगिक नीति कार्य योजना 1994 औद्योगिक विकास हेतु लागू हुई, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में उनकी सहभागिता बढ़ाने आत्म विश्वास एवं समाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने, सुरक्षा निश्चित करने एवं सामर्थ्यवान बनाने के लिए मध्यप्रदेश महिला नीति बनाई गई है।

मध्यप्रदेश सरकार ने योजनाबद्ध विकास के प्रारम्भ में ही यह महसूस किया कि महिला शिक्षा महिला सशक्तिकरण की अनिवार्य आवश्यकता है।

महिलाओं के आर्थिक तथा सामाजिक, राजनीतिक प्रस्थिति के प्रयास में सरकार ने एक सामेकित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति वर्ष 2001 में बनाई, नीति में विवाह सम्पत्ति का अधिकार तथा उत्तराधिकार से संबंधित व्यक्तिगत कानूनो में भी बदलाव को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है।

भारत में शासकीय प्रयासों के कारण महिलाओं में स्वयं के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर स्थिति को परिवर्तित किया जा रहा है। कुछ समय पूर्व तक जहां कुछ क्षेत्रों पर पुरूषों का एकाधिकार माना जाता था, उन क्षेत्रों में भी महिलाओं ने सफलता पायी है। प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं ने स्वयं की योग्यता को साबित किया है। इस परिवर्तित स्थिति के पीछे भारत सरकार के अथक प्रयासों का योगदान महत्वपूर्ण स्थान रखता हैं शासन के द्वारा निम्नलिखित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है–

संवैधानिक व्यवस्थायें, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन, राष्ट्रीय महिला की स्थापना, महिला अधिकारिता वर्ग महिलाओं में शिक्षा प्रसार, आर्थिक जीवन में प्रगति, पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि, राजनीतिक जागृति, महिलाओं के सुरक्षात्मक प्रावधान, महिला सशक्तिकरण की योजनाएं महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं, जिनके फलस्वरूप उनकी स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार आया है।

वर्तमान में भारत सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए विभिन्न योजनायें प्रारम्भ की हैं, जो भारत सरकार के विभिन्न विभाग तथा मंत्रालयों जैसे ग्रामीण विकास, श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं तकनीक कल्याण, महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत संचालित है। महिला एवं बाल विकास हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय में पृथक विभाग की स्थापना की गई है। इस विभाग का संचालन केन्द्रीय सामाजिक कल्याण ब्यूरों के द्वारा होता है जिसके द्वारा महिलाओं के लिए उनके विकासात्मक एवं कल्याणात्मक कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। महिलाओं को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में लाने के बेहतर योजनाओं के उपाय, विभिन्न सुविधायें तथा स्वास्थ्य मार्गदर्शन, उपचार, आवास, पुनर्वास, दक्षता आदि कार्यक्रमों को तीव्रता से लक्ष्यों की पूर्ति हेतु संचालित किया जा रहा है ताकि महिलाओं में आत्मविश्वास उत्पन्न हो सके, जिससे देश के विकास में वे अपना पूर्ण योगदान दे सकें एवं भावी पीढ़ी हमारे समाज एवं राष्ट्र को प्रदान करें जिससे हमारा देश उत्तरोत्तर शिखर की ओर चढ़ता जाये।

महिलाओं के आर्थिक तथा सामाजिक, राजनैतिक प्रस्थिति के प्रयास में सरकार ने एक सामेकित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति वर्ष 2001 में बनाई, नीति में विवाह सम्पतित का अधिकार तथा उत्तराधिकार से संबंधित व्यक्तिगत कानूनों में भी बदलाव को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है।

संविधान के 73वें और 74वें संशोधन पर अमल करते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है, स्थानीय शासन की समस्त संस्थाओं में महिलाओं को एक तिहारई प्रतिनिधित्व देने की कार्यवाही लागू कर मध्यप्रदेश को प्रथम राज्य होने का गौरव प्राप्त किया है, प्रदेश को 45 पंचायतों में से 19 में महिलाएं पंचायतों की अध्यक्ष हैं, सरपंचों के कुल 31488 पदों में 40452 पदों में महिलाएं सरपंच प्रतिष्ठित हैं।

महिलाओं की स्थिति :– हिन्दू समाज में स्त्रियों को ज्ञान, शक्ति एवं सम्पत्ति का प्रतीक माना जाता था। इन प्रतीकों के रूप में हिन्दू समाज, नारी रूप– सरस्वती, लक्ष्मी व दुर्गा की पूजा की जाती हैं। किसी भी शुभ कार्य को अर्द्धांगिनी के बिना पूरा नही किया जाता। स्त्री के वास्तविक महत्व की व्याख्या इस प्रकार की गई हैं।

''नारी परिवार की नींव हैं, परिवार समुदाय की तथा समुदाय राष्ट्र की''

इससे स्पष्ट हैं कि स्त्री ही राष्ट्र की नींव हैं। जिस राष्ट्र में स्त्रियों का समुचित मान–सम्मान होता हैं, वही राष्ट्र एक आदर्श और उन्नतिशील राष्ट्र बन सकता हैं। प्रारंभ में भारतीय हिन्दू समाज में महिलाओं को काफी अधिकार और सम्मान प्राप्त था, किन्तु धीरे–धीरे समाज की मौलिक व्यवस्थाओं में रूढ़ियों ने स्थान ले लिया, जिसके परिणाम स्वरूप स्त्रियों का सम्मान और उनके अधिकार कम होते चले गये। रूढ़ियों और परम्पराओं को धर्म के ठेकेदारों का सहयोग मिलने से स्त्री जाति धीरे–धीरे परतंत्र, निःसहाय और निर्बल हो गई तथा पुरूष जाति ने स्त्री जाति के पारिवारिक अधिकारों को छीन लिया, किन्तु समय के बदलाव के साथ–साथ हमारे समाज में महिलाओं की दशा सुधारने के भरकस प्रयास किये गये, जिसके कारण उनकी स्थिति में काफी परिवर्तन आया हैं।[1]

भिन्न–भिन्न युगों में महिलाओं की स्थिति :– वैदिक युग में भारतीय समाज में महिलाओं को पुरूषों के समान शिक्षा, धर्म, राजनीति, सम्पत्ति व उत्तराधिकार के अधिकार प्राप्त थे। वैदिक साहित्य के अध्ययन से पता चला हैं कि उस समय पत्नि के रूप में महिलाओं की स्थिति काफी उच्च थी। ऋगवेद, अथर्ववेद व यर्जुवेद में यह स्पष्ट होता हैं कि महिलाओं को संध्या करने तथा उपनयन संस्कार के अधिकार प्राप्त थें। इस काल में पर्दाप्रथा, बालविवाह, जैसी कुरीतियॉ नही थी। स्त्रियों के शील तथा सम्मान की रक्षा करना एक महान कर्त्तव्य माना जाता था। लड़कों का महत्व होने के कारण पुत्री की तुलना में पुत्र जन्म को अधिक महत्व दिया जाता था।

राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को भाग लेना कल्पना से बाहर की बात थी। सन् 1919 तक महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। इस समय महिलाओं को मताधिकार दिलाने के प्रयास किये, परन्तु उसका कोई महत्वपूर्ण परिणाम नहीं निकला।[2]

भारतीय महिलाओं के ''विधायिका'' में प्रतिनिधित्व की कहानी का आरम्भ 1920 में हुआ। ब्रिटिश सरकार ने सन् 1919 में ''मान्टेग्यू''और ''चेम्सफोर्ड'' की अध्यक्षता में एक समिति का गठन

1 महिला सशक्तिकरण एवं समग्र विकास (2008) प्रेम नारायण शर्मा संजीव कुमार झा वाणी विनायक पेज नं. 15–20

2 पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण (2010) सीमा सिंह पेज नं. 26–30

किया, जिसमे संवैधानिक सुधारों के अंतर्गत भारतीयों को सरकार मे शामिल किये जाने का प्रस्ताव था। अनेक समूहों व दलों के साथ–साथ सरोजनी नायडू तथा मारग्रेट कनिन्स के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल ने भी समिती के समक्ष अपना पक्ष रखा कि महिलाओं को पुरूषों के समान ही विधायिका में प्रतिनिधित्व दिया जाये। ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को अनुचित माना क्योंकि उस समता तक पश्चिमी देशों में महिलाओं को इस प्रकार के समान अधिकार प्राप्त नहीं थें। साउथबोरो कमेटी ने तर्क दिया कि महिलाओं को मताधिकार देना एक अपरिपक्व प्रयास होगा।

इन सभी बाधाओं के बाद भी ब्रिटिश सरकार ने महिलाओं को मताधिकारो को देने संबंधी निर्णय को क्षेत्रीय विधान परिषदों और विधानसभाओं के ऊपर छोड़ दिया। क्षेत्रीय विधान परिषदों ने बिना किसी हंगामे के महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व देने का निर्णय लिया। विभिन्न महिला संगठनों के द्वारा भी महिलाओं की स्थिति सुधारने के प्रयास किये गये, जिसमें डॉ. एनीबेसेन्ट की अध्यक्षता में स्थापित महिलाओं की भारतीय समिति, भारतीय स्त्री मण्डल पूना सेवा सदन, सरोजनी दत्त महिला समाज, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन विश्वविद्यालय महिला संघ, महिलाओं की राष्ट्रीय समिती, कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक समिती, ईसाई नवयुवती समिती आदि प्रमुख हैं।[3]

आर्थिक व राजनैतिक क्षेत्र में भी महिलाओं की स्थिति में प्रगति हो रही है, एवं तीव्र गति से उनका विकास हो रहा है। आज देश के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर महिलाएं आसीन हैं व अपने दायित्वों का वहन कर रहीं हैं। के.एम. पन्निकर के अनुसार ''कुछ मेधावी महिलाओं ने जो उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है वह भारत के लिए उतनी महत्व की नहीं है, जितनी कि यह बात कि कट्टरपंथी एवं पिछड़े समझे जाने वाले ग्रामीण व्यक्तियों के विचारों में भी परिवर्तन होने लगा है। यहां स्त्रियां उन सामाजिक बंधनों से बहुत कुछ मुक्त हो चुकी हैं जिन्होंने उन्हें रूढ़ियों और 'बाबा वाक्य प्रमाण' की विचारधाराओं के द्वारा जकड़ रखा था।'' इस प्रकार भारतीय महिलाओं की स्थिति में होने वाला परिवर्तन निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है।[4]

चाहे विकसित देशों के उदाहरण लें अथवा विकासशील देशों के, इस तथ्य से आज सभी सहमत हैं, कि महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति में सुधार किया जाना आवश्यक है। महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करने में आज कुछ प्रयास हर स्थान और हर स्तर पर किये जा रहे हैं। चाहे रूस जैसे विशाल सम्पन्न एवं विकसित देश की बात करें या फिर आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि से सम्पन्न जापान की बात करें, हर जगह महिलाओं को शैक्षणिक व आर्थिक दृष्टि से मजबूत किये जाने पर जोर दिया जा रहा है व राजनीतिक क्षेत्र में उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

महिलाओं को प्रशासन और राजनीति में समानाधिकार प्रदान करने में अग्रणी प्रयास विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान आदि देशों में शुरू किये गये। परंतु अब विश्व के प्रायः सभी देशों में इसके लिए प्रयास किये जा रहे है।

विश्व का इतिहास और विश्व के प्रगतिशील देशों की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति इस बात का प्रमाण है कि किसी भी देश की वांछित प्रगति के लिए उस देश की महिलाओं की भागीदारी आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है, किन्तु विश्व की आधी शक्ति एवं क्षमता होने के बावजूद राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका, उनकी कम भागीदारी तथा कमजोर स्थिति, सहभागिता पर प्रश्न चिन्ह यथावत लगा हुआ है।

हमारे देश में जहां पुरूष प्रधान समाज है, उन्हें वह आशियाना, वह जमीन वह आकाश कैसे मिलेगा, जहां सब उनका हो? अब तक घर में बैठकर उन्होंने जिन पुरूषों को योग्य बनाया, वे ही उन्हें देश में अपना प्रतिनिधित्व आसानी से नहीं करने देते। यदि ऐसा नहीं होता तो महिला आरक्षण की आवश्यकता क्यों होती ?

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में त्रिस्तरीय पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया। 73 वें 79 वें संविधान संशोधन का लगभग आधा हिस्सा महिलाएं हैं। इसलिए लोकतांत्रिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं में महिलाओं की सहभागिता आवश्यक ही नहीं वरन् अनिवार्य है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1989 में लोकतांत्रिक संस्थाओं में बिल्कुल निचले स्तर पर महिलाओं की

3 पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण (2010) सीमा सिंह पेज नं. 45–50

4 पौराणिक माहिष्मति मण्डला (2011) गोंडी पब्लिक ट्रस्ट मण्डला पेज नं. 43–49

कारगर सहभागिता और अधिकार युक्तता के लिए एक राष्ट्रीय परिक्षेत्र योजना तैयार की गई। इस योजना में अनुशंसा की गई कि निचले स्तर के कुल पदाधिकारियों में 50 प्रतिशत महिलाएं रहनी चाहिए तथा इसके लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है उसमें छूट दी जानी चाहिये। ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद के स्तर तक और स्थानीय म्युनिसिपल निकायों में 30 प्रतिशत तक सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की जाये एवं पंचायती राज की निचली पंक्ति में निर्वाचित क्षेत्रों की एक निश्चित प्रतिशतता एकान्त रूप में से महिला निर्वाचन क्षेत्र के रूप में घोषित की जाये। पंचायतों व अन्य निकायों की सभी महिला सदस्यों के लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये, जिससे वे अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें एवं लोकतंत्र की संस्थागत संरचना व राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता के मार्ग में बाधक सामाजिक व आर्थिक दबावों को दूर करने का पूर्णतः ध्यान रखें।

पंचायती राज के निकायों में महिलाओं की सहभागिता के प्रश्न पर विचार विमर्श करने के लिए सन् 1989 में नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों के द्वारा इस बात का समर्थन किया गया कि महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए एवं आरक्षित पदों को भरने के लिए महिलाओं को चुनने की सही पद्धति चुनाव ही है।[5]

स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण, चुनाव इत्यादि के माध्यम से उनका औपचारिक प्रतिनिधित्व ही उनकी कारगर सहभागिता के लिए काफी नहीं है।

राजनीति में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 12 सितम्बर सन् 1996 को संसद में महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य लोकसभा तथा विधान सभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण करना था, परन्तु इस विधेयक के प्रबल विरोध के कारण यह विधेयक अभी तक अधिनियम नहीं बन सका। इस विधेयक के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 2391, 330, 331 में संशोधन कर महिलाओं के लिये लोकसभा व राज्य विधान सभाओं में एक तिहाई सीटो के आरक्षण की व्यवस्था की जानी है। इन तीनों अनुच्छेदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लोकसभा (अनुच्छेद 330) और विधानसभा (अनुच्छेद 331) में आनुपातिक – प्रतिनिधित्व के विषय पर विचार–विमर्श किया गया।

आधुनिक परिवर्तित परिस्थितियों में महिलाओं में नेतृत्व शक्ति का विकास करने के लिए विशेष प्रतिनिधित्व प्रदान करने के विषय पर गम्भीरता पूर्वक विचार–विमर्श किया गया। वैसे तो कुछ महिलाएं अपने बलबूते पर व्यवस्थापिकाओं में प्रवेश पा सकीं हैं, किन्तु उनकी संख्या अभी भी पुरूषों की तुलना में बहुत कम है। भारत के साथ–साथ विश्व के किसी भी देश की संसद में महिलाओं को उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। अर्जेन्टीना, बेल्जियम, ब्राजील, कोरिया, नेपाल, फिलीपिन्स एवं बांग्लादेश में महिलाओं के लिए वहां की संसद में एक निश्चित संस्था में प्रतिनिधित्व दिया गया है। इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अन्वेषण इकाई द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि विश्व में केवल चार देशों स्वीडन, नार्वे, फिनलैण्ड एवं डेनमार्क में वहां की संसद में महिलाओं को 33 से 40 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त है। लेकिन वहां महिलाओं के लिए आरक्षण जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। हालैण्ड, न्यूजीलैण्ड, जर्मनी, स्पेन, चीन व स्विट्जरलैण्ड में महिलाओं को वहां संसद में 20 से 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त है। कनाड़ा, कोलम्बिया, अमेरिका, रूस, फिलीपिन्स एवं इण्डोनेशिया में महिला प्रतिनिधित्व 10.2 से 18.5 प्रतिशत है, जबकि भारत में 7–8 प्रतिशत ही प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इसी प्रकार वर्ष 1995 में संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम द्वारा ब्रीजिंग (लीन) विश्व महिला सम्मेलन से पूर्व प्रकाशित की गई। मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार सारी दुनिया की संसदों में महिलाओं की औसत संख्या पुरूषों की तुलना में केवल 10 प्रतिशत है तथा मंत्री स्तर पर तो महिलाओं की संख्या और भी कम है, जो मात्र 6 प्रतिशत है।[6]

इस प्रकार विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में महिलाओं को मतदान से लेकर समस्त राजनीतिक प्रक्रिया में तो कानूनी समानता है, किन्तु वास्तव में नीति निर्माण संख्याओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व आज भी बहुत कम है।

5 पंचायती राज व्यवस्था (2012) डॉ. गौतम वीर पेज नं. 27–32

6 महिला सशक्तिकरण एवं समग्र विकास (2008) प्रेम नारायण शर्मा संजीव कुमार झा वाणी विनायक पेज नं.13–20

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका

महिला सशक्तिकरण हेतु आवश्यक प्रयास :– महिला प्रतिनिधियों के सशक्तीकरण के उद्देश्य से की जाने वाली क्रियाशील योजना को लागू करने के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर प्रयास –

1. महिला प्रतिनिधियों को पंचायतों द्वारा हर प्रकार के लिंग भेद का विरोध करना चाहिए, चाहे यह भेदभाव उनके परिवार, गांव अथवा समुदाय कहीं से भी हो।
2. महिला प्रतिनिधियों को पंचायत में प्रत्येक प्रकार के लिंग भेद का प्रतिकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। चाहे यह भेदभाव लड़कियों के साथ हो अथवा चाहे कोई भी किसी प्रकार के भेदभाव का आचरण करता हो। इन सबको कानून के तहत् पर्याप्त सजा दिलानी चाहिए। यह कदम आसान नहीं होगा, किन्तु फिर भी महिला प्रतिनिधियों को बहादुरी से इस हेतु कदम उठाना होगा। महिलाओं में बहादुरी एवं हिम्मत को बढावा देना होगा और इन तथ्यों को उनके प्रशिक्षण एवं जागरूकता में शामिल कर लिया जाना चाहिए, जो उन्हें पहले से दिए जा रहे है। ये प्रयास ताजगी भरे है। इस प्रकार के प्रयासों से ही उनमें भेदभाव की भावना रखने वालों को रोकने के प्रयास करने की हिम्मत होती है, जैसा कि राजस्थान की बनवारी देवी की है। एक प्रत्यक्ष ट्रस्ट उस घटना का वर्णन करते हुए बताते है कि वह बहुत ही खतरनाक कदम था, जिसे महिला पंचायत प्रतिनिधियों ने उठाया। उन्होंने लिखा– राजस्थान के अनुभवों के आधार पर इन स्थितियों का आकलन किया जा सकता है कि महिला पंचायत प्रतिनिधि अपनी शक्ति इन्हीं स्थितियों से प्राप्त करती है और ये महिलाओं की अपने समुदाय के लिए एक जवावदेही भी है। बनवारी देवी का उनकी पंचायत के सदस्यों द्वारा उनकी ही ब्लॉक पंचायत में सामूहिक बलात्कार की दर्दनाक एवं शर्मनाक घटना से बुरा प्रभाव पड़ा है और इससे आंदोलन को पंचायत से विच्छेद कर दिया। जब राजस्थान और देश के अन्य भागों मे बनवारी के पक्ष में जबरदस्त महिला आंदोलन शुरू हुआ।
3. लिंग भेद की मानसिकता में परिवर्तन के लिए जागरूकता शिविर और अभ्यास चलाया जाना चाहिए और यह बताना चाहिए कि बेटा–बेटी में कोई अंतर नहीं होता। बेटियां भी नेता, डॉक्टर, अभियंता, अधिकारी, सैनिक आदि बनकर माता–पिता का नाम रोशन कर सकती है। सामाजिक कार्यकर्ताओं, गैरसरकारी संस्थाओं को आगे बढ़ाना चाहिए एवं पंचायतों को साहित्य से मिनार तथा सम्मेलन आयोजित करने, विचार–विमर्श की व्यवस्था, नुक्कड़ नाटकों, गाने, नृत्य, पोस्टर, आदि तैयार करने चाहिए।
4. पंचायत स्तर पर शहरी, स्थानीय निकायों तथा गैरसरकारी संस्थाओं द्वारा महिलाओं के लिए कानून की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए।
5. स्त्रियों के प्रति होने वाले लैंगिक शोषण, उत्पीड़न इत्यादि को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए जाने चाहिए तथा जो महिला प्रतिनिधि अपने गांव से दूर काम करती है, उनकी सुरक्षा का भी उचित प्रबंध होना चाहिए।
6. महिला ग्राम प्रधानों को गांव में पैदा होने वाली लड़कियों के जन्म तथा मृत्यु का नामांकन अपरिहार्य रूप से करना चाहिए।
7. बालविवाह को रोकने के सभी प्रयत्न किये जाने चाहिए।
8. ग्राम प्रधानों को गांव की हर बच्ची का नाम विद्यालय में लिखवाने को एक लक्ष्य बनाना चाहिए। इसके लिए माता–पिता से भी संपर्क किया जाना चाहिए।
9. पंचायत को स्वस्थ्य पीने के पानी वातावरण आदि की सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए।
10. लोगो को महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देना चाहिए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ हो सके।
11. विशेष आयोजनों द्वारा ग्राम प्रधानों खासकर महिला अधिकारियों आदि को सरकार की हर प्रकार की योजनाओं को महिलाओं के समक्ष रखना चाहिए।
12. महिला पंचायत प्रतिनिधियों में नेतृत्व के गुणों के विकास और आत्मविश्वास को महसूस करने आदि गुणों को बढ़ाने के लिए विशेष आयोजनों का प्रबंध किया जाना चाहिए।
13. महिलाओं के लिए बनी योजनाओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
14. महिलाओं को अपना काम आगे बढ़ाने की पूरी आजादी होनी चाहिए।

इन कदमों द्वारा महिलाओं को उनके सशक्तीकरण की प्राप्ति की ओर बढ़ाया जा सकेगा। लिंग भेद का अंत होगा एवं समाज का व्यवहार महिलाओं की भलाई के लिए बदलेगा। बेटियों का जन्म अभिशाप नहीं कहलाएगा। औरतों को अपने–औरत होने पर गर्व होगा। सामुदायिक उददेश्यों की प्राप्ति के लिए स्त्री–पुरूष कंधे से कंधा मिलाकर चालेंगे। महिलाओं की

जनसंख्या है का उपलब्धिपूर्ण सदुपयोग किया जा सकेगा।[7]

महिलाओं की स्थिति में सुधार :– स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् 1947 में राजनैतिक समता का अधिकार मिला। संविधान ने राष्ट्र को समता के सिद्धांतों का पालन करने और व्यक्ति की प्रतिष्ठा का आदर करने की नीति का निर्देशन राज्य को दिया तथा राजनैतिक विधिक समता के बारे में स्त्रियों के मौलिक अधिकारों की घोषणा कीं।

बलवंत राय मेहता कमेटी के सुझाव को स्वीकार करते हुए महिलाओं को पंचायतों एवं नगर निकायों में 43 स्थान आरक्षित करते हुए 24 अप्रैल 1993 को भारतीय संविधान में 73 वां संशोधन किया गया एवं महिला सशक्तिकरण के लिये राजनैतिक सत्ता में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई। तभी से 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष रामाजिक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली महिला राजनैतिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाता आ रहा है।

प्रवीण सेठ (गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद) ने भी अपने शोध पत्रों में जन–जीवन में दूषित वातावरण को महिलाओं के अधिक संख्या में राजनीतिक जीवन में प्रवेश न कर पाने का एक कारण स्वीकारा है। श्रीमती सुशीला रोहतगी ने अपनी स्वीकारोक्ति में स्पष्ट रूप से कहा है कि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि जैसे–जैसे हमारा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है उतनी ही तीव्र गति से सामाजिक बुराईयां भी फैल रही हैं। जिसके कारण महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में आने से संकोच कर रही हैं। यदि ऐसी स्थिति बनी रही तो उनकी सहभागिता में बढने की उम्मीद कम होती जायेगी। आंध्रप्रदेश की पूर्व राज्यपाल कुमारी कुमुद बेन जोशी ने इस संबंध में कहा है कि विशेष रूप से जब कोई भी महिला कार्यकर्ता के रूप में सामने आकर कार्यरत होती हैं, सामान्यतः उसे अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पुरूष प्रधान समाज में महिला कार्यकर्ताओं को द्वेय दृष्टि से देखा जाता है एक साक्षात्कार के अन्तर्गत उनके उत्तरदाताओं ने देश में व्याप्त दूषित वातावरण की ओर इंगित करते हुये उसे महिला सहभागिता के मार्ग में एक प्रभावी बाधा के रूप में स्वीकार किया है।[8]

नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन :– सम्पूर्ण विश्व सहित हमारे देश में नैतिक मूल्यों की बड़ी तीव्र गति से गिरावट आई है और इसका सर्वाधिक प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र में ही परिलक्षित हो रहा है। नैतिक मूल्यों पर व्यक्तिगत स्वार्थ और अर्थसत्ता के मूल्य हावी हो गये हैं। फलस्वरूप बहुसंख्यक राजनीतिज्ञों का एक मात्र लक्ष्य ऐन–केन प्रकारेण सत्ता से चिपके रहकर अधिकतम अधोपार्जन करने तक सीमित हो गया है। चाहे इस हेतु नैतिकता को त्यागना क्यों न पड़े। इसका ज्वलंत उदाहरण चुनाव के मध्य टिकिट वितरण के समय वरिष्ठता, लोकप्रियता, प्रतिभा, योग्यता, आदि अनेकानेक आवश्यक गुणों को अनदेखा कर प्रभावशाली व्यक्तियों को जिनका अच्छा बुरा दबाव अपने क्षेत्र में ही उन्हें प्रत्याशी बना दिया जाता है। इस प्रकार ईमानदारी परिश्रमी जनहित करने की इच्छा हृदय में संजाये हुए कर्मठ एवं उत्साही महिला को टिकिट न देकर प्रभावशाली महिलाओं को घर से सीधा विधानसभा पहुंचा देना किसी तथ्य को प्रमाणित करता है। नैतिकता, प्रभावशीलता अथवा कुछ और विविध महिला राजनीतिक कार्यकर्ताओं से साक्षात्कार लेने पर ज्ञात होता है कि राजनीतिक क्षेत्र में व्याप्त अनैतिकता राजनीतिक संगठन के प्रति रूचि एवं उत्साह दिन–प्रतिदिन समाप्त होता जा रहा है और वे स्वयं राजनीति के क्षेत्र से विमुख होती जा रही है। कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो वर्षों से राजनीतिक दलों के संगठनों के साथ इस आशा के साथ जुड़ी हैं कि शायद इन्हें भविष्य में सत्ता में आने का अवसर प्राप्त होगा। महिलाओं में राजनीतिक क्रियाशीलता की कमी होने का एक कारण यह भी है कि राजनैतिक दलों में सैद्धांतिक वैचारिक टकराव है। राजनीतिक दलों का अंतिम लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना होता है। इस प्रकार की राजनीतिक नैतिकता का अभाव महिला भागीदारी को प्रभावित करता है।

आज भी प्रदेश में सवा तीन करोड़ महिलाओं के पक्ष को रखने के लिये कुल 205 सीटों में मात्र 25 महिला विधायक ही विधान सभा में हैं, लोकसभा की 29 सीटों में से केवल तीन सीटों पर ही महिलाओं की सत्ता है। राज्यसभा में भी 11 सीटों में से कुल तीन पर ही महिलाएं आसीन हैं, मध्यप्रदेश सरकार के कुल 22

7 1.टार. लिन्टन – द स्टडी ऑफ मैन 1936 पेज क्र. 17–24
2.डी.एन.मजूमदार एवं आर.टी. एन. मदन – एन. इन्ट्रोडक्शन टू सोशन एन्थ्रोलाजी 1958 पेज क्र. 30–37

8 सिंह सीमा – ''पंचायतीराज और महिला सशक्तिकरण'' विद्याविहार दरियागंज नई दिल्ली प्रथम संस्करण पेज क्र. 111–115

मंत्रियों में 2 ही महिला मंत्री हैं। प्रदेश को चलाने वाली कार्यपालिका मातृ मृत्यु पहिल हिंसा इत्यादि जैसी अनेकों समस्याएं हैं, परन्तु इनसे निपटने के लिए उनके पास कोई ठोस तरह की नीति और योजनाएं नहीं हैं। इसका सबसे मुख्य कारण यह है कि प्रदेश के 26 प्रमुख सचिवों के पदों में से 4 एवं 35 सचिवों के पद में से भी सिर्फ 4 महिलाओं को औदा दिया गया। मध्यप्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती राज के आंकड़ों के अनुसार कुल 396877 सीटों में से 134368 सीटों में ही महिला प्रतिनिधित्व कर रही हैं। यानि कि मात्र 33.8 प्रतिशत।

निष्कर्षतः विशेष या सामान्य निगम–मण्डलों से लेकर विभिन्न वर्गों के अधिकारों के संरक्षण के लिये स्थापित आयोगों में अब भी महिलाओं के पक्ष में माहौल उनके अनुकूल नहीं है, महिला सशक्तिकरण का दावा सर्वव्यापी है। शोषणकारी सामाजिक व्यवस्था में बदलाव लाने की अत्यन्त आवश्यकता है, तभी समाज की नारी अपने समानता के अधिकार को प्राप्त कर सकेंगी।[9]

सशक्तिकरण के मार्ग की बाधाओं को दूर करने के उपाय :–

1. महिला सशक्तिकरण भारत में महिला को शक्ति स्वरूपा माना गया है। भारत की सांस्कृतिक परम्पराओं ने महिला को सम्मानजनक स्थान प्रदान किया है। महिलाओं की विश्व आर्थिक रूपरेखा के अनुसार महिला जनसंख्या के 50 प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं एवं 30 प्रतिशत श्रम शक्ति के रूप में कार्य करती है। सच यह है कि शिक्षा मनुष्य को केवल समर्थ ही नहीं बनाती वरन् उसका सर्वांगीण विकास भी करती है, शिक्षा एक कुशल गृहणी और माता के रूप में अपना रंग दिखा सकती हैं आज यह कहा जा सकता है कि महिलाएं बौद्धिक श्रेय में बिल्कुल भी पीछे नहीं हैं, अवसर मिलने पर वह काफी आगे निकल सकती है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1931 में यंग इंडिका में लेख में कहा था मैं उस भारत के निर्माण के लिए कार्य करूंगा जिसमें महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त होंगे। स्वतंत्रता के पूर्व राष्ट्रपिता के कथन को स्वतंत्रता के पश्चात्वर्ती वर्षों में शासन ने वाम्व की तरह आत्मसात कर महिलाओं के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम के माध्यम से पूर्ण करने का प्रयास किया, लेकिन यह प्रयास अपने लक्ष्य को प्राप्त हो सके क्या महिलाए आज पूर्णतः सफल हैं, सशक्त हैं? शिक्षित हैं, स्वावलम्बी हैं ही नहीं बल्कि कोख के भीतर भी स्त्री स्वतंत्र नहीं है। वर्तमान ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में 1000 पुरूषों पर स्त्रियों की संख्या 927 ही दर्शाती है।

आज विश्व के हर देश में सभी जगह महिलाओं के समुचित विकास एवं सशक्तिकरण के लिए अनुकूल वातावरण बनता जा रहा है। इसी आधार पर लोग 21वीं सदी की महिलाओं की सदी की संबा से विभूषित करने लगे हैं, अब महिलाए हर क्षेत्र में पुरूषों के साथ कदम से कदम मिलाकर अपनी अंतर्निहित क्षमता के साथ पुरूष समाज में अपने अस्तित्व का एहसास दिलाने का सफल प्रयास कर रही हैं, इसके साथ ही महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिये आज कुछ प्रयास हर जगह और हर स्तर पर किये जा रहे हैं।

हमारे देश भारत में एक तरफ मंदिरों में महिलाओं को देवी, काली, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती मानकर उनकी पूजा करते हैं। दूसरी ओर महिलाओं को जिंदा रहने के अवसर से भी वंचित किया जा रहा है, देश में कन्या भ्रूण हत्या की घटना बढ़ती ही जा रही है। महिला एवं पुरूष की शारीरिक संरचना भले ही एक न हो लेकिन परिवार एवं समाज में उसे कम नहीं आंका जा सकता है। प्रजनन भूमिका की विशेष जिम्मेदारी प्रकृति ने महिलाओं को सौंपी है, कई वर्षों से कन्या भ्रूण हत्या के कारण देश में जन्म के समय लिंग अनुपात में गिरावट तेजी से हो रही है।[10]

इसमें कोई दो मत नहीं है कि स्वतंत्रता के बाद नारी की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं, तथा उसकी स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए जहां संविधान में व्यवस्था की गई है, वहीं समय–समय पर नियम और कानून भी बनाए गए हैं, आज हमारा देश भारत भी नारी में वही सात्विक भावना तेजस्विनी एवं कर्तव्य निष्ठा का एक साथ दर्शन करना चाहता है, जिससे भारतीय संस्कृति का उज्जवल पृष्ठ सहज आंका जा सके।

9 धाशंवर वसुधा 'आदलटैक्ल टू इंपावरमेंट ऑफ वूमेन–साइटस ऑफ चेज प्रोसीडिग्स ऑफ ए वर्कशापः दिसंबर 1995 पेज क्र. 30–32

10 आश्रम साला – छत्तीसगढ़ के पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका ''काकेट जिले के विशेष संदर्भ में शोध प्रबंध 2004 पेज क्र. 92–97

भारत में पिछले 20 वर्षों में महिलाओं में तेजी से परिवर्तन हुआ है यह परिवर्तन शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में महिला आत्मनिर्भर बनी है, शहरी क्षेत्र की महिलायें शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ी हैं परन्तु गांव विशेषकर आदिवासी, वनवासी एवं पहाड़ी क्षेत्र की महिलाएं आज भी उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वह आज भी पिछड़ेपन के कारण शिक्षा और रोजगार के कोसों दूर हैं, परन्तु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आने से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का आर्थिक विकास तेजी से हो रहा है, उसका कारण है कि गांव की महिलाओं को गांव में ही रोजगार प्राप्त हो रहा है, वह भी जब चाहे तब मनरेगा के आने से महिलाओं की शक्ति बढ़ी है। वह आर्थिक रूप से मजबूत हुई है।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत मे निर्मित संविधान मे पंचायती राज व्यवस्था की नीति निंदेशक सिद्धांत के रुप मे कंडिका 40 मे अस्वीकृत किया गया है और संघ के अर्तगत प्रदेशो से अपेक्षा की गई कि वे पंचायती राज व्यवस्था को कायम रखने में पहल करेगे। 60 के दशक से लेकर 80 के दशक तक पंचायती राज व्यवस्था की लगभग सभी प्रदेशों मे अपनाया गया किन्तु इस व्यवस्था के संचालन के लिये निंमित नियम प्रक्रियाएं भिन्न होने कारण उसकी व्यापकता को वह स्वरुप नही मिल पाया जिसकी कल्पना राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने की थी। अर्थात् तीन वर्षो मे समितियो का गठन किया गया है जिन्हें पंचायतो के सक्रिय स्वरुप पर अपने विचार देने थे, किन्तु इन समितियो के प्राप्त प्रतिवेदनो को भी अमलीजामा पहनाने मे बहुत सी कठिनाइयो का सामना करना पड़ रहा है।

40 के दशक के आते आजे यह बात स्पष्ट हो चुकी थी पंचायती राज व्यवस्था की यदि पुरे देश मे लागू किया जाना है तो इस के परिणामस्वरुप वर्ष 1993 मे 73 वे संविधान संशोधन के रुप मे सामने आया संविधान में अन्य बातों के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट परिस्थितियाँ भी निर्मित हुई। इनमे समय सर्वोपरी था महिलाओ का सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कराना और उसके लिये एक तिहाई पदो की महिलाओ की लिये आरक्षित कराना।

सामान्य रुप से जो परिदृश्य सामने था उसमे लोकसभा और विधानसभाओ मे महिलाओ की भागीदारी क्रमिक रुप से भी कम होती जा रही थी सामान्य रुप से समाज मे महिलाओ के दायित्व मे जनप्रतिनिधित्व को शामिल करके नही देखा जा रहा था। इस परिदृश्य के चलते महिलाओ के लिये एक तिहाई पदो का आरक्षण किया जाना क्रान्तिकारी निर्णय कहा जा सकता है। किन्तु इस क्रन्तिकारी निर्णय ने कुछ प्रश्न भी खड़े कर दिये उसमे सर्वप्रथम तो प्रश्न यह था कि क्या महिला जनप्रतिनिधि के रुप मे पंचायती राज अवधारणा मे निहित दायित्वो को पूरा कर पाएंगी?

क्या समाज जनित मूल्यी के चलते पंचायती राज व्यवस्था मे गठित सम्पत्तियों के अध्यक्ष के रुप मे महिलाओ की अध्यक्षता सहज रुप से स्वीकार हो सकेगी क्या पुरुष प्रधान परिदृश्य मे महिलाये कुशल नेतृत्व देने मे सक्षम हो सकेगी। इन प्रश्नो के चलते 73 वे संविधान संशोंधन की अवधारणाओं के अनुसरण मे मध्यप्रदेश मे पंचायती राज की व्यवस्था की स्थापना हुई।

प्रदेश के 45 जिलो मे 459 जनपदों तथा 30922 ग्राम पंचायतो का गठन हुआ जिसमे एक तिहाई महिलाओ को जनप्रतिनिधि के रुप मे कार्य करने का अवसर मिला। मध्यप्रदेश मे पंचायती राज व्यवस्था के लागू हो जाने के बाद कुल सदस्यो मे ये लगभग 1 लाख 50 हजार महिलाये चुनी गई इन चुनी गई महिलाओ ने जिला पंचायत अध्यक्ष जिला उपपंचायत – सदस्य, जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्य ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सदस्य के रुप में पदभार ग्रहण किया।

मध्यप्रदेश में संविधान के उपरोक्त गठित पंचायती राज व्यवस्था अपने (पंचवर्षीय) सत्र पुर्ण करने के पश्चात् व्यवस्थाओ के गतिविधियो से प्राप्त अनुभवो के आधार पर व्यवस्था मे मिली जुली प्रतिक्रियायें सामने आई। यह विकास का वो सोपान है जहाँ यह आवश्यक लगता है कि संविधान के द्वारा पदो का आरक्षण जिस आशय से किया गया था उसकी पूर्ति वर्तमान व्यवस्था कर पा रही है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण से यही स्पष्ट होता है कि मण्डला जिला वास्तव में पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसकी वजह से जनजाति क्षेत्र होना यहां पर कार्यकर्ताओं द्वारा रेडियो, वर्कशॉप, जिला पंचायतों, ग्राम पंचायतों, आशाकार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी द्वारा इन शासकीय निकाय द्वारा प्रचार–प्रसार करके इन्हें जागरूक करना आवश्यक होगा तब जाकर इनका

विकास सम्भव होगा और यह क्षेत्र राष्ट्र राज्य की मुख्य धारा से जुड़ पायेगा।

संदर्भ ग्रंथ :–

1. महिला सशक्तिकरण एवं समग्र विकास (2008) प्रेम नारायण शर्मा संजीव कुमार झा वाणी विनायक पेज नं. 25–31
2. पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण (2010) सीमा सिंह पेज नं. 26–30
3. पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण (2010) सीमा सिंह पेज नं.34–38
4. पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण (2010) सीमा सिंह पेज नं. 45–50
5. पौराणिक माहिष्मति मण्डला (2011) गोंडी पब्लिक ट्रस्ट मण्डला पेज नं. 43–49
6. पंचायती राज व्यवस्था (2012) डॉ. गौतम वीर पेज नं.27–32
7. महिला सशक्तिकरण एवं समग्र विकास (2008) प्रेम नारायण शर्मा संजीव कुमार झा वाणी विनायक पेज नं.13–20
8. महिला सशक्तिकरण एवं समग्र विकास (2008) प्रेम नारायण शर्मा संजीव कुमार झा वाणी विनायक पेज नं.30–38
9. महिला सशक्तिकरण एवं समग्र विकास (2008) प्रेम नारायण शर्मा संजीव कुमार झा वाणी विनायक पेज नं.38–44
10. पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण (2010) सीमा सिंह पेज नं.50–56
11. पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण (2010) सीमा सिंह पेज नं.55–60
12. भारत की जनजातिय संस्कृति (2009) विजयशंकर उपाध्याय पेज नं.50–57
13. भारत की जनजातिय संस्कृति (2009) विजयशंकर उपाध्याय पेज नं.60–67
14. भारत की जनजातिय संस्कृति (2009) विजयशंकर उपाध्याय पेज नं.68–73
15. पंचायती राज (8 सितंबर , 2009) के मंत्रालय पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम पर एक नोट, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान . 27 सितंबर 2011 को लिया गया है।

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 5 June 2019

विश्व व्यापार संगठन के कृषि प्रावधानो का अध्ययन

डॉ. प्रियंका दुबे
एम.ए. पी.एच.डी. अर्थशास्त्र, लॉ विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

प्राचीन काल से भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। नियोजन के लगभग 60 वर्षो में कृषि के स्वरूप में कुछ परिवर्तन देखने को मिला है, लेकिन फिर भी कृषि ने देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को बहुत अधिक प्रभावित किया है। देश की राष्ट्रीय आय, रोजगार विदेशी व्यापार, पूंजीनिर्माण, आयात–प्रतिस्थापन, जीवन स्तर आदि सभी को कृषि क्षेत्र ने बहुत अधिक प्रभावित किया है। हमारे देश के लगभग 70 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं जिनमें से लगभग 52 प्रतिशत लोग कृषि संबंधित क्षेत्रों से अपनी आजीविका प्राप्त करते है। भारत के कुल विदेशी व्यापार (निर्यातों) में कृषि का योगदान 17 प्रतिशत के लगभग देखने को मिलता है।

भारत में कृषि बहुत से उद्योगों का आधार है। इनमें चाय, जूट, कपड़ा, चीनी आदि। उद्योगों को शामिल किया जाता है, अर्थात् कृषि भारतीय उद्योगों की जननी कही जाती हैं, किन्तु पिछले कुछ वर्षो में उद्योगों के लिये कृषि का महत्व कुछ कम हुआ है। विभिन्न उद्योगों में तो (जैसे उर्वरक, कीटनाशक दवाइयां ट्रैक्टर थ्रेसर आदि) कृषि क्षेत्र की मांग पर ही निर्भर करते है। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक परिवर्तन की दशा से यह ज्ञात होता है कि भारत में उद्योगों के महत्व में वृद्धि हुई है, लेकिन फिर भी कृषि भारतीय उद्योगों का आधार तथा आर्थिक विकास की कुंजी के रूप में देखने को मिलती है।

राष्ट्रीय आय एवं उसके संघटकों के सरकारी आकलन नियमित रूप से एवं वार्षिक आधार पर 1948–49 से प्राप्त होते है। इससे पूर्व व्यक्तिगत आधार पर दादाभाई नौरोजी, लार्ड कर्जन, बारबर आदि विद्वानों ने समय–समय पर जो आकलन तैयार किए हैं उससे स्पष्ट होता है कि उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लगभग प्रथम महायुद्ध तक दो तिहाई राष्ट्रीय आय कृषि क्षेत्र से प्राप्त होती थी, जो औद्यागिक विकास के पिछड़ेपन औद्योगिक आधारभूत आर्थिक संरचना के अभाव का प्रभाण थी।

विदेशी व्यापार की दृष्टि से भी कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में विशेष महत्व है। वर्तमान में लगभग 17 प्रतिशत कुल निर्यातों में कृषि वस्तुओं का होता है। इस श्रेणी में चाय, जूट, सूती वस्त्र, खली, काजू तम्बाकू, वनस्पति तेल, काली मिर्च, चमड़ा आदि वस्तुएं है, जो निर्यात की जाती है। सरकार द्वारा देश के कृषि विकास के लिये निम्नलिखित उपाय कर सकती है, जैसे– उत्पादन की नई तकनीक का प्रयोग कृषि आगतों के लिये आर्थिक सहायता कृषि विपणन की व्यवस्था, यातायात, के साधनों का विकास मूल्य संबंधी सूचनाओं का प्रकाशन साख सुविधाओं का विस्तार कार्य पदार्थो के मूल्य में स्थिरीकरण आदि। इन सभी उपायों पर सरकार कार्य कर सकती है जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी तथा जो देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

सहकारिता से तात्पर्य परस्पर सहयोग से मिल–जुलकर कार्य करने से है अर्थात् किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु आपसी सहयोग के आधार पर कार्य करना सहकारिता कहलाता है। सहकारिता संगठन आर्थिक दृष्टि से निर्बल उस संगठन का नाम है जो स्वेच्छा से आर्थिक हितों की पूर्ति के लिये बनाया जाता है। इससे आपसी सहयोग, त्याग, आत्मनिर्भरता और मितव्ययिता आदि गुणों का विकास होता है। भारतीय सहकारी नियोजन समिति ने भी अपनी सहकारिता संबंधी विचारों में कहा है कि ''सहकारिता एक ऐसा संगठन एक ऐसा संगठन है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से समानता के आधार पर अपनी आर्थिक उन्नति हेतु सम्मिलित होते है।

सहकारी आंदोलन का मूल्यांकन –यह एक वाद–विवाद का विषय है कि सहकारित ने भारतीय कृषि में परिवर्तन करके कृषि उद्योग लाभदायक बनाया है या सहकारिता से कृषि उत्पादन, विपणन व्यवस्था, यातायात आदि समस्याओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

भारत में सहकारिता आंदोलन के परिणामस्वरूप किसानों को बहुत अधिक लाभ प्राप्त हुए

हैं, जैसे – किसानों को सस्ती दर पर आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाता है जिससे किसानों की ऋणग्रस्तता में कमी आयी है। इस समय भारत में सहकारी समितियां किसानों की एक चौथाई ऋण आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं। इसके अतिरिक्त सहकारी आंदोलन की सफलता उपभोक्ता समितियों एवं उद्योगों में दिखाई पड़ती है। इसके अतिरिक्त समितियों ने उत्तम बीज, कृषि उपज को बेचने व कृषि पदार्थो को रखने के लिये गोदामों की व्यवस्था की है। तीसरे सहकारी समितियों ने शहरी क्षेत्रों में भी मध्यम आय वर्ग के लोगों को मकान बनाने तथा अन्य कार्यो के लिये सहायता प्रदान की है। इस प्रकार सहकारिता के अंतर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में निम्न आय वर्गो के लोगों के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान नहीं है।

इन सफलताओं के बावजूद सहकारिता आंदोलन का लाभ अधिकांश जनता को नहीं मिल पाया हैं। सहकारिता आंदोलन का कहना है कि सहकारिता न तो ग्रामीण जनता की गरीबी को ही मिटा पाया है और न ही इसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि, विपणन की अच्छी व्यवस्था, उन्नत जीवन स्तर ही प्राप्त हुए हैं तथा यह आंदोलन कृषि में साहूकारों व जमींदारों के शोषण पर नियंत्रण करने में असफल रहा है। गुन्नार मिर्डल ने सहकारिता आंदोलन के बारे में लिखा है, ''समिति को देखकर यह चिन्ता होती है कि निहित स्वार्थ देश में सहकारी समिति के संचालन को बिगाड़ रहे हैं। यह स्थिति सहकारी आंदोलन के भविष्य के लिये खतरे से पूर्व है तथा आंदोलन की उपयोगिता एवं आवश्यकता के विषय में जनता के विश्वास को समाप्त कर देगी।

सहकारिता के संदर्भ में संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि सहकारिता से आर्थिक लाभ के अतिरिक्त सामाजिक व नैतिक लाभ भी देखने को मिले हैं। जिन क्षेत्रों में सहकारित सफल रही है उन क्षत्रों में लोगों का आपसी सहयोग तथा सद्भावना का विकास हुआ है। लोगों में फिजूल–खर्ची तथा मुकदमेबाजी की प्रवृत्ति कम हुई है तथा लोगों में ईमानदार, शिक्षा आत्मनिर्भरता, मितव्ययिता स्वावलम्बन तथा पारस्परिक सहयोग की भावना का विकास हुआ है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सरकार को सहकारित के माध्यम से बहुत सफलता प्राप्त हुई है।

विश्व व्यापार संगठन के कृषि प्रावधान :– भारत में कृषि क्षेत्र में विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों को लागू किए जाने के फलस्वरूप कृषि व सम्बद्ध क्षेत्र में आयात पर से मात्रात्मक प्रतिबंध हटाकर विदेशी उत्पादकों के लिये दरवाजे पूरी तरह खोल दिए जाते है। विश्व व्यापार संगठन के कृषि प्रावधान से संबंधित ये विचार मूलरूप से विकसित देशों की वास्तविक समस्याओं से सम्बद्ध है। अत्यधिक सब्सिडी और परिणामस्वरूप संरचनात्मक अधिशेष विकसित देशों की चिन्ता का विषय था, और हैं। इसके विपरीत भारत जैसे विकासशील देशों के लिये चिन्ता का विषय है। कम उत्पादकता अपर्याप्त सार्वजनिक व निजी निवेश, तकनीक की अनुपलब्धता तथा बढ़ती जनसंख्या के लिये खाद्य सुरक्षा WTO के प्रावधानों को भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नवत् देखा जा सकता है

1. भारतीय कृषि कीमतें अधिकांश अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों से नीची थीं, परंतु विकसित देशों द्वारा अधिकांश मात्रा में सब्सिडी उपलब्ध कराने के परिणामस्वरूप परिस्थितियों में बदलाव आ रहा हैं। चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें भारतीय कृषि कीमतों से नीची हो गई हैं, इसलिये भारतीय किसानों को नुकसान हो रहा है। किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याएं और कई राज्यों में बढ़ती हुई अशांति का कारण यह है कि किसान कृषि उत्पादन व निर्यात में लगे हुए थे। उन्हें घोर संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में प्रो. पी.आर. ब्रह्मनंद का कथन है कि ''हमें अपने देश के हितों को सर्वोपरि स्थान देना चाहिए। यदि हमें किसानों के हितों के लिये (WTO) को छोड़ना भी पड़े तो मैं इसे अनुचित नहीं समझता।''

2. विश्व व्यापार संगठन (WTO) का एक और समझौता तो कृषि पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। यह 'बौद्धिक सम्पदा अधिकार' विशेषकर सूक्ष्मजीवों और पौध तथा बीज की किस्मों के संरक्षण से संबंधित अधिकार है। आलोचकों का कहना है कि बीजों एवं पौधों की किस्मों का पेटेन्ट होने से देश के कृषक प्रत्येक वर्ष बीज बहुर्राष्ट्रीय कंपनियों से खरीदने होंगे और वह अपने फार्म पर उत्पादित बीजों का अगली फसल के लिये प्रयोग में नहीं ले सकेंगे। अतः विभिन्न फसलों की उत्पादन लागत में वृद्धि होगी।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है भारतीय फार्मो को अपने उत्पादों को पेटेन्ट के रूप में

पंजीकृत कराने की संस्कृति का विकास करना होगा तथा भारत सरकार (WTO) के साथ बातचीत में भारतीय कृषि तथा जनता के हितों का पूरा ध्यान रखें। किसान के संदर्भ में यह कहा जाता है कि किसान के दोनों हाथ हल पर तथा उसकी दोनों आंखें बाजार पर होनी चाहिए। किसान को यह पता होना चाहिए कि वह जिस फसल का उत्पादन करगा उसकी सबसे अच्छी कीमत किस बाजार में प्राप्त हो सकती है, लेकिन भारतीय कृषि में विपणन की उचित व्यवस्था देखने को नहीं मिलता है, कृषि उत्पादन के विपणन में निम्नलिखित समस्याएं देखने को मिलती है :–

1. **बिचौलियों की लंबी श्रृंखला** – भारत में कृषि उपज के विपणन में मध्यस्थों (किसानों व उपभोक्ताओं के बीच)की एक लंबी श्रृंखला है। जिसमें गांव का साहूकार, महाजन, घूमता–फिरता व्यापारी, कच्चा आढ़तिया, पक्का आढ़तिया, थोक व्यापारी, मिल वाला, दलाल, निर्यातकर्ता, व्यापारी आदि शामिल है। इन सभी के द्वारा कुछ–न–कुछ लाभ अवश्य मिल जाता है। जिसका प्रभाव यह होता है कि उपभोक्ता द्वारा दिए जाने वाले मूल्य क एक महत्वपूर्ण भाग यह मध्यस्थ ले लेते है।

2. **मण्डियों की कुरीतियां** – भारत में मंडियों में बहुत सी कुरीतियां देखने को मिलती हैं। जिससे किसानों का शोषण होता है। यहां 1. तराजू–बाट में गड़बड़ी की जाती, 2. नमूने के रूप में उपज का एक अंश निकाल लिया जाता हैं, 3. मूल्य आढ़तिया व किसान का दलाल तय करता है जिसमें किसान का विश्वास में नहीं लिया जाता है, 4. दलाल सदा ही आढ़तिए का पक्ष लेता है, 5. यदि विवाद होता है इस स्थिति में किसान के हितों की रक्षा करने वाला कोई नहीं होता है।

3. **श्रेणीकरण व प्रमापीकरण का अभाव** –भारत में कृषि उत्पादन में श्रेणीकरण व प्रमापीकरण का अभाव पाया जाता है। बहुत से किसान जानबूझकर मिट्टी या अन्य किसी ऐसी वस्तु को मिलावट करके उपज को बेचने के लिये ले आते है जिसका परिणाम यह होता है कि किसान को अपनी उपज का कम मूल्य प्राप्त होता है।

4. **परिवहन सुविधाओं का अभाव** – किसानों को विपणन के लिए परिवहन सुविधाओं की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। गांव से शहर को जोड़ने वाली अधिकांश सड़कें कच्ची हैं जिन पर बरसात के मौसम में चलना बहुत मुश्किल होता है। परिवहन के साधनों के रूप में ऊंट, गधा, खच्चर, बैलगाड़ी आदि का प्रयोग किया जाता है। ये साधन मंहगे पड़ते हैं समय भी अधिक लगता है तथा कृषि वस्तुओं का क्षय भी होता है।

5. **मूल्य संबंधी सूचनाओं का अभाव** –किसानों को मूल्य संबंधी जानकारी भी नहीं होती हैं, क्योंकि गांवों में समाचार–पत्र व पत्रिकाओं का अभाव होता है। साथ ही अधिकांश कृषक अनपढ़ भी होते हैं तथा वे महाजनों द्वारा बताए गए मूल्यों पर विश्वास कर लेते हैं जो शायद ही उनको उचित मूल्य बताते है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

- गलोट आर. (2007) भारत में कृषि ऋण मे वर्तमान मुददे एक आकलन आर.बी.आई. सामयिक पत्र, 28:79–100.
- फसल किस्म तकनीकेंआनुवंशिकी संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली 'राष्ट्रीय फाइटोट्रेन सुविधा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
- शिवपुत्र च.कोटूर मिण्डी की सब्जी एवं बीज फसल के पोषण में अंतर कृषिका शोध पत्रिका मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन संभाग, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरू 560 089 वर्ष 1, अंक 1, जुलाई–दिसम्बर (2012), पृष्ठ 50–8.
- राजनीतिक साप्ताहिक के.जी. करमाकर 2010 कृषि का व्यवसायीकरण''योजना पत्रिका 18–20
- अशोक गुलाटी, कावेरी गांगुली 2011– ''कृषि की अभिवृद्धि हेतु लीन विचार पेज नं. 21–23 डॉ. सुकपाल आई.आई.एम. ''कृषि व्यापार के प्रमुख मुददे'' 2011, योजना पत्रिका 48–50

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 5 June 2019

अटल बिहारी वाजपेयी की लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा : एक विवेचन

डॉ. चन्द्रकान्ता जैन
सहायक प्राध्यापक, शिक्षाशास्त्र विभाग, डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
रामाकान्त
शोध छात्र, शिक्षाशास्त्र विभाग, डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

सारांश :– लोकतंत्र की शुरूआत एथेन्स (यूनान) से मानी जाती है। अरस्तु, रूसों, मांटेस्क्यू, अब्राहम लिंकन से लेकर वट्रेन्ड रसेल आदि ने अपने–अपने सिद्धान्त के आधार पर लोकतंत्र की व्याख्या की है। यहाँ तक की 1917 में मार्क्सवादी सिद्धांतों पर हुई रूसी क्रांति तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप में बनी साम्यवादी सरकारों ने स्वयं को "जनवादी लोकतंत्र" कहा था। लोकतंत्र को प्रारम्भिक काल से ही केवल एक शासन पद्धति के रूप में समझा जाता रहा है, लेकिन वर्तमान में लोकतंत्र केवल एक शासन पद्धति नहीं, वरन् जनता के लोगो की जीवन शैली के रूप में परिवर्तित हो रहा है। भारतीय लोकतंत्र को विश्व का सबसे बडा लोकतंत्र माना जाता है। लोकतांत्रिक मूल्य, भारतीय समाज का मौलिक विश्वास और संवैधानिक सिद्धांत है, जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन में व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, सहयोग, और सहनशीलता द्वारा अपने व्यक्तिगत एवं सामाजिक व्यवहार करने के लिए अभिप्रेरित होता है। अटल बिहारी बाजपेयी भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे। वह राजनीति में आने से पहले पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय थे। उन्होंने "राष्ट्रधर्म", "पॉचजन्य" और "वीर अर्जुन" आदि में राष्ट्रीय भावना से ओत–प्रोत पत्र–पत्रिकाओं का संपादन किया। वह एक सांसद, कैबिनेट मंत्री और प्रधानमन्त्री के तौर पर उनके हर कृतित्व एवं व्यक्तित्व में किये गये कार्यों में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता परिलक्षित होती है।

कुंजी शब्द :– लोकतंत्र, लोकतांत्रिक प्रक्रिया एवं लोकतांत्रिक मूल्य।

लोकतंत्र की शुरूआत एथेन्स (यूनान) से मानी जाती है। अरस्तु, रूसों, मांटेस्क्यू, अब्राहम लिंकन से लेकर वट्रेन्ड रसेल आदि ने अपने–अपने सिद्धान्तों के आधार पर लोकतंत्र की व्याख्या की है। यहाँ तक की सन् 1917 में मार्क्सवादी सिद्धांतों पर हुई रूसी क्रांति तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप में बनी साम्यवादी सरकारों ने स्वयं को "जनवादी लोकतंत्र" कहा था। लोकतंत्र को प्रारम्भिक काल से ही केवल एक शासन पद्धति के रूप में समझा जाता रहा है, लेकिन वर्तमान में लोकतंत्र केवल एक शासन पद्धति नहीं, वरन् जनता के लोगो की जीवन शैली के रूप में परिवर्तित हो रहा है। इसी के सन्दर्भ में जॉन डिवी (1916) ने कहा है कि, 'लोकतंत्र कोई शासन की पद्धति नही है, वरन् यह ऐसी सामाजिक जीवन शैली है जो मनुष्यों को एक दूसरे के करीब आने और परस्पर सहयोग के अवसर दे सकती है ये अवसर निरंतर प्रयोग की परिस्थितियाँ पैदा करते है और समाज के हर सदस्य को व्यक्तिगत, सामाजिक और मानसिक विकास की सम्भावना बढा देते हैं इसलिए लोकतंत्र को लोगों के मन के व्यवहार में स्थापित करने की आवश्यकता है तब ही इसकी सार्थकता सिद्ध हो सकती है अन्यथा नही।[1]

भारतीय लोकतंत्र को विश्व का सबसे बडा लोकतंत्र माना जाता है। लोकतांत्रिक मूल्य, भारतीय समाज का मौलिक विश्वास और संवैधानिक सिद्धांत है, जो भारतीयों को एकजुट करतें हैं। इन मूल्यों कों भारतीय संविधान द्वारा व्यक्त किया गया है, जिसके द्वारा भारतीय नागरिक अपने व्यक्तिगत एवं सामाजिक व्यवहार करने के लिए अभिप्रेरित होता है। जिसके निम्नलिखित छः आयाम है जो इस प्रकार से है– व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता, सहयोग और सहनशीलता।[2]

अटल बिहारी बाजपेयी भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे। वह राजनीति में आने से पहले पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय थे। उनका जन्म 25 दिसम्बर, 1924 में ग्वालियर (म.प्र.) में शिंदे की छावनी में हुआ था।[3] साधारण परिवार में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी के पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी अध्यापक थे और साथ ही वे महान कवि भी थे। जिसके चलते उनमें कवित्व का गुण अपने पिता से विरासत में मिला। उन्होंने ग्वालियर के ही विक्टोरिया कॉलेज (अब लक्ष्मीबाई कॉलेज) से उच्च श्रेणी में बी.ए. और उत्तर प्रदेश की व्यवसायिक नगरी कानपुर के डी. ए. वी.

कॉलेज से राजनीति शास्त्र में प्रथम श्रेणी में एम. ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की।[4] उन्होंने छात्र जीवन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने और तभी से राष्ट्रीय स्तर की वाद–विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे। तीन बार भारत के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी का 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया।[5] उनकी बहुचर्चित कई पुस्तकों में रचनाएँ प्रकाशित हुई जिनमें 'कैदी कविराज की कुंडलियां' (आपात काल के दौरान जेल में लिखी गी कविताओं का सग्रह), 'अमर आग है' (कविता संग्रह) और 'मेरी इक्यावन कविताएँ', 'चुनी हुई कविताए', और 'राष्ट्रधर्म', 'पॉचजन्य' और "वीर अर्जुन" आदि जैसे राष्ट्रीय भावना से ओत–प्रोत पत्र–पत्रिकाओं का संपादन किया।[6]

अटल बिहारी वाजपेयी को वंशानुगत और वातवरण दोनों से काव्य संस्कार प्राप्त हुए थे।[7] उनके विचारों पर राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ और आर्य समाज का गहरा असर रहा है वैसे स्वामी विवेकानन्द, स्वामी दयानन्द, तिलक, महात्मा गाँधी, सावरकर, डॉ हेडगेवार, एम.एन.राय, जवाहरलाल लाल नेहरू, श्री गुरूजी से लेकर डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉ लोहिया, पं. दीनदयाल उपाध्याय आदि परस्पर विरोधी दिखने वाले विचारकों के व्यक्तित्व और कृतित्व ने अटल जी को अपनें–अपनें ढंग से प्रभावित किया है। यही कारण है की भारयीय जनता पार्टी में संस्थागत आबद्धताओं के बावजूद संस्थाबध्दता से उपर उठकर लोकतांत्रिक विचार और निर्णय करने की क्षमता विकसित हुयी।[8]

अटल बिहारी वाजपेयी अपने सभी रूपों में सिर्फ मानव है, बाद में और सब कुछ वह किसी को पराया नहीं मानते, उनके लिए सभी अपने है, इसिलिए वह भगवान से यही प्रार्थना करते है कि –

मेरे प्रभू
मुझे इतनी ऊँचाई कभी मत देना,
गैरों को गले न लगा सकूँ
इतनी रूखाई
कभी मत देना [9]

राजनीतिक जीवन को देखें तो, अटल बिहारी वाजपेयी 1955 में पहली बार लोक सभा चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। दूसरी 1957 में बलरामपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और पहली बार जीत कर लोकसभा में पहुचें। वह मोरारजी देसाई की सरकार में सन 1977 से 1979 तक भारत के विदेश मंत्री रहें और विदेशों में भारत की छवि का प्रसार किया।[10] वह ऐसे विदेश मंत्री थे, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर भारत को गौरवन्वित किया।[11] वह भारत के तीन बार प्रधानमन्त्री रहें। 1996 में पहली बार भारत के प्रधानमन्त्री बने हालांकि पहली सरकार सिर्फ 13 दिन ही चल सकी। 1998 में दूसरी बार गधबंधन सरकार में प्रधानमन्त्री बने और इस बार सरकार का कार्यकाल 13 महीने रहा। तीसरी बार 13 अक्टूबर 1999 में 13 दलों के गधबंधन के साथ उन्होंने पांच वर्ष के कार्यकाल पूरा किया। वह पांच साल तक प्रधानमन्त्री के रूप में रहने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता थे।[12]

अटल बिहारी बाजपेयी सत्ता के गलियारों में आजातशत्रु कहलाते थे। तीन माह पुरानी सरकार वर्ष 1999 में केवल एक वोट से गिरी थी, हंसते–हंसते प्रधानमंत्री पद छोड़ने वाले अटल बिहारी बाजपेयी ने कभी कटाक्ष या आरोपों की मदद नहीं ली।

उनके व्यक्तित्व की विशालता, उनकी ही कविताओं की ये पंक्तियाँ परिचायक हैं।

टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी ?
अन्तर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी
हार नहीं मानूँगा,
रार नहीं ठानूँगा,
काल के कपाल पे लिखता–मिटाता हूँ।
गीत नया गाता हूँ।[13]

शिक्षा–व्यापक अर्थो में साक्षरता नहीं, अपितु एक जीवन दर्शन है। हम दार्शनिक विचारों, सिद्धान्तों एवं मान्यताओं के माध्यम से शिक्षा सम्बन्धित समस्याओं का आकलन कर उसके निहितार्थ में छिपे हुए प्रश्नों के उत्तर ढूंढते है, और समग्र समाज के विकास के लिए मूल्य निर्धारित करते है। अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन में अनेक पड़ाव आये, परन्तु उनका दर्शन शैक्षिक मूल्यों पर आधारित रहा। वे शिक्षकों में उन गुणों को देखना चाहते, जिनका दृष्टिकोण यथार्थ के प्रति आलोचनात्मक तथा सर्जनात्मक हो। जॉन डिवी (2016) के शब्दों में, 'शैक्षिक मूल्य के विषय में कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं कि हम अध्ययन के मूल्यों का कोई पदानुक्रम निर्धारित नहीं कर सकते है। उनको किसी ऐसे क्रम में रखना निरर्थक होगा, जिससे यह पता चले कि उसमें से किसका मूल्य अधिकतम है। क्योंकि अनुभव में प्रत्येक अध्ययन का कार्य अनन्य और अपूर्णीय होता है, क्योंकि प्रत्येक अध्ययन जीवन को

चरित्रगत प्रगाढ़ता प्रदान करता है। अतः उसकी श्रेष्ठता आंतरिक अंतभूर्त और अतुलनीय होती है।[14]

अटल बिहारी वाजपेयी और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा :– अटल बिहारी वाजपेयी का इस बात में वि वास था कि 'लोकतंत्र महज 51 और 49 का खेल नहीं है, लोकतंत्र मूलतः एक नैतिक व्यवस्था है। संसद और सदन केवल कानून की छोटी अदालत नहीं, जहाँ शब्द जाल ही प्रमुख है। यह एक राजनीतिक मंच है।'[15] तथा 'मानवाधिकारों के संदर्भ में भाषण देते समय स्वीकारा की मानव का सम्मान हमारे मूल्यों में समाहित है।'[16] देश के लिए उनका प्रेम और लोकतंत्र में उनका अगाध वि वाश झलकता था। उनके संबोधनों में भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने की दृष्टि भी नजर आती थी, संसद में मई 1996 में अपनें सम्बोधन में उन्होंने कहा था कि –

सत्ता का खेल चलेगा,
सरकारे आयेंगी–जायेंगी, पार्टिया बनेंगी बिगडेंगी।
मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।[17]

संसद में दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी का यह आदर्श कथन इस सिद्धान्त को स्पष्ट करता है कि वह उस राजनीति के वाहक थे, जिसके कुछ मूल्य व मर्यादाएं थी। राजनीतिक कुरीतियों से लड़ने की जीवटता के कारण ही उन्होंने हार्स ट्रेडिंग को न ही बढ़ावा दिया वरन इसके रोक थम के लिए दल बदल कानून में संशोधन कर दल बदल करने वाले सांसदों विधायकों के साथ कम से कम दो तिहाई सदस्यों का होना अनिवार्य किया, साथ ही साथ लोक सभा एवं विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का पन्द्रह प्रतिशत मंत्रीमंडल विस्तार की सीमा सीमित रखी।[18] अटल बिहारी वाजपेयी ने ''अमर है गणतंत्र ''शीर्षक कविता 26 जनवरी 1975 को उन क्षणों मे रची थी जब वे नजरबंद थे। यह कविता इस प्रकार से है –

रक्त के आँसू बहाने को विवश गणतंत्र,
राजमद ने रौदं डाले मुक्ति के शुभ मंत्र।
क्या इसी दिन के लिए पूर्वज हुए बलिदान?
पीढ़िया जूझीं,सदियों चला अग्निस्नान?
स्वतंत्रता के दुसरे संघर्ष का घननाद,
होलिका आपात की फिर माँगती प्रह्लाद।
अमर है गणतन्त्र कारा के खुलेंगे द्वार,
पुत्र अमृत के न विष से मान सकते हार।[19]

अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्र के लिए बलिदान होने वाले सपूतों का स्मरण जिस श्रद्धाभाव से करते है वह सभी देशवासियों के लिए अनुकरणीय है, 'उनकी याद करें' गीत के ये स्वर इसी संदर्भ में है –

जो वर्षो तक लड़े जेल में, उनकी याद करें,
जो फाँसी पर चढ़े खेल में, उनकी याद करे याद करें।
याद करें काला पानी को
अंग्रेजों की मनमानी को
कोल्हू में जुट तेल पेरते
सावरकार के बलिदानी को[20]

अटल बिहारी वाजपेयी ने यह जानते हुए भी पोखरन में परमाणु परीक्षण का फैसला लिया कि अंतराष्ट्रीय समुदाय में इसकी प्रतिक्रिया होगी, किंतु भारत को ऊंचाईयों पर पहुँचाने के लिए मानों उनकी सोच, उन्हें अपने फैसले पर अटल रखे हुए थी कि –

बाधाएँ आती हैं आएँ
घिरें प्रलय की घोर घटाएँ
पावों के नीचे अंगारे
सिर पर बरसें यदि ज्वालाएँ
निज हाथों में हसते हसते
आग लगा कर जलना होगा,
कदम मिला कर चलना होगा।[21]

उन्होंने राष्ट्र की सेवा करना हमेशा जारी रखा और सभी परिस्थितियों में एकता और सहमति बना कर चले।

व्यक्ति की गरिमा जो भारत में बंधुता की भावना का आधार है, न कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग उद्भव जन्मस्थान निवास या सामाजिक स्थिति। अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी भी मानव–मानव में भेद नहीं किया। ये पंक्तियाँ इसी संदर्भ में उल्लेखित है।

मैंने छाती का लहू पिला, पाले विदेश के क्षुधित लाल।
मुझ को मानव में भेद नहीं, मेरा अन्तस्थल वर विशाल।
जगा के ठुकराए लोगों को, लो मेरे घर का खुला द्वार।
अपना सब कुछ लुटा चुका, फिर भी अक्षय है धनागार।।[22]

इसी संदर्भ में अटल बिहारी वाजपेयी की ''पहचान'' शीर्षक की एक कविता इस प्रकार से है–

छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता,
टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता।[23]
मन हार कर, मैदान नहीं जीते जाते,
न मैदान जीतने से मन ही जीते जाते हैं।।[24]

इकहत्तर पंक्तियों की यह लम्बी कविता जीवन के अनुभूत तथ्यों का एक दस्तावेज है। इसी कविता में ये पंक्तियों भी पढ़ने को मिलती है।–

आदमी न ऊँचा होता है, न नीचा होता है,
न बड़ा होता है,न छोटा होता है।
आदमी सिर्फ आदमी होता है।।[25]

एक सार्वजनिक सम्बोधन में उन्होनें 'आजादी' पर अपने विचार कविता के माध्यम से इस तरह दी है–

इसे मिटाने की साजिस करने वालों से कह दो
कि चिंगारी का खेल बुरा होता है
औरों के घर आग लगाने का जो सपना
वो अपने ही घरों में सदा खड़ा होता है।[26]

अटल बिहारी वाजपेयी की यह कविता व्यक्ति की गरिमा के साथ समानता के मूल्यों को भी प्रदर्शित करती है तथा समरस्ता पूर्ण न्याय की तरफ भी इशारा करती है। सहयोग सामान्यतः आपसी सामंजस्य के साथ समूह में की जाने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। इस संदर्भ में अटल बिहारी वाजपेयी कभी नहीं चाहते थे कि दो पड़ोसी भारत और पाकिस्तान आपस में लड़े। वर्तमान पीढ़ी पर जो गुजरी सो गुजरी, किन्तु भावी पीढ़ी के साथ वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। इसी संदर्भ में इनकी यह कविता है।

हमें चाहिए शान्ति, जिन्दगी हमको प्यारी,
हमें चाहिए शान्ति,सृजन की है तैयारी,
हमनें छेड़ी जंग भूख से, बीमारी से,
आगे आकर हाथ बटाए दुनिया सारी।
हरी–भरी धरती को खूनी रंग न लेने देंगे।
जंग न होने देंगे।[27]

भारत पाकिस्तान पड़ोसी, साथ–साथ रहना है।
प्यार करें, या वार करें, दोनों को ही सहना है।
रूसी बम हो या अमेरिका, खून एक बहना है।
जो हम पर गुजरी बच्चों के संग न होने देंगे।
जंग न होने देंगे।[28]

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि आचार विहीन राजनीति में मूल्यों की गिरावट कोई नई बात नहीं हैं, किन्तु वर्तमान में जिस प्रकार राजनीति के नाम पर लोकतांत्रिक मूल्यों का तेजी से क्षरण हो रहा है, वह अवश्य चिन्तनीय है ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति को आदर्श के रूप में देखा जा सकते हैं उन्होने धर्म सम्प्रदाय जाति क्षेत्र तथा भाषा से हट कर राजनीति को मानव कल्याण आधारित बनाया, जिसमें जन विकास की भावना को बल मिला। सही मायने में लोकतांत्रिक व्यवस्था वही है, जिसमें सभी को समान अवसर एवं प्रतिनिधित्व मिले। अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति ने उपरोक्त के लिए अवसर प्रदान किया है। उन्होनें देश की अखण्डता और एकता को बनाए रखने के लिए व्यक्ति की गरिमा पर बल दिया। उन्होनें भारतीय राजनीति में विकसित लोकतांत्रिक मूल्यों को नया आधार दिया, जिसमें समता तथा बंधुत्व केन्द्र में रहा है।

वह भारत की राजनीति में एक ऐसे मार्गदर्शक के रूप में हैं, जिन्होनें दल आधारित विषमताओं से ऊपर उठ कर देश हित को सर्वोपरि रखा। समग्र रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को एक सांसद, कैबिनेट मंत्री, और प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जाए तो उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व में किये गये प्रत्येक कार्यों में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी गहरी प्रतिबध्दता परिलक्षित होती है।

संदर्भ :–

1. डिवी, जॉन, शिक्षा और लोकतन्त्र, अनु. लाडली मोहन माथुर, ग्रन्थ शिल्पी (इंडिया) प्रा. लि., नई दिल्ली, 2016, पृ. सं. 83.
2. चार्ल्स, किरूबा एवं वी. अरूल सेल्वी, पीस एण्ड वैल्यू एजूकेशन, नीलकमल पब्लिकेशन प्रा. लि., हैदराबाद, 2012, पृ. सं. 256.
3. शर्मा, चन्द्रिका प्रसाद, कवि राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी, किताबघर, नई दिल्ली, 1997, पृ. सं. 53.
4. वाजपेयी, अटल बिहारी, मेरी इक्यावन कविताएँ, सम्पादकीय–डॉ. चन्द्रिका प्रसाद शर्मा, किताबघर, नई दिल्ली, 2018, पृ. सं. 112.
5. बी. बी. सी. हिन्दी, अटल बिहारी वाजपेयी का निधन : युग का अन्त, https://www.bbc.com/hindi/india-45204576 देखा गया–02/02/2019.

6. वही.
7. वाजपेयी, अटल बिहारी, मेरी इक्यावन कविताएँ, पूर्वोक्त, पृ. सं. 141.
8. वही, पृ. सं. 161.
9. वही, पृ. सं. 26.
10. पंजाब केसरी 'जानिए कैसा रहा पूर्व पी. एम. अटल बिहारी वाजपेयी का राजनैतिक सफर' https://www.punjabkesari.in/national/news/know-the-vajpayee-political-journey-856884 देखा गया–02 / 02 / 2019.
11. पंजाब केसरी 'हिन्दी भाषा में अहम योगदान' https://www.punjabkesari.in/national/news/know-the-vajpayee-political-journey-856884 देखा गया–04 / 02 / 2019.
12. वेब दुनिया 'अटल बिहारी वाजपेयी : राजनैतिक सफर http://hindi.webdunia.com/atal-bihari-vajpayee/atal-bihari-vajpayee-bjp-former-prime-minister-118081600068_1.html देखा गया–02 / 02 / 2019.
13. वाजपेयी, अटल बिहारी, मेरी इक्यावन कविताएँ, पूर्वोक्त, पृ. सं. 23.
14. डिवी, जॉन, शिक्षा और लोकतन्त्र, पूर्वोक्त, पृ. सं. 230.
15. शर्मा, चन्द्रिका प्रसाद, कवि राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्वोक्त, पृ. सं. 53.
16. खन्ना, बी. एन. एवं लिपाक्षी अरोड़ा, भारत की विदेश नीति, विकास पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली, 2016, पृ. सं. 53.
17. द वायर 'हार नहीं मानूँगा रार नई ठानूँगा' http://thewirehindi.com/54416/remembering-poet-and-former-prime-minister-atal-bihari-vajpayee/ देखा गया–04 / 02 / 2019.
18. वही.
19. वाजपेयी, अटल बिहारी, मेरी इक्यावन कविताएँ, पूर्वोक्त, पृ. सं. 72.
20. वही, पृ. सं. 131.
21. वही, पृ. सं. 85.
22. वही, पृ. सं. 127.
23. वही, पृ. सं. 19.
24. वही.
25. वही, पृ. सं. 18.
26. द वायर 'हार नहीं मानूँगा रार नई ठानूँगा' http://thewirehindi.com/54416/remembering-poet-and-former-prime-minister-atal-bihari-vajpayee/ देखा गया–04 / 02 / 2019.
27. वाजपेयी, अटल बिहारी, मेरी इक्यावन कविताएँ, पूर्वोक्त, पृ. सं. 101.
28. वही, पृ. सं. 102.

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 5 June 2019

मूल्यों के विकास में शिक्षा की भूमिका

डॉ. अरुण कुमार मिश्र
M.A, MEd., MPhil (Educational), UGC NET, Ph.D (Education)
विभागाध्यक्ष (शिक्षा विभाग), फोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मवाना रोड मेरठ, उत्तरप्रदेश

प्राचीन भारतीय जीवन की पृष्ठभूमि पर, भारतीय ऋषियों एवं मनीषियों ने अपने चिंतन में जिन प्राचीन मूल्यों की आधारशिला रखी थी, वह सत्यं शिवम् सुन्दरम्' में समाहित थी अर्थात् जो मानव के लिये आनंद से ओत–प्रोत एवं कल्याणकारी भावना से परिपूर्ण थी। मूल्य मानव के व्यवहार को नियंत्रित एवं निर्देशित करते है, शिक्षा में मूल्यों का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। हम शिक्षा के द्वारा बालक का नहीं, बल्कि सुयोग्य नागरिक का निर्माण करते हैं ऐसे में यदि शिक्षा मूल्य विहीन होगी तो सारा समाज ही दिशाहीन हो जायेगा। शिक्षा के द्वारा नागरिक का निर्माण एवं सुयोग्य नागरिकों द्वारा सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव होता है। "The prosperity of a county depends not on the aboundance of its revenues, nor on the strength of its fortifications nor on the beauty of its public buildings, but in its cultivated Citizens, in its men of education, enlightment and character."

गुरू बालक का मानस पिता माना जाता है और वह शिष्य को पुत्रवत् स्नेह देता है। गुरू शिष्य का आपस में भावात्मक संबंध होता है, और जहां तक मूल्य का संबंध है, वह एक अमूर्त सम्प्रत्यय है, जो मनुष्य के भावात्मक पक्ष को विकसित करता हैं। जिसके मूल में दया, करूणा, सहनशीलता, त्याग, सत्य, अहिंसा आदि गुण सम्मिलित है।

मार्टिन लूथर किंग के अनुसार – ''अच्छा बर्ताव करने वाले, नागरिक सुसंस्कृत शिक्षित व्यक्ति, परांगामी विचार वाले, चारित्रय सम्पन्न व्यक्ति देश की सच्ची सम्पत्ति हैं।''

5 सितम्बर 1964 की डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था – ''प्राचार्य पर ही भावी नागरिक तैयार करने की जिम्मेदारी है। वे अपने कर्तव्यों का अच्छा निर्वहन कर सके, और अच्छा जीवन बितानें के लिये उनकी जरूरतों पर ध्यान दें।'' रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भी अच्छे शिक्षक को शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। जिस प्रकार जलकुम्भ जल से ही भरता है और अग्नि से ही अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार एक सजीव प्राणी एक–दूसरे सजीव प्राणी का चेतना स्थान है। हमारे जीवन में भी ऐसे ही गुरू एवं शिक्षा की आवश्यकता होती है जो हमारे जीवन में नवीन चेतना का निर्माण कर सकें। जिस प्रकार एक दीप दूसरे दीप को प्रज्वलित करता है, उसी प्रकार एक सच्चा प्राचार्य एवं उससे प्राप्त शिक्षा अपने छात्रों के जीवन को विविध दृष्टिकोण को प्रकाशित करती हैं। प्राचार्य का अस्तित्व ही छात्रों के लिये प्रेरणा स्थान है। एक प्राचार्य इसलिये सिर्फ प्राचार्य नहीं कहा जाता क्योंकि प्राचार्य के पद पर उसकी नियुक्ति की गयी है। यह प्राचार्य इसलिये है कि छात्रों के व्यक्तित्व को विकसित करने की जिम्मेदारी शिक्षक के पद से उसने स्वीकार की हैं। वह छात्रों से व्यस्क हैं इसलिये भी वह श्रेष्ठ नहीं है। ऐसा प्राचार्य उसके निजी गुणों के कारण तथा उसकी अनुशासन प्रियता से अपनी छवि छात्रों के ह्रदय पर अंकित करता हैं।

एक श्रेष्ठ प्राचार्य भगवान की चुनी हुई कलाकृ ति हो यही सब लोग चाहेंगे। कोठारी शिक्षा आयोग ने शिक्षा की पुर्नरचना में शिक्षक को ही महत्वपूर्ण बताया हैं इस दृष्टि से उसके निजी गुण, शैक्षणिक अर्हता, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा उसे शैक्षणिक संस्था और समाज में प्राप्त होने वाला स्थान शिक्षा क्षेत्र में काफी अहमियत रखता है। विनोबा भावे ने प्राचार्य या गुरू के लिये आचार्य शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ है अच्छे आचरण वाला जो हमें अनुसरण के योग्य है। प्राचीन काल में गुरू अपना जीवन शुद्ध आचरण से बिताते थे और उनमें जो गुण और क्षमताएं होती थी वे अपने शिष्यों तक पहुंचाने का प्रयत्न करते थे। परंतु आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हो रहा है, वह हमारे लिये चिंता का विषय है, शिक्षा के अंतर्गत जो योग्य बालक निर्माण की प्रक्रिया है वह पूरी तरह व्यापारिक बन गयी है। सबका उद्देश्य केवल अर्थोपार्जन करना ही हैं इस कार्य में नीचे से लेकर ऊपर तक सभी लगे हैं। केवल डिग्री प्राप्त करना छात्रों का उद्देश्य बन गया, पठन–पाठन, व्यवसाय और जीवन यापन का साधन बन गया है। जिसमें कुछ लोग अपने नैतिक कर्तव्य तथा विषय ज्ञान की वृद्धि भी भूल गये हैं। उसमें अनावश्यक तत्वों के आ जाने से गुरू की प्रतिष्ठा आज खतरें में हैं, यूरोपीय संस्कृति के प्रभाव

में आकर हम अपनी संस्कृति एवं परम्पराओं को भूल गये हैं।

आज खो रहे प्राचीन मूल्यों को पुनः स्मरण करने की महती आवश्यकता महसूस की जा रही हैं क्योंकि मूल्य विहीन शिक्षा एवं जीवन का कोई अस्तित्व नहीं हैं। ब्रूबेकर के अनुसार – किसी शिक्षा के उद्देश्यों को बताना उसके शैक्षिक मूल्यों को बताना ही है। मूल्य को अंग्रेजी में Value कहते है जो लैटिन के Valere से निर्मित है बैलियर का अर्थ है योग्यता, महत्व, गुण, आदि अर्थात् मूल्य का अभिप्राय वस्तु या क्रिया के उस गुण से होता है जिससे आनंद या आनंद की आशा प्राप्त होती है। मूल्य का अर्थ निश्चियात्मक होता है। अच्छाई, सौन्दर्य व सत्य आदि मूल्य है जिन्हें प्राप्त करने हेतु मानव निरंतर प्रयास रहता है। नैतिकता, राष्ट्रीयता, अन्तर्राष्ट्रीयता आदि भी मूल्य है विकल्प अनन्त है, साधन व समय सीमित। अतः मनुष्य को चुनाव करना पड़ता है। इस चुनाव का परिणाम भी मूल्य हैं। इच्छाओं के बीच मानव चुनाव करता है जिसका परिणाम मूल्य ही होते है। अतः मूल्यों के विकास में शिक्षा का योगदान नितान्त आवश्यक है। यदि हमें उच्चकोटि के नागरिकों का निर्माण करना है तो हमें स्वयं मूल्यों पर चलना होगा वैसा आचरण करना होगा जैसा हम दूसरे से चाहते हैं।

इस युग में हमारे देश में मूल्यों पर ही बल दिया हैं –

1. 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस बात पर चिन्ता व्यक्त की गई।
2. 1948 The University Eduction Commission also recommended moral and spiritual instruction at University Stage.
2. 1990 में आचार्य राममूर्ति कमेटी ने भी मूल्यों पर बल देने की बात की।
3. 1990 The Parlimentrystanding Committee on H.R.D. expressed over the failure in promoting value oriented education.

आज हम सारे मूल्यों, कर्तव्यों की अवहेलना कर केवल धनोपार्जन में लगे हैं। भौतिकवादी जगत की चकाचौंध में हम अपना सब कुछ दांव पर लगा बैठे हैं। हम जिस सुख एवं संतोष की चाह में यह सब कर रहे हैं। वह इससे कोसों दूर होता जा रहा हैं। यदि हम वास्तव में एक अच्छा पर्यावरण एवं सृजनशील नागरिक चाहते हैं तो हमें निम्न उपाय करने होंगे –

1. वर्तमान में हो रहे बाजारीकरण को रोकना होगा।
2. हमें अपनी सुविधा के साथ–साथ छात्रों के भविष्य की भी चिन्ता करनी होगी।
3. हमें अपने प्राचीन भारतीय मूल्यों का पुनः स्मरण करना होगा।
4. सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से ही कार्य करना होगा।
5. कहीं भी किसी भी तरह का पक्षपात पूर्ण रवैया न अपनाना जायें।
6. प्रबंधतंत्र पर भी समाज एवं राज्य का दबाव होना चाहिये।
7. योग्यता का उचित मूल्यांकन होना चाहिए।
8. शिक्षक एवं छात्रों की अपने कर्तव्यों के प्रति जबावदेही होनी चाहिए।
9. अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देना चाहिए।
10. आचार्य कुल की संकल्पना बिनोवा जी ने दी है उसके अंतर्गत पारिवारिक भावना से ओत–प्रोत विद्यालय का वातावरण होना चाहिए।
11. विद्यालय शब्द वास्तव में घर शब्द को संबोधित करता है। घर में जो प्रेम एवं त्याग का वातावरण होता है। वही भाव प्राचार्य एवं छात्रों के बीच होना चाहिए।
12. उपरोक्त बातों के साथ अपने कार्य के प्रति पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी होनी चाहिए।
13. शिक्षा के स्वरूप एवं लक्ष्यों का निर्धारण प्राचीन एवं वर्तमान मूल्यों में समन्वय स्थापित करके होना चाहिए।

हमने प्राचीन भारतीय शिक्षा के जिन उद्देश्यों और आदर्शो को अंकित किया हैं, उनसे विदित हो जाता हैं कि उनका निर्माण व्यक्ति के लौकिक और पारलौकिक जीवन की सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया था।

आधुनिक महाविद्यालय युवाओं की स्वतंत्रता को बहुत महत्व देता है। यह उस मनोवैज्ञानिक तथ्य में विश्वास करता है कि बालक का विकास तभी होगा जब उसकी जन्मजात शक्तियों और योग्यताओं को वातावरण मे पूर्ण सफलता मिलेगी। अतः यह युवा को समृद्ध सक्रिय और उल्लासमय वातावरण देने का प्रयास करते हैं। इस वातावरण में उसे खेल, सामाजिक सहयोग, हस्त कौशल, रचनात्क कार्य करने और अपनी इच्छानुसार चुने गये विषयों एवं पुस्तकों के अध्ययन के अवसर मिलतें है। युवा को ऐसे वातावरण में रखकर उसे भावी जीवन के कार्यों और कर्तव्यों के लिए तैयार किया जा सकता है। आज की शिक्षा बाल केन्द्रित

शिक्षा है। अच्छे महाविद्यालय का मापदण्ड यह कि युवा शैक्षिक बातावरण मे अधिक से अधिक सीखे। महाविद्यालय का लक्ष्य छात्र का बहुमुखीं विकास करना है। महाविद्यालय को सजीवता प्रदान करने वाली अनुपम संपत्ति उसके छात्र होते है। वे महाविद्यालय के गौरव है क्योकि उन्ही की योग्यता शिष्टता एवं प्रतिभा पर महाविद्यालय का गौारव निर्भर है। अतः महाविद्यालय को छात्र का बहुमुखी विकास करने के लिए कुछ दायित्व निभाने पड़ते है।

प्रत्येक महाविद्यालय में कई प्रकार के छात्र विद्या–अर्जन करते है। जैसे शैक्षिक दृष्टि से पिछडे, समस्यात्मक, अपराधी, कुसमायोजित, मन्द बुद्धि तथा भगोड़े बालक आदि। अतः विद्यालयों को चाहिए कि उनकी विभिन्न समस्याओं का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करे तथा विद्यालय में उनके पठन पाठन की, उनके लिए विशिष्ट सुविधाओं की, उनकी क्षमताओं योग्यताओं तथा अभियोग्ताओं को विकसित करने की उचित व्यवस्था करें। महाविद्यालय को इस प्रकार का पर्यावरण तैयार करना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके और व्यक्तिगत भेद के आधार पर उनमें अर्न्तनिहित गुणों का भी स्वाभाविक ढंग से विकास हो सके।

महाविद्यालय का प्रमुख दायित्व विद्यार्थियों को शिष्ट अनुशासित बनाना है अतः समस्त विद्यार्थियों को उनकी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार रचनात्मक कार्यों में लगा कर उनमें अनुशासन की भावना जागृत करना चाहिए। उन्हे दायित्वपूर्ण कार्यों को सौंपकर सामाजिक जीवन के लिए तैयार करना चाहिए। महाविद्यालयों में पाठ्य सहगामी क्रियाओ का भी आयोजन होना चाहिऐं जिसमें सभी छात्रों की क्षमता एवं योग्यता तथा रूचि के अनुसार भाग लेने का समान अवसर देना चाहिए ताकि छात्रों का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक तथा सांस्कृतिक विकास हो सकें। महाविद्यालयों का कार्य आधुनिक परिस्थिति में केवल छात्रों को विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रसारित कराना ही नही है वरन् छात्रों को नवीनतम सूचनाओं एवं सामान्य ज्ञान से अवगत कर कर उन्हें समाज की आवश्यकताओं एवं समस्याओं का भी ज्ञान कराना है। जिससे वे महाविद्यालय जीवन के उपरान्त समाज के नागरिक के रूप में सरलता से समायोजित हो सके।

महाविद्यालयों का प्रमुख दायित्व छात्रों को सामाजिक जीवन की शिक्षा देना भी है अतः महाविद्यालयों को प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों पर आधारित स्वशासन प्रणाली की व्यवस्था करनी चाहिए। महाविद्यालयों को सामूहिक भोज, सामूहिक प्रार्थनाए, सामूहिक उत्सव तथा सामूहिक क्रियाओं को आयोजन करना चाहिए जिससे विद्यार्थी सामूहिक जीवन की शिक्षा स्वाभाविक ढंग से प्राप्त कर सके। महाविद्यालयों को छात्रों को न केवल मानसिक श्रम पर ही बल देना चाहिए वरन् छात्रों को शारीरिक श्रम की भी आदत विकसित करने की चेष्टा करनी चाहिए। उन्हें कर्मठ लगनशील एवं परिश्रमी बनाने का दायित्व महाविद्यालयों पर है। उनके अवकाश के समय का सदुपयोग कराकर भी छात्र में अच्छी रूचियॉ जागृत की जा सकती है और उनकी अवांछित प्रवृत्तियों एवं व्यवहारों को मनोवैज्ञानिक ढंग से परिमार्जित किया जा सकता है।

अनेक छात्र शंकाओं, अस्पष्टताओं तथा अज्ञानताओं के कारण अंधेरे में भटकते रहते है। अतः महाविद्यालय को चाहिए की छात्रों की प्रत्येक को भ्रांति को दूरकर उन्हें उचित शैक्षिक एवं व्यवसायिक निर्देशन देने की व्यवस्था करें, जिससे उनके आंनद स्फूर्ति, साहस, नवीन ज्ञान, विचार स्पष्टता, सत्यता आदि गुणों का विकास हो सके।

"एक राष्ट्र के शिक्षालय का पाठ्यक्रम उनके जीवन का स्वरूप होना चाहिए। इसकी सामुदायिक जीवन की महत्तपूर्ण विशेषताओं को अपने स्वाभाविक वातावरण में प्रतिबिंबित कराना चाहिए।"

–के. जी. सैयदेन

"शाला प्रशासन शिक्षालय में नियुक्त कर्मचारी का चयन, नियुक्ति तथा कार्य निर्धारित करता है और शिक्षालय सें संबधित व्यक्तियों, कर्मचारियों तथा छात्र परिषद सदस्य, समाज के सदस्यों कें बीच समन्वय तथा नेतृत्व करता है ? जिससे उचित तथा सक्षम शिक्षा की दिशा में नीतियों का निर्माण क्रियान्वयन तथा उन्नयन हो"

–श्री विटनगर

शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। जिस प्रकार एक नवजात शिशु प्रारंभ में निःसहाय होता है उसको वृद्धि एंव प्रगति के लिए दूसरो पर निर्भर रहना पड़ता है, उसी प्रकार विद्यालयों को भी कई राज्य कारकों पर निर्भर रहना पड़ता है। मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने शिक्षा आयोग द्वारा प्रदत्त प्राचार्यो को प्राप्त कुछ अधिकारों को संशोधित रूप से लागू तो कर दिया है किन्तु उसने परिस्थितियों का पूर्ण रूप से मूल्यांकन नहीं किया और शाला प्रमुखों को स्पष्ट रूप से आवश्यक निर्देश भी नही दिये। यदि कुछ अधिकार उन्हें मिले भी हैं तो उन्हे पालन करने का ज्ञान नही है। शिक्षा के

विकास के लिये जरूरी है कि शासन द्वारा उन्हे उत्तम निर्देशन प्राप्त हो जो वर्तमान में उन्हें उपलब्ध नही है।

एक महाविद्यालय प्रमुख का कार्य क्षेत्र महाविद्यालय की चहार–दीवारी तक ही सीमित नही है, बल्कि समाज तथा राज्य तक व्याप्त हैं। वस्तुतः आज के महाविद्यालय स्वंय अपने मे ही कोई पूर्ण सत्ता अथवा इकाई नही है। स्थायी सामाजिक जीवन एवं वातावरण, राष्ट्रीय निर्माण तथा उसकी आवश्यकताऐं एवं राज्य के स्वरूप महाविद्यालय के विभिन्न अंग है। इनसे पृथक रहकर कोई भी संस्था अपने शिक्षा संबंधी उद्देश्यो की पूर्ति में सफल नही हो सकती। महाविद्यालय प्रमुख की संस्था के छात्रों तथा अध्यापक वर्ग के प्रति भी अपने कर्तव्यो एवं उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना पडता है।

अतः भविष्य में शिक्षा के विकास के लिए प्राचार्य को उनके अधिकारों को ज्ञान हो, उन्हें उत्तरदायित्व के निर्वाह हेतु उत्तम निर्देशन प्राप्त हो इस हेतु यह अत्यंत आवश्यक है कि वर्तमान परिस्थितियों को अध्ययन किया जावे तथा महाविद्यालय प्रमुखों को उचित मार्गदर्शन दिया जावे ताकि वे अपनी समस्या का निराकरण कर सके जिसके फलस्वरूप संस्थाओं को लक्ष्य की प्राप्ति हो सके।

इसी वर्तमान समस्या के विभिन्न पहलुओ पर प्रकाश डाला है। महाविद्यालय प्रमुख इन समस्याओं को किस प्रकार हल करता है एवं क्या–क्या बाधक तत्व उसके मार्ग में आते है। महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रशासनिक एवं अकादमिक क्षेत्र में कौन–कौन सी समस्याऔं का सामना करना पड़ता है एवं इन समस्याओं का समाधान करने के लिये महाविद्यालय प्राचार्य के द्वारा जो भी निर्णय लिये जाते है तो उनका महाविद्यालय के संपूर्ण पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। अतः प्रशासनिक एवं अकादमिक निर्णयन की इस प्रकिया को जानने हेतु यह अल्प प्रयास शोधकर्ता के द्वारा संपन्न किया गया है।

आधुनिक परिस्थिति में केवल छात्रों को विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रसारित कराना ही नही है वरन् छात्रों को नवीनतम सूचनाओं एवं सामान्य ज्ञान से अवगत करा कर उन्हें समाज की आवश्यकताओं एवं समस्याओं का भी ज्ञान कराना है। जिससे वे महाविद्यालय जीवन के उपरान्त समाज के नागरिक के रूप में सरलता से समायोजित हो सके।

"शिक्षालय बहुसमुदाय में एक छोटा समुदाय है" –
माध्यमिक शिक्षा आयोग

"एक राष्ट्र के शिक्षालय का पाठ्यक्रम उनके जीवन का स्वरूप होना चाहिए। इसकी सामुदायिक जीवन की महत्तपूर्ण विशेषताओं को अपने स्वाभाविक वातावरण में प्रतिबिंबित कराना चाहिए।"

–के. जी. सैयदेन

"शाला प्रशासन शिक्षालय में नियुक्त कर्मचारी का चयन, नियुक्ति तथा कार्य निर्धारित करता है और शिक्षालय सें संबधित व्यक्तियों, कर्मचारियों तथा छात्र परिषद सदस्य, समाज के सदस्यों कें बीच समन्वय तथा नेतृत्व करता है ? जिससे उचित तथा सक्षम शिक्षा की दिशा में नीतियों का निर्माण कियान्वयन तथा उन्नयन हो"। **– श्री विटनगर**

शिक्षा प्रशासन की दृष्टि से प्राचार्य का स्थान सबसे अधिक महत्व का है उसकी शैक्षणिक योग्यता कार्य क्षमता तथा अनुभव का प्रभाव विद्यालय एवं महाविद्यालय की उन्नति पर अनिवार्य रूप से पड़ता है उसका संपूर्ण व्यक्तित्व यदि श्रेष्ठ एवं उच्च कोटि का हो तो विद्यालय एवं महाविद्यालय का प्रशासन ही क्या सभी पहलू प्रगति की ओर उन्मुख होंगें अन्यथा विद्यालय एवं महाविद्यालय गर्त में चला जायेगा। प्राचार्य के कुशल प्रशासन के कारण अनेक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षा का प्रसारण द्रुत गति से होता पाया गया है। ऐसे भी कई विद्यालय है जहां प्राचार्य प्रशासक के रूप में विफल सिद्ध हुए हैं और उनकी कमजोरियों का कारण संस्था विशेष को ही हानि नही हो रही है, वरन् शिक्षा जगत को भी क्षति पहुंच रही है।

शिक्षा की अकादमिक निर्णय प्रकिया :– यह सत्य है प्राचार्य के पास कार्य की अधिकता होने के कारण अधिक शिक्षण करना संभव नही होता परन्तु माह में उसे 22 या 14 घंटे अवश्य पढ़ाने चाहिए। उसे एक या दो विषयों का विशेषज्ञ होना चाहिए। सुविधानुसार अपने प्रिय विषयों को पढ़ाते रहना उसके लिए उत्तम रहेगा यह कार्य विद्यालय के अन्य अध्यापाकों को प्रोत्साहित करेगा। समय–समय पर उसके द्वारा प्रतिपादित शिक्षण कार्य छात्रो के भय को दूर करेगा और वे प्रधान अध्यापक को अपनत्व दे सकेगें।

शिक्षण के अलावा प्राचार्य को अनेक शैक्षिक कार्यों को करना पड़ता है, सबसे पहले छात्रों का प्रवेश, स्थानांतरण, संपूर्ण सत्र के लिए क्रियाओं को कलेण्डर तैयार करवाना, शिक्षक तालिका तथा कक्षा–कक्ष तालिका तैयार करवाना, साथ ही शिक्षकों की रूचि एवं

योग्यता के अनुसार शिक्षकों में कार्य विभाजन करवाना उसका प्रमुख शैक्षणिक कर्त्तव्य है कार्य का विभाजन करते समय यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि सभी अध्यापकों को यथासंभव बराबर कार्य दिया जावें। प्रत्येक शिक्षक से उनकी क्रियाओं तथा पाठों की योजना तैयार करवाये। विभिन्न पाठ्यक्रमों सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था के लिए नियोजन करे और शिक्षकों की रूचि एवं योग्यता के आधार पर उनमें इनकी व्यवस्था रूपी दायित्व का विभाजन करे। छात्रों को महाविद्यालय की समस्त गतिविधियों नियमों एवं परंपराओ से अवगत कराये। पाठ्य पुस्तकों का चयन कर उन्हे खरीदने के लिए छात्रों को निर्देशित करे। वर्षभर के शिक्षण कार्य का संगठन करे। विशेषज्ञों के भाषणों का अयोजन करना कक्षा परिनिरीक्षण की व्यवस्था करना। विद्यालय अभिलेखों छात्रों के लिखित कार्य के सत्यापन के लिए व्यवस्था करना। मूल्याकंन की व्यवस्था करना निर्देशन सेवाओं को संगठित कराना। महाविद्यालय ब्राडकास्ट कार्यक्रम की व्यवस्था करना, शिक्षण विभाग प्रवंध समिति तथा अन्य से पत्र व्यवहार कार्यक्रम, वार्षिक पुरस्कार वितरण दिवस आदि का आयोजन करना। कक्षा प्रोन्नति के नियमों को निर्धारण करना। इसके साथ ही शिक्षण कार्य के स्तर को उन्नत बनाने के लिये महाविद्यालय में व्यावसायिक साहित्य की व्यवस्था करना और नवीन प्रविधियों एवं युक्तियों के प्रयोग के लिए आवश्यक कदम उठाना आदि। इस संबंध में उन प्रशिक्षण संस्थाओ से मदद लेना जो महाविद्यालय शिक्षा के स्तर को उन्नत बनाने के लिए प्रयोगात्मक प्रायोजनाओं का संचालन कर रहीं हैं। इनके अतिरिक्त वह शिक्षकों की विभिन्न संगोष्ठियो कार्यशालाओं आदि में भाग लेने के लिए भेजें। शालेय–पत्रिका प्रकाशन शिक्षण सामग्री निर्माण, महाविघालय में स्वछता अभियान, श्रमदान, वृक्षारोपण, योगाभ्यास महाविद्यालय में स्वास्थय सेवायें उपलब्ध करना भी प्राचार्य का कर्त्तव्य है विज्ञान क्लब, सेवा सहायता संचायिका एन.सी.सी. आदि क्रियाओं का आयोजन भी समय समय पर प्राचार्य को अपनी संस्था में करना पड़ता है। महाविद्यालय के इन आयोजनों के लिए उसे स्थानीय या शिक्षा में रूचि रखने वाले व्यक्तियों तथा भूतपूर्व छात्रों का सहयोग भी लेना पड़ता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. श्रीवास्तव, श्री 1993, एम0पी0 ''सोशल इकोनामिक कल्चरल इन मेडिकल इंडिया''।
2. मिश्रा शीला, ''महिलाओं की राजनीतिक क्रियाशीलता एवं विविध राजनीतिक दल, न्यु देहली।
3. तिवारी आर0पी0 एवं शुक्ला डी0पी0 1999, ''भारतीय नारी वर्तमान समस्याएं और भावी समाधान'' नई दिल्ली।
4. मौर्य डॉ0 शैलेन्द्र, महिला राजनैतिक नेतृत्व एवं महिला विकास।
5. ए जर्नल ऑफ एशिया फॉर डेमोक्रेसी एण्ड डवलपमेंट'' जुलाई–सितम्बर, 2007।
6. योजना, प्रकाशन विभाग 2011 नई दिल्ली।
7. वर्मा श्रीराम 2007, ''भारतीय राजनीतिक विचारक'', कॉलेज बुक सेन्टर।
8. तिवारी डॉ. गंगाधर 2004, ''राजनीतिक विज्ञान के मूल तत्व'', मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ।
9. पाण्डेय डॉ. जय नारायण 2005, ''भारत का संविधान'', सेन्ट्रल ला एजेन्सी।
10. डॉ. अवस्थी एवं डॉ. अवस्थी, ''आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन'', रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर।
11. कपिल, डॉ. एच.के. सांख्यिकीय के मूल तत्व, विनोद पुस्तक मंदिर, रांगेय राघवमार्ग आगरा–2।
12. हेनरी गैरिट, ई., शिक्षा और मनोविज्ञान में सांख्यिकीय में प्रयोग, कल्याणी पब्लिशर्स।

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 5 June 2019

सुभद्रा कुमारी चौहान के साहित्य की चुनौतियाँ

प्रीती सिंह
शोधार्थी, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

'खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी' इस पंक्ति का उच्चारण करते ही हर भारतवासी के तन–मन में वीरता की लहर दौड़ उठती है, सुभद्रा जी की ये कविताएँ प्रेम एवं देशभक्ति से सम्बन्धित हैं, जो लोगों के हृदय को आवेग एवं आह्लाद से सराबोर कर देती है। ऐसी महान राष्ट्रीय काव्यधारा की कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का साहित्य समाज में चुनौतियों से भरा हुआ है। चूँकि साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्यकारों की उत्पत्ति और निर्माण समाज से ही होता है। समाज में घटित हो रही घटनाओं को एक साहित्यकार ही हु–बहू चित्रित करता हैं हिंदी जगत में कितने ही साहित्यकार अपनी 'कलम के सिपाही' बनकर सेवारत रहे हैं। साहित्य के माध्यम से समाज में उठने वाले प्रश्नों को वाणी प्रदान करते हैं।

सुभद्रा जी के साहित्य में समसामियक देश प्रेम भारतीय इतिहास बोध एवं तत्कालीन संस्कृति की गहरी छाप है, जो वर्तमान साहित्य में न के बराबर दिखाई पड़ता है और साहित्य समाज को चुनौती देता है। क्योंकि आज का साहित्य प्रेम की कविताओं और राजनीति के चंगुल में इस कदर फँस चुका है कि यहाँ इसी स्वार्थपूर्ण रचनाकर्म में साहित्यकारों की लेखनी भी फँस चुकी है।

अतः इस समय सुभद्रा जी का साहित्य रचनाकारों के लिए चुनौती लिए हुए है। सुभद्रा जी की रचनाएँ हमें उस परिस्थिति का आईना दिखाती हैं, जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, लेकिन कलम की ताकत फिर भी साहित्यकार संभालकर रखे थे, क्योंकि उनमें राष्ट्रीयता की भावना थी। सुभद्रा जी की रचनाओं में दो प्रवृत्तियाँ बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं– पहली राष्ट्रीय भावना और दूसरी हिंदुस्तान के नवजागरण के रूप में जन साधारण के आम जीवन का चित्रण। उन्होंने अपनी राष्ट्रपरक रचनाओं में जिस प्रतिभा के साथ सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय भावनाओं को समसामयिक जीवन के तात्कालिक संदर्भों से जोड़ा, यह आज हमारे लिए चुनौती पूर्ण है। आज हम राजनीति की छलनाओं के अधीन होकर जी रहे हैं। इन राजनीतिक छलनाओं ने जातीय स्मृतियों को मिटाने का अभियान चला रखा है। ''साहित्य जीवन को 'जानने' का तर्क प्रस्तुत करता है और तर्क सांस्कृतिक अस्मिता के स्तर पर भीतर–बाहर झाँकने का एक कीमती मौका प्रदान करता है।''[1] हमें भूलना नहीं चाहिए कि हिंदी प्रदेशों के नवजागरण और सुधार युग को सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने रचना कर्म से जन–मन तक पहुँचाने का काम निर्भयता से किया है।

बुंदेलखंड में लोक शैली के छंद को लेकर उसी में 'झाँसी की रानी' जैसी रचना प्रस्तुत करना उनकी प्रतिभा, देशक्ति और गहरी अन्तर्दृष्टि का परिचय देता है। यही कारण था कि राष्ट्रीय आन्दोलन के समय में 'झाँसी की रानी' को अँगरेज सरकार ने जब्त कर लिया था, फिर भी वह हिंदी भाषा–भाषी जनता के लोककंठ में समादृत था–

सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भृकुटी तानी थी,
बूढ़े भारत में भी आयी फिर से नई जवानी थी,
गुमी हुई आजादी की कीमत सब ने पहचानी थी,
दूर फिरंगी को करने की सब ने मन ठानी थी,
चमक उठी सन् सत्तावन में
वह तलवार पुरानी थी।
बुंदेले हर बोलों के मुँह
हमने सुनी कहानी थी।
खूब लड़ी मर्दानी वह तो
झाँसी वाली रानी थी।।[2]

'झाँसी की रानी' कविता की इस पंक्तियों ने देश में राष्ट्रीयता की अलख जगाई थी और भारतीय जनमानस को एक नई दिशा प्रदान की।

इस प्रकार हम यह जान सकते हैं कि सुभद्रा जी के रचना कर्म में स्वाधीनता संघर्ष के दिनों की वह प्रेरणा व्याप्त है और इस प्रेरणा में एक मादक सुगंध भी है जो स्वाधीनता संघर्ष के दिनों के प्रति चौकन्ना और दृष्टि सम्पन्न बनाती है। यह रचना कर्म निर्जीव चमत्कारवादी तरीके से पैदा नहीं हुआ है, अपितु इसमें आजादी के लिये किये गए संघर्ष का वह मैदान है जो सर्वजनशीलता के सब जोखिमों और खतरों का सामना करते हुए सृजनशील हो जाता है। आजादी के आस–पास पैदा हुई एक पीढ़ी जो अपने सपनों के मुरझाते दिनों के साथ बूढ़ी हो रही है– उसे सुभद्रा

कुमारी चौहान की कविताओं एवं कहानियों की स्मृति आज भी तरोताजा किये हुए हैं। वे अभी भी 'झाँसी की रानी' 'वीरों का कैसा हो बसंत' जैसी अमर कविताओं के साथ अंतरंग संवाद स्थापित किये हुए हैं। सुभद्रा जी की कविताओं–कहानियों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की पीढ़ी की कच्ची उम्र की मिट्टी पर एक ऐसी अनुपम प्रतिमा गढ़ी कि उस प्रतिमा का सौन्दर्य वर्णन कर पाना कठिन है। हम लोगों ने 'झाँसी की रानी' कविता का गहनार्थक स्वाद तो तब नहीं पाया लेकिन अपने शोधकार्य के दिनों में इस कविता में पाया कि इस कविता का अर्थ संश्लिष्ट और समाज–समय के बहुमुखी यथार्थ से निर्मित हुआ हैं– इतना ठोस यथार्थ जैसा हीरे का क्रिस्टल हो। पूरी कविता मुर्दा मर्यादाओं वाली नैतिकता को चुनौती देती है और नारी के भीतर छिपी 'दुर्गा शक्ति' से साक्षात्कार कराती है।

वर्तमान समय में सुभद्रा जी का साहित्य हमारे बदलते सामाजिक मूल्यों के लिए भी एक चुनौती है। क्योंकि परिवर्तन तीव्र गति से हो रहा है। सामाजिक स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है। ऐसे में मनुष्य एक झंझावात में फंसा हुआ है। बाह्य रूपों से चारों ओर भौतिक एवं आर्थिक प्रगति दिखाई पड़ती है। सुख–सुविधा के अनेकानेक साधनों का अंबार लगता जा रहा है। दिन प्रतिदिन नए–नए अविष्कार हो रहे हैं। पर आन्तरिक दृष्टि से मनुष्य टूट रहा है। उसका संसार के प्रति विश्वास, समाज के प्रति सद्भाव और जीवन प्रति उल्लास धीरे–धीरे समाप्त हो रहा है।

सुभद्रा जी ने अपनी कहानी के संदर्भ में कहा है कि ''रूढ़ियों और सामाजिक बन्धनों की शिलाओं पर अनेक निरपराध आत्मायें प्रतिदिन ही चूर–चूर हो रही है। उनके हृदय बिन्दु जहाँ मोतियों के समान बिखरे पड़े हैं। मैंने तो उन्हें केवल बटोरने का प्रयत्न किया है। मेरे इस प्रयत्न में कला का लोभ है और अन्याय के प्रति लोभ भी। सभी मानवों के हृदय एक से है। वे पीड़ा से दूषित अत्याचार से रुष्ट और करुणा से द्रवित होते हैं।''[3]

अब तो समाज में चारों ओर आपसी सौहार्द, समरसता एवं सात्विकता के स्थान पर कुटिलता, दुष्टता और स्वार्थ परता की दृष्टिगोचर होती है। समाज सेवा का क्षेत्र हो या धर्म– अध्यात्म अथवा राजनीति का, चारों ओर अवसरवादी, सत्तालोलुप, आसुरी प्रवृत्ति के लोग ही दिखाई देते हैं। शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र, जहाँ कभी सेवा के उच्चतम आदर्शों का पालन होता था। आज सभी व्यावसायिक प्रतिस्पर्द्धा के केन्द्र बन गए हैं।

सुभद्रा जी का साहित्य हमारे युवा पीढ़ी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि पहले युवा पीढ़ी को अपने आदर्श ढूढ़ने के लिए परिवार व समाज के अतिरिक्त पुस्तकों का भी सहारा रहता था, जो कि भारतीय संस्कृति की बहुमूल्य धरोहर है। आज वेद, उपनिषद, पुराण आदि को पढ़ना या उन पर चर्चा करना तो दूर, उनका नाम लेना भी पिछड़ेपन की निशानी समझी जाती है। आदर्श व देशप्रेम साहित्य के प्रति अभिरूचि में भारी कमी आयी हैं। अश्लील एवं स्तरहीन साहित्य की भरमार है। उच्च स्तरीय साहित्यिक रचनाएँ पढ़ने की परम्परा लुप्त हो रही है। युवा वर्ग समझा ही नहीं पाता कि वह क्या पढ़े, और कैसे पढ़े? आज वह किसी सज्जन, वीर, महात्मा और महापुरूष को अपना आदर्श बनाने के स्थान पर टी.वी. और फिल्मों के पर्दे पर खोजता है। वहाँ उसे हिंसा, अश्लीलता आदि के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। भारत की बहुमूल्य सांस्कृतिक परम्पराओं की अवहेलना करता है। पाश्चात्य संस्कृति के जीवन मूल्य को अपनाती युवा पीढ़ी अपने देश की संस्कृति को देय दृष्टि से देखने लगी है। आज अपने युवा पीढ़ी को जगाने के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी एवं बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' आदि जैसे राष्ट्रीय–सांस्कृतिक धारा साहित्यकार एवं उनके

साहित्य उन्हें परिचित कराना होगा। उनके भी मन में देश के प्रति प्रेम एवं समर्पण की भावना जगानी होगी, जो हमारी महान कवयित्री सुभद्रा के साहित्य में मिलती हैं।

सुभद्रा जी की कविता 'मातृ–मंदिर' में देशभक्ति के भाव से निम्नलिखित शब्दों के मोतियों में पिरोया है–

देव ! वे कुंजें उजड़ी पड़ी
और वह कोकिल उड़ ही गई।
हटाई हमने लाखों बार
किन्तु वे घड़ियाँ जुड़ ही गई।।[4]।।

तो दूसरी ओर दर्प की ध्वनि गूँजती है–

विजयिनी माँ के वीर सुपुत्र
पाप से असहयोग ले ठान।
गुँजा डालें स्वराज्य की तान
और सब हो जावें बलिदान।।[5]।।

राजनीतिज्ञों के दुष्चक्र ने तो युवा पीढ़ी को और अधिक उलझा दिया है। शिक्षा केन्द्र तो पूरी तरह से राजनैतिक द्वन्द्व का अखाड़ा बन गया है। इस युद्ध में युवावर्ग का प्रयोग कच्चे माल की तरह हो रहा है। उच्च आदर्शों एवं प्रेरणा स्त्रोतों के अभाव में वे नित नए

कुचक्रों में उलझते जा रहे हैं। सामाजिक एवं राष्ट्रीय दायित्व बोध से कटे हुए ऐसे लोगों का जीवन मात्र स्वार्थपरता के संकुचित घेरे तक ही सीमित रह जाता है।

इतिहास साक्षी है कि संसार में जिनती भी महत्वपूर्ण क्रान्तियाँ हुई हैं, उनमें युवाओं की भूमिका सदैव ही अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय युवावस्था ही होता है। उत्साह एवं उमंग से भरपूर युवाओं में पहाड़ से टकराने की ललक होती है। कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी जूझने का साहस होता है।

हिन्दी साहित्य की सुभद्रा कुमारी चौहान ऐसी साधिका हैं जिन्होंने किसी बंधन या वाद का डंका नहीं पीटा, न ही किसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, बल्कि रूढ़ियों, प्रथाओं, बाल विवाह, विधवा स्त्रियों के साथ हो रहे अत्याचारों एवं सामाजिक बंधनों से स्वयं को ही मुक्त कर एक नई दिशा एवं सोच नारियों को देने की कोशिश की।

सुभद्रा जी के विषय में उनकी पुत्री सुधा चौहान ने लिखा है– ''शाम को खूब जोरों का खेल जमता था, कभी धमा–चौकड़ी होती तो कभी गम्भीर तरह के खेल होते, महिला समिति की सभा होती, लड़कियाँ स्त्री–सुधार पर पर्दे के विरोध और शिक्षा पर जोर–शोर से भाषण देतीं, आपस में ही सभापति बन जाती, कोई मंत्री कोई वक्ता।।''[6]

रानी लक्ष्मी बाई का व्यक्तित्व सुभद्रा जी के लिए प्रेरणा स्त्रोत था। इसी प्रेरणा के जरिये उन्होंने साहित्य और राजनीति को समरस बना दिया। उन्हें अपने देश, अपनी संस्कृति और गौरव से बहुत लगाव था। यह सब उनके कथा साहित्य का मर्म हैं। स्त्री–स्वातंत्र्य की भावना भी उनकी कहानियों में व्यक्त की गई है।

उनकी अधिकतर कहानियाँ नारी की पीड़ा की ही अभिव्यक्ति करती हैं। ''यदि अपने किसी आत्मीय के सच्चे और निःस्वार्थ प्रेम को समझने और उसके भूल करने को ही उन्माद कहते हैं, तो ईश्वर ऐसा उन्माद सभी को दे। क्या कहा वह मेरा कौन था? यह तो मैं नहीं कह सकती, पर कोई था अवश्य और ऐसा था, मेरे इतने निकट था कि आज वह समाधि में सोया है औ मैं बावली की तरह उसके आसपास फेरी देती हूँ।''[7]

निःसंदेह सुभद्रा कुमारी चौहान का हिंदी साहित्य में एक अमिट स्थान है। भले ही उन्होंने किसी वाद या आन्दोलन के तहत साहित्य–सृजन न किया हो फिर भी उनकी कहानियाँ नारी जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालती हैं। हम सुभद्रा जी की कविता का आदर करते हैं। उसमें मादकता है, सौन्दर्य है और हृदय को वीरता से भर देने की मनोहर झाँकी भी है। सुभद्रा जी हिंदी–साहित्य की कोकिला हैं, जो भावना की ऊँची डाल पर बैठ कर गाती है। उस समय हृदय–मुकुल विकसित हो उठता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. हिंदुस्तानी त्रैमासिक, भाग–65, अंक–4, अक्टूबर–दिसम्बर 2004 लेख– 'बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी'– डॉ. कृष्णदत्त पालीवाल, पृष्ठ–80
2. 'मुकुल' कविता संग्रह– सुभद्रा कुमारी चौहान, पृष्ठ–47, पंचम संस्करण, सन् 1944
3. संदर्भ ग्रंथ– बिखरे मोती– पृष्ठ 15
4. 'मुकुल' कविता संग्रह की कविता मातृ–मंदिर, पृष्ठ– 83, संस्करण पंचम, सन्–1944
5. 'मुकुल' कविता संग्रह की कविता मातृ–मंदिर, पृष्ठ– 85, संस्करण पंचम, सन्–1944
6. सुधा चौहान– मिला तेज से तेज, हंस प्रकाशन, पृष्ठ–39
7. उन्मादिनी– सुभद्रा कुमारी चौहान, पृष्ठ–9

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 5 June 2019

श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास में यथार्थ और व्यंग्य : वर्तमान संदर्भ में

डॉ. के.एस. बघेल
प्राध्यापक हिन्दी, शहीद भीमा नायक, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.)
पदमा आर्य
शोधार्थी हिन्दी, शहीद भीमा नायक, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.)

सारांश :– वर्तमान युग के हिन्दी साहित्य जगत में उपन्यास अपना शीर्ष स्थान प्राप्त कर चुका है। साहित्य क्षेत्र में उपन्यास यथार्थ जनतांत्रिक विधा है, जिसमें वर्तमान जीवन की अनेकमुखी विविधता समाहित है। गद्यात्मक साहित्य विधा होने के कारण उपन्यास में अभिव्यक्ति क्षेत्र असीम है। वर्तमान की नयी प्रविधियों को विकसित करता हुआ समाज की नैतिक–अनैतिक के साथ चरण मिलाते हुए उत्तरोतर प्रगतिशील है। यही उसकी लोकप्रियता का कारण भी है। उपन्यास आज के साहित्य की सबसे अधिक सशक्त विधा है। इसका फलक साहित्य की अन्य विधाओं की अपेक्षा वृहत है, क्योंकि साहित्य की सारी विधाओं की छवियों को अपने में समेटने की क्षमता रखता है। वर्तमान जीवन की सम्पूर्ण वास्तविक स्थितियों को उपन्यास अन्य विधाओं की अपेक्षा गहराई और व्यापकता के साथ व्यक्त करता है। इसी कारण इसे यथार्थ सापेक्ष विधा के रूप में स्वीकार किया गया है। श्रीलाल शुक्ल अपने समय के यथार्थ को पूरी संश्लिष्टता से पहचाना, चित्रित किया और उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की। वे मानते हैं कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक समस्याएँ परस्पर अनुस्यूत हैं, किन्तु आज का मनुष्य "अर्थ" कमाने की होड़ में सभी नैतिक–अनैतिक हथकण्डे का मनमाना प्रयोग करता है, भले ही उनका समाज पर बुरा प्रभाव क्यों न पड़ें। श्रीलाल शुक्ल इस यथार्थ को प्रस्तुत कर हमें परिचित करवाया है और व्यंग्य के माध्यम से सुधार की पुकार भी लगाई हैं।

शब्द कुंजी :– अनेकमुखी, प्रविधियों, समाहित, अभिव्यक्ति, सशक्त, संश्लिष्टता, अनुस्यूत, हथकण्डे, मनमाना।

साहित्य में समाज की जो छवियाँ आदिकाल से हम देखते आये हैं, उसमें सामाजिक विषमता, विद्रूपता और कुरूपता पर कम ध्यान दिया जाता था। तकनीकी विकास की आज जैसी आपाधापी भी न थी। परिणामस्वरूप व्यंग्य का विस्तार भी न था। यदि हम वर्तमान की ओर दृष्टि डाले तो हमें तकनीकि विकास के नये–नये आयाम देखने को मिलते हैं। यथार्थवादी रचनादृष्टि के विकास जहाँ हमें आइने के सामने रखा है वहीं हमारी वैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक और साहित्यिक महत्वकांक्षाओं ने हमारी सम्पूर्ण समाज व्यवस्था पर ही प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया है।

श्रीलाल शुक्ल अपने श्रेष्ठ उपन्यासों में समाज में व्याप्त कुरीतियों, शोषण, कुसंगति, विषमताओं, विद्रूपताओं, विकृतियों और अत्याचारों को चित्रित किया है। विकृतियों की अभिव्यक्ति के कारण व्यंग्य भी सहज उपस्थित हो गया है। समाज में शोषण के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। इसे श्रीलाल शुक्ल "सूनी घाटी का सूरज" उपन्यास में व्यक्त करते हैं, "शिकार सदैव वहीं रहता शिकारी ही बदलते। इन्हीं शिकारियों में जमीदार, राजे, महाजन आते। चोर और डकैत आते। कन्या के विवाह में घर से दूध देने वाली भैंस खुला ले जाने वाले नए रिश्तेदार आते। सादे कागज पर अँगूठा लगाने के लिए बाध्य करने वाले असहयता की स्थिति आती। पत्थर जैसी छाती को पीसकर, समस्त पुरूषार्थ को आँसुओं में बहा देने वाली निराशा आती। सब तरह से जीवन को जकड़कर केवल पथराई आँखों से सबकुछ देखते रहने वाली जड़ता आती। शिकार वहीं था, शिकारी अनेक थे।" उच्च वर्ग के सामने गरीब सदैव लाचार ही रहता है। हमें इस लाचारता को दूर करना चाहिए।

उपन्यास समाज का जाल है। समाज राजनीति का गढ़ है तो स्वाभाविक है कि साहित्य अपनी समकालीन राजनीति से अछुता नहीं रह सकता। राजनीति अपने समय के साहित्य को कभी प्रत्यक्ष तो कभी परोक्ष रूप से प्रभावित करती रहती है। लेकिन इसका एक प्रमुख दोष है– भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। भ्रष्टाचार की चर्चा चारों ओर होती हैं, लेकिन कहाँ और कितना भ्रष्टाचार पता नहीं चलता है। शायद भ्रष्टाचार भी निराकार हो रहा है। आज राजनीति एवं सरकारी तंत्र इतने भ्रष्ट हो गये हैं कि उनका हृदय परिवर्तन महान पुरूषों की वाणी भी नहीं कर सकती है। इस पर श्रीलाल शुक्ल लिखते हैं, "नहीं भाई जहाँ घुस चलती है वहाँ सिफारिश नहीं चलेगी।" राजनीति का उद्देश्य

समाज कल्याण है, किन्तु आज यह समाज को भ्रष्ट किये जा रही है। उपन्यासों में शैक्षिक मूल्यों की गिरावट को भी चित्रित किया गया है। "रागदरबारी" उपन्यास में रंगनाथ विश्वविद्यालय में चलने वाले शोध कार्य की तुलना घास खोदने की क्रिया से करता है। वर्तमान शिक्षा पद्धति पर व्यंग्य करते हुए रंगनाथ कहता है कि "वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है, जिसे कोई भी लात मार सकता है।" शैक्षिक क्षेत्र तो हमारे समाज जीवन के फेफड़े हैं अन्य क्षेत्रों की विकृतियाँ यहाँ आकर शुद्ध होती है किन्तु आज यह पद्धति दूषित होती जा रही है। यह एक चिन्तनीय विषय है।

समाज में विषमता पहले कभी जाति, कुल, गौत्र और धर्म के आधार पर होती थी। अब इसका स्वरूप परिवर्तित हो रहा हैं नयी शोषण व्यवस्था समाज में जारी है। जिसे सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और धार्मिक आधार दिए गए हैं। जिससे धनिक या उच्च वर्ग ताकत के मद में झूम रहे हैं। मूल्य मर रहे हैं। अमूल्य पनप रहे हैं।

श्रीलाल शुक्ल ने समाज में व्याप्त उन अन्धविश्वासों, कुरीतियों, रीति–रिवाजों का भी पर्दाफाश किया है, जिनसे मनुष्य किसी न किसी रूप में दुखी है। कई पाखण्डी सीधी–साधी जनता को बहला–फुसलाकर अपने चुंगल में फँसा लेते हैं। "सूनी घाटी का सूरज" उपन्यास में वैद्यजी चेचक से पीड़ित को कहते हैं, "शीतला का स्मरण करों, वहीं रक्षा करेगी। इसमें औषधी व्यर्थ है।" यहाँ शीतला के स्मरण मात्र से चेचक दूर नहीं हो सकता है। वास्तविकता से हमें अवगत करवाना चाहिए। समाज में श्रद्धा के भाव भी निराले होते हैं। बहुदेववाद के आधार पर अपने–अपने देवताओं का बखान करते हैं। पूर्व के लोग आज की तुलना में देवी–देवता पर अधिक विश्वास करते थे। भक्ति, पूजा, प्रार्थना, व्रत आदि ये सब धार्मिक दृष्टिकोण के प्रतीम है। धर्म समाज का आधार है। धर्म ही मानव व्यवहार को नियन्त्रित तथा संस्कारित करता है। आज ये परम्पराये परिवर्तित हो रही है। कुछ संत, साधु, मौलवी अपने स्वार्थ के आड़ में धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिससे आम आदमी धर्म के प्रति आस्था कम कर रहा है। हमारे समाज में धार्मिक ढोगियों के बावजूद जाति बोध कायम है। हमारी दृष्टि में दरार है। हमारे आश्वासन झूठ पर चलते है हमारे समाज के भीतर जातिवाद निरन्तर करवटे लेता रहता है। पर सोया नहीं है। उसे सोने ही नहीं दिया जाता। परिवर्तित विकास की प्रकाश बेला में इन बाधाओं को समेटकर नये कांतिमय समाज की रचना करना आज की जरूरत है।

उपन्यास समाज की व्याख्या है जिसमें भावों के विभिन्न तरंगे होते हैं। समाज में जहाँ एक ओर प्रेम, ममता, सौहार्द, सदाचार, आदर्श, सच्चरित्रता, एक पत्नीव्रतता, स्वच्छ मानसिकता, एक विवाह, सुखी दाम्पत्य, सहयोग, बन्धुत्व का अस्तित्व होता है, वहीं दूसरी ओर विकृति, कुष्ठा, डर, दुराचार, स्वार्थान्धता, विलासिता, संत्रास, तलाक, बेमेल विवाह, रूढ़िवादिता, भाई–भतीजावाद, भ्रष्टाचार जैसी समस्याएँ भी उत्पन्न होती रहती हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं चाहे परिवार ही क्यों न टूट जाए, इस में कई परेशानियाँ आ जाती हैं। दिन–प्रतिदिन बढ़ रहीं इच्छाओं के पूर्ण न होने पर कुष्ठाओं का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। "रागदरबारी" में रंगनाथ चारों और फैले अन्याय को देखकर घबरा जाता है। अन्याय को दूर भी नहीं कर सकता और अन्त में वह मानसिकता का शिकार हो जाता है। कुण्ठित व्यक्ति की सोचने–समझने की शक्ति भी कमजोर हो जाती है।

भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए ठाकुर ने रामदास को बंधुआ जैसी जिन्दगी जीने के लिए मजबूर कर देता है। "पहला पड़ाव" उपन्यास में ठेकेदार और पुलिस की विलासिता का घोर से घोरतर रूप अत्याचारों के रूप में सामने आता हैं श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास में ऐसे कई वृतान्त जिसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि समाज के लोग अच्छाई के रास्ते को छोड़कर बुराई के रास्ते को सहज रूप से अपनाते जा रहे हैं। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में आधुनिक समाज अनेक विकराल समस्याओं से त्रस्त है। जीवन के हर क्षेत्र में कुप्रवृत्तियों, विद्रूपताओं, स्वार्थान्धता, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी आदि के दर्शन होते हैं। सामाज के विभिन्न पक्षों को पूर्णतया चित्रित करने के उद्देश्य से श्रीलाल शुक्ल ने विषमताओं की ओर पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. श्रीलाल शुक्ल – सूनी घाटी का सूरज, पृ. 59.
2. श्रीलाल शुक्ल – पहला पड़ाव, पृ. 129.
3. श्रीलाल शुक्ल – रागदरबारी, पृ.
4. श्रीलाल शुक्ल – सूनी घाटी का सूरज, पृ. 55.